राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अङ्क ५] तृतीय विधान सभा के पञ्चम सत्र, १९६४ का २५ वां दिवस [संख्या १९

सोमवार दिनांक, १६ मार्च, १९६४

विधान सभा की बैठक म० पू० ८ बज कर ३ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई ।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन।

तारांकित प्रश्नोत्तर

[विकास, यातायात, शिक्षा, श्रम, पंचायत, वन, सहकारी व समाज कल्याण-विभाग]

श्री अध्यक्ष : तारांकित प्रश्न ।

कालूगामड़ा गांव का तालाब

४२१. श्री ललितमोहन (गोगुन्दा) : क्या विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि विकास पंचायत हयाई, पंचायत समिति डूंगरपुर ने कालूगामड़ा गांव में कोई तालाब बनवाया है ?

(२) क्या यह भी सही है कि इस कार्य के लिये एनीकट बनवाने की स्वीकृति थी ?

(३) क्या यह सही है कि एनीकट बनाने के बजाय वहां पर केवल कच्चा काम किया गया है और इस कारण यहां काफ़ी जमीन पानी में डूबी है और फसल को नुकसान हुआ है ?

(४) क्या यह सही है कि यदि इस सम्बन्ध मे तुरन्त कार्यवाही नहीं की गई तो वहां के गांव वालों का और भी अधिक नुकसान होने की सम्भावना है ? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या तुरन्त कार्यवाही करना चाहती है ?

उप मन्त्री, विकास (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) पुराना टूटा हुआ तालाब दुरुस्त करवाया गया है ।

(२) जी नहीं ।

(३) जी नहीं । पाल मिट्टी की है जिसे दुरुस्त की गई व ओटा ठीक किया गया ।

(श्री भवानीशंकर नन्दवाना)

बहुत मामूली जमीन पानी में डूबी है। फसल को कोई खास नुकसान नहीं हुआ।

(४) जी नहीं। पंचायत ने ओटे का लेवल ढाई फीट कम रखने का प्रस्ताव पास कर लिया है जिससे बहुत कम जमीन डूब में आवेगी।

श्री ललितमोहन : नुकसान हुआ है। कई बार प्रार्थनापत्र दिये पंचायत समिति में, बी. डी. ओ. और पंचायत समिति ने ध्यान नहीं दिया और भविष्य में भी नुकसान की सम्भावना है। इसलिए नीचे कर दिया गया है, कहा है फिर भी नुकसान नही रुक रहा है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : ढाई फीट नीचे करने का तय कर लिया गया है, जिससे कोई जमीन डूब में नहीं आवेगी।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : आपने कहा कि बहुत कम जमीन डूब में आई है तो फिर नुकसान कैसे नही हुआ ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : पहले नौ बीघा आती थी, अब ढाई फीट करने से कोई नहीं आवेगी।

प्रश्न संख्या ४२२

श्री अध्यक्ष : श्री जयनारायण सालोदिया।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ४२३

कुंवर श्री महेन्द्रसिंह।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ४२४

श्री अब्दुलजब्बार।

(अनुपस्थित)

श्री श्रवणलाल।

मैकेनिकल इन्सपेक्टर के विरुद्ध शिकायतें

४२५. **श्री श्रवणलाल** (हिण्डौन) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) यातायात विभाग में मोटर गाड़ियों के फिटनैस का प्रमाणपत्र देने वाले कितने मैकेनिकल इन्सपेक्टर्स हैं ?

(२) श्री उदयनाथ माथुर व श्री एल० एन० पुरोहित के विरुद्ध सन् १९६०-६१ व ६२ के वर्षों में कितनी शिकायतें किस सम्बन्ध में आई हैं ?

(३) इन शिकायतों की जांच का क्या नतीजा रहा ?

उप मन्त्री, यातायात (श्री भीमसिंह): (१) १३

(२) श्री उदयनाथ मैकेनिकल इन्सपेक्टर के विरुद्ध सन् १९६०--६१ व ६२ में जबकि वह जयपुर में कार्य कर रहा था एक मोटर

Page No.3

(श्री भीमसिंह)

गाड़ी को अनुचित फिटनैस देने की एक शिकायत थी ।

श्री लक्ष्मीनारायण मैकेनिकल इन्सपेक्टर के विरुद्ध सन् १९६०--६१ व ६२ में कार्यालय के रिकार्ड से कोई शिकायत होना नहीं पाया जाता है ।

(३) श्री उदयनाथ माथुर, की उपरोक्त मामले में जांच के फलस्वरूप तीन वेतन वृद्धि रोकी गई ।

मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : शिका- क्या थी ?

श्री भीमसिंह : जैसा निवेदन किया गलत मैकेनिकल फिटनैस सर्टीफिकेट दे दिया ।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या यह भ्रष्टा- चार करके पैसा लेकर दिया या यों ही दे दिया ?

श्री भीमसिंह : वह गाडी फिट कन्डीशन में नहीं थी, फिर भी दे दिया ।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : उसके ऊपर क्या चार्जेज़ थे ?

श्री अध्यक्ष : अभी मन्त्री महोदय ने बताये वे थे ।

श्री विजयसिंह झाला : क्या क्रिमिनल केस नहीं बन सकता इन पर ?

श्री भीमसिंह : जांच के बाद जो वाजिब समझा वह चार्ज लगाया गया और उसी की सजा मिली ।

श्री विजयसिंह झाला : शिकायत मैं भी इस तरह की कर चुका हूं । तो ऐसी सूरत में क्या उस पर क्रिमिनल केस नहीं लगाया जा सकता या प्रोमीजर के मुताबिक ?

श्री भीमसिंह : अगर गबन करके या पैसा लेकर करता तो क्रिमिनल में आता । पर अगर फिट नहीं होते हुए भी दे देता है तो इरेंगुलेरिटी और गलती में भी आता है और उसी की सजा उसको मिली ।

श्री विजयसिंह झाला : यह मान लिया जाना था कि फिट नहीं होते हुए भी दे दिया तो पैसा लेकर ही दिया होगा ।

श्री भीमसिंह : पर यह साबित नहीं हुआ, पर चूंकि दे दिया इसलिये सजा की गई ।

श्री मुरलीधर व्यास : पैसा न भी लिया हो, पर फिर भी गलत दे दिया और उससे अगर किसी का भी एक्सीडेंन्ट हो जाता, मर जाता कोई तो यह कितनी बडी जिम्मेदारी की बात थी ?

श्री भीमसिंह : यह बड़ी जिम्मेदारी है ।

श्री मुरलीधर व्यास : तो फिर सरकार उसको महसूस क्यों नहीं करती और इसे क्रिमिनल केस क्यों नही बनाया ? इस प्रश्न को गम्भीरता से लेकर ताकि आगे और लोगों को सबक मिलता ?

श्री भीमसिंह : इसीलिये तो तीन ग्रेड रोके हैं ।

श्री विजयसिंह झाला : पैसा लेकर ही दे और यह साबित हो जाय तभी क्रिमिनल केस बन सकता है यह किस कानून के अन्तर्गत है ?

Page No.4

श्री अध्यक्ष : श्री मोहनराज ।

हाई स्कूल, बाली में कृषि विषय की कक्षाएं

४२६. **श्री मोहनराज** (बाली) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि बाली हाईस्कूल के पास में ही हाई स्कूल का एक कृषि फार्म आया हुआ है और सिंचाई की भी पूर्ण व्यवस्था है पर हाई स्कूल कक्षाओं में कृषि का विषय नहीं पढ़ाया जाता है ?

(२) क्या यह सही है कि बाली व आसपास का इलाका कृषि-प्रधान है और यह क्षेत्र 'पैकेज कार्यक्रम' के अन्तर्गत भी आया हुआ है एवं बाली व आसपास के ग्रामों की जनता ने हाई स्कूल में कृषि कक्षाएं चालू करने हेतु शिक्षा विभाग व राज्य सरकार के अधिकारियों के समक्ष अनेक बार निवेदन किया है ?

(३) क्या सरकार उक्त स्कूल में आगामी सत्र से ही कृषि कक्षाएं चालू करने का विचार रखती है ?

उप मन्त्री शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) जी हां, यह सही है ।

(२) हां, बाली के आस पास का इलाका कृषि प्रधान है और यह भाग पैकेज कार्यक्रम के अन्तर्गत भी आता है । जनता समय समय पर शिक्षा विभाग से उच्च कक्षाओं में कृषि विषय खुलवाने की प्रार्थना भी करती रहती है ।

(३) सन् ६४-६५ में कृषि विषय खोलने के लिये कोई प्रावधान नहीं रखा गया है अतः बाली हाई स्कूल में कृषि विषय नहीं खोला जावेगा ।

श्री मोहनराज : जब सरकार इन सब चीजों को मानती और महसूस करती है तो फिर क्या कठिनाई है ? क्या सबब है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : अर्थाभाव का सबब है ।

श्री अध्यक्ष : श्री मानिकचन्द सुराणा

श्रमजीवी पत्रकार वेतन समिति की सिफारिशें

४२७. **श्री मानिकचन्द सुराणा** (कोलायत) क्या श्रममन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) राजस्थान में समाचार पत्र प्रतिष्ठानों के वर्ष १९६२ में कितने निरीक्षण किये गये ?

(२) क्या श्रमजीवी पत्रकार वेतन समिति की सिफारिशें सभी समाचार पत्र प्रतिष्ठानों में लागू कर दी गई है ? यदि नहीं हुई तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

(३) श्रमजीवी पत्रकार कानून लागू करने की दिशा में श्रम विभाग ने क्या कदम उठाये हैं ?

उप-मन्त्री, श्रम (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) राजस्थान में समाचार प्रतिष्ठानों के वर्ष, १९६२ में कुल मिलाकर १८ निरीक्षण हुए ।

(२) श्रमजीवी पत्रकार वेतन समिति की सिफारिशें सभी समाचार पत्र प्रतिष्ठानों में लागू की जा चुकी हैं । एवं उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

(३) श्रमजीवी पत्रकार कानून लागू करने की दिशा में सरकार ने श्रम अधिकारियों को अधिनियम के अन्तर्गत निरीक्षक नियुक्त किया है जो समय समय पर प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर अधिनियम का पालन कर-

(श्री भवानीशंकर नन्दवाना)

वाते हैं। इसके अतिरिक्त सरकार ने श्रम न्यायालय एवं क्षेत्रीय सहायक श्रम आयुक्त जयपुर व जोधपुर को अधिनियम की धारा १७ व १७ (अ) के अंतर्गत औथोरिटी नियुक्त किया है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : ६२ में निरीक्षणों की संख्या बताइये ?

श्री भवानी शंकर नन्दवाना : १८

श्री मानिकचन्द सुराणा : वेज बोर्ड की सिफारिशें लागू कर दी गई हैं इसके फलस्वरूप कितने समाचार प्रतिष्ठानों ने जर्नलिस्टों को तनख्वाहों को बढा दिया है उसकी सिफारिशों के अनुसार और वेज बोर्ड ने क्या सिफारिशें की थीं ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : ५ पत्र इस केटेगरी में आते हैं राष्ट्रदूत, लोकवाणी, नवज्योति जयपुर और अजमेर और नवयुग। किसी के संबंध में कोई शिकायत नहीं है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मेरा प्रश्न यह नहीं है कि शिकायत आई है या नहीं लेकिन जो वेज बोर्ड की सिफारिशें थीं वह लागू कर दी गयी हैं या नहीं ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : लागू कर दी गयी हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आपने इन्सपेक्शन किया १८ प्रतिष्ठानों का और लागू वेज बोर्ड की सिफारिशें सिर्फ ५ पर हैं। आखिर हमको इस बात का एतराज नहीं है कि आपने १८ प्रतिष्ठानों का इन्सपेक्शन किया लेकिन जिन ५ प्रतिष्ठानों में यह इन्सपेक्शन किया उनमें वेज बोर्ड ने जो वेजेज के इन्क्रीज की बात की है वह ५ में से किसी पर भी लागू नहीं हैं। आप कहते हैं कि हमने इन्सपेक्शन कर लिया।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : सभी पर लागू हैं। कोई शिकायत नहीं है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : लागू का क्या मतलब है? जो सिफारिशें हैं उनका इम्प्लीमेन्टेशन उनके मालिकों ने किया या नहीं ? लागू से क्या मतलब है ? इम्प्लीमेन्टेशन हुआ या नहीं ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : आप मुझे बतायें जांच कर ली जायेगी। वैसे कोई शिकायत नहीं है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : यह बिलकुल स्पष्ट है। अध्यक्ष महोदय, यह पहले भी सवाल आया था ६३ में। उस समय मंत्री महोदय ने कहा था कि हम जांच करायेंगे, इन्सपेक्शन करायेंगे और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो यहां राजस्थान का सबसे बड़ा अखबार है राष्ट्रदूत उसमें एक पर भी वेजबोर्ड की सिफारिशें लागू नहीं हैं।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : इसमें कोई बात नहीं है, अगर माननीय सदस्य इस प्रकार की सूचना दे रहे हैं तो फिर जांच करवा लेंगे। लेकिन कोई ऐसी शिकायत पेन्डिंग नहीं हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : शिकायत का क्या प्रश्न है ? वेजबोर्ड ने जो वेजेज रिकमण्ड की हैं उनको आप पत्रों के यहां उनके बिल्स में देखें कि वह पेमेन्ट किया जा रहा है या नहीं ? वह आपके इन्सपेक्टर का फर्ज है।

श्रम मंत्री (श्री भीखाभाई) : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि उप-मंत्री जी ने कहा वह उत्तर सही है और मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राष्ट्रदूत में केवल ३ प्रूफरीडर्स थे उनको दिक्कत थी क्योंकि उनको अकार्डिंग टू दी वेज रिपोर्ट पेमेन्ट नहीं दे रहे थे। तो २१-८-६३ को बात की वहां के मैनेजर से तो उन्होंने कहा कि मैं पूरा कर दूंगा और यह मैं आश्वासन देता हूं कि नवयुग, नवज्योति के बारे में कोई शिकायत नहीं है और इनके अलावा दो पत्र ऐसे हैं कि जहां वेज बोर्ड की सिफारिश से भी ज्यादा वेतन मिलता है। वह दो पत्र हैं अमर राजस्थान और राजस्थान पत्रिका।

श्री मानिकचन्द सुराणा : राष्ट्रदूत में जिन ३ प्रूफरीडर्स के बारे में मान लिया है मैं जानना चाहता हूं कि यह वेज बोर्ड की सिफारिशें दो साल पहले ही लागू हो गयी थी तो दो साल तक उन्होंने उन प्रूफरीडर्स को तनख्वाह नहीं दी तो आपने राष्ट्रदूत को प्रोसीक्यूट किया क्या ?

श्री भीखाभाई : यह तो पत्र के मालिकों और मजदूर के बीच की बात है तो उसके अन्दर सरकार बीच में कैसे आ सकती है ? जब कि हमारा यह सिद्धान्त है कि आपसी बातचीत से सारी बातें तय होनी चाहिएं। तो प्रोसीक्यूशन का सवाल नहीं उठता।

श्री मानिकचन्द सुराणा : दो साल हो गए तो रिट्रोस्पेक्टिवली उसको लागू क्यों नहीं करवाते हैं और जो वेजबोर्ड की सिफारिश है उसके अनुसार तनख्वाह क्यों नहीं दिलाते ? अगर देने के लिए तैयार नहीं हैं तो उनके खिलाफ कार्यवाही के अलावा कोई रास्ता नहीं हो सकता। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस विभाग की तरफ से हमेशा ढिलाई होती है और जहां आल इंडिया वेज बोर्ड बन जाता है उसकी सिफारिशें लागू होने में ढिलाई होती है, उनमें से एक को भी ठीक ढंग से इन्सपेक्ट नहीं करना चाहते और कार्यवाही नहीं करना चाहते यह श्रम विभाग की कमजोरियों के अलावा और कुछ नहीं दिखता।

श्री हरदत्तसिंह (नोहर) : अध्यक्ष महोदय, इस बारे में एक सवाल मेरा भी है। मंत्री महोदय ने कहा कि मालिकों ने आश्वासन दे दिया है प्रूफ रीडर्स को वेज बोर्ड की सिफारिश के अनुसार पेमेन्ट करने का। क्या उन्होंने यह आश्वासन जब से कमेटी की सिफारिशें लागू हुई हैं तब से तनख्वाह देने के लिए कहा है या आइन्दा से लागू करेंगे ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो जानकारी दी वह ५ रुपये कम थे, वह दे दिये गये हैं इसलिए आश्वासन का सवाल नहीं है। इसका पालन करवा दिया है। राष्ट्रदूत के खिलाफ कोई शिकायत नहीं है।

श्री विजयसिंह झाला : अध्यक्ष महोदय, उप-मंत्री जी कह रहे हैं कि कोई शिकायत नहीं है और मंत्री महोदय कह रहे हैं कि ३ प्रूफ रीडर्स हैं तो दोनों में से राइट कौन है।

श्री भीखाभाई : दोनों राइट हैं।

श्री विजयसिंह झाला : दोनों राइट कैसे हो सकते हैं। एक पश्चिम में जाता है और एक पूर्व में जाता है तो दोनों सही कैसे हैं ?

श्री भीखभाई : इम्प्लीमेन्टेशन की खबर उप-मंत्रीजी को मिल गयी तो उनको देने का हक है।

श्री विजयसिंह झाला : तो आपको पूरी जानकारी करके उत्तर देना चाहिए था।

श्री मानिकचन्द सुराणा : ५ रुपये की बढ़ोतरी के बाद अब क्या वेतन प्रूफ-रीडर्स को मिलने लग गया है।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : यह जानकारी इस समय मेरे पास नहीं है। यह अगल से प्रश्न है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : अध्यक्ष महोदय, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है कि उप-मंत्रीजी इतना भी नहीं बता सकते कि ५ रुपये की बढ़ोतरी के बाद क्या तनख्वाह हो गयी और पहले क्या थी ?

श्री अध्यक्ष : विवाद समाप्त हो गया है। प्रूफ रीडर्स को, किसी को शिकायत नहीं है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : इसमें शिकायत करने की आवश्यकता नहीं है। वेजबोर्ड ने जो रिकमण्ड किया है और जिस केटेगरी की बात है आपके इन्सपेक्टर्स से पूछना चाहता हूं कि कैश बुक में वेजबोर्ड की सिफारिश के अनुसार वहां पर पेमेन्ट हो रहा है या नहीं। यह इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उसकी सिफारिशों के अनुसार उनके यदि अकाउन्ट्स में पेमेन्ट नहीं है तो शिकायत की आवश्यकता नहीं है विभाग को अपने आप उनके खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : विभाग ने तो सब को दिला दी है। अगर किसी को कम दी है तो मैं जानकारी करके बता दूंगा।

श्री विजयसिंह झाला : खुद मंत्री महोदय आपको सूचना दे रहे हैं कि ३ को नहीं मिला है वेतन।....

प्रश्न संख्या ४२८

श्री अध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ४२९

श्री नत्थीसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री कृष्णकुमार गोयल।

कोटा ट्रान्सपोर्ट लिमिटेड के कर्मचारियों का वेतन

४३०. **श्री कृष्णकुमार गोयल** (कोटा) : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

(१) कोटा ट्रान्सपोर्ट लिमिटेड, कोटा के कर्मचारियों को गत ६ माह में वेतन कौन-कौन सी तारीखों को दिया गया ?

(२) क्या श्रम अधिकारी, कोटा को इस संबंध में समय पर वेतन प्राप्त न होने की शिकायतें की गई ?

(३) श्रम अधिकारी, कोटा ने उक्त कम्पनी के विरुद्ध क्या कदम उठाये ?

उप-मन्त्री, श्रम (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) कोटा ट्रान्सपोर्ट लि०, कोटा के कर्मचारियों को गत ६ मास में वेतन निम्न तारीखों पर वितरण हुआ :

संख्या	माह जिसका वेतन देना था	दिनांक जब वेतन मिला
१	सितम्बर, १९६३	१२-१०-६३
२	अक्टूबर, १९६३	१२-११-६३
३	नवम्बर, १९६३	१४-१२-६३
४	दिसम्बर, १९६३	१२-१-६४
५	जनवरी, १९६४	५-२-६४
६	फरवरी, १९६४	वेतन अभी तक नहीं दिया गया।

(२) जी हां।

(३) श्रम अधिकारी कोटा ने कम्पनी के अधिकारियों को समय पर वेतन न दिए जाने के सम्बन्ध में पत्र-व्यवहार किया। पश्चात् माह अक्टूबर, १९६३ का वेतन समय पर वितरण न करने के आरोप में सिटी मजिस्ट्रेट कोटा की अदालत में (पेमेन्ट ऑफ वेजेज एक्ट, १९३६) के अन्तर्गत एक दावा प्रस्तुत किया जिस पर माननीय सिटी, मजिस्ट्रेट ने दिनांक ४-२-६४ ई० को कम्पनी द्वारा कर्मचारियों को वेतन न दिए जाने के क्लेम को स्वीकार कर कम्पनी के विरुद्ध २०० रु० का मुआवजा श्रमिकों को दिए जाने का फैसला किया है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : यह वेतन कोटा ट्रान्सपोर्ट कम्पनी का कौनसी तारीख को ड्यू होता है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : ७ तारीख को।

श्री कृष्णकुमार गोयल: तो जब ७ तारीख को ड्यू होता है और आपने जितने भी महीने के आंकड़े बताये हर एक में बताया है कि समय पर कभी वेतन नहीं दिया तो क्या कारण है कि लेबर ऑफिसर द्वारा समय पर वेतन न मिलने पर भी सिटी मजिस्ट्रेट कोटा को शिकायत नहीं की गयी ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : बातचीत करने के बाद में दे दिया तो क्लेम करने का प्रश्न नहीं रहता है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : बातचीत करने का कोई समय होता है लेकिन हर महीने देरी से मिले यह बातचीत का तरीका है क्या ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : दो चार रोज बाद दे ही देते हैं तो क्लेम करने में

(श्री भवानीशंकर नन्दवाना)

फायदा क्या ? तनख्वाह तो मिल ही जाती है।

प्रश्न संख्या ४३१

श्री अध्यक्ष : श्री अमरसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री मानिकचन्द सुराणा।

बाल वाटिका, बीकानेर

४३२. श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या बीकानेर में नत्थूसर दरवाजे के बाहर बाल वाटिका या बाल उद्यान सरकारी सहायता से बनाया गया है? यदि हां, तो वाटिका के निर्माण में सरकार का कितना पैसा खर्च हुआ और वाटिका का क्षेत्रफल कितना है?

(२) क्या यह सही है कि उक्त वाटिका पर किसी पड़ौसी सेठ ने अपना निजी ताला लगा रखा है और पड़ोस के बच्चे वाटिका में आजादी से आ जा नहीं सकते हैं?

(३) वाटिका का निर्माण किस वर्ष में हुआ और कितने अर्से से इस पर ताला लगा रहता है? सरकार ने इस ओर क्या कदम उठाया है?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री निरन्जननाथ आचार्य) : (१) बीकानेर में नत्थूसर दरवाजे के बाहर बाल वाटिका के निर्माण में सरकार ने १९५९ में सहायता के रूप में ५७५० रुपये प्रदान किये हैं। इस वाटिका का क्षेत्रफल २८१२० वर्ग फिट है।

(२) जी नहीं।

(३) इस वाटिका का निर्माण १९६० में हुआ है। पड़ौसी सेठ का कोई ताला नहीं लगा हुआ है अतः इस ओर सरकार को कदम उठाने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्री मानिकचन्द सुराणा : प्रश्न यह है कि पड़ौसी सेठ का ताला नहीं भी हो पर क्या यह बतायेंगे कि उसमें कितने घन्टे ताला लगा होता है; क्या यह सही है कि उस पर चौबीसों घन्टे ही ताला लगा हुआ होता है?

श्री निरंजननाथ आचार्य : ताला अवश्य लग रहता है लेकिन चौबीसों घन्टे नहीं। सुबह ७ से १० और शाम ४॥ से ७॥ बजे तक ताला लगा रहता है ताकि इस समय जो भी बालक आना चाहें आ सकें। दूसरे लोग आसपास के न आ जायें, इस दृष्टि से ऐसा किया गया है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : फिर बच्चों के घूमने का समय कौन सा हुआ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : वह तो महीनों के आधार पर है। सर्दी में जल्दी से खत्म हो जाते हैं और गर्मी में देरी से खत्म होते हैं।

Page No.10

श्री मानिकचन्द सुराणा : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत साधारण सा प्रश्न है आपने तो दोनों मौसम का एक ही समय रखा है। इस बाल वाटिका पर आपने किसी चपरासी की नियुक्ति कर रखी है जो कि इसकी देख-भाल करता हो?

श्री निरंजननाथ आचार्य : जी हां, चौकीदार है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : अध्यक्ष महोदय, सही बात यह है कि पड़ौस में एक सेठ साहब हैं, उनके पास इसकी चाबी रहती है और ताला उन्होंने ही बन्द कर रखा है और बहुत बड़ा उनका मकान है, बंगला है और वे उसके पास ही बिल्कुल रहते हैं और उस फुलवाड़ी को अपने स्वयं के काम में लाते हैं और चाबी वे खुद ही रखते हैं, खुद ही ताला बन्द करते हैं, जब मर्जी में आता है खोल लेते हैं और जब मर्जी में आता है तब बन्द कर देते हैं।

इस प्रश्न के पूछने का उद्देश्य यही है कि विभाग इसको अपने चार्ज में ले ले और सुबह शाम सार्वजनिक रूप से बच्चों की सुविधा को देखते हुए उसको खोलने की कोशिश करे।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, यह वाटिका भारतीय विद्या मन्दिर की देख-रेख में है और इसकी सुरक्षा के लिए चौकीदार वहां पर रहता है, और सुरक्षा की दृष्टि से यह वाटिका सारे बच्चों के काम में आये और आस-पास के लोग जैसा कि अमुमन होता है बच्चों की वाटिका में ट्रेसपासर्स ज्यादा घुसते हैं, इस दृष्टि से समय निर्धारित किया है इसमें बच्चों के हो जाने का प्रश्न है। सुरक्षा की दृष्टि से देखते हुए चौकीदार रख छोड़ा है। माननीय सदस्य की भावनाओं का आदर करते हुए यदि कोई ऐसी स्थिति होगी जो कि हमारी निगाह में नहीं है कि कोई सेठ साहब इसकी चाबी लेकर बैठे रहते हैं, तो मैं विभाग के अधिकारी से दर्याफ्त करके सुविधाजनक स्थिति करने की कोशिश करूंगा।

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) : जो समय वाटिका के ताला लगाने का रखा है उसे क्या माननीय मंत्री जी उचित समझते हैं?

श्री निरंजननाथ आचार्य : वह मैंने बता दिया है आप उस समय आये नहीं थे। मैंने अर्ज किया था कि मौसम के आधार पर है, जैसे कि यहां पर रामनिवास बाग सर्दियों में १० बजे तक खुला रहता है और गर्मियों में ११ बजे तक रहता है। तो मैंने कहा था कि बच्चों के लिए सर्दियों में जल्दी ही बन्द हो जाता है। मैंने बताया था कि साढ़े चार से साढ़े सात बजे तक खुली रहती है। यह इतना ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है। मैं इस बात की व्यवस्था कर दूंगा।

श्री अध्यक्ष : फिर भी उत्तर तो स्पष्ट होना चाहिए।

श्री निरंजननाथ आचार्य : वह सहूलियत के समय पर खोल दिया जायगा। गर्मियों में भी जन्तुओं का डर रहता है। उसको देखते हुए मैं एडजस्टमेंट कर दूंगा।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : भारतीय विद्या मंदिर जैसा कि आपने कहा वह राजस्थान बाल-भारती चलाता है तो वह बाल वाटिका से कितनी दूर है वहां के बच्चों

—

(श्री मुरलीधर व्यास)

के लिए जैसा कि आप कहते हैं तो वे वहां कब आते हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : उनके बच्चों के ही आने का प्रश्न नहीं है। प्रश्न यह है कि हमने चौकीदार वहां पर रख छोड़ा है। दूर से देख-रेख का प्रश्न है वह भारतीय विद्या मंदिर करता है। यह नहीं कि वहां पर वह आंख गढ़ाकर देखता हो। वह चौकीदार के जरिये से ताले की व्यवस्था और समय की व्यवस्था रखती है। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सेठ साहब की दस्तन्दाजी की कोई शिकायत नहीं रहेगी। दूसरी बात यह है कि समय के सम्बन्ध में अच्छी स्थिति पैदा कर दूंगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ४३३।

श्री हरिराम चौहान।

(अनुपस्थित)

श्री रामकिशन।

ओवर लोड बसेज के चालान-जिला भरतपुर

४३४. श्री रामकिशन (वैर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) भरतपुर जिले में वर्ष ६२-६३ में ओवर लोड चलाने के सिलसिले में कितनी मोटरों के चालान हुए हैं ?

(२) क्या प्राइवेट मोटरों के कन्डक्टरों को दी गई कम्प्लेन्ट बुक्स को किसी अधिकारी द्वारा देखा जाता है ? यदि हां, तो भरतपुर जिले में वर्ष ६२-६३ में किस २ नम्बर की बस में कम्प्लेन्ट बुक में शिकायत दर्ज मिली हैं और इन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई है ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उप मंत्री, यातायात (श्री भीमसिंह) : (१) भरतपुर जिले में वर्ष ६२-६३ में ओवर लोडिंग के चालान ४७ मोटरों के किये गये थे।

(२) कम्प्लेंट बुक्स यातायात अधिकारियों द्वारा देखी जाती है। सब-इन्सपेक्टर भरतपुर की रिपोर्ट से सन् ६२-६३ में भरतपुर जिले में जितनी बसें चेक की गई उनकी कम्प्लेन्ट बुक में किसी प्रकार की शिकायत दर्ज होना नहीं पाया गया।

श्री रामकिशन : ऐसा आपको विश्वास है कि चेक किया गया है और कम्प्लेन्ट बुक्स को देखा गया है और चेक किया गया है, यह किस आधार पर कह रहे हैं ?

श्री भीमसिंह : मैंने निवेदन किया कि जितनी कम्प्लेन्ट बुक्स चेक की गई हैं उनमें कोई शिकायत नहीं पाई गई है।

श्री रामकिशन : मैं यह कह रहा हूं कि क्या पूरी कम्प्लेन्ट बुक्स देख ली गई हैं ?

श्री भीमसिंह : सभी नहीं, बहुत सी देखी गई हैं।

Page No.12

श्री रामकिशन : यह जानकारी चाही गई थी कि किस तारीख की चेक की गई है। मैंने खुद ने लिखी, है कम्प्लेन्ट ३१-२-६२ को तो उसकी रिपोर्ट आपने देखी है क्या ?

श्री भीमसिंह : मैं यह नहीं अर्ज कर सकता कि सेन्ट-पर्सेन्ट देखी गई हैं।

श्री रामकिशन : पहले सेन्ट-पर्सेन्ट ही कहा था।

श्री भीमसिंह : मैंने निवेदन किया था कि जितनी चेक की गई हैं किताबें देखी गई है उनमें शिकायतें नहीं लिखी हैं।

श्री रामकिशन : उन्होंने एक ही देखी होगी और उसमें नहीं होगी।

श्री भीमसिंह : एक से कहीं अधिक देखी हैं।

श्री रामकिशन : कितनी अधिक देखी है ?

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : मंत्री महोदय की ओर से जो उत्तर दिया जा रहा है मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वह गैर-जिम्मेदारी के साथ दिया जा रहा है कि कोई मतलब नहीं रखता है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य को मालूम होना चाहिए कि इसमें गैर-जिम्मेदारी का प्रश्न नहीं है। यह स्पष्ट तौर से कहा गया है कि जितनी चेक की गई हैं उनमें नहीं है। वे यह स्वयं स्वीकार करते हैं कि सारी चेक नहीं की गई। उनमें जो चेक की गई हैं किसी तरह की शिकायत नहीं पाई गई है।

श्री रामकिशन : जितनी का मतलब तो दो का हो सकता है। वहां पर तो ४०० लारियां चलती है उसमें से दो की देख ली गई हैं। तो उसका मतलब क्या है ?

श्री कृष्णकुमार गोयल : जो माननीय सदस्य कह रहे हैं उसमें क्या वह नहीं थी ?

श्री अध्यक्ष : वह नहीं थी।

श्री रामकिशन : आपने दो में से एक देखी हो तो जितनी का तो कोई अर्थ नहीं निकलता है। १०-२० देखी हों तो बतलायें वहां पर ४०० लारियां निकलती हैं और आपका विभाग दो की कम्प्लेन्ट बुक देख लेता है तो वह जितना तो हो जाता है।

श्री अध्यक्ष : इस सम्बन्ध में नियम क्या हैं ? अगर कोई शिकायत हो तो क्या बस मालिक को शिकायत की प्रतिलिपि भेजनी पड़ती है या वहां रखी रहती है किताब ?

श्री भीमसिंह : किताब उसी में रहती है। जब इन्सपेक्टर गाड़ियों का चेकिंग करता हैं, फिटनेस और दूसरे कागजातों के साथ कम्प्लेन्ट बुक जो होती है उसको भी देखता है। यह जो माननीय सदस्य फर्मा रहे थे कि एक ही देखी हैं तो इन्सपेक्टर ने जितनी भी गाड़ियां देखी हैं उसकी सर्टीफाइड कापी इन्सपेक्टर की मेरे पास मौजूद है।

श्री रामकिशन : कितनी चेक की है ?

श्री भीमसिंह : (माननीय सदस्यों के एक

Page No.13

(श्री भीमसिंह)

साथ बोलने पर) आप एक फर्मायें तो ठीक रहेगा। दोनों फर्माते हैं तो सुनाई नहीं देता है।

श्री रामकिशन : आपके विभाग ने कितनी कम्प्लेन्ट बुक्स को देखा है ?

श्री भीमसिंह : आपने भरतपुर के बारे में प्रश्न किया है तो भरतपुर की ४७ कम्प्लेन्ट बुक्स को चेक किया है।

श्री रामकिशन : वह तो चालानों की संख्या बताई है आपने ओवरलोड की।

श्री भीमसिंह : चालान का अलग बताया है। ४७ कम्प्लेन्ट बुक्स चेक की गई हैं। इसमें ४७ का फीगर आया है।

श्री श्रवणलाल (हिण्डौन) : जो किताबें चेक की गई हैं वे कौन से सन् से लगाकर की गई हैं ?

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : आपका नियम यह है कि फिटनेस जब देखी जाती है तो कम्प्लेन्ट बुक चेक की जाती है।

श्री भीमसिंह : यह मैंने निवेदन नहीं किया। आप गलत फर्मा रहे हैं कि फिटनेस सर्टिफिकेट देते हैं उस वक्त चेकिंग करते हैं।

श्री विजयसिंह झाला : अध्यक्ष महोदय, अगर यह नियम है कि जिस वक्त फिटनेस देखी जाती है तो इन्सपेक्टर कम्प्लेन्ट बुक भी देखता है तो यह निश्चित है कि सारी की सारी कम्प्लेन्ट बुक्स इन्सपेक्टर देखता है और इसमें किसी प्रकार की शिकायत नहीं थी जब कि फिटनेस दिया गया।

श्री भीमसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह माननीय सदस्य का प्रिज़म्शन गलत है। मैंने यह नहीं निवेदन किया है कम्प्लेन्ट बुक देखकर फिटनेस करते हैं। मैंने तो यह निवेदन किया कि जब गाड़ियां चलती हैं और उनका जब इन्सपेक्टर चेकिंग करता है तो उस चेकिंग के दौरान में इन्सपेक्टर दूसरे कागजात का जो चेकिंग करता है तो उसके साथ साथ कम्प्लेन्ट बुक भी देखता है। जो यह कह रहे हैं वह मैंने नहीं निवेदन किया है कि जिस वक्त सर्टिफिकेट इश्यू करते हैं तो यह लाजिमी है कि कम्प्लेन्ट बुक देखें।

श्री विजयसिंह झाला : क्या भविष्य में इस प्रकार के नियम आप बनायेंगे कि जिस वक्त फिटनेस दी जाय उस वक्त कम्प्लेन्ट बुक देखी जाय ताकि सारी की सारी शिकायतें सरकार के सामने आ जायं ?

श्री भीमसिंह : इस पर विचार किया जा सकता है।

श्री फूलचन्द जैन : प्राइवेट बसेज़ जो कि राजस्थान में चलाई जाती हैं आम तौर से ओवरलोड ही चलती हैं। इसलिए मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि उनको रोकने के लिए क्या इन्तजाम है ?

श्री भीमसिंह : जब जब चेक की जाती हैं और ओवरलोड पाई जाती हैं तो उनका चालान होता है। कई केसेज में परमिट केन्सिल किये जाते हैं और हेवी फाइनेन्स उन

Page No.14

(श्री भीमसिंह)

पर होते हैं। यह बात सही है कि बहुत से लोग ओवरलोड चलाते हैं।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : आप अपने विभाग में ऐसा इन्तजाम नहीं करते हैं कि जब कभी कोई कम्प्लेन्ट दर्ज हो जाय तो उस कम्प्लेन्ट को एक सप्ताह के अन्दर तक उस अधिकारी के पास पहुंचा दी जानी चाहिए ताकि कम्प्लेन्ट हुई है यह तो हो जाय, चाहे जांच हो या न हो, जैसा कि रेल्वे में यह होता है कि जब एक कम्प्लेन्ट दर्ज होती है तो वह चौथे दिन अधिकारियों के पास पहुंच जानी चाहिए। क्या आप ऐसा कर सकते हैं?

श्री भीमसिंह : आपके सुझाव को एक्जामिन करके उचित कोशिश की जायगी।

श्री रामकिशन : क्या जो शिकायत करता है उसके पास भी आप यह भिजवाने का कष्ट करेंगे कि उसकी कम्प्लेन्ट पर क्या हुआ, जैसा कि रेल्वे में होता है कि उस पर क्या कार्यवाही की गई है या नहीं की गई है इससे शिकायत करने वाले को पता रहे कि उसकी शिकायत का क्या असर हुआ?

श्री भीमसिंह : हर कोई शिकायत कर दे तो उसका जवाब नहीं दिया जा सकता है। इससे बहुत कोरस्पोन्डेन्स बढ़ती है। एम. एल० एज० जैसे जिम्मेदार जो पापुलर रिप्रेजेन्टेटिव्ज हैं उनकी कम्प्लेन्ट हो और वह सामने आयेगी तो उसका जवाब जरूर दिया जायगा।

श्री रामकिशन : इससे तो क्लास-भेद पैदा हो जायगा। लोकतन्त्र में सभी लोग जिम्मेदार हैं। सब जिम्मेदार हैं जो भी शिकायत करते हैं। इससे कोरस्पोन्डेन्स ज्यादा नहीं बढ़ेगी।

श्री भीमसिंह : मैंने इसलिए अर्ज किया कि मिनिमम यह किया जा सकता है। कम्प्लेन्ट तो हजारों ही कम्प्लेन्ट बुक्स में आती हैं और जितना स्टाफ आप मन्जूर कर चुके हैं वह यदि कम्प्लेन्ट का उत्तर देता रहे तो दूसरा काम नहीं कर पायेगा।

श्री रामकिशन : आपके हिसाब से शिकायत नहीं हो पाती है?

श्री भीमसिंह : यह मैंने कब कहा कि शिकायत नहीं होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : श्री जुझारसिंह।

आहू नदी से लिफ्ट इरिगेशन

४३५. **श्री जुझारसिंह** (चेचट) : Will the Panchayat Minister please reply :—

(1) Has the Gram Panchayat of village Salawad Tehsil, Ram Ganj Mandi requested the Panchayat Samiti, Chechet and through it to the Government to provide lift irrigation from river Ahu to the cultivators of Salawad village?

(2) If so, what is the result of the survey and investigation of this

(श्री जुझारसिंह)

scheme and when is the scheme likely to be taken up by the Government ?

उप-मन्त्री, पंचायत (श्री भवानी शंकर नंदवाना) : (१) जी हां ।

(२) सर्वेक्षण अभी तक नहीं किया गया है।

श्री जुझारसिंह : अब तक सर्वेक्षण क्यों नहीं किया गया जब कि एक साल भर से ऊपर हो गया ? पंचायत समिति ने भी आपको लिखा है ।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : लिफ्ट इरिगेशन मंहगा पड़ता है इसलिये किसान लेने को तैयार नहीं होंगे इसलिये सर्वेक्षण करने का फायदा नही होगा ।

श्री जुझारसिंह : इस गांव मे रोमन केथोलिक मिशन काम करती है । यदि सर्वेक्षण के बाद आपको फिजीबल नही लगे, इकोनोमिकल न हो तो वे अपनी कोस्ट पर लिफ्ट इरिगेशन लगाने को तैयार हैं । गवर्नमेन्ट को इसके बारे में लिखा गया है, कलेक्टर ने मौका देख लिया है । सिर्फ सर्वेक्षण के लिये रुका हुआ है । क्या मंत्री महोदय को इस सबकी जानकारी है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : जो जानकारी आप दे रहे है वह जानकारी मेरे पास नहीं है । आप यदि इसके लिये उत्सुक हैं तो सर्वेक्षण करवा लेगे ।

श्री जुझारसिंह : कलेक्टर ने मौके पर जाकर देखा है । अनइकोनोमिकल होगा तो भी लोग तैयार हैं । आपको सिर्फ एडवाइस चाहिये । आप इसको लगा सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो वे अपने खर्चे पर करने को तैयार हैं ।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह ।

कोटा ट्रान्सपोर्ट कम्पनी लिमिटेड

४३६. श्री भैरोंसिंह : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) कोटा ट्रान्सपोर्ट कम्पनी लिमिटेड को किस किस मार्ग पर किस किस नम्बर की बस चलाने का परमिट मिला हुआ है ? कृपया तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(ख) किस २ मार्ग की और किस २ नम्बर की गाड़ियां इस कम्पनी द्वारा बेच दी गई है और कब २ ? क्या इस संबंध में आर. टी. ओ. की अनुमति हासिल की है ? यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

उप-मंत्री, यातायात (श्री भीमसिंह) : (१) कोटा ट्रान्सपोर्ट, कोटा के पास निम्न लिखित मार्गों पर उनके सामने लिखी हुई बसों के चलाने के परमिट की तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(२) कोटा ट्रान्सपोर्ट लि. कोटा को निम्न लिखित बसों को ट्रान्सफर करने की अनुमति इस आर. टी. ए. द्वारा दी जा चुकी है ।

Page No.16

(श्री भीमसिंह)

बस नं.	मार्ग	आर. टी. ए. की अनुमति की तारीख
आर. जे. आर. ४	बूंदी चित्तौड़गढ़	६-११-६३
,, ,, १५५०	कोटा सांगोद अकलेरा	,, ,,
,, ,, १८६६	कोटा सांगोद अकलेरा	,, ,,
,, ,, १०५५	रामगंज मंडी पाटन बकानी	२७-१२-६३
,, ,, २	बारा इमोपुर	४-१ -६४
,, ,, ७९६	बारां सूरबग	४-१ -६४
,, ,, ९५७	मनोहरथाना झालावाड़	४-१ -६४
,, ,, १७६०	कोटा दही डेढा तानपुर	६-३ -६३
,, ,, ७३४	कोटा इटावा खातोली	६-३ -६३
,, ,, २००	कोटा इटावा खातोली पीपलदा गैंता	६-३ -६३
,, ,, २५६	कोटा मांगरोल	६-३ -६३
,, ,, २५७	कोटा मांगरोल	६-३ -६३

(कृपया परिशिष्ट १ देखिए)

श्री भैरोंसिंह : अब इस कंपनी के पास कुल कितनी गाड़ियां बची हैं ?

श्री भीमसिंह : उनके पास कुल ३९ परमिट थे जिसमें से १२ को ट्रान्सफर करने की पर्मिशन दी जा चुकी है। अब २७ बची हैं।

श्री भैरोंसिंह : ये जो आप २७ बची बताते हैं क्या डिपार्टमेन्ट को मालूम है कि इनमें से भी काफी रूट्स बेच दिये हैं ?

Page No.17

श्री भीमसिंह : मुझे इसकी जानकारी नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यूनियन के कर्मचारियों ने शिकायत की थी कि अमुक गाड़ियों बेच दी गई हैं जिनमें ये १२ शामिल नहीं थी?

श्री भीमसिंह : किस के पास शिकायत की?

श्री भैरोंसिंह : विभाग के पास।

श्री भीमसिंह : मुझे जानकारी नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : जिस समय ट्रान्सपोर्ट परमिट मंजूर किये उससे पहले गाड़ियां बेच दी गई थी और रजिस्ट्रेशन करवाया था--क्या यह आपको मालूम है?

श्री भीमसिंह : जानकारी करके निवेदन कर सकता हूं। अभी जो जानकारी आई उसके आधार पर १२ को ट्रान्सफर करने की अनुमति आर. टी ए. ने प्रदान की यह इन्फॉर्मेशन आई है और २७ उनके पास बची हैं। फिर भी अगर इर्रेगुलेरिटी हुई है और चोरी छाने ट्रान्सफर कर दी हैं, इसकी इन्फार्मेशन अगर आप देंगे तो इन्क्वायरी करायेंगे।

श्री भैरोंसिंह : मेरी जानकारी है कि ये गाड़ियां पहले ही ट्रान्सफर की जा चुकी हैं। जब शिकायत हुई तो परमिट लेना शुरू किया। क्या इसकी जानकारी सरकार को है?

श्री भीमसिंह : जानकारी करके निवेदन करूंगा।

प्रश्न संख्या ४३७

श्री अध्यक्ष : श्री रघुवीरसिंह।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ४३८

श्री चौथमल वर्मा।

(अनुपस्थित)

श्री दयाचन्द सोन।

नर्सरीज, जिला कोटा

४३९. श्री दयाचन्द सोन (बारां) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(१) कोटा जिले में कहां २ नर्सरीज हैं व उनमें कितने २ पौधे लगाये गए थे व इनमें कितना कितना रुपया व्यय हुआ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या यह सच है कि शाहबाद की नर्सरीज पर जो बैलों की जोड़ी व कुओं पर एन्जिन व पम्प लगाए गये थे वे अब खत्म कर दिये गये हैं या हटा दिए गए हैं? यदि हां, तो किस नीति के आधार पर उस योजना को खत्म किया गया और क्यों हजारों रुपया नष्ट किया गया?

उप-मंत्री, वन (श्री भवानीशंकर नंदवाना) : सूची सदन की मेज पर रख दी गई है किन्तु इन नर्सरीज में पौधे लगाये नहीं जाते बल्कि उनको बढ़ाकर निकटस्थ प्लान्टेशनों में लगाने हेतु भेजे जाते हैं। इन पौधों व व्यय

Page No.18

(श्री भवानीशंकर नन्दवाना)

की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) सिर्फ एन्जिन अधिक आवश्यकता होने के कारण कोटा डिविजन भेजा गया है व बैल शाहबाद में ही हैं। पहाड़ी और पथरीली भूमि में प्लान्टेशन जल्दी नहीं बढ़ पाते उस कारण यह अनुसंधान किया जा रहा है कि ऐसे स्थानों में कौन कौन से वृक्ष किस प्रकार लगाये जायें, जब तक यह ज्ञान नहीं हो जाय तब तक इन नर्सरीज में प्लान्टेशन हेतु पोधों को उगाने की जगह मेडीशनल इकोनोमिक पौधे ही विशेष कर लगाये जायेंगे। इस नीति से ऐसे कम उपयोगी व अन-उपयोगी प्लान्टेशनों पर व्यय रोक दिया गया है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिए)

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : क्या यह सही है कि नर्सरीज पर जितना पैसा खर्च किया है उसके बावजूद भी नर्सरीज समाप्त हो रही हैं और पौधे नहीं पनप रहे हैं ?

श्री भवानीशंकर नंदवाना : पौधे कम पनपें, यह तो मैंने अपने उत्तर में ही निवेदन किया है।

श्री भैरोंसिंह : आपके पौधे पनपते हैं क्या ?

श्री दयाचन्द सोन : इस समय कितने पौधे तैयार हैं और तैयार नहीं हुए हैं तो इसकी जिम्मेदारी किस की है और जो खर्चा इस पर किया गया है क्या यह सब पौधे लगाने पर ही किया गया है या लाने ले जाने पर खर्चा हुआ है वह भी इसमें शामिल है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : लाने ले जाने और तैयार करने का सारा ही खर्चा शामिल है।

श्री दयाचन्द सोन : लेजाने लाने का कितना खर्चा हुआ यह बता दीजिये ?

श्री भवानीशंकर नंदवाना : इसकी जानकारी इस समय मेरे पास नही है।

प्रश्न संख्या ४४०

श्री अध्यक्ष : श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत।

(अनुपस्थित)

श्री रघुनाथ विश्नोई।

रेतीले और कच्चे बस रूट्स

४४१. **श्री रघुनाथ विश्नोई** (साचोर) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सच है कि भीनमाल सांचोर बस रूट, भीनमाल--भाव बस रूट व साचोर-भाव बस रूट साल में काफी महीने बन्द रहते हैं ? अगर हां तो क्यों ?

(२) क्या यह सच है कि उपरोक्त बस रूट बहुत रेतीले हैं और बस आॅपरेटर्स के लिए बसें चलाने में

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

घाटा रहता है ? अगर हां, तो क्या सरकार ऐसे रूट्स पर कम से कम पांच साल तक रूट आबाद करने वाले बस ऑपरेटर्स को परमिट देने का विचार रखती है ? अगर हां, तो ऐसा कब तक कर दिया जावेगा ? अगर नहीं, तो क्यों ?

(३) क्या सरकार ऐसे कच्चे रूट्स पर फोर व्हील ड्राइव की गाड़ियों को परमिट देने का विचार रखती है ताकि गाड़ियां बन्द न हो सकें ? अगर हां, तो ऐसा कब तक कर दिया जावेगा ? अगर नहीं, तो क्यों ?

उप-मन्त्री, यातयात (श्री भीमसिंह) : (१) भीनमाल (साचोर) भीनमाल-भाब वाया सांचोर रूट कच्चे होने की वजह से वर्षा ऋतु में व आंधियों के आने से रास्ते बन्द रहते हैं ।

(२) जी हां, ऑपरेटर्स को घाटा रहने के सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है । बस ऑपरेटर्स से परमिट मिलते वक्त इस विषय का आवेदन-पत्र आने पर आर० टी.ए. द्वारा विचार किया जा सकता है ।

(३) ऐसे रूटों पर फोर व्हील ड्राईव की गाड़ियों को चलाने की कोई मुमानियत नही है और आर. टी. ए. ने ऐसी कई गाड़ियां लगाने की अनुमति दी है ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : इन रूट्स पर भी ऐसी गाड़ियां हैं या नहीं ?

श्री भीमसिंह : आपने यह पूछा है कि इन रूट्स पर भी ऐसी गाड़ियों को परमिट देने का विचार रखते हैं क्या ? इसके उत्तर में मैंने कहा कि इसके लिये मुमानियत नहीं है । कोई एप्लाई करता है तो अनुमति दी जाती है और अनुमति दी गई है ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : एप्लीकेशन्स दी गई लेकिन खारिज कर देते हैं । आर. टी. ए. पर्मिशन देता नहीं है क्या आपको इसकी जानकारी है ?

श्री भीमसिंह : जरूर जानकारी करेंगे । इस प्रकार के इन्स्ट्रक्शन दिये हुए हैं कि सी क्लास रूट्स पर फोर व्हील मोटरों को चलाने की पर्मिशन स्पेशली रेतीले एरिया में दी जाय तो कोई हर्ज नही है ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : इस एरिया में ८ महीनों तक गाड़ियां बन्द रहती हैं केवल बरसात में ही नहीं गर्मी में भी बन्द रहती हैं । गुजरात की तरह से वहां भी फोर व्हील गाड़ियां चलाई जायं तो रेत के कारण बन्द नही होंगी ।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री जी ने कहा है कि ऐसी व्यवस्था तो अब भी है ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : लेकिन इसके लिये परमिट देते नहीं हैं ।

श्री अध्यक्ष : इस बारे में वे और जानकारी कर लेंगे ।

श्री रघुनाथ विश्नोई भीनमाल-भाब, सांचोर-भाब बस रूट पर पिछले १० महीनों से गाड़ियां चालू नही हुई हैं ।

श्री भोमसिंह : यदि किसी पर्टिकुलर रूट पर गाड़ियां चलाने के लिये यदि किसी ने परमिट लिया है और वह नहीं चलाता है तो उसको शो-काज नोटिस दिया जा सकता है। यदि आपके नोटिस में ऐसी बात है तो ध्यान दिलाने पर ऐसा शो काज नोटिस दिया जा सकता है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : इस रूट पर १० महीनों से गाड़ियां बन्द हैं चालू नहीं हो सकी हैं—इसका क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष : श्री रविशंकर याज्ञनिक।

प्राइवेट बसें चलने वाले रूट्स का राष्ट्रीयकरण

४४२. **श्री रविशंकर याज्ञनिक** (पिंडवाड़ा) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राज्य में ऐसे कौन कौन से पक्के रास्ते हैं जहां पर अभी खानगी बसें चलती हैं और जिनका अभी तक राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ है ? सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

(२) इन रूट्स का अभी तक राष्ट्रीयकरण नहीं करने का क्या कारण है ?

(३) इन रूट्स कब तक राष्ट्रीयकरण हो जावेगा ?

उप-मंत्री, यातायात (श्रीमती कमला बेनीवाल) : (१) वांच्छित सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) एक साथ सभी मार्गों का राष्ट्रीयकरण अर्थाभाव के कारण संभव नहीं है।

(३) समुचित अर्थ व्यवस्था होने पर ही इन मार्गों का राष्ट्रीयकरण किया जा सकेगा।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री रविशंकर याज्ञनिक : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के भाग (२) के जवाब में कहा जाता है कि एक साथ राष्ट्रीयकरण नहीं हो सकता तो क्या सरकार इस प्रकार का प्रोग्राम बनायेगी कि कम से कम एक साल में अमुक अमुक मार्गों का राष्ट्रीयकरण हो जायगा ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीयकरण का प्रोग्राम निश्चित है और उसमें कुछ ऐसे फॉर्मुलाज तय किये हुए हैं जिनको प्रायोरिटीज़ देकर चलाना पड़ता है। ऐसी प्रायोरिटीज में देश की राजधानी से राज्य की राजधानी को मिलाना, राज्य की राजधानी से डिविजनल हैड-क्वार्टर्स के मार्गों को मिलाना तथा जिला हैड-क्वार्टर्स को डिविजनल हैड-क्वार्टर्स से मिलाना। जब तक ये प्रायोरिटीज पूरी नहीं हो जाती तब तक आगे बढ़ना कठिन है।

श्री विजयसिंह झाला : आपके फॉर्मुला के अनुसार क्या प्रायोरिटीज निश्चित कर दी गई हैं ? यदि कर दी हैं तो उदयपुर में कौन कौन से मार्ग इसके अन्तर्गत आते हैं ?

श्री अध्यक्ष : श्री रविशंकर । उदयपुर की प्रायोरिटीज का प्रश्न नहीं है ।

श्री रविशंकर याज्ञनिक : इस साल यह राष्ट्रीयकरण प्रोग्राम किस किस मार्ग पर लाया जा रहा है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : यह अलग से प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहनलाल सारस्वत ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : ४४३ ।

एक माननीय सदस्य : ये तो सारस्वत नहीं है ?

श्री अध्यक्ष : ऑथोरिटी है ।

रतनगढ़ मार्केटिंग को-ऑपरेटिव सोसायटी, रतनगढ़

४४३. **श्री उमरावसिंह ढाबरिया** [(बनेड़ा) : द्वारा पूछा गया] श्री मोहनलाल सारस्वत (रतनगढ़) क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) क्या राज्य सरकार के ध्यान में है कि रतनगढ़ मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसायटी, रतनगढ़ में अधिकारी वर्ग ने जो मनमानी लूट और गबन किया है उसका विस्तृत विवरण ऑडिट रिपोर्ट दिनांक ५-२-६२ में अंकित है ? यदि हां, तो सरकार ने इस विषय में क्या सक्रिय कदम उठाया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(२) क्या यह सही है कि ऑडिट रिपोर्ट के पैरा १९ के अनुसार श्री तोलाराम जोशी व्यवस्थापक ने ९८३८ रुपये सदस्यों को उचन्ती उधार बिना किसी प्रतिज्ञा-पत्र या रसीद के तथा बिना ब्याज के व प्रतिभूति के देने बतलाया है ? यदि हां, तो इसका क्या परिमार्जन किया गया ?

(३) क्या यह सही है कि अन्न, कोयला, चीनी आदि क्रय वस्तुओं के तोल में भारी कमी बिना किसी आधार के दिखा कर वस्तुओं का खुला गबन किया गया है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अपराधियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(४) क्या यह सही है कि लोहे के गार्टर जैसे महत्वपूर्ण वजनी ५ नग कुल ७४ फीट की लम्बाई के समिति से गायब कर दिये गये और व्यवस्थापक महोदय ने ऑडिटरों को बतलाया कि वे चोरी हो चुके हैं जब कि चोरी की कोई रिपोर्ट भी नहीं की गई ?

(५) क्या यह सही है कि ऑडिट द्वारा चोरी पकड़ जाने पर ही लम्बी अवधि के बाद गार्टरों का मूल्य समिति में जमा करवा दिया गया ?

(६) क्या यह सत्य है कि सामान की जितनी बिल्टियां समिति में आई उन सबमें तोल में भारी कमी दिखा कर उसे हजम कर लिया गया ?

(७) क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि इस समिति में आरम्भ से अब तक

Page No.22

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

क्या क्या माल आया और प्रत्येक में कितनी घटौती दिखाई गई ?

(८) क्या सरकार इस समिति का आरम्भ से अब तक का हिसाब का पूर्ण ऑडिट करवाने का विचार रखती है ?

(९) क्या सरकार को ज्ञात है कि अनुदान व ऋण की सम्पूर्ण पूंजी समाप्त हो चुकी है तथा समिति के अधिकारियों ने कतिपय कृपा-पात्र सदस्यों को उनकी सारी पूंजी वापिस लौटा दी है तथा शेष सन्तप्त सदस्य व समितियां अपनी सारी पूंजी खोकर निराश बैठी हैं ?

उप-मंत्री, सहकारिता (श्री भीमसिंह) : (१) रतनगढ़ कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसायटी लि० का वर्ष १९६०-६१ की ऑडिट रिपोर्ट दिनांक ५--२--६२ को प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट में अंकित मनमानी छूट एवं गबन का ब्यौरा विभाग की जानकारी में है जिसके प्राप्त होने पर ही समिति की राजस्थान सहकारी समितियां अधिनियम १९५३ की धारा ४६ के अन्तर्गत विस्तृत जांच कराने के आदेश पारित किये गये थे, उसके पश्चात् आवश्यक कार्यवाही की जा चुकी है।

(२) यह सही है किन्तु इस प्रकार से उधार देना गबन की परिभाषा में नहीं आता है। इस द्रव्य में अब केवल ५५० रु० ५५ न. पै. ही बाकी हैं।

(३) हां-अन्न, कोयला, चीनी की अनाधिकृत रूप में भारी कमी दिखलाई गई है। जिन्सो की कमी के मूल्य की वसूली के लिये राजस्थान सहकारी समितियां अधिनियम १९५३ की धारा ५७ के अन्तर्गत वसूली के लिये समिति के सम्बन्धित कर्मचारियों को नोटिस दिये जा चुके हैं।

(४) हां, यह सही है।

(५) हां, यह द्रव्य दिनांक १२--९--६० को श्री बिसनाराम पुत्र रताराम के हस्ते स्टेट बैंक आफ बीकानेर ब्रान्च रतनगढ़ में वाला वाला जमा कराया जा चुका है।

(६) हां।

(७) माल आया					घटौती दिखाई गई		
	मन	सेर	छ०		मन	सेर	छटांक
१.	गेहूं	२२३६०.	३८	१०	३७५	३७	१०
२.	टानाग	८३७				कुछ नहीं	
३.	गार्टर्स नग	८८				कुछ नहीं	
४.	कोयला	५४०८	३४	०	८६२	३७	०
५.	चीनी	३५५५	३०	०	७	२०	८

यह घटौती जांच रिपोर्ट के आधार पर है।

Page No.23

(श्री भीमसिंह)

(८) समिति का ऑडिट ३०--६--६२ तक के हिसाबात का ऑडिट हो चुका है। साथ ही पिछले हिसाबात की जांच भी कराई जा चुकी है। १९६२-६३ के वर्ष का ऑडिट कराया जा रहा है। इसलिए पूर्ण रूप से दुबारा ऑडिट कराने की आवश्यकता नहीं है।

(९) समिति को आज तक कोई अनुदान व ऋण राज्य सरकार से नहीं दिया गया है। किसी सदस्य को हिस्सा राशि भी नहीं लौटाई है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : जैसा कि मंत्री महोदय ने अभी जवाब में बताया, उन्होंने जो गल्तियां की हैं, उनके माफिक कार्यवाही कर ली गई है। यह साबित हो गया कि गल्तियां हैं उसके बाद क्या फौजदारी का मुकद्दमा लगाया ?

श्री भीमसिंह : जी हां।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : उसके ऊपर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री भीमसिंह : पुलिस में केस दिया जा चुका है। जो नोटिस दिया जा चुका है उसका जवाब आने पर एक्ट के तहत एक्शन लिया जायगा।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : मैंने पूछा है कि क्या कोई कानूनी कार्यवाही फौजदारी के तहत की गई है ? आप कह रहे हैं, नोटिस का जवाब आयगा तब की जायगी। आपकी आडिट रिपोर्ट में मंजूर किया है....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य बहस बढ़ाये नहीं। माननीय सदस्य ने पूछा, क्या कार्यवाही की ? मंत्री महोदय ने कहा कि पुलिस में भेज दिया गया है। पुलिस की रिपोर्ट का इन्तजार सरकार कर रही है और उसके बाद आगे कार्यवाही की जायगी। इसमें क्या अनुचित है ?

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : आडिट रिपोर्ट में मंजूर किया है, सरकार के पास वह रिपोर्ट आई है।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय ने कहा कि पुलिस विभाग में केस भेज दिया गया है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : उसमें क्या दर्ज कर दिया है। ६० मन की बिल्टी आई तो २० मन दर्ज कर दिया। गेहूं में ३७५ मन की, कोयले में ८६२ मन की और चीनी में ७ मन की कमी हुई है।

श्री अध्यक्ष : यह पुलिस के पास है, जेरे तफतीश।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : इसके अन्दर फौजदारी का मुकद्दमा करना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : यह कहा है कि पुलिस को सौंप दिया गया है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : कौनसी तारीख को ?

श्री अध्यक्ष : श्री हरिप्रसाद शर्मा।

समाज कल्याण विभाग द्वारा मकान वनाने हेतु रकम--जिला बून्दी

४४४. श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि समाज कल्याण विभाग बून्दी के मार्फत सन् ५९-६० में २४ परिवारों के लिये १८,०००) रु० की रकम वितरित की गई थी ?

(२) क्या यह सही है कि बूंदी जिले में भोजराजपुरा बस्तो में भील कालोनी के लिये सन् ६०–६१ में ३७ परिवारों को मकान बनाने हेतु २७,७५०) रु० दिये गये थे ?

(३) क्या यह सही है कि समाज कल्याण अधिकारी, बूंदी ने शिड्यूल्ड कास्ट के नाम पर सन् ६०-६१ में ९८ परिवारों के लिये ७३,५००) रु० की रकम दी थी ?

(४) क्या यह सही है कि शिड्यूल्ड कास्ट के लिये बूंदी शहर में २१ मकानों के निर्माण के लिये १५,७५० रु० की रकम दी गई थी ?

(५) क्या यह सही है कि बूंदी शहर में ६२–६३ में ११ परिवारों के लिये ८,२५०) रु० की रकम दी गई थी ?

(६) क्या यह सही है कि सन् ६२-६३ में केशवरायपाटन जिला बूंदी में २६ मकानों के निर्माण के लिये १९,५००) रु० की रकम समाज कल्याण विभाग के द्वारा दी गई थी ?

(७) यदि हां, तो योजनाओं के अनुसार यह धनराशि कौन सी संस्था के मार्फत खर्च की गई एवं किस जगह का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है व कहां का बाकी है ?

उप-मंत्री, समाज कल्याण (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) जी हां। समाज कल्याण विभाग द्वारा कुन्डालिया भील बस्ती में २४ परिवारों के लिए यह रकम सन् १९५९-६० में पंचायत समिति तालेड़ा को दी गई थी। २४ मकान पूर्ण बन गये हैं।

(२) जी हां। भोजराजपुरा भील बस्ती में ३७ परिवारों को मकानों के लिए यह रकम पंचायत समिति तालेड़ा को स्वीकृत की गई थी। १९ मकान निर्माणाधीन हैं और १८ मकानों का कार्य शुरू होना है।

(३) जी हां। बूंदी में ९८ मेहतर परिवारों के लिये यह सहायता स्वीकृत की गई थी। इनमें से ९ परिवारों की रकम वापिस खजाने मे जमा की गई। समाज कल्याण अधिकारी बूंदी द्वारा ८९ परिवारों को मकान सहायता दी गई। ६९ मकान पूर्ण बन गये हैं। ११ मकान निर्माणाधीन हैं। ९ मकानों का कार्य शुरू होना है।

(४) जी हां। समाज कल्याण अधिकारी बूंदी द्वारा बूंदी में २१ मेहतर परिवारों को १९६१-६२ में मकान सहायतार्थ १५७५०) रु० दिये गये थे। इनमें से ११ मकान बन गये, ६ निर्माणाधीन हैं, और ४ मकानों का कार्य शुरू होना है।

(५) जी हां। बूंदी शहर में समाज कल्याण अधिकारी बूंदी द्वारा ११ मेहतर ,

Page No.25

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

परिवारों को यह रकम मकान सहायतार्थ दी गई थी। इनमें से ४ मकान बन गये, ४ निर्माणाधीन हैं और ३ मकानों का कार्य शुरू होना है।

(६) केशवरायपाटन में समाज कल्याण अधिकारी बूंदी द्वारा २६ परिवारों को यह मकान सहायता दी गई थी। इसमें से २४ मकान निर्माणाधीन हैं और २ मकानों का कार्य शुरू होना है।

(७) यह जानकारी सम्बन्धित प्रश्नों के उत्तरों में दी जा चुकी है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : क्या यह सही है, जैसा आपने बताया कि इतने मकान बन गये, उनके सर्टीफिकेट आ गये है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सबके लिए तो नहीं कहता, जो आपने पहला प्रश्न पूछा, २४ मकान बन गये हैं, इनके यूटीलाइजेशन सर्टीफिकेट भी पेश हो चुके हैं।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : पाटन में कहां कहां के ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने निवेदन किया कि सबके बारे में सूचना नहीं दे सकता, जितने मकान बन गये हैं उनके यूटीलाइजेशन सर्टीफिकेट प्राप्त हो गये हैं या नहीं लेकिन मकान बन चुके हैं, यह मैंने सदन में उत्तर में सूचना दी है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : मैं सूचना देता हूं कि जो पैसा दिया है जिन मकानों के लिए, वह नही बने हैं, कुछ अधूरे हैं। यह प्रश्न पहले भी आया है, यह पैसा पंचायत समितियां अपने पास रखती हैं और इसका दुरुपयोग होता है। इसकी जांच की जानी चाहिए।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय अध्यक्ष, रुपया पंचायत समिति को दिया जाता है और पंचायत समिति जिनको एडवान्स करना होता है उनको करती है, उनका सुपरवीजन होता है, उन्हीं के यहां सर्टीफिकेट पेश होते हैं। सारी कार्यवाही वहीं होती है। हम तो उनके द्वारा मांग करने पर, भेजी गई स्कीम के आधार पर रकम देते हैं। फिर भी जो इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही सतर्कता बरती जाने के सम्बन्ध में होनी चाहिए, वह की जायगी।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : मैं जानना चाहता हूं कि इतना प्रावधान रखते हैं, इतना बजट रखते हैं और मकान की सुविधा देना चाहते हैं लेकिन रकम का तीन तीन वर्ष तक उपयोग नही हो पाता है, इसका कारण क्या है ? इसके अलावा कई कोलोनी बनी हैं, जो लोगों की राय से नहीं बनाई गई हैं। उनमें लोग रहना नहीं चाहते। इसलिए जो रकम पड़ी हुई है वह लोगों को मिलनी चाहिए।

प्रश्न संख्या ४४५

श्री अध्यक्ष : श्री अमरसिंह !

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ४४६

श्री हरिराम चौहान। (अनुपस्थित)

श्री जुझारसिंह।

Page No.26

संकेन्द्रित क्षेत्र, दुरह वन तहसील सांगोद

४४७. श्री जुझारसिंह (चेचट) : Will the Forest Minister please reply :—

(i) Is it a fact that the Government has earmaked portions of the Durrah forests in Tehsils Sangod and Ramganj Mandi to be treated as 'Concentrated areas' ?

(ii) What are the names of those blocks ear-marked for such purpose ?

(iii) Will it affect the rights of grazing for the local cattle accustomed to graze in these areas and for the cattle coming (to these areas) for seasonal grazing during rains conventionally ?

(iv) Will there be any difference in the grazing fees as a result of the declaration of these areas as concentrated areas and for whom ?

उप-मंत्री, वन (श्री भवानीशंकर नंदवाना) : (१) जी हां।

(२) इस प्रयोजनार्थ पृथकरक्षित किये गये वन खण्डों के नाम निम्न है :

१. मशालपुर बी
२. किशोर सागर
३. दरा
४. मशालपुर ए
५. सीमच ए
६. सीमच बी
७. मनहरपुरा

(३) जी नहीं।

(४) ऐसे क्षेत्रों में मौजूदा चराई की दरों से दुगनी रेट सबके लिए होगी।

श्री जुझारसिंह : समझ में नहीं आया साहब।

श्री भवानीशंकर नंदवाना : मैंने नाम बताये १. मशालपुर बी, २. किशोर सागर ३. दरा ४. मशालपुर ए, ५. सीमच ए ६. सीमच बी ७. मनहरपुरा।

श्री जुझारसिंह : तीसरे का क्या उत्तर है ?

श्री भवानीशंकर नंदवाना : जी नहीं।

श्री अध्यक्ष : चौथे का ?

श्री भवानीशंकर नंदवाना : चौथे का उत्तर दे चुका हूं। चराई की दरों मे दुगनी रेट सबके लिए होगी।

श्री जुझारसिंह : जो फोरेस्ट कमेटी की रिपोर्ट आई थी, उसकी डिटेल्स मेरे पास नहीं है लेकिन उसमे यह था कि जो कन्सेन्ट्रेटेड एरिया बने हैं उनमें जो लोग पहले से चराते आ रहे हैं, उनकी चराई की दरों में फर्क नहीं होगा। इस उत्तर का मतलब है कि उनसे भी नई रेट वसूल करेंगे ?

श्री भवानीशंकर नंदवाना : जो कार्मशियल पर्पज के लिए है उनसे यह चराई वसूल होगी।

श्री जुझारसिंह : जो मवेशी चराई के लिए हमेशा से वहां रहते आये हैं और जहां कामशियल पर्पज नहीं है, वे वहां पहले से रहते हैं उनसे ये नई दरें क्यों वसूल की जाती है ?

श्री भवानीशंकर नंदवाना : वे दूध बेचते हैं और धन्धा करते हैं इसलिए कामर्शियल पर्पज में आ जाते हैं।

श्री जुझारसिंह : इसकी आपने कोई जांच कराई है कि वे धन्धा करते हैं या नहीं। खाली यह प्रिज्यूम कैसे कर लेते हैं कि जो जो वहां रहने वाले हैं जो मवेशी रखते हैं वे कार्मशियल पर्पज के लिए रखते हैं। क्या इसकी आप जांच करवायेंगे ?

श्री भवानीशंकर नंदवाना : जांच करने के बाद कदम उठाया जा सकता है।

श्री जुझारसिंह : अभी क्या जांच की ?

श्री अध्यक्ष : श्री दयाचन्द सोन।

घास की कटाई-वन विभाग क्षेत्र, बारां

४४८. श्री दयाचन्द सोन (बारां): क्या वन मंत्री यह बताने की की कृपा करेंगे:—

(१) बारां वन विभाग क्षेत्र की किशनगंज, शाहबाद एवं जलवाड़ा रेंज में वर्ष १९६१--६२ में सरकार द्वारा कितना घास कटवाया गया और उस पर कितना रुपया सरकार का व्यय हुआ ?

(२) क्या यह सच है कि सरकारी कोष से कटवाए गए घास का वर्षों तक कोई भी उपयोग नहीं हुआ तथा कटवाया गया घास गल कर नष्ट हो गया ?

(३) सरकार ने उस घास को किस दृष्टि से कटवाया था ?

उप-मंत्री, वन (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) बारां वन विभाग क्षेत्र की किशनगंज, शाहबाद एवं जलवाड़ा रेंज में सन् १९६१--६२ में सरकार द्वारा कोई घास नही कटवाया गया, अतः सरकार का खर्चा होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

(३) प्रश्न नही उठता।

श्री दयाचन्द सोन : मैंने पूछा है कि यह कब कटवाया गया। इससे पहले १९६०--६१ में कटवाया गया या ६१--६२ मे कटवाया गया ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : यह ६०--६१ मे कटवाया गया था।

श्री दयाचन्द सोन : वह कितने रुपयों का कटवाया गया था।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : वह ४८,७२६ मन कटवाया गया था।

श्री दयाचन्द सोन : क्या इसके लिये कोई टेन्डर्स काल किये गये थे या यों ही कटवाया गया था ?

(श्री भीखाभाई और श्री भवानीशंकर नन्दवाना एक साथ बोलने लगे)

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, दोनों मंत्री और उप-मंत्री की आपस में नहीं बनती है साहब।

श्री विजयसिंह झाला : पहले दोनों को आपस में निपटने दें कि किन को जबाव देना है ?

श्री भीखाभाई : यह प्रश्न में प्रश्न पैदा किया जा रहा है।

श्री रामकिशन : उप-मंत्रीजी जवाब देना चाहते हैं और वे क्यों रोकते हे ?

श्री अध्यक्ष : इस प्रश्न पर काफी वाद-विवाद हो चुका है और माननीय मंत्री ने जांच करने का आश्वासन दिया था वही प्रश्न है।

श्री रामकिशन : माननीय मंत्री ऐसा ही कहते हैं।

प्रश्न संख्या ४४९

श्री अध्यक्ष : श्री नत्थीसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री श्रवणलाल।

गर्ल्स हाई स्कूल की मांग-हिन्डौन

४५०. श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सच है कि हिन्डौन शहर की जन संख्या करीब २५ हजार है ?

(२) क्या यह भी सच है कि इतनी बड़ी आबादी होने पर भी वहां गर्ल्स हाई स्कूल नहीं है ?

(३) क्या यह सही है कि हाई स्कूल नही होने के कारण लड़कियां शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ हैं ?

(४) क्या यह भी सच है कि यहां पर हर साल आठवीं कक्षा पास करने वाली लड़कियों की संख्या २५ से अधिक रही है ?

(५) क्या यह भी सच है कि यहां की जनता भी स्कूल के निर्माण में अपना श्रमदान देने को तैयार है ?

(६) यदि हां, तो सरकार हिन्डौन में गर्ल्स हाई स्कूल खोलने के बारे में क्या सोच रही है और कब तक गर्ल्स हाई स्कूल खोल रही है ?

(७) यदि नहीं खोल रही है, तो क्यों ?

उप-मंत्री, शिक्षा - (श्री निरंजनाथ आचार्य) : (१) जनगणना की प्रोवीजनल फीगर्स के अनुसार हिन्डौन की जनसंख्या २,०२,३३ है।

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

(२) जी हां।

(३) हिन्डौन में एक लड़कों का हाई स्कूल है। वहां लड़कियां भी पढ़ सकती हैं।

(४) क्या माध्यमिक शाला हिन्डौन में सन् ६२-६३ की वार्षिक परीक्षा में केवल १६ छात्रायें ही प्रविष्ट हुई थीं।

(५) ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

६ व ७) ; यहां की माध्यमिक शाला को हाई स्कूल में परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव कन्या शिक्षणालय, उपनिरीक्षिका अजमेर व उपाध्यक्ष, जयपुर द्वारा प्राप्त नहीं हुआ है। यदि ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त होगा तो दूसरी ऐसी ही शालाओं के साथ मेरिट के अनुसार इस पर विचार किया जावेगा।

श्री श्रवणलाल : जैसा आपने बताया कि हिन्डौन की जनसंख्या २० हजार के लगभग है ये आंकड़े आपने कहां से प्राप्त किये ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : ये तो प्रोवीजनल फीगर्स है।

श्री श्रवणलाल : ये कहां से लिये गये है ?

श्री रामकिशन (बैर) : आप अंग्रेजी बोल गये इसलिये समझ में नहीं आया।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैंने कहा कि ये प्रोविजनल फिगर्स हैं।

श्री श्रवणलाल : ये सेन्सस में से लिये गये हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैंने बताया है कि जनगणना के प्रोवीजनल फीगर्स हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, जनगणना के अनुसार २ परसेन्ट वृद्धि भारतवर्ष में होती है और २॥ परसेन्ट राजस्थान में होती है, उस हिसाब से भी वहां की पोपुलेशन २५ हजार हो गई है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : इसी लिये तो मैंने प्रोविजनल फिगर्स दिये हैं।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : किस आधार पर आप हाई स्कूल लड़कियों के लिये अलग बनाते हैं ?

श्री अध्यक्ष : श्रवणलाल।

श्री श्रवणलाल : गवर्नमेंट के लिये हाई स्कूल खोलने के लिये क्या आधार है यह आप बता दें।

श्री निरंजननाथ आचार्य : लड़कियों के सम्बन्ध में ज्यादा सहूलियतें देते हैं। सबसे पहले यह देखा जाता है कि लड़कियों की संख्या जो होनी चाहिये वह पर्याप्त है या

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

नहीं। अभी मिडिल स्कूल में कितनी लड़कियें हैं और आगे कितनी बढ़ने की संभावना हो सकती है। बिल्डिंग आदि की सहूलियत का क्या प्रबन्ध है, ये सब बातें मेरिट पर आती हैं।

श्री रामकिशन : यह तो लड़कों की स्कूल खोलने के लिये आधार है। लड़कियों के लिये आपने क्या ज्यादा सहूलियतें दी हैं। लड़कों की संख्या इतनी होनी चाहिये यह तो लड़कों के लिये सवाल है लड़कियों का आपने जवाब नहीं दिया।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : लड़कियों की संख्या कितनी होनी चाहिये।

श्री निरंजननाथ आचार्य : जहां तक राजस्थान में फ्री शिक्षा का प्रश्न है, राजस्थान बड़ा उदार है। इसमें कम से कम २५ लड़कियां ८ वीं कक्षा में हो जावे तब इसके लिये विचार किया जा सकता है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : हर साल कितनी लड़कियां निकलती हैं ?

श्री रामकिशन : माध्यमिक शाला में तो और भी हो सकती हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : सन् ६२-६३ में १६ लड़कियें और इस साल २० करीब हैं और उधर ६ वीं और १० में लड़कियें पर्याप्त मात्रा में नहीं हैं।

श्री रामकिशन : लड़कों की स्कूल में नहीं जाती हैं इसीलिये तो लड़कियों के लिये अलग स्कूल की मांग की जाती है ?

श्री श्रवणलाल : मैं यह निवेदन करूंगा कि वहां की जनता श्रमदान देने के तैयार है। जहां डिग्री कालेज के लिये एक लाख की बिल्डिंग बनवा कर दी है वहां वे स्कूल के लिये भी श्रमदान देने को तैयार हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : हमारे पास कोई इस सम्बन्ध में सूचना नहीं है न कोई प्रस्ताव आया है। आप प्रयास करें कि यह सब प्रस्ताव हमारे पास आ जावें तो हम इस पर विचार कर सकते हैं।

श्री श्रवणलाल : डिग्री कालेज की बिल्डिंग जो जनता ने अपना रुपयों की लागत से तैयार कराया है....

श्री हरिप्रसाद शर्मा : हम प्रस्ताव भेजें तो कब तक इस पर निर्णय किया जावेगा ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री हरिप्रसाद शर्मा।

पंचायत, गरमपुरा

४५१. श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि पाटन तहसील

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)

जिला बूंदी में गरमपुरा पंचायत वर्षों से अपना कार्य कर रही है ?

(२) क्या यह सही है कि पंचायत पाटन पंचायत समिति में सबसे बड़ी व ज्यादा आबादी वाली पंचायत है ?

(३) क्या यह सही है कि इस सारे क्षेत्र की व्यवस्था गरमपुरा पंचायत करती है ?

(४) क्या यह सही है कि सीमेन्ट कम्पनी इस क्षेत्र पर नाजायज अधिकार करती है एवं दुकान की जमीनें किराये पर देकर किराया वसूल करती है ?

(५) क्या यह सही है कि सीमेन्ट कम्पनी के अधिकारियों की प्रार्थना पर उक्त पंचायत को खत्म करने का नोटिस राज्य सरकार की ओर से दिया गया है ?

(६) क्या यह सही है कि रेवेन्यू बोर्ड के चेयरमैन के पास इस बारे में कार्यवाही जारी है ?

(७) क्या यह सही है कि इस क्षेत्र की जनता पंचायत के द्वारा अपना विकास करना चाहती है एवं पंचायत के तोड़े जाने का विरोध करती है ?

उप-मंत्री, पंचायत (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) जी हां।

(२) जी हां ।

(३) जी हां ।

(४) कम्पनी लीज़ के आधार पर अधिकार रखती है और किराया भी वसूल करती है ।

(५) जी नहीं ।

(६) अध्यक्ष, राजस्व मंडल की अध्यक्षता में पुनर्सीमा निर्धारण समिति के समक्ष मामला विचाराधीन है ।

(७) जी हां ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : क्या सीमेन्ट कम्पनी को दुकानों की जमीन का किराया वसूल करने का अधिकार है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : यह मामला अध्यक्ष राजस्व मंडल की अध्यक्षता में पुर्नसीमा निर्माण समिति के समक्ष पेश है और विचराधीन है ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : यह ग्राम पंचायत बूंदी की सबसे बड़ी पंचायत ही नहीं बल्कि राजस्थान की सबसे बड़ी और आदर्श पंचायत है । जहां ५००० मतदाता है । मैंने यह प्रश्न पूछा है कि क्या सरकार इस पंचायत को तोड़ने का विचार रखती है ?

श्री अध्यक्ष : आपने बताया कि यह सीमा का जो सारा विवाद है वह अध्यक्ष राजस्व मंडल के पास भेज दिया गया है उसकी रिपोर्ट कब तक होगी ?

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : सीमेन्ट कम्पनी जयपुर को किराये पर देती

Page No.32

(श्री हरिराम चौहान)

है और पंचायत को अपना काम नहीं करने देती है न दुकानों की जमीन किराये पर देने देते है। क्या कम्पनी की यह कार्यवाही उचित है और क्या सरकार को इस पर रोक नहीं लगानी चाहिये ?

पंचायत मंत्री (श्री भीखाभाई) : अध्यक्ष महोदय, उत्तर बिल्कुल स्पष्ट दे दिया गया है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : जब तक राजस्व मंडल द्वारा इसका निर्णय नही हो जावे कि जमीन के किराये का किसको अधिकार है तब तक इन सीमेन्ट कम्पनी को किराया जमीन नहीं लेने की हिदायत क्या सरकार करेगी ? क्योंकि किराया जमीन लेने का अधिकार पंचायत को ही है।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : कम्पनी तो कहती है कि लीज़ पर हमको दी हुई है और हम ही पानी, बिजली आदि उनको देते है। यह सारा मामला विवादास्पद है।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : जब तक विवाद का निपटारा न हो जावे क्या सरकार कम्पनी को इस प्रकार के आदेश कि वह किराया वसूल न करे, देने का विचार रखती है ?

श्री हरिप्रसाद शर्मा : जो पंचायत वहां पर १२ वर्षो से काम कर रही है वह पंचायत वहां पर नही रहे। इस पंचायत को खत्म करने का नोटिस कम्पनी के अधिकारियों की प्रार्थना पर क्या सरकार की ओर से दिया गया है ?

श्री अध्यक्ष : क्या अध्यक्ष राजस्व मंडल को इस बात के लिये ही कहा गया है कि वह सीमा निर्धारण के मामले को ही देखे या अन्य मामलों के लिये भी उन्हें कहा गया है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : यह मामला सीमा निर्धारण समिति के विचाराधीन है।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : क्या लीज़ के अन्तर्गत उनको इस प्रकार जमीन का किराया लेने का अधिकार है ?

श्री भीखाभाई : लीज़ की क्या कन्डीशन्स हैं उनकी जांच कर रहे है। यदि ऐसा हुआ तो सदन को भी सूचित कर दूंगा।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, बाजार जयपुर) : जब सरकार को अभी तक यह भी मालूम नहीं है कि लीज़ की कन्डीशन्स क्या है और उसके अनुसार जमीन का किराया कम्पनी ले सकती या नही तो जब तक इसका निर्णय न हो कम्पनी को किराया नही लेने का फैसला सरकार क्यों नहीं लेती ?

श्री भीखाभाई : लीज़ कभी से चला आ रहा है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, स्थगित प्रश्न।

श्री विजयसिंह झाला।

Page No.33

स्थगित प्रश्न

(२४-२-६४)

राजस्थान स्टेट रोडवेज से लाभ

२. श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) राजस्थान में कुल कितनी मोटरें स्टेट रोड़वेज के अन्तर्गत चलती हैं तथा इन मार्गों पर पहले प्राइवेट बसें कितनी चलती थी एवं उनके टैक्स (रोड़ टैक्स आदि) से कितनी आमदनी सरकार को औसतन सालाना होती थी ?

(२) स्टेट रोड़वेज के दिनांक १-१-६३ से ३१-१२-६३ तक के नेट प्रोफिट में इसी समय के प्राइवेट बसों से पहले होने वाली टैक्स की आमद निकालने पर सरकार को क्या लाभ रहता है ?

उपमंत्री, यातायात (श्रीमती कमला बेनीवाल) : (१) राजस्थान राजकीय रोड़वेज विभाग के अन्तर्गत कुल २७० गाड़ियां चलती हैं। इन मार्गों पर पहले २८८ प्राइवेट बसें चलती थीं जिनसे राज्य सरकार को करीब ४,८५,००० रुपये की आमद रोड़ टैक्स के रूप में होती थी तथा ३० गाड़ियों के अजमेर, भीलवाड़ा एवं जोधपुर, सुमेरपुर, रूट पर रोड़वेज की गाड़ियों की प्रतियोगिता में ता० ३१-१२-६३ तक चलने वाली प्राइवेट गाड़ियों से ४८,००० रु० रोड़ टैक्स के रूप में आये।

(२) राजस्थान रोड़वेज विभाग में तारीख १-१-६३ से ३१-१२-६३ तक कुल २७,१०,००० रुपये शुद्ध लाभ हुआ।

श्री विजयसिंह झाला : ३० दूसरी गाड़ियां चलती थीं, इन प्राइवेट मार्गों के सिवाय कहां चलती थी ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, यह गाड़ियां जोधपुर–सुमेरपुर रोड़, अजमेर-भीलवाड़ा रोड़ पर चलती थी।

श्री विजयसिंह झाला : पहले २८८ प्लस ३० चलती थी और अब कुल लगा रखी हैं २७०, तो क्या यातायात को देखते हुए गाड़ियां कम नहीं चल रही हैं ?

श्री अध्यक्ष : श्री रविशंकर याज्ञनिक !

स्थगित प्रश्न

(२-३-६४)

चारे की नीलामी सिरोही

९४. श्री रविशंकर याज्ञनिक (पिंडवाड़ा) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि सन् १९६३ में सिरोही के वन अधिकारियों द्वारा अल्पकालीन सूचना पर गैर कानूनी ढंग से १६ हजार मन चारा ४ हजार रुपयों में नीलाम कर दिया गया है ?

(२) क्या यह सही है कि इस नीलामी के लिये उचित मात्रा में नियमानुसार प्रचार नहीं किया गया ?

(श्री रविशंकर याज्ञनिक)

(३) क्या यह भी सही है कि नीलाम करने वाले अधिकारी ने नीलामी की स्वीकृति भी प्राप्त नहीं की ?

(४) क्या यह भी सही है कि इस भीषण अकाल का लाभ उठा कर वही चारा ठेकेदार ३ रुपये प्रति मन के हिसाब से बेच रहा है ?

(५) इस तरह की गैरकानूनी कार्यवाही से सरकार को कितना नुकसान हुआ ?

(६) सरकार संबंधित अधिकारी के विरूद्ध क्या कार्यवाही कर रही है ?

उप-मंत्री, वन (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) जी नहीं। पिण्डवाड़ा बीड़ का अन्दाजन १६,०००० मन पुराना घास नियमानुसार ७वीं बार नीलाम किया गया तो इस घास की आखिरी बोली ४,२०००) रुपये की प्राप्त हुई।

(२) जी नहीं।

(३) जी नही।

(४) जी नहीं।

(५) प्रश्न नहीं उठता।

(६) प्रश्न नहीं उठता।

श्री रविशंकर याज्ञनिक : क्या यह सही है कि नोटिस १५ जुलाई ६३ को निकाला गया और नीलामी १७ जुलाई, १९६३ को की गयी ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : गजट में १५ को निकला पर नीलाम की सूचना कभी की प्रसारित कर दी गई थी।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्यों नीलाम किया गया था ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : पुराना था, सड़ रहा था।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल बाजार जयपुर) : क्या अकाल की स्थिति में जानवरों के लिये काम में यह चारा नहीं आ सकता था ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : ७ साल पुराना घास था, वर्षा हो जाती तो कुछ भी नही आता, इसलिये इसको नीलाम करना आवश्यक था।

श्री भैरोंसिंह : मेरा प्रश्न यह है कि अकाल की स्थिति पैदा हुई तो क्या सरकार ने जांच कराली थी कि यह घास जानवरों के लिये ठीक नहीं है ? और यह जांच कराने के बाद घास नीलाम किया क्या ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : यह तो पुराना मामला है, अकाल का प्रश्न नहीं पैदा होता।

श्री विजयसिंह झाला : घास दस, दस साल तक खराब नहीं होता है फिर यह सरकार का घास ५ साल में ही कैसे खराब हो गया ?

(विराम)

Page No.35

श्री रविशंकर याज्ञनिक : मन्त्री महोदय ने गलत जानकारी दी है, १५।७।६३ को डी एफ. ओ. सिरोही ने नोटिस निकाला और १७-७-६३ को बेचा, ४ आने मन के हिसाब से बेचा, २४ को मंजूरी आई है तीन रुपये ४) रु० मन के हिसाब से ठेकेदार ने अच्छी अच्छी गंजियों का २००० मन घास बेचा है उससे उस ठेकेदार को १० हजार रुपये का फायदा हुआ है।

वन मन्त्री (श्री भीखाभाई): माननीय सदस्य की यह इत्तला सही नही है, आपकी दरख्वास्त मेरे पास आई थी, नीलामों के मामले में जांच कराई गई है अकाल की स्थिति की बात नही फिर भी अलबत्ता नोटिस का समय कम रहा, इसकी जांच की जायगी। २२ तारीख को चीफ सेक्रेटरी को सूचना गई, १७ तारीख को नीलाम हुआ। पर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ और ६ बार नोटिस इश्यू किये गये उनकी तारीखें, कितने आदमियों को नोटिस दिया, कितनों ने पार्टीसिपेट किया, कितनो ने बिड लगाई। यह सब मैं सदन के सामने पढ़ कर सुना देता हूं, इससे सदन के लिये सुविधा होगी।

डेट ऑफ ऑक्शन पहली ६-३-६० थी डेट ऑफ इश्यू ऑफ दी नोटिस ५-२-६० थी, तो इसमें १ महीना चार दिन का नोटिस था... Number of persons who received auction notice-35 and persons who gave bid-nil.

और उसमें जो परसन्स प्रेजेन्ट थे : निल। नं० ऑफ परसन्स-निल। बिड-निल।

श्री भैरोंसिंह : आप ६३ की डिटेल्स बताइये, ६० की क्यों पढ़ रहे हैं ?

श्री भीखाभाई : Let me read out the whole statment and then if you feel, you can raise... ..

श्री भैरोंसिंह : उसकी जरूरत नहीं।

श्री भीखाभाई : ६३ मे १.६.६३ को नीलाम हुआ, Notice was issued on 18-5-63.

Number of persons who received notice-31, Number of persons present-4 and Number of persons participated--10.

Local publicity made in Sirohi.

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : कौनसी तारीख को नीलाम किया ?

श्री भीखाभाई : १-६-६३ को।

२८ के बाद में फिर हुआ। कभी कभी लोकल पब्लिसिटी होती है वही तारीख बता दी जाती है, २८-६-६३ को फिर हुआ डेट आफ नोटिस थी १५-६-६३। ४५ को इत्तला दी गई ५ प्रेजेन्ट थे बिड आई निल। फिर ४-७-६३ को किया गया, २७-७-६३ को नोटिस इश्यू किया गया, ३५ को नोटिस दिया ५ ने पार्टिसीपेट किया, बिड निल।

६-७-६३ को फिर हुआ ५-७-६३ को नोटिस इश्यू किया गया ३५ आदमियों को

(श्री भीखाभाई)

नोटिस इश्यू किया गया, प्रेजेन्ट निल, बिड निल ।

फिर १७-७-६३ को नीलाम हुआ इसका नोटिस १५-७-६३ को निकाला गया, ५१ आदमियों को नोटिस की इत्तला दी गई । १५ आदमियों ने पार्टीसिपेट किया ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : आपने यह नहीं बताया कि क्या क्या बिड्स आई, क्यों उड़ा देते हैं ?

श्री रविशंकर याज्ञनिक : जो इन्फार्मेशन मन्त्री महोदय ने दी है, ठीक नहीं है । डी. एफ. ओ. के यहां से १५ तारीख को नोटिस निकला है, जो तारीखें बताई गई हैं नीलाम की वह गलत चीज है, सिर्फ दो दिन का नोटिस दिया गया है । यहां तक कि डी. एफ. ओ. ने ठेकेदार को बगैर मंजूरी के दिया है, आप इसमें इन्क्वायरी करा लें ।

श्री भीखाभाई : मैंने सी. सी. एफ. की मार्फत इन्क्वायरी कराई है । पब्लिसिटी ठीक नहीं हुई यह जरूर हो सकता है, १५ को नोटिस निकाला १७ को नीलाम किया इसमें पब्लिसिटी में अनियमितता हुई है । इन दो दिनों में बेचने का प्रश्न है यह जांच के काबिल है पर जैसा कि मैंने कहा लगातार बोलिया बोली गई थीं, ३५ आदमियों को कहा, ६ आदमियों ने बिड लगाया था । यह बात जो वे कहते हैं ठीक है, आपस में स्थानीय लोगों में ऐसी चर्चा थी, मैंने इसकी जांच करा ली है, फिर भी कहना चाहता हूं कि यदि रेन्जर ने ऐसी कोई कार्यवाही की है तो इसकी जांच कराई जायगी और जांच से साबित हुआ तो सख्त ऐक्शन लिया जायगा ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : यह घास बेचने से पहले क्या फोडर स्केर्यासिटी डिक्लेअर कर दी गई थी ?

श्री भीखाभाई : जी नहीं ।

श्री भैरोंसिंह : कब हुई ?

श्री भीखाभाई : एग्जेक्टली तारीख तो मुझे याद नहीं है । माननीय अध्यक्ष की तरफ से चिट्ठी आई, २२ तारीख की बात है, उससे पहले बिड हो चुकी थी ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि डी. एफ. ओ. को इतने बड़े नीलाम की स्वीकृति देने का अधिकार नहीं है ?

श्री भीखाभाई : हां, नहीं है, यह तो हमने कहा ।

श्री भैरोंसिंह : जब १७ तारीख को नीलाम फाइनल हुआ था तो सी. सी. एफ. ने कब स्वीकृति दी ?

श्री भीखाभाई : स्वीकृति की जरूरत नहीं थी ।

श्री भैरोंसिंह : किस आदमी को अधिकार है कि फाइनल रूप से इम्प्लीमेंट करे ?

श्री भीखाभाई : सी. सी. एफ. की पावर्स में था, डी. एफ. ओ. की पावर्स ही

(श्री भीखाभाई)

बात नहीं थी लेकिन उसने पहले सी.सी.एफ. से परामर्श हुआ था। उन्होंने मन्जूरी ले ली थी लेकिन जैसे माननीय सदस्य ने कहा कि घोटाला होगा उसकी Enquiry will be instituted. इसकी डिपार्टमेंटल एन्क्वायरी करायेंगे।

श्री रामानंद अग्रवाल (अलवर) : ऑन दी फेस आफ इट जैसे भी रूल्स है उनके अनुसार जिस अधिकारी को अधिकार नहीं था उन्होंने उसका नीलाम कर दिया तो प्राइमा फैसी मंत्री महोदय को उसको गलत मानकर इन्क्वायरी करनी चाहिए थी। अब जो हमने यहां कहा है तब वह ऐसी मानते हैं तो उन्होने खुद क्या किया?

श्री भीखाभाई : नीलाम करने का अधिकार है। उनकी सारी नीलाम डी. एफ. ओ. के मारफत हुआ करती है। चाहे स्वीकृति राज्य सरकार दे, चाहे सी. सी. एफ. दे या कोई भी दे लेकिन डी. एफ. ओ. को नीलाम करने का अधिकार है। उसी अधिकार के अनुसार उसने किया। इसलिए जहां पर माननीय सदस्यों को कोई बात की आशंका हो तो जांच करवाई जायगी।

श्री दलपतसिंह (आबू) : ठेकेदार उसी घास को चार रुपए या पांच रुपये मन में बेचता है। आप कैसे कहते हैं कि उस घास की कन्डीशन खराब थी?

श्री भीखाभाई : घास पुरानी थी लंबी थी। जब लोग नही ले रहे थे, उसकी वेल्यू में इजाफा हो गया....

श्री दलपतसिंह : इजाफा एकदम कैसे हो सकता है? उसी घास को तीन रुपये मन में लेते हैं और नीलाम जो सरकारी अधिकारी करते हैं उसमें ४--५ आने मन में, वही घास आ जाती है। हम फंडा मेंटल चीज यह कहना चाहते हैं कि वह घास खराब नहीं थी। बल्कि उसी घास को ४ रुपए मन में लेती है तो आप कैसे कहते हैं कि घास खराब थी?

श्री बालकृष्ण कौल : खाद भी नहीं खा सकते थे।

श्री दलपतसिंह : आपने जांच करवाई? पशु तो खाते होंगे। हां आदमी को खिलाना भी नहीं चाहते।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय कह रहे हैं कि जांच हो रही है।

श्री भीखाभाई : जिस नीलाम में १६ आदमी बिड करें, फिर भी संतोष न हो, इससे अधिक हम क्या कर सकते हैं?

श्री मानिकचंद सुराणा (कोलायत) : फौरेस्ट्स के मामले में बहुत बार यह बात आती है कि घास बहुत सस्ती दर पर नीलाम की जाती है और फोरेस्ट्स से नान टैक्स रेवेन्यू आता है। राजस्थान में ७०--७१ लाख रुपया खर्च करते हैं और ७१--७२ लाख की आमदनी होती है। यदि घास ठीक तरह से बेची जाय तो २०--३० लाख वित्त मंत्री महोदय को और मिल सकते हैं। अब क्वेश्चन हाउस के सामने आ गया है तो इसकी सीरियसली इन्क्वायरी की जाय। हाउस में

Page No.38

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

जब भी करप्शन के या इर्रेग्यूलरटीज के सवाल आ जाते हैं तो हाउस की कमेटी बनाई जाय जो उसकी डीटेल्स में जांच करे। मंत्री महोदय कहते रहते हैं कि डिपार्टमेंटल कार्यवाही करेंगे। आज तक किसी के खिलाफ कार्यवाही नहीं की।

श्री दलपतसिंह : हमारी तहसील में १६,००० मन घास थी। इसका एक्सपेरीमेंट होने के बाद साबित हो गया कि घास अच्छी है। इस घास का भी एक्सपेरीमेंट कराया जाना चाहिए कि घास कैसा था अच्छा था या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री रामानंद अग्रवाल : मेरे स्थगित प्रश्न दो ही हैं।

(शेष प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिस्ट ३ देखिये)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

एक्साइज एन्ड टैक्सेशन इन्सपेक्टर्स की नियुक्तियां

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) जनवरी व फरवरी, १९६२ में एक्साइज व टैक्सेशन के कितने इन्सपेक्टरों की टेम्परेरी नियुक्तियां की गई ?

(२) क्या ये इन्सपेक्टर अभी तक कार्य कर रहे हैं और क्या पी० एस. सी. से इनकी एप्रूवल अभी तक नहीं ली गई है ?

(३) इन टेम्परेरी नियुक्तियों के स्थान पर पी. एस. सी. के मार्फत परमानेन्ट नियुक्तियों के लिये अब तक क्या कोई प्रयत्न किये गये ? यदि हां तो, उसका ब्यौरा सदन में पेश करने की कृपा करें। और यदि नहीं तो इस सम्बन्ध मे कब तक कार्यवाही की जायेगी ?

(४) टेम्परेरी रूप से नियुक्त किये हुए व्यक्तियों में हनुमानगढ़ तहसील के कितने व्यक्ति हैं

उत्तर

(१) जनवरी व फरवरी सन् ६२ आबकारी व कर विभाग में १२ निरीक्षकों की अस्थायी नियुक्ति की गई ?

(२) इन इन्सपेक्टरों में सिवाय श्री भूपेन्द्रसिंह के, सभी इन्सपेक्टर कार्य कर रहे हैं। इन नियुक्तियों की राजस्थान सेवा आयोग से अभी तक एप्रूवल नहीं ली गई।

(३) जी हां। सर्व प्रथम राजस्थान सेवा आयोग को पत्र संख्या एफ० १८८ (७) एम० टी०। ६६।४२३३ दिनांक १३-१०-६० द्वारा १२ पोस्टें भरने के लिये रिक्वीजिशन फार्म भरकर भेजा गया। दुबारा २० पदों के भरने के लिये पत्र दिनांक १४-२-६२ के द्वारा दूसरा रिक्वीजीशन भेजा गया सेवा आयोग ने उनके पत्र संख्या एफ० ४ (२६०) रिकरुट ६० ६१/११८ दिनांक ६-४-६२ द्वारा यह सूचित किया कि १२ स्थानों के लिये अक्टूबर ६० द्वारा भेजे गये रिक्वीजीशन में कुछ

(वित्त मन्त्री)

अशुद्धियां है। उन खामियों को पूरा करके नई रिक्वीजीशन भेजी गई। इस पर सेवा आयोग ने उनके पत्र संख्या ३२६२ दिनांक १-११-६२ द्वारा इकट्ठा रिक्वीजीशन फार्म व जागीर विभाग के सरप्लस स्टाफ जिन्हें इन्सपेक्टरों के पद पद absorb किया गया था उनकी सरविस रेकार्ड वगैरा भेजने का आदेश दिया गया। इसकी पालना पत्र संख्या एफ० १८८ एस० टी० /६०/१६३८ दिनांक १८-६-६३ द्वारा ४१ स्थानों का संयुक्त रिक्वीजीशन फार्म राजस्थान सेवा आयोग को भेजा गया जिस पर उन्होने आवेदन पत्र आमंत्रित किये जिसकी अंतिम तारीख ७-१०-६३ थी। राजस्थान सेवा आयोग से अभी तक Selected इन्स-पेक्टरों की सूचि प्राप्त नही हुई है।

(४) इन अस्थायी निरीक्षकों में से जिला गंगानगर के ३ व्यक्ति है।

बिना टोकन रिन्यू कराये चलने वाली बसें--उदयपुर क्षेत्र

१६३. श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) उदयपुर आर. टी. ए. के क्षेत्र में कुल कितनी पेसेन्जर मोटरें चलती हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(२) क्या इन मोटरों के टोकन दिनांक १५ जनवरी, ६२ के पहले रिन्यू हो चुके थे ? यदि नहीं, तो जिन मोटरों के टोकन समय पर रिन्यू नहीं हुए उनकी सूची सदन की मेज पर रखें।

(३) १५ जनवरी, १९६२ के पश्चात् किस किस मोटर के कब कब टोकन रिन्यू हुए ? तारीख सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(४) क्या यह सही है कि सन् ६२ के अन्त तक भी कुछ मोटरों के टोकन रिन्यू नहीं हुए ?

(५) इस प्रकार बिना टोकन चलने वाली कितनी मोटरो के चालान बनाये गये तथा उसमें क्या निर्णय लिया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(६) सन् ६१ व ६२ में रोड टैक्स के कितने रुपये जमा हुए ?

(७) जिन मोटरों के टोकन समय पर रिन्यू नहीं हुए क्या उनका रजिस्ट्रेशन आर. टी. ए. को पेश कर दिया गया है ?

(सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

कोटा ट्रान्सपोर्ट कम्पनी को गाड़ियां

१६४. श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर)—क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) कोटा ट्रान्सपोर्ट की किस २ गाड़ी का अन्तिम फिटनेस सर्टीफिकेट कब २ दिया गया है ? कृपया तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें और यह बतायें कि

(श्री भैरोंसिंह)

कौन २ सी गाडी नियमानुसार फिट है ?

(ख) क्या यह फिटनेस की जांच नियमानुसार हुई है ? यदि नही. तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई ?

(ग) इस कम्पनी की कितनी गाड़ियों का इन्श्योरेन्स हुआ है और कितनी का नहीं और क्यों ? जिनका इन्श्योरेन्स किया गया है वह किस २ कम्पनी में किया गया है ?

उत्तर

१. कोटा ट्रांसपोर्ट की जिन जिन गाड़ी का अन्तिम फिटनेस सर्टिफिकेट जब जब दिया गया है उसकी सूची संलग्न है। जिनका फिटनेश दिया गया है वे गाड़ियां सब फिट हैं।

२. जी हां। फिटनेस नियमानुसार हुई है।

३. इन्श्योरेन्स कं० का रिकार्ड याता-यात विभाग में मेन्टेन नहीं किया जाता है।

(सूची अधिक विस्तृत होने से विधान-सभा पुस्तकालय में रखी गई)

राजकीय कन्या छात्रावास, समाज कल्याण, बापूनगर

१६५. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई):—क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राजकीय कन्या छात्रावास, समाज कल्याण बापूनगर में कितनी लड़कियां हैं ? उनकी मय कक्षावार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) इस छात्रावास पर हर साल सरकार का कितना रुपया खर्चा होता है ? ६२-६३ के कुल खर्चे के आंकड़े सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(१) समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित राजकीक कन्या छात्रावास बापूनगर में इस समय २१ कन्यायें हैं। उनकी कक्षा-वार सूचि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) इस छात्रावास में सन् १९६१-६२ ४३७९) रु० व १९६२-६३ मे ६८७३) रुपये खर्च हुए हैं।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

राजकीय अनुसूचित जन जाति छात्रा-वास, आदर्शनगर, जयपुर

१६६. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई):—क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राजकीय अनुसूचित जन जाति छात्रावास, आदर्शनगर, जयपुर में कितने लड़के हैं ? उनकी कक्षावार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(श्री जयनारायण सालोदिया)

(२) इस छात्रावास पर कुल कितना सालाना खर्चा होता है ? ६२-६३ के खर्चे के आंकड़े सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

(१) जयपुर स्थित आदर्शनगर बस्ती में समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जन जातियों के लिए कोई छात्रावास नहीं चलाया जा रहा है ।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता है ।

घास से आमदनी-आबू रोड़ रेन्ज

१६७. श्री **रविशंकर याज्ञनिक** (पिंडवाड़ा) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) आबूरोड रेंज (जिला सिरोही) के सिआवा व अन्य दो नरसरी और प्लाण्टेशनों का घास सन् ६१-६२, ६२-६३ और ६३-६४ की सालों में कितना कितना हुआ ?

(२) प्रत्येक वर्ष इस घास की विभाग को कितनी आमदनी हुई ?

(३) इस वर्ष यह आमदनी विभाग में कब जमा हुई ?

उत्तर

(१) आबू रोड रेंज में केवल १ नर्सरी है तथा ३ प्लानटेशन्स हैं, जिसमें सन् १९६१-६२ में १४,३०० पूले, ६२-६३ में ८,५१३ पूले तथा ६३-६४ में ९,२३५ पूले घास हुआ ?

(२) यह घास विभागीय बैलों के लिये ही रखा जाता है । इस कारण आमदनी होने का प्रश्न नहीं उठता ।

(३) प्रश्न नहीं उठता ।

नोहर कोऑपरेटिव भूमि बन्धक ऋण बैंक, नोहर

१६८. श्री **हरदत्तसिंह** (नोहर) : क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) नोहर कोऑपरेटिव भूमि बन्धक ऋण बैंक नोहर कब से चालू है ? उसकी सदस्यता शुल्क, सदस्य संख्या व आज तक दी गई ऋण राशि क्या है ?

(२) उपरोक्त बैंक में सरकारी राशि कितनी जमा है और आज तक कुल कितना ऋण आवेदन-पत्र इस बैंक में आये ?

उत्तर

(१) नोहर कोऑपरेटिव भूमि बन्धक बैंक नोहर का पंजीयन दिनांक २९--९--६१ को हुआ और उसने कार्य दिनांक ८-४-६२ से आरम्भ किया । उसका सदस्यता शुल्क १,५२४.८१ न० पै० है, सदस्य संख्या ३२६ है और अबतक १८ सदस्यों को ३१,३५०)रु. का ऋण बांटा गया है ।

(२) उपरोक्त बैंक मे कोई सरकारी राशि जमा नहीं है । आज तक कुल १०१ ऋण-आवेदन-पत्र बैंक में प्राप्त हुए ।

(९. १५ म. पू.)

अनुपस्थिति रहने की अनुमति

श्री अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ होने से पूर्व मैं माननीय सदस्यों को सूचित करूं कि श्री प्रतापसिंह ने दिनांक १६ मार्च, १९६४ से दिनांक २५ मार्च, १९६४ तक विधान सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की आज्ञा के लिए प्रार्थना की है। क्या माननीय सदस्यों की ऐसी अनुमति है ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान हुई।

(विराम)

आय-व्ययक १९६४-६५ द्वितीय अवस्था-अनुदानों की मांगों पर मतदान

स्थगन-प्रस्ताव

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : स्थगन-प्रस्ताव मैंने परसों दिया था। आपने फरमाया था कि आज उसका उत्तर मिल जायगा ।

श्री अध्यक्ष : आपको सूचना मिल जायगी इस विषय में।

श्री मुरलीधर व्यास : आपने कहा था कि जवाब मिल जायगा। एक व्यक्ति भूख-हड़ताल पर है। कहीं उसकी मृत्यु हो जाय तो स्थिति खराब हो जायगी। क्योंकि यहां पर सेंट्रल जेल है, यहां का ही प्रश्न था। मैंने जल्दी से इस दृष्टकोण से दिया था कि सरकार उस बारे में....

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय नहीं लाए हैं। शीघ्र ही वह जानकारी आएगी, आते ही सदन के समक्ष उसका उल्लेख किया जायगा।

मांगों पर वाद-विवाद सम्बन्धी व्यवस्था

बहस की व्यवस्था अगर माननीय सदस्य स्वीकार करें तो इस प्रकार की जा सकती है। जो कटौती प्रस्ताव आए हैं उन पर बहस १२ बजकर ४५ मिनट तक हो और ४५ मिनट का समय सरकारी पक्ष की ओर से जवाब देने के लिए रखा जाय। समय का बंटवारा भी सामान्य तौर से इस प्रकार हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी को करीब एक घंटा, स्वतंत्र पार्टी को करीब ४० मिनट, अन्य पार्टियों के जो ग्रुप्स हैं उनको करीब २० या ३० मिनट मिल जायें। कई पार्टियों ने सूचना दी है कि उनके नेता या उनके प्रमुख सदस्य को ही केवल एक या दो चुने हुए कटौती प्रस्तावों पर बोलना चाहते हैं। यह व्यवस्था भी की जा सकती है कि अगर कोई पार्टी अपने नेता के द्वारा, या किसी प्रमुख सदस्य जिसको चुना हो तो वह ज्यादा समय भी ले सकता है और बोल सकता है, अगर ऑर्डर में न आए हों तो भी। इसलिए बहस की व्यवस्था इस प्रकार होगी कि तालिका में जिन माननीय सदस्यों के नाम हैं वे नाम उसी क्रम से पुकारे जायेंगे और जो माननीय सदस्य बोलें वे अपने सारे कटौती प्रस्तावों पर उसी समय बोल लें और जिस पार्टी के माननीय सदस्यों के नाम आएं उनके बजाय उस पार्टी के नेता या अन्य कोई प्रमुख सदस्य बोलना चाहे तो उसी समय खड़े होकर अपना समय उनको दे सकते हैं। इसी व्यवस्था के साथ अब मांग संख्या १५ पेश की जायगी और उस पर बहस होगी।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : कटौती प्रस्तावों के क्रम को न लिया जाय। यदि क्रम से लें तो इसकी व्यवस्था नहीं बैठ सकेगी। अच्छा यह हो कि जिस जिस पार्टी को समय देना चाहें यह किस हिसाब से देना चाहें, उसी हिसाब से समय दें।

श्री रामानंद अग्रवाल (अलवर) : जहां तक कटौती प्रस्तावों पर बहस की बात है इसमें पार्टियों का प्रश्न नहीं होना चाहिए। जो माननीय सदस्य किन्हीं समस्याओं पर विशेष तौर से ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, जिन्होंने सूचनाएं दी हैं उन लोगों को मौका मिलना चाहिए। क्रम जिस प्रकार है उस प्रकार रहे तो कोई आपत्ति नहीं है। उसमें अगर कोई भी अपना समय छोड़ कर दूसरे को देना चाहते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन पार्टीज के हिसाब से लेंगे तो जो विजीलेंट नहीं हैं, ज्यादा बहस नहीं करना चाहते हैं, कटौती प्रस्ताव जिन्होंने नहीं रखे हैं या नहीं रखना चाहते हैं, उनको अननेसेसरिली वेटेंज मिलेगा।

श्री अध्यक्ष : सारी पार्टीज से कटौती प्रस्ताव आए हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आमीन्द) : कांग्रेस पार्टी और दूसरी पार्टीज को जो टाइम अलॉट किया गया है उस हिसाब से कांग्रेस को आधे से ज्यादा टाइम मिलना चाहिए।

श्री भैरोंसिंह : कांग्रेस पार्टी को समय न दिया जाय तो भी ऐसी कोई बात नहीं क्योंकि वे तो वैसे भी मंत्रियों के पास अपनी शिकायतें पेश कर सकते हैं।

श्री फूलचंद जैन (सुजानगढ़) : हमसे अधिक तो आप जाते हैं।

श्री भैरोंसिंह ; हम तो जाते हैं, लेकिन कहना तो आपका ही मानते हैं।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) ; Point of order......

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८....

श्री रघुनाथ विश्नोई : On a point of order, Sir,...

प्रतिवेदन आदि हिन्दी में माननीय सदन को वितरित करने विषयक

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : On a point of order, Sir, माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी शिक्षा पर वाद-विवाद होने जा रहा है। इसके लिए व्यवस्था चाहूंगा कि जो इस सम्बन्ध में विचार करने के लिए शिक्षा विभाग के बारे में प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत हुई है १९५०--५१ और १९६३--६४ की कुल अंग्रेजी में है और मैं समझता हूं कि अधिकांश माननीय सदस्य अंग्रेजी नहीं जानते हैं। इसलिए या तो यह व्यवस्था हो जानी चाहिये कि अंग्रेजी जानने वालों के लिए यह विचार करने के लिए है और सदन की राय लेने या अनुमति लेने का जहां तक सवाल आता है सदन के अन्दर सब ही माननीय सदस्यों को अधिकार है कि जो भी रिपोर्ट आदि हो उन पर सभी माननीय सदस्य अपने विचार प्रकट करें। इसलिए माननीय अध्यक्ष, आपने पहले भी कई दफा बिलों पर भी व्यवस्था दी है, उसी तरह की व्यवस्था आपसे चाहेंगे कि जब तक

(श्री हीराभाई)

हिन्दी में कोई भी रिपोर्ट प्रस्तुत न हो तब तक उस पर विचार नहीं किया जाना चाहिये। अंग्रेजी नहीं जानने वाले माननीय सदस्यों के मुंह पर ताला नहीं खुलवाना चाहते हैं लेकिन माननीय अध्यक्ष को ताला खुलवाने का अधिकार है। इसलिए अंग्रेजी में प्रस्तुत इस रिपोर्ट पर आज बहस नहीं की जानी चाहिये।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, गत सेशन में भी इस प्रकार की व्यवस्था दी थी कि अगली बार हिन्दी में रिपोर्ट मिलेगी। अब तक कई विभागों ने हिन्दी में रिपोर्ट दी है। कई विभाग ऐसे हैं जिन्होंने अंग्रेजी में रिपोर्ट दी है। शिक्षा विभाग जैसे विभाग की रिपोर्ट यदि अंग्रेजी में हो तो हर माननीय सदस्य उसके वाद-विवाद में भाग नहीं ले सकेंगे। आगे इस प्रकार की स्थिति न हो, इसलिए अध्यक्ष महोदय आपकी ओर से यह व्यवस्था हो जाय कि आज इसको न लिया जाय और हिन्दी में रिपोर्ट प्रस्तुत हो।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री हीराभाई ने आपत्ति की है। सदन में इस प्रकार की कई दफा आपत्तियां हो चुकी हैं और उसमें बहुत तथ्य है कि जो रिपोर्ट इत्यादि सदन के सम्मुख प्रस्तुत की जायें वे यथासंभव हिन्दी में हों तो ज्यादा से ज्यादा माननीय सदस्य उस पर विचार कर सकते हैं और बहस में उसका उपयोग कर सकते हैं।

इस साल की व्यवस्था, जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, यहां तक की गई है कि सरकार से यह निवेदन किया गया कि हर विभाग अपने विभाग की प्रशासनिक रिपोर्ट दे। कई विभाग तो तैयार थे, कई विभाग तैयार नहीं थे। उन्होने कोशिश की अपने विभाग की रिपोर्ट देने की। कई विभागों की रिपोर्ट्स हिन्दी में आयी हैं और कई ने अंग्रेजी में दी हैं।

इसलिए सरकार से निवेदन करूंगा कि जहां तक हो सके; अंग्रेजी में रिपोर्ट्स दें, यह उनकी इच्छा है लेकिन इसके साथ साथ हिन्दी में रिपोर्ट अवश्य दें ताकि अधिक से अधिक माननीय सदस्य उसका लाभ उठा सकें और रिपोर्ट आये उसका अधिक से अधिक उपयोग हो सके। इस निवेदन के साथ ही मांग संख्या १५ ली जायगी।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर): On a point of order, Sir......

श्री रामकिशन (वैर) : अध्यक्ष महोदय, आखिर अपने यहां अंग्रेजी में रिपोर्ट क्यों आती है ?

श्री रघुनाथ बिश्नोई : On a point of order, Sir.....

श्री रामकिशन : मुझे बोल लेने दीजिये। आप तो फिर भी बोलने वाले हैं। दिन भर बोलेंगे।

अध्यक्ष महोदय, यह जो रिपोर्ट निकली है वह जनता के लिए है ? सदन के लिए है या सेक्रेटरी या डाइरेक्टर के लिए है ? अंग्रेजी में वह रिपोर्ट देने का प्रश्न ही नहीं उठना चाहिये था। राजस्थान में सौ में से सौ आदमी

(श्री रामकिशन)

अपनी मातृभाषा को जानते हैं; एक तरफ संकट-काल है, पैसे का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिये । वह रिपोर्ट अंग्रेजी में प्रस्तुत हुई जिसको अधिकांश माननीय सदस्य समझ नहीं सकते हैं और न वाद-विवाद में भाग ले सकते हैं । इसलिए मैं इसके विरोध स्वरूप मेरी पार्टी सहित सदन का त्याग करता हूं ।

(सदन से बहिर्गमन)

श्री अध्यक्ष : कुछ मानसिक आदतें पड़ गयी हैं उनको हटाने में समय लगेगा ।

श्री मुरलीधर व्यास : अध्यक्ष महोदय, आपने व्यवस्था दी । उसको सरकार ने नही माना और फिर भी रिपोर्ट अंग्रेजी में दी है । आपकी व्यवस्था को उन्होंने नहीं माना इसलिए हम सदन से वाक आउट करते हैं ।

अध्यक्ष महोदय, आपने व्यवस्था दी, वह उचित दी । आपने जो पूर्व में व्यवस्था दी उसको नहीं माना । यह बार बार स्थिति रहती है । यह तब तक नहीं रुकेगी जब तक कि आपकी ओर से कोई स्ट्रिक्ट कदम नहीं उठाया जायगा कि अनिवार्य रूप से हिन्दी में ही बिल्स या रिपोर्ट्स आनी चाहिये । ऐसी व्यवस्था आप नहीं करेंगे तो हमारे लिये कोई चारा नहीं है । कोई यह न सोचे कि गलत दृष्टिकोण से है । माननीय सदस्य कहते हैं कि प्रचार करते हैं । ऐसा नहीं है । सरकार खुद चाहती है कि हिन्दी में होना चाहिये और उसके लिए नहीं हो रहा है और आसन की व्यवस्था को नहीं माना जा रहा है इसलिए मैं इसके विरोध स्वरूप मेरी पार्टी सहित सदन से वाक आउट करता हूं ।

(प्रजासमाजवादी दल द्वारा सदन से बहिर्गमन)

कटौती प्रस्तावों विषयक वाद-विवाद

श्री रघुनाथ विश्नोई : On a Point of order, Sir, आपकी व्यवस्था के अनुसार सब ही माननीय सदस्य अपने कट मोशन्स में भाग नहीं ले सकेंगे । इसलिए जितने स्पेसिफिक कट मोशन्स मूव किये हैं वे मूव समझे जायं और उनका मंत्री महोदय जबाब दे दें तो ठीक व्यवस्था बैठ सकती है ।

श्री अध्यक्ष : गत वर्ष इसके विषय में निर्णय हुआ था, इस साल भी उसी प्रकार का निर्णय कर सकते हैं कि सारे कटौती के प्रस्ताव, ऐसा समझा जायगा कि मूव हो चुके हैं और माननीय सदस्य किसी बात पर सरकार से जानकारी चाहें तो उसके बारे में वे उनको लिख दें और व्यक्तिगत तौर पर मंत्री महोदय उनको बता दें अथवा माननीय सदस्य को सूचना दे दें । कई माननीय सदस्यों ने लिखा है और पिछले साल उनको जानकारी भी मिली थी । कोई कट मोशन नीति सम्बन्धी या अन्य सम्बन्धी हो सामान्य तौर पर उत्तर दिया जाय, ऐसा सम्भव प्रतीत नहीं होता है; फिर भी माननीय सदस्य चाहे तो माननीय मंत्री का ध्यान आकर्षित कर लें और उनको जबाब मिलेगा, ऐसी मुझे आशा है ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, वित्त-मंत्रीजी ने एक एक कट मोशन को लिख कर पिछली बार जबाब दिया था । जो भी कट मोशन्स थे कुछ कट

Page No.46

(श्री भैरोंसिंह)

मोशन्स को उन्होंने कवर-अप किया था और बाकी को लिख कर जवाब दिया था। मैं चाहूंगा कि माननीय शिक्षा मंत्रीजी या शिक्षा उप मंत्रीजी जिन कट मोशन्स का समावेश वे अपने उत्तर में कर सके उनका कर दें और न कर सकें तो उनका जवाब लिखित रूप में माननीय सदस्य को भेज देंगे।

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, शिक्षा) : अध्यक्ष महोदय, मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है। जहां तक विद्यालय खोलने का प्रश्न है नीति का, क्राइटेरिया का प्रश्न है उनका 'हां' या 'ना' का जैसा उत्तर होगा दे दिया जायगा। बाकी जो आपने व्यवस्था दी है यथा-संभव जिन कटौती प्रस्तावों का उत्तर में समावेश हो सकेगा, दे दिया जावेगा।

आपने कहा मिडल स्कूल खुलेगा या नहीं खुलेगा........

श्री अध्यक्ष : ऐसी मांग का उत्तर तो अवश्य जाना चाहिये।

श्री निरंजननाथ आचार्य : हमें व्यवस्था को मानना होगा।

मांग संख्या १५--शिक्षा

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६५ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १४,८३,९३ हजार रुपये तक की राशि प्रदान की जाय।

श्री अध्यक्ष : मांग प्रस्तुत की गई।

[इस मांग पर निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर): (१) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में १) रु० की कटौती की जाय (शिक्षा के स्तर में गिरावट के कारण शिक्षार्थियों के चरित्र पर प्रभाव पर बहस करने हेतु)।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : (२) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में १) रु० की कटौती की जाय (शिक्षा विभाग के अध्यापकों का Rationalised व Unified Pay Scales में Fixation की बकाया पर बहस करने हेतु)।

(३) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में १) रु० की कटौती की जाय (शिक्षा विभाग द्वारा की जाने वाली खरीद की अनियमितताओं पर बहस करने हेतु)।

(४) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८--शिक्षा में १) रु० की कटौती की जाय (स्कूलों एवम् कॉलेजों को Upgrade करने में सरकार द्वारा की जाने वाली धांधलियों पर बहस करने हेतु)।

(५) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में १) रु० की कटौती की जाय (जोधपुर विश्वविद्यालय की वित्तीय अनियमितताओं पर बहस करने हेतु)

श्री गोविन्दसिंह (पिंडावा) : ६. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८--शिक्षा में एक

(श्री गोबिन्दसिंह)

रुपये की कटौती की जाय (पंचायत समितियों के अध्यापकों को सीनियोरिटी तय नहीं करने पर बहस करने हेतु) ।

(७) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८ शिक्षा में १) रु० की कटौती की जाय (सुनेल क्षेत्र के मध्य भारत से आए हुए अध्यापकों को वाजिब ग्रेड नहीं देने पर बहस करने हेतु) ।

(८) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा में १) रु० की कटौती की जाय (झालावाड़ मे कन्याओं की शाला में अव्यवस्था पर बहस करने हेतु) ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : (९) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८--शिक्षा में १) रु० तक की कटौती की जाय (सरकार की शिक्षा सम्बन्धी नीति पर बहस करने हेतु) ।

(१०) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८--शिक्षा में १) रु० की कटौती की जाय (राजस्थान की शिक्षा संस्थाओं में शिक्षकों की दुर्लक्षपूर्ण स्थिति पर बहस करने हेतु) ।

(११) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८--शिक्षा में १) रु० की कटौती की जाय (राजस्थान में शिक्षा के गिरते हुए स्तर के कारण विभिन्न परीक्षाओं के निराशाजनक परिणामों पर बहस करने हेतु) ।

श्रीमती नगेन्द्रबाला (छबड़ा) : (१२) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८--शिक्षा में १) रु० की कटौती की जाय (विद्यार्थियों में बढ़ती हुई अनुशासन हीनता पर बहस करने हेतु) ।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : (१३) Demand No. XV, Major Head 28-Education be reduced by rupee one (to discuss mismanagement in the Department).

श्री मानिकचन्द सुराना (कोलायत) : (१४) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में १) रु. की कटौती की जाय (प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं को दिये जाने वाले अनुदानों में पक्षपात पर बहस करने हेतु) ।

(१५) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८--शिक्षा में १००) रु. की कटौती की जाय (बीकानेर जिले में हायर सैकन्डरी स्कूलों के अभाव पर बहस करने हेतु) ।

(१६) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८--शिक्षा में १) रु. की कटौती की जाय (राज्य सरकार की प्राइमरी शिक्षा के प्रसार में असफल प्रणाली पर बहस करने हेतु) ।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : (१७) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८--शिक्षा मे १) रु. की कटौती की जाय (शिक्षा का स्तर दिन पर दिन गिरता जा रहा है इस पर बहस करने हेतु) ।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : (१८) Demand No. 15, Major Head 28-Education be reduced by Re one (to discuss the failure of the Government to improve the present

Page No.48

(श्री केदारनाथ)

system of Education unsuited to the vital needs of the Nation and Society).

(19) Demand No. XV, Major Head 28--Education be reduced by Re. one (to discuss the failure of the Government to improve the present system of Examinations).

(20) Demand No. XV, Major Head 28--Education be reduced by rupee one (to discuss the failure of the Government to improve the present system of examinations in the Secondary Education Scheme).

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़): (२१) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८--शिक्षा में १) रु. की कटौती की जाय (शिक्षण संस्थाओं की अव्यवस्था पर बहस करने हेतु) ।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : (२२) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८--शिक्षा में १) रु. की कटौती की जाय (कुशलगढ़ में मिडल स्कूल खुलवाने पर बहस करने हेतु) ।

श्री डूंगाराम राजोरिया (जमवा रामगढ़) :(२३) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८--शिक्षा में १) रु. की कटौती की जाय (पंचायत समिति जमवारामगढ़ में प्राइमरी स्कूल व माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्कूल न खोलने पर बहस करने हेतु) ।

श्री देवीलाल (सराड़ा-सु०) : (२४) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८--शिक्षा में १) रु. की कटौती की जाय (जिला उदयपुर तहसील सराड़ा हायर सैकन्ड्री स्कूल चावण्ड में साइन्स क्लास खुलवाने पर बहस करने हेतु) ।

(२५) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८--शिक्षा में १) रु. की कटौती की जाय (जिला उदयपुर तहसील सराड़ा में टोकर में मिडल स्कूल खुलवाने पर बहस करने हेतु) ।

श्री हरदत्तसिंह (नोहर) : (२६) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८--शिक्षा में १ रु. की कटौती की जाय (प्राइमरी व मिडल स्कूलों के अध्यापकों के प्रति संबंधित अधिकारियों द्वारा बरती गई असावधानी पर बहस करने हेतु) ।

(२७) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८--शिक्षा में १) रु. की कटौती की जाय (शिक्षा--स्तर में गिरावट को रोकने में सरकार की असफलता पर बहस करने हेतु) ।

श्री हरिकिशन (राजगढ़) : (२८) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८--शिक्षा में १) रु. की कटौती की जाय (उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय रैनी जिला अलवर में विज्ञान व वाणिज्य विषय नहीं खोले जाने पर बहस करने हेतु) ।

(२९) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८--शिक्षा में १) रु. की कटौती की जाय (राजगढ़ क्षेत्र अलवर में सरकार द्वारा माध्यमिक एवं उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय, लड़के व लड़कियों की नहीं खोलने की उदासीनता पर बहस करने हेतु) ।

(श्री हरिकिशन)

(३०) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८--शिक्षा में १) रु. की कटौती की जाय (राजस्थान में आदिवासी लड़के व लड़कियों का योजना-बद्ध शिक्षा के प्रसार के कार्य क्रम को नहीं चलाने पर बहस करने हेतु)।

(३१) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८--शिक्षा में १) रु. की कटौती की जाय (राजस्थान में आदिवासी लड़के व लड़कियों को तकनीकी शिक्षण व अन्य शिक्षण में पर्याप्त छात्रवृत्ति व अन्य सुविधा सरकार द्वारा नहीं दिये जाने पर बहस करने हेतु)।

श्री गोविन्दसहाय (गंगापुर) : (३२) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८--शिक्षा में १) रु. की कटौती की जाय (गंगापुर में गर्ल्स हायर सेकन्ड्री स्कूल के अभाव पर बहस करने हेतु)।

श्री बालूराम चौधरी (फतहपुर) : (३३) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८--शिक्षा मे १) रु. की कटौती की जाय (पंचायत समिति फतेहपुर में ग्राम बेसवा में हायर सेकण्ड्री स्कूल खुलवाने पर बहस करने हेतु)।

(३४) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८--शिक्षा में १) रु. की कटौती की जाय गांवों में प्रायमिक पाठशालाओं के खोले जाने की अव्यवस्था पर बहस करने हेतु)।

(३५) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८--शिक्षा में १) रु. की कटौती की जाय (ग्रामों में अध्यापक एवं अध्यापिकाओं के लिए निवास की समस्या पर बहस करने हेतु)।

36. Demand No. XV, Major Head 28-Education be reduced by Rs. one (to discuss the system raising Government Schools to Middle and Higher Secondary standard).

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : ३७. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८--शिक्षा में १) रु० की कटौती की जाय (हरद्वारीगढ़, गंगानगर की बाबा मुवासीनाथ धमार्थ मान्यता प्राप्त ट्रस्ट के विद्यालयों के शिक्षकों को ६२ से वेतन न मिलने पर बहस करने हेतु)।

३८. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में १) रु० की कटौती की जाय (शिक्षा विभाग द्वारा जोधपुर में फिजिकल ट्रेनिंग कॉलेज के लिये खरीद में होने वाले भ्रष्टाचार पर बहस करने हेतु)।

३९. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में १) रु० की कटौती की जाय (वरिष्ट शिक्षकों की सीनियोरिटी न किये जाने पर बहस करने हेतु)।

४०. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में १) रु० की कटौती की जाय (वरिष्ट शिक्षकों को २५ प्रतिशत सिनियरटी आधार पर प्रमोशन देने की स्थिति पर बहस करने हेतु)।

४१. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में १) रु० की कटौती की जाय (एडेड संस्थाओं में होने वाली अनियमितताओं पर बहस करने हेतु)।

Page No.50

श्री बृजसुन्दर शर्मा (बूंदी) : ४२ Demand No. XV, Major Head 28-Education be reduced by rupee one (to discuss irregularities in the management of Jodhpur University).

श्री ललित मोहन (गोगुन्दा-सु०) : ४३. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८--शिक्षा में १) रु० की कटौती की जाय (गोगुन्दा कन्या मिडल स्कूल के भवन के अभाव पर बहस करने हेतु)।

श्री अमरसिंह (दूदू) : ४४. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८--शिक्षा में १) रु० की कटौती की जाय (वर्तमान शिक्षा प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है इस पर बहस करने हेतु)।

श्री विजयसिंह झाला नाथद्वारा) : ४५. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८--शिक्षा में १००) रु० की कटौती की जाय (पाठ्य पुस्तकों के प्रकाशन की व्यवस्था पर बहस करने हेतु)।

४६. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८--शिक्षा में १००) रु० की कटौती की जाय (संस्कृत विश्वविद्यालय का स्थान निश्चित किये जाने पर बहस करने हेतु)।

४७. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८--शिक्षा में १००) रु० की कटौती की जाय (ग्रामीण क्षेत्र में स्कूल खोलने में शिथिलता पर बहस करने हेतु)।

४८. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८--शिक्षा में १००) रु० की कटौती की जाय (मिडल स्कूल तथा हायर सैकेन्ड्री, हाई स्कूल खोलने में पक्षपात पर बहस करने हेतु)।

४९. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८--शिक्षा में १००) रु० की कटौती की जाय (गरीब छात्रों की छात्रवृतियां बढ़ाने पर बहस करने हेतु)।

श्री हरिराम धारू (सिवाना-सु०) : ५०. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८--शिक्षा में १) रु० की कटौती की जाय (सिम्हाना में स्थित मिडल स्कूल को हायर सैकन्डरी स्कूल में परिवर्तित कराने पर बहस करने हेतु)।

५१. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८--शिक्षा में १) रु० की कटौती की जाय (समदड़ी में स्थित प्राइमरी कन्या पाठशाला को मिडल स्कूल कराने पर बहस करने हेतु)।

कुं. श्री महेन्द्रसिंह (दीगोद) : ५२. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८--शिक्षा में १००) रु० की कटौती की जाय (ग्रामीण क्षेत्रों में माध्यमिक पाठशालाओं के अभाव पर बहस करने हेतु)।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : ५३. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८--शिक्षा में १) रु० की कटौती की जाय (शिक्षा विभाग द्वारा संस्कृत शिक्षा पर अनुचित खर्च करने पर बहस करने हेतु)।

५४. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक

Page No.51

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

२८-शिक्षा में १) रु० की कटौती की जाए (शिक्षा विभाग में Directorate पर अनुचित खर्च करने पर बहस करने हेतु) ।

५५ मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८--शिक्षा में १००) रु० की कटौती की जाए (अलवर में सरकारी गर्ल्स कॉलेज इसी वर्ष खोलने की आवश्यकता पर बहस करने हेतु) ।

५६. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८--शिक्षा में १) रु० की कटौती की जाए (.शिक्षा विभाग द्वारा गैर--सरकारी संस्थाओं को दिये जाने वाले अनुदान पर बहस करने हेतु) ।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टौंक) : ५७. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८--शिक्षा में १) रु० की कटौती की जाए (गवर्नमेंट कालेज टोंक की अव्यवस्था पर बहस करने हेतु) ।

५८ मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८--शिक्षा में १) रु० की कटौती की जाए (शिक्षा निरीक्षक जिला टोंक, सवाई माधोपुर-कार्यालय करौली के राष्ट्र विरोधी कार्यों पर बहस करने हेतु) ।

५६ मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८--शिक्षा में १) रु० की कटौती की जाए (प्राइमरी स्कूलो की जो पंचायत समितियों के अधीन हैं, दुर्व्यवस्था पर बहस करने हेतु) ।

श्री रामसहाय (लालसोट) : (६०) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८--शिक्षा में १)रु० को कटौती की जाय (लालसोट कस्बे में प्राइमरी कन्या पाठशाला को माध्यमिक शाला में परिवर्तन करने पर बहस करने हेतु) ।

श्री बालचन्द डागा (किशनगढ़) : (६१) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८--शिक्षा में १)रु० की कटौती की जाय (स्कूलों को कॉलिजों में परिवर्तन न करने की प्रणाली पर बहस करने हेतु) ।

श्री सम्पतिलाल बोहरा (मावली) : (६२) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८--शिक्षा में १)रु० की कटौती की जाय (एडेड संस्थाओं को समय पर अनुदान न मिलने पर बहस करने हेतु) ।

श्री गंगाराम चौधरी (गुढ़मलानी) : (६३) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८--शिक्षा मे १) रु० की कटौती की जाय (जिला बाडमेर में डिग्री कॉलेज खोले जाने का प्रावधान न रखने पर बहस करने हेतु) ।

(६४) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८--शिक्षा में १) रु० की कटौती की जाय (राष्ट्रीयकृत पाठ्य पुस्तकों में जल्दी जल्दी हेरफेर करने पर बहस करने हेतु) ।

श्री मजलिस खां (कामां) : (६५) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८--शिक्षा में १) रु० की कटौती की जाय (शिक्षा विभाग की प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों का किसी भी गजेटेड छुट्टी के. बाद स्कूल खुलने

(श्री मजलिसखां)

की तारीख को निश्चत समय पर स्कूल न पहुंचने पर बहस करने हेतु) ।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): (६६) मांग संख्या १५, मुख्य शीषक २८--शिक्षा में १) रु० की कटौती की जाय (राज्य सरकार पंचायत समिति व जिला बोर्ड से गये अध्यापकों तथा शिक्षा विभाग के अध्यापकों को समानता पर नहीं, ला सकी, पर बहस करने हेतु) ।

(६७) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८--शिक्षा में १) रु० की कटौती की जाय (शिक्षा विभाग के निरीक्षक करौली के द्वारा किये गये राष्ट्र विरोधी कार्यों पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने पर बहस करने हेतु) ।

श्री लक्ष्मीचन्द (पीपलदा) : (६८) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८--शिक्षा में १) रु० की कटौती की जाय (पीपलदा क्षेत्र में शिक्षा के कार्य को प्रोत्साहन नहीं देने पर बहस करने हेतु) ।

(६९) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८--शिक्षा में १) रु० की कटौती की जाय (पंचायत समितियों में स्कूलों की अव्यवस्था पर बहस करने हेतु) ।

श्री जीवराज (गुड़ा) : मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८--शिक्षा में १) रु० की कटौती की जाय (गुढ़ा, जिला झुंझुनूं में और स्कूल खुलवाने पर बहस करने हेतु) ।

श्री भरतलाल (मलारना चोर) : (७१ मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८--शिक्षा में १) रु० की कटौती की जाय (जिला सवाई माधोपुर में तहसील बामनवास में हायर सैकन्ड्री स्कूल खोलने व माध्यमिक शालाएं खोलने पर बहस करने हेतु) ।

श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) : (७२) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८--शिक्षा में १) की कटौती की जाय (शिक्षा का प्रबन्ध गिरवा क्षेत्र में ठीक नहीं है, उस पर बहस करने हेतु) ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जोहरी बाजार, जयपुर):(७३) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८--शिक्षा में १) रु० की कटौती की जाय (शिक्षा प्रणाली पर बहस करने हेतु) ।

. (७४) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८--शिक्षा में १००) रु० की कटौती की जाय (आदर्शनगर में प्राथमिक शाला खोले जाने के औचित्य पर बहस करने हेतु) ।

(७५) मांग संख्या १५, मुख्य शोर्षक २८--शिक्षा में १००) रु० की कटौती की जाय (शिक्षा विभाग में व्याप्त अकर्मण्यता पर बहस करने हेतु) ।

(७६) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८--शिक्षा में १००) रु० की कटौती की जाय (सीमावर्ती जिलों में पाकिस्तानी पाठ्य पुस्तकों के पठन को रोकने में विभागीय शिथिलता पर बहस करने हेतु) ।

(७(७ मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

२८--शिक्षा में १००) रु० की कटौती की जाय (राष्ट्रीयकृत पाठ्य पुस्तकों को बदलने पर बहस करने हेतु) ।

(७८) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८--शिक्षा में १००) रु० की कटौती की जाय (प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं में अध्यापकों की दुर्दशा दूर करने हेतु सरकार द्वारा अभी तक भी कानून नहीं बनाने पर बहस करने हेतु) ।

श्री केसरीसिंह (पाली) : (७९) Demand No. XV, Major Head 28-Education be reduced by rupee one (to discuss the principle of upgrading Primary Schools to the Middle standard).

श्री मथुरेशबिहारी माथुर (बांदीकुई): (८०) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८--शिक्षा में १) रु. की कटौती की जाय (सरकार की नये स्कूल खोलने के असन्तोष जनक तरीके पर बहस करने हेतु) ।

(८१) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८--शिक्षा में १) रु. की कटौती की जाय (प्राइमरी शिक्षा स्कूलों को पंचायतों को सुपुर्द करने के पश्चात् उनमें अव्यवस्था एवं शिक्षा का स्तर गिरने पर बहस करने हेतु) ।

(८२) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८--शिक्षा में १) रु. की कटौती की जाय (सरकार की पुस्तकों के नेशनलाइजेशन करने व कैरीकूलम बनाने से शिक्षा के स्थिर गिरने पर बहस करने हेतु) ।

श्रीमती गौरी पूनिया (डेगाना) : (८३) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८--शिक्षा में १) रु० की कटौती की जाय (ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्री शिक्षा की ओर उचित न्याय न देने पर बहस करने हेतु) ।

श्रीमती सुमित्रा (झुंझुनू) : (८४) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८--शिक्षा में १) रु० की कटौती की जाय (प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों की दुर्दशा पर बहस करने हेतु) ।

(85) Demand No. XV, Major Head 28-Education be reduced by Re. one (to discuss misuse of funds by the Rajasthan State Sports Council).

(86) Demand No. XV, Major Head 28-Education be reduced by Re. one (to discuss misutilisation of money by Lalit Kala Akadamy given to it as a grant).

कुमारी उमा माथुर (रामगढ़) : (८७) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८--शिक्षा में १) रु० की कटौती की जाय (अलवर में लड़कियों का डिग्री कालेज खुलवाने के विषय पर बहस करने हेतु) ।

श्री गंगासिंह (जायल) : (88) Demand No XV, Major Head 28-Eduction be reduced by rupee one (to discuss wrong methods of teaching in the Schools).

Page No.54

(श्री गंगासिंह जायल)

श्री नाथूराम (बागीडोरा) : (८९) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८--शिक्षा में १) रु० की कटौती की जाय (बांसवाड़ा जिला में पंचायत समिति भूखिया क्षेत्र में हायर सेकण्ड्री स्कूल खोलने पर बहस करने हेतु) ।

श्री जयकृष्ण शर्मा (थानागाजी) : (९०) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८--शिक्षा में १) रु० की कटौती की जाय (प्राइमरी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था की कमी पर बहस करने हेतु) ।

(९१) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८--शिक्षा में १) रु० की कटौती की जाय (लड़कियों की शिक्षा व्यवस्था की कमी पर बहस करने हेतु) ।

श्री गणपतिलाल वर्मा (मान्डलगढ़) : (९२) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में १) रु० की कटौती की जाय (बड़लियास नामी ग्राम, जिला भीलवाड़ा में हायर सैकण्ड्री स्कूल खोलने पर बहस करने हेतु) ।

श्री किशनसिंह बाटड़ (लक्ष्मणगढ़) : (९३) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८--शिक्षा में १) रु० की कटौती की जाय (बलारा ग्राम में हायर सेकेण्ड्री स्कूल खोलने के संबंध में बहस करने हेतु) ।

श्री रविशंकर याज्ञनिक (पिंडवारा) : (94) Demand No. XV, Major Head 28-Education be reduced by Rs. one (to discuss opening of Science classes in V.P. Government Higher Secondary School, Rohera (District Sirohi).)

(95) Demand No. XV, Major Head 28-Education be reduced by Re. one (to discuss the situation arising from not fixing grades and not giving trained grades to the teachers employed in Panchayat Samiti Services).

(96) Demand No. XV, Major Head 28-Education be reduced by Re one (to discuss opening of science, commerce and agriculture subjects in existing schools in rural sector).

श्री रावतराम (सादूलपुर) : (९७) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८--शिक्षा मे १) रु० की कटौती की जाय (माध्यमिक शाला सिद्धमुख जिला चूरू को इस साल हायर सैकण्डरी स्कूल में बदलने पर बहस करने हेतु) ।

श्री तेजाराम गहलोत (सोजत) : (९८) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८--शिक्षा मे १) रु० की कटौती की जाय (राज्य-सरकार द्वारा माध्यमिक शालाओं को आवश्यकतानुसार न खोलने पर बहस करने हेतु) ।

(९९) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८--शिक्षा में १) रु० की कटौती की जाय

(श्री तेजाराम गहलोत)

(उच्चतर माध्यमिक शालाओं में माध्यमिक शालाओं से आने वाले विद्यार्थियों की भर्ती की असुविधा पर बहस करने हेतु)।

(१००) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८--शिक्षा में १) रु० की कटौती की जाय (जैतारण उच्चत्तर माध्यमिक शाला में Commerce विषय के खोलने पर बहस करने हेतु)।

(१०१) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८--शिक्षा में १) रु० की कटौती की जाय (माध्यमिक एवं उच्चत्तर माध्यमिक शालाओं में निर्धारित अध्यापकों की नियुक्तियां न कर उनको deputation पर दूसरी शालाओं एवं Inspectorate में नियुक्ति करने पर बहस करने हेतु)।

श्री हरफूल (खंडार) : (१०२) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८--शिक्षा में १) रु० की कटौती की जाय (स्कूलों में छात्रों को छात्रवृति समय पर न मिलने पर बहस करने हेतु)।

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : (१०३) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८--शिक्षा में १) रु० की कटौती की जाय (शिक्षा विभाग छात्रवृत्ति समय पर देने में असफल रही है। इस पर बहस करने हेतु)।

(१०४) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८--शिक्षा में १) रु० की कटौती की जाय (पंचायत समिति हिन्डौन के अध्यापकों के साथ दुर्व्यवहार पर बहस करने हेतु)।

(१०५) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८--शिक्षा में १००) रु० की कटौती की जाय (गर्ल्स मिडल स्कूल हिन्डौन में अव्यवस्था पर बहस करने हेतु)।

श्री दुर्गालाल बाददार (हवामहल, जयपुर) : (१०६) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८--शिक्षा में १) रु० की कटौती की जाय (जयपुर नगर में हायर सैकण्ड्री स्कूलों के अभाव पर बहस करने हेतु)।

(१०७) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८--शिक्षा में १) रु० की कटौती की जाय (शिक्षा विभाग में अध्यापकों के स्थानान्तरण व पदोन्नति में बर्ती जाने वाली अनियमितता पर बहस करने हेतु)।

(१०८) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८--शिक्षा में १) रु० की कटौती की जाय (पंचायत विभाग और शिक्षा विभाग के कारण दुहरी शासन व्यवस्था से उत्पन्न कठिनाइयों पर बहस करने हेतु)।

श्री चन्द्रसिंह वर्मा (बिलाड़ा) : (१०९) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८--शिक्षा में १) रु० की कटौती की जाय (शिक्षा विभाग में अनियमितताओं के कारण शिक्षा के अभाव पर बहस करने हेतु)।

श्री नाथूलाल कराल (चाकसू) : (११०) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८--शिक्षा में १) रु० की कटौती की जाय (पंचायत समिति चाकसू जिला जयपुर की पंचायत कादेड़ा के

Page No.56

(श्री नाथूलाल करौल)

ग्राम कादेड़ा में मिडल स्कूल न खोलने पर बहस करने हेतु)।

(१११) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८--शिक्षा में एक रुपये की कटौती की जाय (पंचायत समिति चाकसू जिला जयपुर के ग्राम टूमली के वास में मिडल स्कूल न खोलने पर बहस करने हेतु)।

(११२) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८--शिक्षा में १) रु० की कटौती की जाय (पंचायत समिति सांगानेर के प्राइमरी स्कूल विलवा को माध्यमिक शाला में परिवर्तन करने पर बहस करने हेतु)।

श्री अब्दुलजब्बारखां (निम्बाहेड़ा) : (११३) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८--शिक्षा में १००) रु० की कटौती की जाय (शिक्षकों में फैले असंन्तोष के कारणों पर बहस करने हेतु)।

(११४) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८--शिक्षा में १००) की कटौती की जाय (हाई स्कूल निम्बाहेड़ा को कॉलेज न बनाने पर बहस करने हेतु)।

श्री मोहनराज (बाली) : (११५) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८--शिक्षा में १) रु० की कटौती की जाय (स्त्री-शिक्षा हेतु, आवश्यक धनराशि का प्रावधान न करने पर बहस करने हेतु)।

श्री सांवलियाराम (रूपवास--सु०) : (११६) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८--शिक्षा में १) रु० की कटौती की जाय (शिक्षा विभाग द्वारा उन्नति के लिये राज्य के जिलों में समानता न रखने के सम्बन्ध में बहस करने हेतु)।

श्री चतुर्भुज उपाध्याय (चित्तौड़गढ़) : (११७) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८--शिक्षा में १) रु० की कटौती की जाय (प्रायमिक शालाओं के शिक्षण में अव्यवस्था पर बहस करने हेतु)।

(११८) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८--शिक्षा में १) रु० की कटौती की जाय (अध्यापकों के फिक्सेशन में हुई देरी पर बहस करने हेतु)।

(११९) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८--शिक्षा में १) रु० की कटौती की जाय (कन्याओं की शिक्षा की अव्यवस्था पर बहस करने हेतु)।

श्री दयानन्द सोन (बारां--सु०) : (१२०) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८--शिक्षा में १) रु० की कटौती की जाय (स्कूलों में बच्चों को छात्रवृति समय पर न देने पर बहस करने हेतु)।

श्री जयलाल (डग) : (१२१) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८--शिक्षा में १) रु० की कटौती की जाय (स्कूल में छात्रों को छात्र-वृति न दिये जाने पर बहस करने हेतु)।

श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल (सिकराय-सु०): (१२२) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८--शिक्षा में १) रु० की कटौती की जाय (ऐसे

(श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल)

अध्यापकों की नियुक्ति जो उसी ग्राम के रहने वाले है और उसी ग्राम में अध्यापक का काम करते हैं, पर बहस करने हेतु)।

श्री ज्वालाप्रसाद (नसीराबाद) : (१२३) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८--शिक्षा में १) रु० की कटौती की जाय (अध्यापकों का रिवाइज्ड पे स्केल में फिक्शेसन में की गई देरी पर बहस करने हेतु)।

(१२४) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८--शिक्षा में १) रु० की कटौती की जाय (शिक्षा विभाग द्वारा खरीद में अनियमितता पर बहस करने हेतु)।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : (१२५) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८--शिक्षा में १) रु० की कटौती की जाय (पंचायत समितियों में अध्यापकों की कमी के कारण शिक्षा के स्तर में होने वाली गिरावट पर बहस करने हेतु)।

(१२६) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८--शिक्षा में १) रु० की कटौती की जाय (शिक्षा के गिरते हुए स्तर पर बहस करने हेतु)।

(१२७) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८--शिक्षा में १) रु० की कटौती की जाय (काप्रेन व करवर दई में हायर सैकन्ड्री स्कूल खोले जाने पर बहस करने हेतु)।

(१२८) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८--शिक्षा में १) रु० की कटौती की जाय (देहातों में स्कूलों के लिये बजट की कमी पर बहस करने हेतु)।

(१२९) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८--शिक्षा में १) रु० की कटौती की जाय (लाखेरी में डिग्री कॉलेज खोलने पर बहस करने हेतु)।

श्री भगराज चौधरी (रानीवाड़ा) : १३०. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में १) रु० की कटौती की जाय (प्राथमिक पाठशालाओं में असंतोषपूर्ण शिक्षा की हालत पर बहस करने हेतु)।

श्री विजयपाल कटारा (डूंगरपुर-मु०) : १३१. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८--शिक्षा में १) रु० की कटौती की जाय (अनुसूचित जन जाति एवं अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को ऊंची शिक्षा दिलाने पर बहस करने हेतु)।

१३२. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८--शिक्षा में १) रु० की कटौती की जाय (शिक्षा विभाग में अनुसूचित जन-जाति एवं अनुसूचित जाति के अध्यापकों की नियुक्तियों में पक्षपात पर बहस करने हेतु)।

श्री जुझारसिंह (चेचट) : १३३. Demand No. XV, Major Head 28-Education be reduced by Re. one (to discuss waste of funds in the Department).

134. Demand No. XV, Major Head 28--Education be reduced by Re. one (to discuss falling of standard of Education specially at

(श्री जुझारसिंह)

Primary and Secondary standard).

श्री माधोलाल खानपुरिया (ग्रटरू) : १६५: मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में १) रु० की कटौती की जाय (विभागीय राजपत्रित अधिकारियों में ट्रान्सफर आदि से फैले असंतोष पर बहस करने हेतु) ।

श्री भैरवलाल "कालाबादल" (अकलेरा--सु०) : १३६. मांग संख्या १५. मुख्य शीर्षक २८--शिक्षा में १) रु० की कटौती की जाय (छात्रों के चरित्र निर्माण तथा अनुशासन व अध्ययन के प्रति इस विभाग की उदासीनता पर बहस करने हेतु)

श्री विट्ठल (बांसवाड़ा--सु०) : १३७. मांग संख्या१५. मुख्य शीर्षक २८--शिक्षा में १) रु० की कटौती की जाय (पंचायत समिति पीपलखूंट में मिडल स्कूल खुलवाने हेतु वाद-विवाद) ।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : १३८.मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८--शिक्षा में १) रु० की कटौती की जाय (शिक्षा के सामान्य स्तर में गिरावट पर बहस करने हेतु) ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : १३९. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में १) रु० की कटौती की जाय (राजस्थान के विश्वविद्यालयों के प्रबन्ध में दुर्व्यवस्था पर बहस करने हेतु) ।

१४०. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८--शिक्षा में १) रु० की कटौती की जाय (राजस्थान के विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों के शिक्षा स्तर में गिरावट पर बहस करने हेतु) ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : 141. Demand No. XV, Major Head 28--Education be reduced by rupee one (to discuss the present need for abolition of Government special Schools and need for uniformity of standards of Education for all sections of the Scoiety).

142. Demand No. XV, Major Head 28--Education be reduced by rupee one (to discuss failure of Government to impart free education to sons of Farmers whose monthly incomes are less than Rs. 300/-).

143. Demand No XV, Major Head 28- Education be reduced by rupee one (to discuss lack of hostel facilities in Government Secondary Schools in rural ares and its adverse effect on spread of Education in rural areas).

144. Demand No. XV, Major Head 28--Education be reduced by rupee one (to discuss inadequate grants to Local Bodies for Primary Education in Jalore District).

145 Demand No. XV, Major Head 28--Education be reduced by rupee one (to discuss the failure

(श्री रघुनाथ बिश्नोई)

of Government to open Commerce and Science classes in Government School Sanchore).

146. Demand No. XV, Major Head 28-Education be reduced by rupee one (to discuss the Opening of Girls Middle School at Sanchore).

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) १४७. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८--शिक्षा में १) रु० की कटौती की जाय (हाई स्कूल व हायर सैकन्डी स्कूल के सीनियर अध्यापकों को उच्च ग्रेड देने की प्रणाली पर बहस करने हेतु)।

१४८. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८--शिक्षा मे १) रु० की कटौती की जाय (प्लान से ज्यादा स्कूलें राज्य में खोलने से आर्थिक अव्यवस्था पर बहस करने हेतु)।

१४९. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८--शिक्षा में १) रु० की कटौती की जाय (बालिकाओं के लिए प्राथमिक-शालाएं खोलने पर बहस करने हेतु)।

१५०. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८--शिक्षा में १) रु० की कटौती की जाए (प्राथमिक पाठशाला के अध्यापकों के फिक्सेशन में देर किये जाने पर बहस करने हेतु)।

१५१. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-- शिक्षा में १) रु० की कटौती की जाय (प्राथमिक पाठशाला के ग्रेजुएट अध्यापकों की स्थिति पर बहस करने हेतु)।

१५२. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८--शिक्षा में १) रु० की कटौती की जाय (प्राथमिक पाठशालाओं के लिए पंचायत समितियों को दी जाने वाली रकम के उपयोग पर बहस करने हेतु)।

१५३. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८--शिक्षा में १) रु० की कटौती की जाय (कोटड़ी हायर सैकन्डरी स्कूल का भवन बनाने पर बहस करने हेतु)।

१५४. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८--शिक्षा में १) रु० की कटौती की जाय (प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों के हेड क्वांटर पर न रहने से होने वाले नुकसान पर बहस करने हेतु)।

१५५. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८--शिक्षा में १) रु० की कटौती की जाय (प्राथमिक पाठशालायें खोलने की प्रणाली पर बहस करने हेतु)।

१५६. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८--शिक्षा में १००) रु० की कटौती की जाय (बनेड़ा हाई स्कूल को हायर सैकन्डरी में परिवर्तन करने पर बहस करने हेतु)।

१५७. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८--शिक्षा में १००) रु० की कटौती की जाय (पंचायत समिति बनेड़ा क्षेत्र को उफेरड़ा व सरदारनगर प्राथमिक शालाओं को माध्यमिक शालाओं में परिवर्तित न करने पर बहस करने हेतु)।

Page No.60

(श्री उमरावसिह ढाबरिया)

१५८. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-- शिक्षा में १) रु० की कटौती की जाय (प्राथमिक पाठशालाओं के लिए खेल के मैदानों की व्यवस्था कराने पर बहस करने हेतु) ।

१५९. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८--शिक्षा में १ रु० की कटौती की जाए (प्राथमिक पाठशालाओं में चपरासियों की व्यवस्था करवाने पर बहस करने हेतु) ।

१६०. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८--शिक्षा में १) रु० की कटौती की जाय (प्राथमिक शालाओं को माध्यमिक शालाओं में परिवर्तित करने पर बहस करने हेतु) ।

१६१. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में १) रु० की कटौती की जाय (प्राथमिक शालाओं की व्यवस्था में दौहरा अधिकार (सरकार व पंचायत समिति) है उस पर बहस करने हेतु)]

श्री भैंरोंसिह (किशनपोल जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा नम्बर कब आयगा ? मेरी पार्टी को समय दिया है । मैं बीच में बोल लूं ।

श्री अध्यक्ष : जिस क्रम से हैं । नं० ४ पर आपकी पार्टी के माननीय सदस्य श्री कृष्णकुमार गोयल हैं ।

श्री भैंरोंसिह : टाइम बता दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष : टाइम तो कैसे बताया जा सकता है ? उनसे पहले बोल लें आप ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : On a point of order, Sir, इस तरह का प्रश्न सदन में आना जायज नहीं होगा । आपकी नजर जिस पर पड़ जाय वे बोल लें । सदन में इस तरह का टाइम कभी निश्चित हो सकता है क्या ? सदन मे इस प्रकार की चर्चा कभी सुनी गई क्या ? नहीं ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर): अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८--शिक्षा के सम्बन्ध में मैं अपना कटौती प्रस्ताव सदन के समक्ष रखता हूं ।

अध्यक्ष महोदय, शिक्षा दिन-ब-दिन मंहगी होती जा रही हैं , ट्यूशन फीस दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है और पाठ्य पुस्तकों के अन्दर भी भ्रष्टाचार है । पाठ्य पुस्तकें पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं हैं और पाठ्य पुस्तकों का मूल्य भी दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है ।

शिक्षा का व्यय अनुमानतः १४, ८३, ८४८ हजार रुपया रखा गया है । यानी गत वर्ष से लगभग दो करोड़ रुपया इस मद के अन्दर व्यय विशेष रखने का सरकार विचार करती है । इस धन-राशि का ब्रेक अप इस प्रकार है :

उच्च शिक्षा	१, ५०, ३३,०००)
माध्यमिक शिक्षा	५, ५७, ५८,०००)
प्राथमिक शिक्षा	४, ६४, ३३,०००)
स्पेशल (विशेष) शिक्षा	४५, ५७,०००)

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

तकनिकी शिक्षा	२९, ३२,०००)
सामान्य व्यय	१, ०९, ५२,०००)
(जनरल एक्सपेन्सैज)	

यह प्रावधान बजट मे किया गया है।

उच्च शिक्षा के सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि राजस्थान के अन्दर तीन यूनीवर्सिटीज हैं; एक राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर, जोधपुर यूनीवर्सिटी और तीसरी उदयपुर यूनिवर्सिटी। मैं समझता हूं, इन यूनिवर्सिटीज के अन्दर शिक्षा स्तर दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है इस सम्बन्ध में सरकार को विचार करना चाहिये। इस गिरते हुए स्तर को ऊंचा लाने के लिये कोशिश करनी चाहिये। निष्पक्ष प्रोफेसर्स की नियुक्ति होनी चाहिये जिसमें राजस्थान के प्रोफेसर्स को प्राथमिकता देनी चाहिये। बाहर के प्रोफेसर्स, खास तौर से यू० पी० के यहां पर नियुक्त किये गये हैं उस सम्बन्ध मे सरकार को पुनः विचार करना चाहिए। राजस्थान के प्रोफेसर्स को प्राथमिकता देना मैं समझता हूं परम आवश्यक है।

सदन मे जब भी इस सम्बन्ध में चर्चा होती है, आलोचना होती है तब माननीय मन्त्री महोदय इस सम्बन्ध में कोई विशेष प्रकाश डालना उचित नहीं समझते। मेरी समझ मे यह नीति अनुचित है। इस सम्बन्ध में निष्पक्ष रूप से विचार करना चाहिये। मैं अनुभव करता हूं कि यूनिवर्सिटी की ओटोनौमी रहनी चाहिये। लेकिन इसके साथ-साथ राज्य सरकार को परामर्शदाता के रूप में, एडवाइजरी केपेसिटी में यूनिवर्सिटी के अन्दर अपनी एडवाइस टेन्डर करनी चाहिए और कहीं पर अनियमितता दृष्टिगोचर हो तो उस बारे में यूनिवर्सिटी ऑथोरिटीज का ध्यान आकर्षित करना चाहिए।

मैं समझता हूं यूनिवर्सिटी की शिक्षा अधिकांश में क्लासिफाइड वर्कर्स पैदा करती है। सरकार को इस सम्बन्ध में विचार करना चाहिये। शिक्षा उपयोगी एवं लाभप्रद होनी चाहिये। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसमें आत्म निर्भरता आवे।

अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के भाषण में उल्लेख था कि राजस्थान में चौथी यूनिवर्सिटी भी कायम कर रहे हैं। मैं समझता हूं जहाँ तक प्राच्य शिक्षा एवं संस्कृत का सम्बन्ध है उसके लिये आज जो यूनिवर्सिटी चल रही है उनमें निश्चित तौर से व्यवस्था हो सकती है। यह एक चौथी यूनिवर्सिटी राज्य के अन्दर स्थापित करना मैं उचित नही समझता। एक प्रकार से यह लग्जरी अनावश्यक सी है।

हायर सेकन्डरी स्कूल और कॉलिजों के अन्दर शिक्षा का तारतम्य होना परमावश्यक है। जो विषय हायर सेकन्डरी स्कूल के अन्दर हो वे ही विषय कॉलिजेज के अन्दर होना परमावश्यक है। हायर सेकन्डरी स्कूल जहां स्थापित हो वहां साइन्स, कॉमर्स, एग्रीकल्चर और बायोलोजी का होना परमावश्यक है। कॉलिजेज में केवल आर्ट्स का कोर्स रख दें तो आज के युग के अन्दर हानि विशेष होगी बनिस्बत लाभ के। जहां पर भी कॉलेज स्थापित करें, हायर सेकन्डरी स्कूल स्थापित

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

करें वहां पर साइन्स, बायोलोजी, कॉमर्स श्रौर एग्रीकलचर विषयों का समावेश होना चाहिये। इसके साथ-साथ छात्रों को संतोष मिलना चाहिये, यह परमावश्यक है। अगर आप शिक्षा का क्रम ऐसा रखते हैं जो अधूरा हो तो ये आपके मेजर्स, हाफ हार्टेड मेजर्स से छात्रों में असन्तोष उत्पन्न होना स्वाभाविक है। जहां आप शिक्षा को दिन प्रति दिन महंगी करते जा रहे हैं वहां आपके जो हार्टेड मेजर्स एवं आपकी खोखली नीति है उससे छात्रों में असन्तोष, उच्छृङ्खलता उत्पन्न होना स्वाभाविक है।

डूंगरपुर हायर सैकन्डरी स्कूल में एग्रीकलचर की व्यवस्था थी, वहां पर आर्ट्स कॉलेज स्थापित किया गया। हायर सैकन्डरी के बाद बहुत से छात्र उदयपुर गये, उन्हें उदयपुर में एडमिशन नहीं मिल सका। इसलिये उन्हें वापस आना पड़ा। इसके अलावा बहुत से ऐसे छात्र हैं जिन्हें वहां स्थान नहीं मिलने के कारण शिक्षा छोड़कर नौकरियों को ग्रहण करने के लिये विवश होना पड़ा है।

अन्य स्कूल, हायर सेकन्डरी व मिडल स्कूलों के सम्बन्ध में मैं निवेदन करूंगा, इसके खोलने के सम्बन्ध में सरकार की नीति पक्षपातपूर्ण नीति है। इस सम्बन्ध में जो सरकार की नीति है वह मैं उचित नहीं समझता। डूंगरपुर जिले के वाड़ी के अन्दर सरकार आश्वासन देने पर ४० हजार रुपये लागत से वहां की जनता ने स्कूल भवन का निर्माण करवाया, लेकिन उससे पहले पीट जो उससे दो माइल पास है सीमलवाड़ा उसके अन्दर अचानक ही एक दम हायर सैकन्डरी स्कूल स्थापित किया गया है। बहुत से लोगों का यह विचार है कि इसमें पक्षपात हुआ है क्योंकि सीमलवाड़ा में डूंगरपुर के प्रमुख कांग्रेसी नेता श्री भोगीलाल पंड्या वहां पर रहते हैं; इस कारण सीमलवाड़ा के अन्दर हायर सैकन्डरी स्कूल स्थापित किया गया। लेकिन पीट के अन्दर ४० हजार रुपया खर्च करने के बावजूद भी वहां पर स्कूल स्थापित नहीं किया गया। इससे पीट के लोगों को रोष उत्पन्न हुआ और उन्होंने भूख हड़ताल की और कटुता उत्पन्न हुई। उनके इस आन्दोलन के कारण, अन्ततोगत्वा सरकार बाध्य होकर, यदि मैं यह कहूं कि झखमार कर पीठ में हायर सैकन्डरी स्कूल स्थापित करना पड़ा तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी।

पंचायत समिति बीचीवाड़ा में २५ हजार रुपया खर्च करके स्कूल का बनाया गया, वह इस बात पर कि माननीय मंत्री महोदय ने वहां पर भी यह आश्वासन दिया था कि यहां हायर सैकन्डरी स्कूल खोल देंगे। लेकिन अभी तक वह भवन खड़ा हुआ है और वहां पर हायर सैकन्डरी स्कूल नहीं खोला गया।

माढा के अन्दर दस हजार रुपया खर्च करके स्कूल भवन का निर्माण किया गया है। वह इसलिये कि उनको आश्वासन दिया गया था माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा जब वे वहां गये थे कि इस साल माढा के अन्दर मिडिल स्कूल स्थापित किया जायगा लेकिन भासैड जहां से वन मंत्री महोदय आये हैं वहां स्कूल की व्यवस्था होगई है लेकिन माढा के अन्दर जहां आश्वासन दिया गया था वहां

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

मिडल स्कूल स्थापित नहीं हुआ जो होना चाहिये ।

वनकोड़ा और सावला जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र में है वहां पर हायर सेकन्डरी स्कूल स्थापित किये गये, वहां न साइन्स की व्यवस्था है और न कामर्स की और न एग्रीकलचर की है । इस विषय को इन स्कूलों के अन्दर स्थापित करने से व्यय अधिक होता है तो 'Cut your coat according to cloth;' जहां पर भी आप हायर सेकन्डरी स्कूल की व्यवस्था करें पर्याप्त रूप से करनी चाहिये । इस बारे में आपकी नीति निश्चित रूप से निर्धारित होनी चाहिये ।

मैं यह कह चुका हूं कि शिक्षा महंगी हो रही है, ट्यूशन फीस बढ़ती जा रही है और लोक कल्याणकारी राज्य के अन्दर शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिये ।

कन्या शिक्षा के संबन्ध में मैं कहना चाहूंगा, अगर आप कन्या शिक्षा को प्रोत्साहन नहीं देंगे तो आपकी यह शिक्षा व्यवस्था पर जो कुछ भी भी खर्च हो रहा है यह सत्कार्य किया न किया बराबर होगा । कन्या शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिये देश के भूतपूर्व राज्यों में जो व्यवस्था थी उस पर विचार करके कम से कम जो आप फीस ले रहे हैं उसमें आधी फीस माफ कर देनी चाहिये ताकि कन्या शिक्षा को प्रोत्साहन मिले । जब तक कन्या शिक्षा प्रोत्साहित नहीं होती तब तक मेरे ख्याल में समाज के अन्दर कोई बलशाली व्यवस्था नहीं हो सकती ।

प्राइवेट इन्स्टीट्यूशनों के सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय, गैर सरकारी संस्थाओं के सम्बन्ध में सरकार ने एक करोड़ रुपयों का प्रावधान रखा है । मैं नाम नहीं लेना चाहता । उदयपुर में एक संस्था है, वहां आप सात-आठ लाख रुपया खर्च कर रहे हैं । किस क्वालिटी की शिक्षा वहां दी जा रही है, किस स्तर की शिक्षा दी जा रही है, उसका क्या परिणाम है, कैसे शिक्षार्थी पैदा कर रहे हैं, यह भी आप कुछ सोचेंगे, विचार करेंगे ? यह बिल्कुल एक थोथी स्थिति है, थोथी संस्था है और आपके पिट्ठुओं का पोषण करने मात्र के लिये यह व्यवस्था आपने की है । ऐसा मैं अनुभव करता हूं ।

विगोर विद्यापीठ नाम की संस्था डूंगरपुर में है । इस पर जो भी आप व्यय कर रहे हैं, वह क्रिमिनल वेस्टेज आफ मनी है, बिलकुल फिजूल व्यय है ।

आदिवासी छात्रावासों के सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि उन छात्रावासों के अन्दर भी व्यवस्था ठीक नहीं है । इसकी निष्पक्ष रूप से जांच होनी चाहिये । जो व्यय होता है उसका बराबर ऑडिट होना चाहिये । लाखों रुपया सरकार आदिवासी छात्रावासों पर खर्च करती है और इस सम्बन्ध में उचित रूप से खर्चा हो रहा है या नहीं, आप इस संबंध में जांच करने की कोई चेष्टा नहीं करते । गत वर्ष भी मैंने आपका ध्यान आकर्षित किया था इस ओर और इस बार भी मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं इस ओर ।

इस दुर्व्यवस्था से, अध्यक्ष महोदय, छात्रों

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

के अन्दर रोष है, निराशा है, इनडिसिप्लिन है, उच्छृंखलता है, सुयोग्य नागरिकों में जो गुण आने चाहिये वैसी व्यवस्था नहीं है, जिसकी नितान्त आवश्यकता है और शिक्षा के मूलाधार और लक्ष्य भी ये हीं होने चाहिये ।

मैंने सुना है अध्यक्ष महोदय, कि शिक्षा के सम्बन्ध में शिक्षा स्टेट में हटकर कन्करेन्ट लिस्ट में लिये जाने की बात चल रही है । मैं इसका स्वागत करता हूं । इससे देश भर में यूनीफॉर्मिटी आवेगी समाज और देश के लिये यह हितकर होगा । मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि यदि यह बात सही है, इसमें कुछ तथ्य है तो सरकार को चाहिये कि इस बात का स्वागत करे और समर्थन करे ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षा विभाग राजस्थान में खर्चे की दृष्टि से एक इतना बड़ा विभाग है जिसकी तुलना में दूसरा विभाग नहीं आता । इस विभाग का सम्बन्ध यूनिवर्सिटी से चलकर प्राइमरी स्कूल के लेवल तक १८ लाख विद्यार्थियों में है । १८ लाख विद्यार्थियों में लगभग ६ लाख प्राइमरी स्कूलों में हैं । प्राइमरी स्कूलों का सवाल राजस्थान के लिये और खास तौर से राजस्थान की जनता के लिये तो एक इतना बड़ा सिरदर्द बन गया है कि उस सिरदर्द का प्रभाव राजस्थान की सरकार पर पड़ा या नहीं पड़ा, लेकिन ग्रामीण जनता पर इसका निश्चित रूप से प्रभाव पड़ता जा रहा है ।

अध्यक्ष महोदय, इस प्रभाव के कुछ कारण हैं । पहला कारण तो यह है कि राज्य सरकार प्राइमरी स्कूलों को जितना महत्व देना चाहिये, उतना महत्व नहीं देती और इसलिये नहीं देती वह भी कि वह यह समझ कर चलती है कि प्राइमरी स्कूलों की शिक्षा एक ऑटोमैटिक व्यवस्था है । लोग आपने आप पढ़ेंगे और पढ़कर मिडिल स्कूल, हाई स्कूल या हायर सैकण्डरी स्कूल में आ जावेंगे ।

पर इस ऑटोमैटिक व्यवस्था का जो प्रभाव पड़ता है उसका मूल्यांकन हम केवल प्राइमरी स्कूलों, मिडल स्कूलों, हाई स्कूलो और हायर सैकण्डरी स्कूलों के परीक्षा परिणामों मे लगा सकते हैं । प्राइमरी स्कूलो का परीक्षा परिणाम गिरता जा रहा है । ५५-५६ में यह ६० प्रतिशत था । ६० प्रतिशत पास होते थे । ६०--६१ में यह ८६ प्रतिशत हो गया, और ६१--६२ में ८५ परसेन्ट हो गया, और ६२--६३ में यह प्रतिशत गिरता गिरता ८४ प्रतिशत तक आ गया । इन स्कूलों में सात परसेन्ट टीचर ट्रेण्ड एक अध्यापक पर ३३ लड़कों का भार औसतन रूप से आता है । इन सबके बावजूद यदि हम इस बात की जांच करना चाहें कि विद्यार्थियों का स्तर, क्वालिफिकेशन के रूप में क्यों गिरता जा रहा है तो इसकी सही दशा हाई स्कूलों और हायर सैकण्डरी स्कूलों के रिजल्ट से आप देखेंगे जो लगभग ५४ परसेन्ट के करीब आता है ।

५४ परसेन्ट में यदि अन्दाज लगायें तो पता लगेगा कि निश्चित रूप से राजस्थान में हाई स्कूल और हायर सैकण्डरी स्कूल में

Page No.65

(श्री भैरोंसिंह)

इम्तिहान देने वाले दो लाख स्टूडेन्ट्स होते है, उनमें उनके अनुमान से जो फेल होते हैं उनकी संख्या १.२० लाख के करीब आती है। अब इससे अन्दाजा यह लगता है कि प्राइमरी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की पढाई अच्छी होती, मिडिल स्कूल में पढाई अच्छी होती तो इसका परिणाम निश्चित रूप से हाई स्कूल और हायर सैकण्डरी स्कूलों की परीक्षाओं पर अच्छा पड़ता। आज खेद की बात है कि राजस्थान के दो सवा दो लाख विद्यार्थी हाई स्कूलों और हायर सैकण्डरी स्कूलों की परीक्षाओं में हर साल बैठें और उनमें से १ लाख के लगभग का जीवन इसलिये खराब हो जावे कि उनको प्राइमरी स्कूलों में, मिडल स्कूलों में जिस प्रकार की शिक्षा मिलनी चाहिये थी, वह नहीं मिली।

मैं राजस्थान सरकार से कहना चाहूंगा कि आपकी अव्यवस्था के कारण या आपकी अदूरदर्शिता के कारण आज राजस्थान के लाखों विद्यार्थियों का जीवन, उनका अमूल्य समय, उनके माता-पिताओं का उनकी शिक्षा पर किया गया खर्चा, उनकी एनर्जी का सबका वेस्टेज हो रहा है। इस अदूरदर्शिता के अन्दर सबसे प्रमुख चीज आती है तीन; पहली किताब, दूसरी अध्यापक, और तीसरा स्थान।

जहां पर अध्यापकों का सवाल आता है अध्यक्ष महोदय, मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमने प्राइमरी स्कूलों की व्यवस्था पंचायत समितियों के हाथ में दे दी। पंचायत समितियों में जब से ये स्कूलें गईं, तब से उनका रिजल्ट गिरता गया। हाईस्कूलों और हायर सैकण्डरी स्कूलों के रिजल्टों में इसका बुरा परिणाम देखने को मिला। आप मानें या न मानें, यह निर्विवाद सत्य है कि आज की प्राइमरी स्कूल का अध्यापक अध्यापक नहीं रह गया है बल्कि पोलिटिकल एजेण्ट बनकर रह गया है। वह आज गांवों में सरपंच का गुलाम बन कर रह गया है, पंचायत समिति का गुलाम है, एस. डी. ओ. का गुलाम है, बी. एल. डब्लू. का गुलाम और पंचायत के पंचों का गुलाम है। एक अध्यापक आज इन्डिपेन्डेन्टली शिक्षा को लेकर, शिक्षा के उच्च आदर्श को लेकर गावों में अध्यापक के रूप में आदर्श अध्यापक बनने की कोशिश कर सकता था उसकी वह सारी कोशिश समाप्त कर दी गई। आज उसके उस काम में पोलिटिकल इन्स्टीट्यूशन्स आ गईं। आज जिस शिक्षा के उच्च आदर्श को लेकर एक आदर्श अध्यापक बनने की उसकी कोशिश के बीच इन पोलिटिकल संस्थाओं के कारण इतनी बाधाएं उपस्थित हो गई हैं कि जिनका भयंकर परिणाम आज हमें भोगना पड़ रहा है। पर यह नतीजा भुगतने के बाद भी इसे दूर किस प्रकार से किया जा सकता है, इसके बारे में कोई कार्यवाही करने की स्थिति में यह सरकार नहीं है। यह इस बारे में भी कुछ नहीं करना चाहती। आज इसका परिणाम है हमारे मन्त्री लोग, हमारे बड़े बड़े सरकारी अधिकारी लोग, पूंजीपति लोग और जिनकी आमदनी अच्छी है वे लोग अपने बच्चों को आज किसी भी सरकारी प्राइमरी स्कूल में नहीं भेजते। या तो सैन्ट जेवीयर, या जितने क्रिश्चियन स्कूल्स हैं उनमें पढ़ाने को भेजते हैं, या जितने

Page No.66

(श्री भैरोंसिंह)

भी मॉन्टेसरी स्कूल हैं उनमें अधिक खर्चा देकर भेजते हैं। जहां इस प्रकार का वेरिएशन इस बात का संकेत करता है कि आज का शिक्षित वर्ग, आज का धनिक वर्ग जिसमें सरकारी अधिकारी और मन्त्री भी शामिल हैं, इस चीज को महसूस करने लगे हैं कि प्राइमरी स्कूलों में शिक्षा की दृष्टि से अच्छा स्तर नहीं लाया जा सकता है इसलिये उनमें अपने बच्चों को न पढ़ाकर हमे चाहिये कि दूसरी प्रकार की स्कूलों में पढ़ाएं। वहां आज इस बात की भी जरूरत है कि इसे एक गम्भीर प्रश्न समझकर इस पर अविलम्ब विचार किया जाय।

जहां तक पंचायत समिति के अध्यापकों का सवाल है, वे आज राजस्थान में अल्प वेतन के कारण, बाकी के कर्मचारी ठीक हो सकते हैं; पर राजस्थान का अध्यापक, प्राइमरी स्कूल का अध्यापक राजस्थान में सबसे ज्यादा एक दुखी वर्ग है जिसकी सहायता करने के लिये सरकार किसी भी प्रकार से तैयार नहीं है। मैं सरकार से साफ तौर से कहना चाहूंगा कि हमने पंचायत समितियों को अधिकार दिये हैं, वे अधिकार वापिस उनसे ले लेने में आपको किसी प्रकार का संकोच नहीं करना चाहिये अगर आप सच्चाई से इस समस्या का अविलम्ब हल निकालना चाहते हैं तो। बल्कि पंचायत समिति के अन्तर्गत आनेवाली समस्त स्कूलों को हमें सरकार के इन्सपेक्टरों के नीचे इन्सपेक्टरेट में ले आना चाहिये ताकि उनके ऊपर आज जो मल्टीप्लाई ऑथोरिटी काम कर रही है उससे वे बच सकें और शिक्षा के स्तर को ऊंचा बनाने में, प्राइमरी स्कूल के बच्चों का जीवन सुधारने में उनका भविष्य सुधारने में तन्मय होकर जुट सकें, निश्चिन्त होकर लग सकें; लेकिन बदकिस्मती ऐसी है कि हमारी सरकार इस ओर कदम उठाने के लिए तैयार नहीं है। आप किसी भी पंचायत समिति में चले जाइये और वहां जाकर टीचर्स को बुला लीजिए और उनसे पूछिये कि आपकी दिक्कतें क्या हैं। उनके फ्रिक्वेन्ट ट्रान्सफर्स होते हैं, बिना कारण ट्रान्सफर्स होते हैं, एक एक साल में तीन-तीन और चार-चार बार ट्रान्सफर्स हो जाते हैं, पनिशमेन्ट उनको मिल जाते हैं, छुट्टियां उनको मिलती नहीं हैं और भविष्य में वे किसी प्रकार का कोई इम्तिहान देना चाहें तो उसके लिए उनको परमीशन मिलती नहीं है। सबका बुरी तरह से पोलिटीकल विक्टीमाईजेशन होता है। सरकार को चाहिए कि वह तुरन्त परिवर्तन करे कि जो अध्यापक बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं वह उनको सुविधायें मिलें जो कि दूसरे बाकी के अध्यापकों को मिलती हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, उप-मंत्रीजी ने सदन में एक बार नहीं अनेक बार इस बात का विश्वास दिलाया है कि जो पंचायत समितियों में टीचर्स गये हैं उन टीचर्स का किसी प्रकार से भी विक्टीमाइजेशन नहीं किया जायेगा। इस संबंध में यह भी व्यवस्था हुई थी कि पंचायत समितियों के टीचर्स, मिडल स्कूल के टीचर्स, हाई स्कूल के टीचर्स इनकी एक इन्टरसी सीनियोरिटी लिस्ट बनाई जायेगी और उसके आधार पर उनको प्रमोशन्स मिलेंगे। मैं शिक्षा उप-मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि आप पिछले दो वर्षों से इसका

Page No.67

(श्री भैरोंसिंह)

आश्वासन देते आये हैं, आपके मंत्री महोदय पिछले दो वर्षों से इसका आश्वासन सदन को देते आये हैं लेकिन आज तक किसी भी इन्सपेक्टोरेट ने इन्टरसी सीनियोरिटी की लिस्ट कम्प्लीट की हो, उसके आधार पर प्राईमरी स्कूल्स के टीचर्स को प्रमोशन दिया हो, ऐसा प्रतीत नही होता।

अध्यक्ष महोदय, बदकिस्मती यह है कि हमारे राजस्थान में ६ डाइरेक्टर्स, ६ एडीशनल डाइरेक्टर्स, २ सैक्रेटरीज, २ डिप्टी सैक्रेटरीज, एक मंत्री और एक उप-मंत्री हैं। इतना बड़ा विभाग, इतनी बड़ी अधिकारियो की संख्या और इन अधिकारियों के होने के बावजूद भी आज यदि उनके इन्सपेक्टर्स कहना नहीं मानते, डाइरेक्टर्स कहना नही मानते, डिप्टी डाइरेक्टर्स कहना नहीं मानते तो यह दोष विधान सभा का नही है, यह दोष जनता का नहीं है, यह दोष सिर्फ आपकी अयोग्यता का है, आपकी अकर्मण्यता का है। मैं यह शब्द प्रयोग करूंगा और माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि आप बाकी के धंधों को छोड़ दें और टीचर्स की इन्टर-सी सीनियोरिटी लिस्ट बनाने के लिए कोई टार्गेट डेट फिक्स-अप कर दें और डाइरेक्टर को कह दें कि इस समय तक यह लिस्ट तैयार नहीं होती है, उसके आधार पर प्रमोशन्स नहीं होते हैं तो डाइरेक्टर से लेकर एस० डी० आई० तक जो भी इसके लिए रेस्पोन्सीबल ठहराये जा सकते है उन सबके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाये।

जहां तक बाकी के टीचर्स का प्रश्न आता है यह हमारे लिए बड़े शर्म की बात है कि अध्यापको की बकाया लगभग १६ लाख रुपये की है। इस बात का आश्वासन हमारे माननीय उप-मंत्री महोदय और मंत्री महोदय बार बार देते आये हैं कि उनकी बकाया की रकम का भुगतान किया जायेगा और शीघ्र किया जायेगा लेकिन वह आज दिन तक उस आश्वासन की पूर्ति नहीं कर सके। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि मंत्री जी या उप-मंत्री जी दोनों कह दें कि हम अपने नीचे के अधिकारियों से काम नहीं ले सकते, हम इस बात के लिए सक्षम नहीं हैं कि उनको आज्ञायें देकर बकाया रकम का भुगतान करा दें और यदि वह अपने आप में अपने को काबिल मानते हैं और इसके कहने के लिए तैयार नहीं है तो मैं क्या यह समझूं कि वह योग्य होने के बावजूद भी अपने डाइरेक्टर्स से काम नहीं ले सकते? मैं सरकार से पूछना चाहूंगा कि मंत्री महोदय के इतने आश्वासनों के बावजूद यदि इस प्रकार की रकम बाकी है तो उसके कारण आपने कोई मालूम किये हैं कि उसके लिए जिम्मेदार कौन है? आपने इसके लिए किसी अधिकारी को सजा दी है क्या? क्या आपने कभी जांच की कि इस संबंध में कागज कहां और कितने दिनों तक रखे रहते हैं? आपने ये सारी बातें कभी मालूम करने की चेष्टा नही की। आपने तो सिर्फ सदन को आश्वासन दिया और जितने भी अध्यापक हैं उनकी बकाया के संबंध मे कोई भी कार्यवाही नहीं की। इसलिए उप-मंत्री जी मैं आपके ऊपर चार्ज लगाता हूं कि आपकी अयोग्यता के कारण से आपकी ही असक्षमता के कारण से १६ लाख रुपये अध्यापकों के खाये बैठे हैं। उनके पैसे खाकर बैठे हैं जो कि १८ लाख विद्यार्थियों का जीवन

(श्री भैरोंसिंह)

सुधारने के लिए आदर्श अध्यापक बनाने की चेष्टा कर रहे हैं। आप उनको ग्रेड-इन्क्रीमेन्ट नहीं देते हैं, ग्रेड इन्क्रीमेन्ट आप रोक लेते हैं, विदहैल्ड कर लेते हैं। जिस समय इन्सपेक्टर की इच्छा होती है जो कि एक ऑटोमेटिक सिस्टम है उससे दूर जाकर जिस समय भी इन्सपेक्टर की इच्छा होगी उस समय ग्रेड इन्क्रीमेन्ट दिया जायेगा। अगर दे भी दिया तो उनका इम्प्लीमेन्टेशन नहीं होगा, एरियर्स एक्यूमुलेट होते जायेंगे और वह एरियर्स काफी संख्या में पहुंच जायेंगे। उस समय अध्यापक से कहा जायेगा कि कितना परसेन्टेज हमको देते हैं, फिर वह परसेन्टेज फिक्स-अप होगा। उसके बाद में यदि कोई ग्रेड-इन्क्रीमेन्ट की रकम मिल जाये तो यह उसके सौभाग्य की बात है। मैं उप-मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आपने कोई इसकी जांच की कि आपके इस ऑटोमेटिक सिस्टम में कितने अध्यापकों को ग्रेड इन्क्रीमेन्ट मिलना चाहिए था और कितनों को नहीं मिला और यदि नहीं मिला तो उसके रीजन्स क्या हैं? जिनको देना चाहिए था उनको क्यों नहीं दिया गया? आपकी तरफ से इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं हो रही है।

मैं तो ऐसा कहना चाहता हूं कि १९४७ और ४८ के समय के बी० टी० सी० के अध्यापक जो कि अण्डर ट्रेनिंग थे उनका उस समय का ही ग्रेड चलता आ रहा है और आज ६४ है, आप अभी तक बी० टी० सी० के अध्यापकों का मामला तय नहीं कर पाये। १९४७ में हिन्दुस्तान का विभाजन हुआ उस समय पाकिस्तान से अध्यापक हिन्दुस्तान में आये और उसके फलस्वरूप कुछ हमारे राजस्थान में भी आ बसे। आज सरकार के लिए शर्म की बात है कि पाकिस्तान से जो अध्यापक हिन्दुस्तान में आये आप उनको पे भी फिक्स नहीं करवा सके और उनके भुगतान का एरियर भुगतान नहीं करवा सके। हमारे यहां जब स्टेट्स का इन्टीग्रेशन हुआ उस समय सुनेल-टप्पा का हिस्सा भी राजस्थान में मिला। आज बदकिस्मती यह है कि वहां के अध्यापकों को राजस्थान की सर्विस में जिनका इन्टीग्रेशन होना चाहिए था आज तक इन्टीग्रेशन नहीं हुआ। आप फिर यहां किसलिए बैठे हैं? आपके डाइरेक्टर्स, डिप्टी डाइरेक्टर्स, सचिव और उप-सचिव किसलिए बैठे हैं।

अब मैं रिजल्ट की तरफ आता हूं। २३ प्रकार की परीक्षाएं हमारे यहां होती हैं। इनमें सन् १९५५-५६ से लेकर ६२-६३ तक रिज़ल्ट गिरता जा रहा है और केवल ८ परीक्षायें ऐसी हैं कि जिनमें कम लड़के आये। लड़कों की जिम्मेदारी आपके ऊपर जाती है। उन परीक्षाओं के अन्दर हमारा स्टेन्डर्ड बढ़ा है, परसेन्टेज बढ़ा है लेकिन २३ प्रकार की परीक्षाओं के अन्दर लगातार रिज़ल्ट की कमी आई है। आप लड़कों की संख्या बढ़ा सकते हैं। आप प्राइमरी स्कूल, मिडल स्कूल, हाई स्कूल और हायर सैकेन्डरी स्कूल्स की संख्या बढ़ा सकते हैं लेकिन आपने कभी इस बात का विचार किया कि सरकार का काम केवल संख्या बढ़ाना ही नहीं है। सरकार का काम उसकी क्वालिटी को भी बढ़ाना है। क्वालिटी हमारी बढ़ी नहीं है और इस चीज को हमारे मंत्री महोदय ने स्वीकार किया कि चित्तौड़ के सैनिक स्कूल

Page No.69

(श्री भैरोंसिंह)

में हमारे स्थान खाली रहते हैं और इसलिए रहते हैं कि एक तो हम लड़कों को छात्रवृत्ति नहीं दे पाये और इसलिए भी रह जाते हैं कि हमारे स्टूडेन्ट्स का स्टेन्डर्ड पंजाब और दूसरे प्रदेशों का जो स्टेन्डर्ड है उसके मुकाबिले में नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मुझे शर्म आई जिस समय उप-मंत्री जी ने इस सदन को सूचना दी कि राजस्थान का स्टेन्डर्ड पंजाब के मुकाबिले का नहीं है।

मैं पूछना चाहता हूं कि इस गिरती हुई हालत में राजस्थान के विद्यार्थियों का स्टेन्डर्ड पंजाब और यू० पी० के विद्यार्थियों के स्टेन्डर्ड पर लाने के लिए हमारी राज्य सरकार ने क्या कोशिश की ? चाहिए यह था कि हमें चित्तौड़ सैनिक स्कूल के अन्दर जितने स्थान मिलते हैं उनकी पूर्ति करते। ६२ स्थान इसलिए खाली रह गये कि हमारे यहां लड़के नहीं थे और छात्रवृत्ति नहीं दी गयी। राजस्थान की ६२ सीट्स खाली रह जाती हैं और पंजाब का एक स्थान भी खाली नहीं रहता है। राजस्थान मिलिट्री पाइन्ट ऑफ व्यू से बहुत ही आदर्श जगह रही है। लेकिन सरकार की इस सारी कमजोरी के कारण, सरकार की इस एडमिनिस्ट्रेटिव इन एफीशियेन्सी के कारण, सरकार के फाइनेन्स का बहाना लेने की आदत से, आज राजस्थान को वह गौरव प्राप्त नहीं है और राजस्थान शर्म के साथ कहता है कि सैनिक स्कूल के अन्दर भर्ती के लिए जिस स्टेन्डर्ड के लड़के चाहिएं वे हमारे यहां नहीं हैं।

(१०.०० म० पू०)

आवश्यकता तो यह थी कि आज आप झुंझुनू जैसे स्थान के अन्दर एक सैनिक स्कूल और खोलते। मुझे निवेदन करते हुए बड़ा दुःख होता है कि भारत सरकार राजस्थान में दूसरा स्कूल खोलने को तैयार है। उसने झुंझुनू का स्थान तय किया है, लेकिन राजस्थान सरकार कहती है कि हम दूसरा सैनिक स्कूल नहीं खुलवा सकते हैं, तो किसलिए ? यह मैं पूछना चाहता हूं। आज देश में एमर्जेन्सी की हालत है। हमें अच्छे मिलिट्री ऑफिसर्स की आवश्यकता है। आप दूसरा स्कूल नहीं खुलवा सकते है तो इससे ज्यादा और क्या बड़ी बदकिस्मती हो सकती है ?

मैं समझता हूं कि हमारी राज्य सरकार तो इन चीजों को नहीं देखती है। हमारी सरकार तो १ से ५ वीं तक क्लास तक के लड़के किस संख्या में पहुंच गये हैं, ५ से ८ वीं क्लास तक की संख्या कितनी बढ़ी है, और ६ से १० तक के अन्दर कितनी संख्या बढ़ी है, यह तो टार्गेट्स को लड़कों की संख्या से लेकर चलते हैं। इस संख्या को लेकर भी यदि हम टारगेट्स लेते हैं तो वह भी पूरा नहीं हुआ है। इसको गवर्नर महोदय ने स्वीकार किया है। गवर्नर महोदय ने स्वीकार तो किया लेकिन माननीय उप-मंत्रीजी को यह भी मालूम होना चाहिए कि संविधान के डाइरेक्टिव प्रिन्सीपल्स के आधार पर १० वर्ष के अन्दर कम्पलसरी प्राइमरी एज्यूकेशन लागू कर देना चाहिए। आज १० वर्ष के बाद १३ वर्ष निकल गये और इसके बाद भी हमारी सरकार इस स्थिति मे नहीं है कि जो कान्स्टीट्यूशन के अन्दर डाइरेक्टिव

(श्री भैरोंसिंह)

प्रिन्सीपल्स थे उन प्रिन्सीपल्स को राजस्थान में एगजीक्यूट कर पाये। वह किसी तरह से नहीं कर सकती है और क्यों नहीं कर सकती है, क्योंकि उसके दिमाग के अन्दर है कि प्लान के अन्दर जो भी रुपया है उस रुपये को खर्च किया जाय और खर्च करने के साथ साथ लड़कों का नम्बर बढ़ाया जाय। नम्बर बढ़े इससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन नम्बर के मुकाबले में क्वालिटी बढ़े यह बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके लिए कोई प्रयास नहीं किया जाता।

वैसे जो टेक्स्ट बुक्स बच्चों के लिए दी जाय उनकी कीमत कम हो, वे अच्छी हों और ऑथर्स को रिलीफ मिले। इन तीनों बातों को लेकर हमने किताबों का राष्ट्रीयकरण किया। उससे आज यही तीनों बातें पूरी नहीं होती हैं। और जो किताबें हैं उन किताबों के सम्बन्ध में, अध्यक्ष महोदय, अधिकांश लोगों का यह मत है कि बच्चों के दिमागों के अन्दर, बच्चों के दिमाग जिस प्रकार की शिक्षा प्राप्त करें उतना करने का जो जरिया है उस जरिये के अनुकूल यह किताबें नहीं हैं। हिन्दुस्तान के अच्छे अच्छे एमोनेन्ट राइटर्स ने राजस्थान सरकार को लिखा है कि आपकी किताबें उनके अनुकूल नहीं हैं। किताबें समय पर नहीं मिलती हैं। जब किताबें बुकसेलर्स के पास नहीं मिलेगी तो एक विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी के पास जा कर पढ़ने की कोशिश करता है। हम सस्ती किताबें नहीं दे सकते हैं। पिछले वर्ष जो नेशनेलाइज्ड टैक्स्ट बुक्स की कीमतें बढ़ी हैं किताबों की कीमतें बढ़ा दी लेकिन क्वालिटी घटती जाय और किताबें समय पर नहीं मिलें इसलिए नेशनेलाइज किया जाय। नेशनेलाइजेशन के जो प्रिन्सीपल्स थे उन प्रिन्सीपल्स के आधार पर नेशनेलाइजेशन के एचीवमेंट को यदि हम देखना चाहें तो मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूं कि अभी तक हमने ५ पर्सेन्ट भी एचीवमेंट नहीं किया है। हर साल तो किताबें बदलती हैं इस मंहगाई के जमाने में। हर साल किताबें बदली जायं इसको कोई अच्छा नहीं समझता है। एक तो किताबों का भार इतना बढ़ा दिया है कि व्यक्ति पर इतना मेन्टल प्रेशर रहता है कि इस किताब को पढ़ें कि उस किताब को। इस मेन्टल प्रेशर के कारण लड़के तैयार नहीं हो पाते हैं, क्वालिटी अच्छी नहीं इसलिए लड़के तैयार नहीं हो पाते हैं और किताबें मंहगी कर दी है, तो किताबें मंहगी बनने के कारण हर साल लोग खरीद नहीं सकते। तो इनका असर लोगो की शिक्षा की क्वालिटी पर निरन्तर पड़ता जा रहा है। सरकार इसको करने को तैयार नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार को यह मालूम होगा कि राजस्थान के अन्दर स्कूलों के जितने एकाउन्ट्स हैं उनकी जांच लोकल ऑडिट फण्ड के द्वारा की जाती है और वे रिपोर्ट देते हैं। उन रिपोर्ट्स को यदि कोई देखे तो माननीय उप-मंत्रीजी ने आज के कुछ दिन पहले इस सदन में यह कहा था कि स्कूलों के फण्ड के बारे में हमारे पास शिकायतें नहीं आई हैं। तो माननीय उपमंत्री जी को मैं यह कहना चाहूंगा कि शिकायतें आपके पास न आवें या सदन में कोई माननीय सदस्य नहीं रखें तो इसका मतलब

Page No.71

(श्री भैरोंसिंह)

यह नहो है कि शिकायतें नहीं हैं। लोकल फण्ड ऑडिट रिपोर्ट्स पेश हुई हैं और उन रिपोर्ट्स को यदि आप देखें तो पता लगेगा कि सारी रिपोर्ट्स में मिला कर लगभग एक लाख रुपये का जो स्टूडेन्ट्स फण्ड था उसका मिसयूज किया गया है, उन पर आज तक एक्शन क्यों नहीं लिया गया? आप कहते हैं कि लड़कों से छात्रवृत्ति (ट्यूशन फी) नहीं लेते हैं तो छात्रवृत्ति का नाम बदल कर इस प्रकार की नई फीसें लगा दीं जिनसे कि एक विद्यार्थी के ऊपर आर्थिक संकट पैदा होता है। उन आर्थिक संकटों को ढोते हुए, साहसपूर्वक उसका सामना करते हुए विद्यार्थी उसको जमा कराता है, लेकिन उस फण्ड का दुरुपयोग होता है।

स्कूल के अन्दर मैं समझता हूं कि एज्यूकेशन डिपार्टमेंट ऐसा है जो कि पैसों से डील विद नहीं करता है, जिसके पास में उद्योग नहीं है, जिनका सिर्फ वेतन से सम्बन्ध है, जहां खरीद-फरोख्त की ज्यादा व्यवस्था नहीं है, उस एज्यूकेशन डिपार्टमेंट के अन्दर लगभग, अध्यक्ष महोदय, इसी रिपोर्ट के आधार पर मैं यह कह सकता हूं कि इसमें करीब तीन लाख रुपये का गबन हुआ है। तीन लाख रुपये का गबन! आज उपमंत्री महोदय से यह कोई पूछे कि शिक्षा विभाग में इस तरह के गबन की आवश्यकता क्या थी? तीन लाख रुपये का गबन हो जाय शिक्षा विभाग में, उसके अन्दर स्टूडेन्ट्स फीस का गबन हो जाय तो राजस्थान सरकार के लिए बहुत ही शर्म की चीज है, लेकिन राजस्थान सरकार को ऐसा लगता है शर्म से नफरत हो गई है। वह करना जानती है, लेकिन जान बूझकर यह महसूस करती है कि जो चिन्ता होनी चाहिए वह चिन्ता किसी प्रकार की नहीं है।

राजस्थान में बोगस संस्थाएं कितनी हैं इसका मैं उल्लेख नहीं करता हूं, लेकिन शिक्षा विभाग में इन सारी चीजों को देखने के लिए, अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि यहां पर ९ डाइरेक्टर्स हैं। आजकल एक डाइरेक्टर की चर्चा बहुत जोरों से निकलती है। वह डाइरेक्टर कौन है? ऑफिस ऑफ दी डाइरेक्टर सेन्ट्रल एज्यूकेशन स्टोर्स, एस० एम० एस० हाईवे, जयपुर। डाइरेक्टर महोदय क्या करते हैं कि उन्होंने एक लिफाफा छपाया है, ऑल इंडिया जनरल एज्यूकेशन बोर्ड, जयपुर, राजस्थान। ऐसा लगता है कि कोई सरकारी मद है। वे क्या क्या परीक्षाएं लेंगे उन परीक्षाओं का नाम नहीं, परीक्षा-शुल्क क्या होगा, नाम नहीं। परीक्षा शुल्क देकर परीक्षा की तिथि भेज देते हैं और उसके कारण शुल्क ले लिया जाता है और लोग इस मुगालते में हो जाते हैं कि जिस प्रकार की हैड लाइन्स इस विभाग की है यही सरकारी विभाग की है। इसकी सरकार के मंत्री को जानकारी हो या सरकार के अधिकारियों को जानकारी है, लेकिन आज इस प्रकार के बोगस डाइरेक्टर्स और इस प्रकार की बोगस इन्स्टीट्यूशन्स राजस्थान में पनपती रहती हैं और राज्य सरकार सोई हुई उन कागजों को दबा कर बैठी हुई है या तो यह कह दें कि हमारा इन्ट्रेस्ट है या यह कह दें कि ९ डाइ-

(श्री भैरोंसिंह)

रेक्टर्स से काम नहीं चलता है और सरकारी तौर से ९ से ज्यादा डाइरेक्टर्स नहीं बढ़ा सकते हैं इसलिए प्राईवेट रूप से डाइरेक्टर्स बढ़ाने का काम लिया है और जनता को ठगने की हमने उन लोगों को छूट दे दी है।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि इस विभाग के अन्दर जहां तक परचेज़ेज़ का सवाल है। माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के समय मैंने कुछ परचेज़ेज का उल्लेख किया था तो माननीय उपमंत्रीजी ने कह दिया कि एन्टी-करप्शन डिपार्टमेंट से जांच करवाई जायगी। जांच करने के बाद जो गलती पाई गई खरीद की, उस चीज को तो रोक दिया लेकिन मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि आपने खरीद की कार्यवाही को तो रोक दिया लेकिन जिन लोगों ने गलती की है उनके खिलाफ़ क्या एक्शन लिया गया? बीकानेर का इन्सपेक्टर, चूरू का इन्सपेक्टर, गंगानगर का इन्सपेक्टर, पंजाब की दो फर्म्स हैं उनसे ही लगातार सामान खरीदे जाते हैं। टेन्डर्स किसी प्रकार से मिसचीवियस वे में मंगा कर और उन टेन्डर्स के कारण केवल उन दो फर्म्स को ही प्रायोरिटी मिल जाय, इस प्रकार से मिल कर व्यवस्था की जाती है। पिछले साल के पर्चेजेज़ में तीनों इन्सपेक्टोरेट ने ऐसा किया है। उनके कागज़ मेरे पास हैं लेकिन समय के अभाव में उनका जिक्र नहीं करना चाहूंगा। मैं माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि कम से कम खरीद के मामले को लेकर खरीद स्टूडेन्ट्स फण्ड से करता है। इस खरीद पर सरकार का ध्यान भी नहीं है, कोई तो व्यवस्था इस बात की करें कि उस व्यवस्था के आधार पर इस फण्ड का दुरुपयोग न हो और परचेजेज़ ठीक ढंग से हो जायं।

आपके यहां गुलाल के नाम से खरीद की जाय। २६ जनवरी को गुलाल खरीदी जाय। उसके एकाउन्ट्स तैयार कर दिये जायं और बोगस फर्म के वाउचर्स लिख दिये जाते हैं। इतना ही नहीं, अध्यक्ष महोदय, ये खरीद के मामले छोटे नहीं हैं। ऐसे मामले पहले भी विधान सभा में आये लेकिन सरकार ने उन अध्यापकों या उन अधिकारियों के खिलाफ जो परचेजेज़ के लिए रेस्पोन्सिबल हैं उनके खिलाफ किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया। मैं इसलिए कहना चाहूंगा कि इधर तो यह व्यवस्था है कि विभाग किसी प्रकार की बचत नहीं कर सकता और उधर दूसरी व्यवस्था यह चल रही है। अध्यक्ष महोदय, कि जितना पैसा हमने कट किया उसका क्या कर रहे हैं? हमने अभी व्यवस्था इस बात की कि जो एग्ज़ामिनर्स हैं उनको जो फीस दी जाती है कापियां जांचने की, उसमे से २५ परसेन्ट रुपया डिफेन्स फंड के नाम से ले लिया है। जो इस तरह का उनका पैसा होता है उसके लिये सर्क्यूलर इश्यू किया है कि उनके पैसे में से २५ परसेन्ट कटौती कर ली जाय। पिछले वर्ष भी आपने इसी तरह की कटौती की थी लेकिन उनके बॉड्स अभी तक आपने उनके पास नहीं भेजे हैं और दुबारा आपने इस प्रकार का फिर सर्क्यूलर इश्यू कर दिया है।

मैं यहां निवेदन करना चाहता हूं प्राइवेट एडेड इन्सटीट्यूशन्स हैं उनके बारे में। उनके द्वारा आपके कार्यालय से जो हुक्म निकलते हैं उनको नहीं माना जाता है। मंत्री महोदय

(श्री भैरोंसिंह)

के हुक्म को नहीं माना जाता है, उप मंत्री महोदय के हुक्म को नहीं मानाजाता है और उसके बावजूद भी ऐसे इन्सटीट्यूशन्स को ग्रान्ट-इन-एड़ दी जाती है । लगभग ढाई करोड़ रुपयों के युटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स नहीं मिले हैं। इनमें अध्यापकों की नियुक्ति का स्टेन्डर्ड नहीं है । अध्यापकों के पी. एफ. का हिसाब नहीं है, पेन्शन का पता नहीं है, अध्यापकों की ग्रेच्युटी का हिसाब नहीं है। इन सब के बारे में हमारी सरकार प्राइवेट और एडेड इन्सटिट्यूशन्स के लिये किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं कर रही है।

उप-मंत्री महोदय ने कहा था कि इस विभाग के लिये एज्युकेशन कोड बनाया है लेकिन वह भी सेक्रेटेरियट से गायब हो गया। पता नहीं कैसे गायब हो गया। मैं कहना चाहता हूं कि वह गायब नहीं हुआ बल्कि गायब करवाया गया है । सरकार के सचिवालय से कागज गायब नहीं हुआ करते लेकिन गायब करवाये जाते हैं। एज्युकेशन कोड गायब हो गया तो क्या दूसरा नहीं बनाया जा सकता था ? उप मंत्री महोदय जानते होंगे कि यहां एक सुबोध हायर सैकन्ड्री स्कूल है जिसके प्रिन्सिपल हायर सैकन्ड्री बोर्ड के मेम्बर हैं। उनको डाइरेक्टोरेट से ऑर्डर दिये गये थे कि वहां के एक अध्यापक श्री जैन को नौकर रख कर निकाल दिया था उसको वापिस रीइन्स्टेट किया जाय, लेकिन उन्होंने डाइरेक्टर के ऑर्डर की अवहेलना की। उसके बावजूद भी इस इन्सटिट्यूशन को सहायता मिलती है। इतना ही नहीं आज ऐसे लोगों को बोर्ड में रखा जाय जो लड़कों को लेक्चरार बना कर लोन लेने की कार्यवाही करते हैं। इन प्रिन्सिपल साहब की इस प्रकार की हरकतें हैं।

यहां ऐसी चीजें भी चलती हैं। ब्यावर की एक स्कूल में लड़के का नाम था मोहनसिंह, खुमानसिंह—ये जिस स्कूल में पढ़ते हैं वहां धर्म परिवर्तन किया जाता है। मोहनसिंह का नाम मोहिउद्दीन और खुमानसिंह का नाम खुमानुद्दीन कर दिया जाता है। राजस्थान में ऐसी स्कूलों में विद्यार्थियों के नाम परिवर्तित किये जाते हैं। आज उन लड़कों की हालत क्या होती है। आठवीं पास करने के बाद वे विद्यार्थी मोहनसिंह और खुमानसिंह जब निकलते हैं तो कहा जाता है कि हमारे यहां मोहनसिंह और खुमानसिंह नाम के लड़के तो नहीं पढ़ते थे, मोहिउद्दीन और खुमानुद्दीन नाम के लड़के पढ़ते थे। ब्यावर की इस्लामिया स्कूल में इस प्रकार की हरकतें चलती हैं। आपने इस पर क्या एक्शन लिया ?

पहले अध्यापक बी० ए० की परीक्षा प्राइवेट तौर पर दे सकते थे लेकिन युनिवर्सिटी ने इस साल से इसे बन्द कर दिया केवल इसलिये कि युनिवर्सिटी इसका मैनेजमेन्ट नहीं कर पाती। उप-मंत्रीजी ने इसके खिलाफ क्या कदम लिया ? क्या आपने युनिवर्सिटी को इस बारे में चिट्ठी लिखी ? युनिवर्सिटी ने जो कुछ किया उसको आपने स्वीकार कर लिया। क्या आप यह चाहते हैं कि आपके विद्यार्थी और अध्यापक जिनकी सीमित शिक्षा होती है वे आगे पढ़ना चाहें तो नहीं पढ़ें ? आप इनको किस प्रकार से रोक सकते हैं।

ये स्कूल्स एक प्रकार से अभिशाप हो

Page No.74

(श्री भैरोंसिंह)

गई हैं। हमारे यहां जयपुर में एक हैन्डिक्राफ्ट स्कूल या आर्ट्स स्कूल चलती है। वहां पर दो तीन साल तक पढ़ने के बाद भी युनिवर्सिटी इसको रिकॉग्नीशन नहीं देना चाहती है, सरकार भी रिकॉग्नीशन नहीं देना चाहती है। आर्ट्स स्कूल पर क्यों इस प्रकार से खर्चा होता जा रहा है? मैं सरकार से कहूंगा कि आखिर ये चीजें कब तक चलेंगी?

आज हमारे सामने एक प्रश्न है स्कूलें खोलने का, स्कूलों को अप-ग्रेड करने का। मुझे इस बात का दुःख है कि हमारी सरकार कहती है कि हमारा एक क्राइटेरिया है स्कूल खोलने के लिये। लेकिन हर साल इस क्राइटेरिया की अवहेलना करके शिक्षा के काफी इन्स्टिट्यूशन्स खोले होंगे। लेकिन आज बाड़मेर, जालोर और जैसलमेर जिलों में कोई कॉलेज नहीं है। जनता वहां की मांग करती है कि उनके क्षेत्र में कम से कम एक कॉलेज तो दिया जाय लेकिन सरकार दे नहीं पाती इसलिये कि वहां की जनता कांट्रिब्यूशन दे नहीं पाती। पर क्या आपने कभी देखा है कि वहां की जनता की पर-केपिटा इन्कम क्या है? वह कितना सेविंग कर सकती है, कितना इन्वेस्टमेन्ट कर सकती है और कितना कांट्रिब्यूशन दे सकती है इसकी आपको कोई चिन्ता नहीं है। चिन्ता आपको इस बात की है कि जो आपको पैसा दे वहां आप स्कूल खोलें, जहां भवन बना है वहां खोलें। जहां भवन नहीं बना है वहां कॉलेज या स्कूल नहीं खोली जा सकती। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार कम से कम इस बात को तो ध्यान में रखे कि जो इलाका ऐसा है जो गरीबी के कारण कांट्रिब्यूशन नहीं दे सकता वहां अपनी जानिब से खर्च करे और वहां पर स्कूल्स या कॉलेजेज़ स्थापित करें ताकि वहां पर शिक्षा का स्टेन्डर्ड ऊंचा उठ सके। मैं सरकार को सुझाव देना चाहूंगा कि आप क्राइटेरिया निश्चित करें, उसके आधार पर हर साल कौन सी स्कूल्स आ सकती हैं उसकी लिस्ट पब्लिश करें। हमारे रिसोर्सेज़ कितने हैं इसको भी पब्लिश करें। यदि उन आंकड़ों के बारे में जनता कुछ कहना चाहती है तो उससे सुझाव लिये जावें और उन पर विचार करना चाहिये। लेकिन बदकिस्मती ऐसी है कि सरकार इसमें भी पोलिटिक्स को लाकर, जहां आवश्यकता है वहां स्कूल्स खोलने की बात नहीं करती। इसलिये मैं कहता हूं कि स्कूल्स खोलने के बारे में जो क्राइटेरिया निश्चित किया है उसको इम्पलीमेन्ट करने का तरीका क्या है यह सबके सामने रखे।

एक नया झगड़ा पैदा हुआ है। भवानी मंडी में पहले पंचायत क्षेत्र था। अब वह म्युनिसिपेलिटी में चला गया। वहां प्राइमरी स्कूल्स थी उनको खोलने के लिये पंचायत समिति ने म्युनिसिपेलिटी को लिखा। म्युनिसिपेलिटी ने इस स्कूल की लाएबिलिटी अपने ऊपर नहीं ली। आज हालत यह हुई कि जो पंचायत समिति के अध्यापक थे उनको उसने वापिस मांग लिया और भवानीमंडी के म्युनिसिपल एरिया की स्कूल आज खाली पड़ी है, वहां पढ़ाने वाले अध्यापक नहीं हैं जबकि इम्तिहान में एक महीना बाकी रह गया है। आखिर सरकार क्या करती है? उप-मंत्रीजी क्या

Page No.75

(श्री भैरोंसिंह)

सो रहे हैं ? मैं जानता हूं कि आपकी विशेष चलती नहीं है। मंत्री महोदय जानते नही हैं। इसलिये बीच के सरकारी अधिकारी जैसा चाहते हैं वैसा करते हैं........

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : (उप-मंत्री, शिक्षा को) आप कहिये तो सही आपकी चलती है या नहीं ? आखिर ये किस तरह से कह रहे है........

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप मंत्री, शिक्षा) : I am not so sensitive as to reply to every sensation.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : You ought to be. You are Deputy Minister.

श्री निरंजननाथ आचार्य : I will not interrupt in his debate.

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : वास्तव में चलती नहीं है इसलिये कन्ट्राडिक्शन का प्रश्न नहीं उठता।

श्री भैरोंसिंह : इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक तो खर्च के मामले को लेकर लोकल फन्ड ऑडिट की रिपोर्ट है, उसकी इन्क्वायरी पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी कर सके इस लिहाज से पी. ए. सी. का जुरिस्डिक्शन बढ़ाया जाय। आप रोक थाम नहीं कर सकते तो पी. ए. सी. रोक-थाम करने की कोशिश करेगी। अध्यापकों का वेतन, अध्यापकों और विद्यार्थियों का स्तर, अध्यापकों का ग्रेड, अध्यापकों का इन्क्रीमेन्ट, पंचायत समिति क्षेत्र से स्कूलों को वापिस लेने की बात, अध्यापकों को भुगतान करने की बात, अध्यापकों के फिक्सेशन की बात, ये सब चीजें दिमाग में रख कर यदि शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करना है, यदि शिक्षा की क्वालिटी बढ़ानी है तो इन सबको करना पड़ेगा। अध्यापकों में व्याप्त असंतोष का प्रभाव विद्यार्थियों के जीवन पर पड़ता है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप क्वान्टिटी बढ़ाने के बजाय क्वालिटी बढ़ाने की ओर अधिक ध्यान दें, और शिक्षकों की समस्याओं को दूर करेंगे तभी क्वालिटी बढ़ेगी। यही कह कर समाप्त करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल।

श्री गोविन्दसिंह (चिड़ावा) : अध्यक्ष महोदय,........

श्री अध्यक्ष : (श्री गिरधारीलाल से) आप बाद में बोल लीजिये।

श्री गोविन्दसिंह : अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८ पर ३ कटौती प्रस्ताव हैं। पहले पहल मैं फाइनेन्स मिनिस्टर साहब को धन्यवाद इसलिये देना चाहता हूं कि सरचार्ज में उन्होंने कुछ कटौती कर दी। इससे काश्तकारों को जो बचत होगा उसे वे अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर सकेंगे।

दूसरे, मैं मंत्रीजी का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि महीने, दो महीने मे गेहूं की फसल आने वाली है। बार बार आवाज यह उठाई जाती है कि अनाज के भाव कम किये जायं, मैं भी सहमत हूं कि भाव

(श्री गोबिन्दसिंह)

कम किये जायं । लेकिन समय वह आ गया है जब कि काश्तकार अपनी फसल को बेचेंगे। जिस प्रकार से सब चीजों के भाव बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए गेहूं का भाव फिक्स किया जायेगा, ऐसा सरकार से कहूंगा। कहीं ऐसा न हो कि काश्तकारों से फसल सस्ते में ले ली जाय और काश्तकार गरीब के गरीब ही रह जायं। यदि काश्तकार अपनी फसल को अच्छे भावों पर बेचेंगे तो उनको जो पैसा मिलेगा उससे वे अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर सकेंगे। इसलिये मेरा विशेष निवेदन है कि काश्तकारों की जो पैदावार अभी आने वाली है उसके उचित भाव तय करने में विशेष ध्यान रखा जाय। कहीं ऐसा न हो कि........

एक माननीय सदस्य : यह गल्ला भी क्या आपसे (उप शिक्षा मंत्री से) ताल्लुक रखता है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, शिक्षा) : मैं यही सोच रहा था कि यह दर-असल में आ गया क्या मेरे पास।

श्री गोविन्दसिंह : मैं ट्रेजरी बैन्चेज का ध्यान दिलाना चाहता था, यदि काश्तकारों के पास पैसा होगा तो वे शिक्षा पर खर्च कर सकेंगे........

श्री दुर्गालाल बादृदार (हवा महल, जयपुर) : इस प्रकार की शिक्षा आप प्राप्त कर लीजिये।

श्री गोविन्दसिंह : मैं मन्त्री महोदय का विशेष तौर पर ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जहां तक एजुकेशन का सवाल है, गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स जो कि इन्कम टैक्स नहीं देते हैं उनके बच्चों के लिए क्या प्रावधान रखा है और जो मामूली काश्तकार हैं उनके लिए क्या प्रावधान रखा है—इस ओर ध्यान दें। एक आदमी जिसके पास पेट भरने के लिए अनाज नहीं है, जिसके पास पहिनने के लिए कपड़े नहीं हैं उनके बच्चों के लिए फीस रखी है और आपके कर्मचारी अपने बच्चों को बिना फीस दिये पढ़ा सकते हैं ? आप क्या यही चाहते हैं कि एक कर्मचारी तो अपने बच्चों को बिना फीस शिक्षा दें और काश्तकार अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकें ? इसका मतलब हुआ कि शहर में रहने वाले, नौकरी करने वाले तो अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं और देहात में रहने वाले किसानों के बच्चे अनपढ़ रह जायें।

इसके बाद मैं मन्त्री महोदय का विशेष तौर पर ध्याना दिलाना चाहता हूं कि जब हमारे देश में एमर्जेन्सी कायम हुई, उस संकटकालीन परिस्थिति में एक विलेज वॉलन्टियर्स फोर्स खोली। लेकिन एमर्जेन्सी खत्म होने के पहले ही वह खत्म हो गई। मैं शिक्षा मन्त्री को धन्यवाद इस बात का देना चाहता हूं कि उन्होंने एन० सी० सी० और ए० सी० सी० की स्कीम चालू की और उसमें प्रगति हुई। मैं उन्हें इसके लिए धन्यवाद तो देता हूं लेकिन मैं इस बात की ओर ध्यान भी दिलाना चाहता हूं कि विलेज वॉलन्टियर्स फोर्स को जिस तरह खत्म कर दिया, उसी तरह इसे खत्म मत कर देना। यह मेरा निवेदन है, क्योंकि जो आज के बच्चे हैं वे कल हिन्दुस्तान और राजस्थान

(श्री गोविन्दसिंह)

की रक्षा व जिम्मेदारियों का भार लेने वाले हैं। विशेष तौर पर जब ऐसी परिस्थिति है कि एक तरफ चीन और दूसरी तरफ पाकिस्तान हमारी सीमा पर बैठा है, आप कृपा करके इस स्कीम को फेल मत कर देना।

अध्यक्ष महोदय, एजूकेशन में जो खर्च किया जा रहा है, वह कुल खर्च का २०.३८% या १४.८८ करोड़ रुपयों का है इसके लिए शिक्षा मन्त्री बधाई के पात्र हैं। लेकिन उनको यह देखना चाहिए कि जो वे खर्च कर रहे हैं उसमें से देहातों के लिए कितना खर्च किया जा रहा है। अभी कुछ दिन हुए, यहां पर जोधपुर यूनीवर्सिटी बिल पेश हुआ था। उस यूनीवर्सिटी में बहुत बड़ा घोटाला है, बहुत सा पैसा फिजूल खर्च किया जा रहा है। इस प्रकार की बातें उसके सम्बन्ध में हुई। मुझे यह सुन कर बड़ी शर्म महसूस हुई और आश्चर्य हुआ। एक हमारे वाइस चान्सलर डा० राधाकृष्णन हैं, जो बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में वाइस चान्सलर थे, वे आज हमारे राष्ट्र के राष्ट्रपति हैं। एक हमारे उप कुल पति डा० जाकिर हुसैन थे, जो आज उप राष्ट्रपति बन कर बैठे हुए हैं। एक हमारे जोधपुर यूनीवर्सिटी के वाइस चान्सलर हैं जिनकी इस तरह से सदन में चर्चा हो कि वे किस तरह खर्च करते हैं। २७ लाख के बजट के खिलाफ ६० लाख का खर्च करते हैं, एक साल में पी० एच० डी० की डिग्री दी जाती है। मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि वे यह कहते हैं कि विश्वविद्यालय एक ओटोनोमस बॉडी है इसकी चर्चा नहीं होनी चाहिये। इसमें हस्तक्षेप करने में वे असमर्थ हैं। यह कह कर मंत्री महोदय अपने कर्त्तव्य से बच नहीं सकते। इसके सम्बन्ध में मंत्री महोदय को आवश्यक कार्यवाही करनी होगी। उनको यह मालूम होना चाहिए कि इस पर जो पैसा खर्च किया जा रहा है वह जनता का पैसा है। और जो विद्यार्थी वहां पढ़ रहे हैं, वे ही कल के हमारे राष्ट्र के कर्णधार हैं। इस दृष्टिकोण से शिक्षा मंत्री को इस मामले को लेना चाहिए। यह ओटोनोमस बॉडी है। मैं समझता हूं कि अगर वहां कुछ ठीक बातें नहीं होती हैं, गलतियां होती हैं तो उनको विशेष ध्यान देना पड़ेगा और जिस प्रकार से वे ऑर्डिनेन्स गवर्नर से पास करा सकते हैं उसी तरह से गवर्नर महोदय के द्वारा ही कोई जांच कमेटी क्यों न बिठायें ? मैं मांग करूंगा कि इस यूनीवर्सिटी के घोटालों की जांच कराई जाय क्योंकि यह एक विद्या का मंदिर है, सरस्वती का मन्दिर है। इस मन्दिर के अन्दर इस प्रकार के घोटाले हों तो मैं इसे अच्छी चीज नहीं मानता हूं।

इसके बाद जो आप कहते हैं कि यूनीवर्सिटी खोल रहे हैं, इस एटामिक युग में यूनीवर्सिटी खोल रहे हैं, आप शिक्षा के लिए खर्च कर रहे हैं वह जस्टीफाइड है या नहीं। आपने कॉलेज कितने खोले हैं, कितने स्कूल खोले हैं—उन सब के नाम आपने दिये हैं। इसकी एक किताब बनाई गई है। इसके लिए मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं। लेकिन इसमें यह नहीं लिखा है कि साइन्स के हायर सैकन्डरी, जूनियर हायर सैकेन्डरी व हाईस्कूल कितने हैं। यह एटोमिक युग का जमाना है,

(श्री गोविन्दसिंह)

इस जमाने में मेट्रिक तक बच्चों को साइन्स नहीं पढ़ा सकते तो मैं समझता हूं कि यूनीवर्सिटी खोलना बेकार है। क्योंकि राजस्थान एक हिन्दी नोइंग प्रान्त है तो कोई जरूरत नहीं है कि यहां यूनीवर्सिटी खोलें। जब हिन्दी को राष्ट्रभाषा माना जाता है और हिन्दी को पनपाना है तो हमारे बच्चे दक्षिण में जाकर शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं और दक्षिण में डाइरेक्टली और इनडाइरेक्टली हिन्दी भाषा का प्रचार कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में जब यूनीवर्सिटी में घोटाले किये जाते हैं और बच्चों को जो शिक्षा मिलनी चाहिए वह नहीं मिल रही है। तो मैं निवेदन करूंगा यह तो कहा है कि इतने मिडल स्कूल को अपग्रेड किया जा रहा है, इतने हायर सैकन्डरी स्कूल खोले जा रहे हैं लेकिन यह चर्चा नहीं आई कि इतने साइंस स्कूल बनायेंगे। मैं निवेदन करूंगा कि जब अपने देश को प्रगति की ओर बढ़ाना चाहते हैं, और जब यह निश्चय कर लिया है कि जो देहातों में हाई स्कूल में शिक्षा देनी है तो यह मामूली सी बात है, अध्यक्ष महोदय कि आठवीं क्लास तक सामान्य विज्ञान होता है, उसमें पदार्थ के तीन गुण लिखे हैं—द्रव्य, तरल, ठोस। पदार्थ को गर्म करने से बढ़ता जाता है। जो ठोस पदार्थ है वह गर्म करने से फैलता है। यह पढ़ाते हैं, लेकिन आठवीं कक्षा के लड़के और नीचे क्लास के लड़के हैं उनको यह चीज समझाने और साबित करने के लिए क्या चीज है? इस तरह की चीजों के माध्यम से उनको साबित नहीं करते हैं, एक्स्प्लेन नहीं करते हैं तो बच्चों को यह क्रैम करना पड़ता है, यह रटना पड़ता है। एक तरफ तो आप कहते हैं कि हमें विज्ञान में प्रगति करनी है और दूसरी तरफ जो साधन दिये गये हैं वे अपर्याप्त हैं। अगर आपके पास एक्सपेरीमेंट करके साबित करने के लिए कि किसी पदार्थ को गर्म करने से वह फैलता है, तरल पदार्थ अपना धरातल समान रखते हैं, यह साबित करने के लिये एपरेटस नहीं हैं तो छोड़ दीजिये इस विषय को। और अगर आप बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उनको एपरेटस वगैरह के साधन दीजिये, और उनमें क्रैम करने की, रटने की आदत मत डालिये। मेरा निवेदन है कि साइंस क्लास के लिए शिक्षा मंत्री जी विशेष तौर पर ध्यान दें। आपने यह घोषणा कर दी कि आप प्लान बना कर चल रहे हैं, बाहर के प्रान्तों से कम्पीटीशन करने के लिए प्राइमरी स्कूल की संख्या ९० हजार या १ लाख की आबादी पर कर दी है। जो ऑल इंडिया की स्थिति है उससे आप आगे बढ़ गये हैं। आप यह घोषणा करेंगे कि इतने हायर सैकन्डरी स्कूल खोल दिये, इतने मिडल स्कूल खोल दिये, हम प्रगति कर रहे हैं। लेकिन मैं इसको प्रगति नहीं मानता हूं। जब तक आप साइंस की ओर ध्यान नहीं देंगे, एपरेटस वगैरह नहीं देंगे मैं इस प्रगति को प्रगति नहीं मानता हूं। इसलिए मेरा निवेदन है कि साइंस की ओर विशेष ध्यान देने की कृपा करें।

दूसरी बात यह आती है कि जो अध्यापक शिक्षा देते हैं, उसके सम्बन्ध में भी देखना पड़ेगा कि मेन्टेली उनकी क्या हालत है? क्या वे सेटिस्फाइड हैं जो उन्हें मिल रहा है। यह हमें देखना होगा। जनसंघ के माननीय नेता ने भवानीमंडी के सम्बन्ध में कहा। इस सम्बन्ध में मेरा कटौती का प्रस्ताव था, उसको देख लिया होगा और

(श्री गोविन्दसिंह)

उस पर भवानीमंडी का नाम ले दिया....

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, शिक्षा) : चान्स ले लिया ।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : वह तो आदत है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप पर भी छापा मार लिया ।

श्री गोविन्दसिंह : २-१०-५९ को नगरपालिका भवानीमंडी पंचायत में बदली गई । उसके बाद ८-१०-६० को पंचायत से भवानीमंडी नगरपालिका में बदली गई । लेकिन वे अध्यापक बदस्तूर वहां बने रहे हैं । २४-१०-६३ को इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स ने नोटिस निकाल दिया कि ये अध्यापक पंचायत समिति कहती है कि हम नहीं लेंगे और पंचायत समिति कहती है कि हम नहीं लेंगे तो अध्यापकों का क्या होगा ? यह एक मामूली सी बात है कि जब २-१०-५९ को नगरपालिका भवानीमंडी को पंचायत बनाया गया, उस वक्त भवानी मंडी के अध्यक्ष का ध्यान होगा कि पंचायत में मैं प्रधान या उप प्रधान बन जाऊंगा । सिर्फ इस बिना पर उसने यह तय किया । वह नहीं हो सका और दुबारा नगरपालिका मे उसे परिवर्तित कर दिया । इस पंचायत और नगरपालिका के चक्कर में अध्यापकों का नुकसान हो रहा है । उसमें उनकी गलती नहीं है कि नगरपालिका पंचायत समिति हो जाती है । ऐसी हालत में इन्सपेक्टर कहता है कि हम अध्यापकों को शिक्षा विभाग में नहीं लेंगे, पंचायत समिति वापिस लें । हम तो स्कूल को लेंगे, बिल्डिंग फर्नीचर वगैरह लेंगे । इन १८ टीचर्स को पंचायत समिति को लेना पड़ेगा । इसके मायने साफ हैं कि १८ टीचर्स को निकालना पड़ेगा । इस वक्त तक सब अध्यापकों के मामले को हल किया जाना चाहिए था वह नहीं कर सके हैं । इससे पहले गत वर्ष यह मामला चल रहा था, उस समय काफी बातें कही गई थीं और यह आश्वासन दिया गया था कि यह तय कर दिया जायगा । लेकिन अभी तक नहीं किया गया । यह सही नहीं है कि भवानी मण्डी का स्कूल बिना मास्टरों के चल रहा है । वहां मास्टर बैठे हैं, लेकिन पंचायत समिति कहती है कि हम नहीं लेंगे और इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स कहता है इन्हें लेना पड़ेगा ।

मैं माननीय जनसंघ के नेता ने कहा उसके लिये उनको धन्यवाद देता हूं । सुनेल टप्पा का इलाका १--११--५६ को मध्य प्रदेश से राजस्थान मे मर्ज हुआ । १६ मास्टरों ने राजस्थान सरकार को अपनी सेवायें अर्पित कीं । जिस समय सुनेल के अध्यापकों ने अपनी सेवाएं राजस्थान सरकार को अर्पित की उस समय उनका ग्रेड ५०-३-५६ का था । राजस्थान में जो अध्यापक उस समय थे वे ५०-३-८० की ग्रेड में थे । अत: उनका ५०--३--८० की में लिया गया । बुश किस्मती मे तारीख १-६- १ को राजस्थान सरकार ने ५०-३-८० की ग्रेड को ७५ से १६० में परिवर्तित किया और मध्य प्रदेश में जो ग्रेड पहले अध्यापकों का चल रहा था ५०-३-६५ वह १-७-६० से

(श्री गोविन्दसिंह)

९५ से १७० में परिवर्तित हो गया। लेकिन ये जो सुनेल से अध्यापक आये थे उनको न तो यहां का रिवाइज्ड दिया गया न मध्यप्रदेश का ही ग्रेड दिया गया। वे ५०-३-८० में ही अटके हुए हैं। मामला उनका इसलिये हल नहीं होता कि उनका कोई फिक्सेशन नहीं हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मुझे कहना पड़ता है कि इन्सपेक्टर्स को जब लिख कर दिया तो अध्यापकों को उन्होंने लिख कर दिया हैं उसमें साफ जाहिर होता है कि उनके साथ क्या इन्साफ हो रहा है—उसमें लिखा है :

"Returned. No action possible being time barred. When Sunel Tapa has been merged with Rajasthan on 1.11.56, how the question has arisen now ?"

१-११-५६ का मामला है इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल और शिक्षा विभाग यह कह कर मामले को टाल रहे हैं कि यह टाइम बार हो गया। मैं कहूंगा कि जब सारे राजस्थान में ग्रेड्स बढ़ चुके है, मध्यप्रदेश में बढ़ चुके हैं, ओर अध्यापक दो दो प्रोमोशन पा चुके हैं। तो उनको ग्रेड नहीं मिल रहे हैं यह कोई न्याय नहीं है। अध्यक्ष महोदय, जब अध्यापकों के साथ न्याय नहीं होगा तो वे लड़कों को पढ़ा नहीं सकेंगे और जब अध्यापक लड़कों को ठीक तरह से नहीं पढ़ावेंगे तो मैं यह कहूंगा कि ये १४ करोड़ रुपया बजट में रखना कहां तक वाजिब होगा ?

एक खास बात है अध्यक्ष महोदय, वह यह है कि इस छोटी सी किताब में लिखा हुआ है कि प्राइमरी स्कूल तक को एज्युकेशन होगी। लड़कियों की शिक्षा कम हो रही है इस पर भी चिन्ता व्यक्त की जा रही है। झालावाड़ में ६ स्कूलें हैं वहां के इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स आदेश निकालते हैं कि लड़कियां लड़कों की स्कूल में न पढ़ें। अतः जो लड़कियां लड़कों के स्कूल में पढ़ती थी उनको लड़कों का स्कूल छोड़ना पड़ा। जो लड़के लड़कियों की स्कूल में पढ़ते थे या लड़कियां लड़कों की स्कूल में पढ़ती थीं वे ऐसे बच्चे थे जो छोटी बहिन होती उसको बड़ा भाई अपने साथ स्कूल ले जाता था या बड़ी बहिन अपने छोटे भाई को साथ स्कूल ले जाती थी। जब आपने यह कह दिया तो एक तरफ झालावाड़ में लड़कियों के लिए एक स्कूल चल रहा है। क्या आप लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहन देना चाहते हैं ? अध्यक्ष महोदय, अगर शिक्षा विभाग लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहन ही देना चाहता तो यह प्रश्न नही होता। लड़कियों को दूसरी शिफ्ट में पढ़ने जाना पड़ता है। छोटी लड़कियां जो प्राइमरी शिक्षा प्राप्त कर रही हैं उनको सुबह साढ़े सात बजे जाना पड़ता है। इस साल काफी सर्दी पड़ी और काफी वर्षा हुई—इन लड़कियों की उम्र भी ६-७ साल की है—वे स्कूल में जावेंगी इससे उनको बहुत असुविधा होती है। दूसरी बात यह है कि साढ़े पांच लाख रुपये का मिड-डे-मील का प्रोविजन सरकार ने बजट में रखा है। अगर लड़कियां जो सुबह जाती हैं उनको मिड डे-मील्स सर्व कर दिया जाए तो दो शिफ्ट में पाठशाला चलाने में कोई ऐतराज नहीं। मगर चूंकि उन्हें सुबह साढ़े सात बजे जाना पड़ता है इसलिये उनके लिये इसका कोई प्रावधान

(श्री गोविन्दसिंह)

नहीं है, यह नीति ठीक नहीं है। इसलिये मै माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि अगर आप लड़कियों की तरक्की चाहते हैं तो यह जो इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स मनमानी करते है उसको बन्द किया जाय। जो लड़कियां दूसरी स्कूल में पढ़ती थीं और उनके सबजेक्ट्स थे वे लड़कियों की स्कूल में नहीं थे लड़कियों के माता पिताओं ने कहा कि अगले साल से लड़कियों को उनके स्कूल भेज देंगे इस साल तो जहां पढ़ रही हैं पढ़ने दें। मगर इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल ने उनकी यह प्रार्थना भी नहीं मानी और कहा कि कन्याओं को दूसरी पाठशालाओं में जाना पड़ेगा। इस संबंध में कोर्ट में दावे हुए। इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स कोर्ट मे हारा। इसलिये जितनी दफे वह पेशियों पर गया और जो आदेश उसने दिये जस्टीफाइड नहीं थे तो क्या पेशियों पर और हर्जाने का खर्चा सरकार उसके वेतन से काटेगी। जिस शिक्षा के लिए आप १४ करोड़ रुपये खर्च करते हैं उसमें इस प्रकार के कोर्ट में दावे चलें यह आपके लिये शोभा जनक नहीं है। इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैं यह चाहता हूं कि लड़कियां पढ़ सकें उनके लिए उनको सुविधाएं और साधन दीजिये।

एक छोटी सी बात मैं और निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि हमारी स्कूलों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं मगर उनके रीपेयर्स की क्या हालत है—यदि आप इस तरफ ध्यान देंगे तो आपको मालूम होगा कि राजाओं के जमाने की स्कूलें थीं उनकी भी मरम्मत नहीं हो रही हैं। शांति निकेतन की प्रणाली आप वहां अपनाते हैं। वृक्षों के नीचे लड़के बैठते हैं। सर्दी में बैठने के लिए लड़कों के लिए आसन की व्यवस्था नहीं है। सर्दी में ठिठुरते हैं और वर्षा में बैठने की जगह गीली रहती है; अतः उनका बैलेंस ऑफ माइन्ड ठीक नहीं रहता। और जब बैलेंस ऑफ माइन्ड ही ठीक नहीं रहता तो वे पढ़ेंगे कैसे? इसलिये मै निवेदन करूंगा कि चाहे आप १०-१० युनिवर्सिटीज़ खोलिये—मगर जब तक आप प्राइमरी स्कूलों के विद्यार्थियों के लिये इस संबंध में प्रोपर इन्तजाम नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं हो सकता, विश्वविद्यालय खोलने से। पहले आप लड़कों की फाउन्डेशन को ठीक करिये जहां से लड़के कॉलिजों में आते हैं। ८३ प्रतिशत जनता देहातों में रहती है इस ८३ प्रतिशत जनता के लिये शिक्षा का उचित प्रबन्ध करना आपका परम कर्तव्य होना चाहिये। आप यूनिवर्सिटी खोलते हैं तो आधे से ज्यादा रुपया तो आप शहरों में खर्च कर देते हैं।

अब मै कहूंगा कि आप कहते हैं कि १ से लेकर ८वीं क्लास तक की पुस्तकों का नेशनेलाईजेशन कर दिया है। इस संबंध में मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान फोर्थ क्लास की तरफ दिलाऊंगा। उसमें एक एटलस है, जिसमें कोटा बूंदी, झालावाड़ का नक्शा बना है। उसमें २७ नाम हैं। उन २७ नामों में से १६ नाम गलत लिखे हुए हैं। जिस प्रकार अंग्रेजी भाषा के लिये ऑक्सफोर्ड डिक्शनेरी है उसी प्रकार शिक्षा में एटलस का स्थान है। अगर एटलस में गलत नाम मिलते हैं तो विद्यार्थियों से भी गलती होगी। एक तो मै यह कहूंगा कि समय पर किताबें उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। जब आप नेशनलाइज करते हैं तो आपका फर्ज होता है कि समय पर पुस्तकें उपलब्ध हों

(श्री गोविन्दसिंह)

और अगर आप एटलस की तरफ ध्यान देंगे और मैं समझता हूं कि आपने दिया होगा तो आपको मालूम हुआ ही होगा। अफसोस की बात है कि इस समय मेरे पास अभी एटलस नहीं है, अगर माननीय मंत्री चाहेंगे तो मैं दिखा सकता हूं।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

दो मिनट।

श्री अध्यक्ष : श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह नगर):- अध्यक्ष महोदय, आज शिक्षा पर मैंने कुछ कट मोशन्स रखे हैं। जिसमें सर्व प्रथम सरकार की शिक्षा नीति से मेरा विरोध है। इसलिये यह कट मोशन मैंने सदन में रखा है। अध्यक्ष महोदय, रूरल एज्युकेशन से कॉलेज एज्युकेशन तक सरकार की जो शिक्षा नीति है वह इस प्रकार की रही—जिसमें कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत दुख पहुंचता है। प्राईमरी एज्युकेशन में सरकार ने यह गौरव प्राप्त किया है कि शिक्षा के मामले में काफी प्रयास किया है और काफी शिक्षा संस्थायें खोल पाते हैं। हायर सेकण्ड्री में सरकार ने इस बात को स्वीकार किया है कि जब हाई स्कूल से हायर सेकण्ड्री में परिणत करते हैं तो उसके अन्दर नतीजों में काफी गिरावट आई है। इस संबंध में मुदालियर कमेटी की रिपोर्ट को स्वीकार किया तो उसके अन्दर बताया गया है कि ४३ प्रतिशत रिजल्ट्स से ३० परसेन्ट नतीजे आ गये। और उसके बाद चटर्जी कमेटी का निर्माण करना पड़ा, जिसने इस पेटर्न में तब्दीली की। अध्यक्ष महोदय, जहां तक यूनिवर्सिटी एज्यूकेशन की साइड में सरकार ने एक के बाद दूसरी यूनिवर्सिटीज़ खोलीं, जब इन आंकड़ों के ऊपर, यूनिवर्सिटीज़ को दी जाने वाली ग्रान्ट के ऊपर और दृष्टिपात करता हूं, और प्राइमरी एज्यूकेशन के लिये दी जाने वाली ग्रान्ट पर दृष्टिपात करता हूं और बजट में एज्यूकेशन के कट पर दृष्टिपात करता हूं तो पता चलता है कि टेक्निकल एज्यूकेशन में जो कट किया गया है उससे साइन्स और कॉमर्स को हायर सैन्कडरी स्कूल्स में खत्म कर दिया है। जो सिस्टम, जो पैटर्न एज्युकेशन में चल रहा है, स्पेशली हायर स्टडीज़ में चल रहा है, एम० ए० में चल रहा है, उसको देखकर मैं एक नतीजे पर पहुंचता हूं कि नीचे से लेकर ऊपर तक हमारी शिक्षा प्रणाली में एक मूलभूत डिफेक्ट रहा है। आज जब हम राजस्थान का निर्माण करना चाहते हैं, राणा प्रतापसागर डैम का निर्माण हो रहा है, राजस्थान केनाल का निर्माण हो रहा है उस समय टेक्निकल एजुकेशन में कट करें तो एक भयंकर स्थिति पैदा हो जायगी। यह शिक्षा का वह क्षेत्र है जो अच्छे अच्छे टेक्निशियन्स, अच्छे अच्छे कलाकार पैदा करने वाला क्षेत्र है, इस कट से टेक्निशियन्स की भयंकर कमी आती है। शिक्षा के इस क्षेत्र में कट करने से किस प्रकार टेक्निशियन्स की भयंकर कमी आती है, कलाकारों की किस प्रकार कमी आती है, यह सब आंकड़े मैं पेश करूंगा।

मैंने यह प्रोग्रेस इन एज्युकेशन की पुस्तिका शुरू से आखिर तक पढ़ी है। इसके लिये मैं सरकार को बधाई देता हूं। इस रिपोट में कमियां हैं, लेकिन उनके होते हुए

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

भी आज तक जितनी रिपोर्ट्स इस सम्बन्ध में निकली हैं, उनमें यह सबसे अच्छी है। इस रिपोर्ट ने एक चित्र रखा है-प्राइमरी एज्युकेशन, हायर सैन्कडरी एज्युकेशन का चित्र रखा है, इसमें सरकार ने अपनी कमजोरियों को स्वीकार किया है। हमारे संविधान के आर्टिकल ४५ के तहत हमें दस वर्ष में प्राइमरी एज्यूकेशन को कम्प्लसरिली कर देने का लक्ष्य पूरा करना चाहिये था, वहां इसमें स्वीकार किया है कि इतनी स्पीड से काम करने पर भी हम पांचवीं पंच वर्षीय योजना के अन्त तक कर पायेंगे। यह भी इस रिपोर्ट में स्वीकार किया है कि प्राइमरी एज्युकेशन, और कॉलेज एज्युकेशन मे पर केपिटा एक्स्पेन्डोचर, कोस्ट ऑफ एजुकेशन ज्यादा है।

(१००४१ म० पू०)

(राव श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

उपाध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं आंकड़े पेश करूं कि राजस्थान सरकार ने द्वितीय पंच वर्षीय योजना में ९७५.१० लाख रुपया प्रोवाइड किया जो टोटल प्लान का ६.२५ प्रतिशत है। तीसरी पंच वर्षीय योजना में १७७८ लाख रुपया इसी मद के अन्दर खर्च करने को प्रोवाइड किया जो टोटल बजट ७.५३ परसेन्ट था। विशेष तौर से मैं आपका ध्यान टेक्निकल एज्युकेशन की ओर एग्जर्ट करूंगा। हम वह लोग हैं जिनको अपने प्रोजेक्ट्स को कामयाब करना है, राजस्थान केनाल को कम्प्लीट करना है और इनके लिये टेक्निशियन्स प्रोवाइड करने हैं। जितना जल्दी टेक्निकल वर्क को कम्प्लीट करेंगे उतना ही जल्दी हम देश को विकास की ओर ले जा सकेंगे। जब इसमें कट की बात आती है तो देखता हूं कि राजस्थान सरकार अपने समाजवादी समाज के नारे से दो कदम पीछे हट रही है। मैं आपके सामने धीरे धीरे यह बताऊंगा कि हमारे टेक्निकल इन्स्टीट्यूशन्स और टेक्निकल एज्युकेशन की कितनी दुर्लक्ष्य-पूर्ण स्थिति है। मेडिकल एज्युकेशन इस परव्यू में नही आती फिर भी इसमें हमारा आउट पुट कितना है और हमारी रिक्वायरमेंट्स कितनी हैं, यह आंकड़े मेरे पास हैं जो बड़ी दुर्लक्ष्यपूर्ण स्थिति को पेश करते हैं। राजस्थान का विकास करने के लिये, राजस्थान को आगे बढ़ाने के लिये नये नये इन्जीनियर्स, टेक्निशियन्स और डाक्टर्स को झोंकने में हम आज असमर्थ हो रहे हैं। हमारा प्लान हमें इस ओर से रोक रहा है। इस टेक्निकल एज्युकेशन के लिये ६६.७८ लाख रुपया सेकिन्ड फाइव ईयर प्लान में प्रोवाइड किया था जो टोटल प्लान का ८.५ परसेन्ट है। यह टेक्निकल एज्युकेशन की स्थिति है। थर्ड प्लान में ३३१.५० रुपया प्रोवाइटड किया जो टोटल प्लान का १.४ परसेन्ट है। फर्स्ट प्लान में ४.०९ करोड़ का प्रोविजन था जो टोटल प्लान का ८२ परसेन्ट है, बाकी लेप्स हो गया। सेकिन्ड प्लान में हमने १२०.४ परसेंट फण्ड्स इस्तेमाल किये। थर्ड प्लान मे जहां हमें ७१२ करोड़ रुपया इस्तेमाल करना चाहिये था वहां २१.१० करोड़ तो इमजेन्सी के नाम पर कट कर दिया। फिर १.१० करोड़ कम कर दिया। ३३१ लाख की योजना थी

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

उसको १.५ करोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। इतना कट इस ओर जारी किया। किस प्रकार थर्ड प्लान के थर्ड ईयर में खर्च करेंगे, ६४–६५ में १.६० करोड़ खर्च करेंगे और ६५–६६ में ६०.०२ करोड़ खर्च करेंगे। लास्ट ईयर में प्लान का सबसे ज्यादा खर्च करेंगे। इसी प्रकार प्राइमरी स्कूलों के बारे में मैं आंकड़े रखूं। ५०–५१ में ६३३६ प्राइमरी स्कूलें थीं २७ स्कूलों पर लेक (Per lakh) पोपुलेशन पर आती है जब कि आल इन्डिया के आंकड़े ५५ स्कूल पर लेक पॉपुलेशन पर है। ५७ में १४५४८ स्कूलें खोली गईं, ७२ प्राइमरी स्कूल्स पर-लाख पोपुलेशन आती है जब कि ऑल इन्डिया के फीगर्स ७८ स्कूल्स पर लाख पोपुलेशन पर है। ६१--६२ में १८४४७ प्राइमरी स्कूल्स हो गये और ६३--६४ में केवल २५० प्राइमरी स्कूल्स खोले गये। इतना शार्ट फाल हमारे प्लान में हुआ है। हमारा प्लान सिस्टेमेटिक प्लान नहीं है, सारा पैसा सिस्टेमेटिक ढंग से खर्च नहीं करते, कभी बहुत अधिक, कभी बहुत कम खर्च करते हैं। ६५--६६ का वर्ष समझ में आता है क्योंकि यह इलेक्शन का वर्ष है, स्कूलों की संख्या अधिक हो जाती है, उस समय हमारे फण्ड्स इस क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा डाइवर्ट करना चाहते हैं। यदि हम शिक्षा के, सरस्वती के मंदिर को राजनीतिक का आंगन बनाते हैं तो सरस्वती की वीणा से मधुर शब्द नहीं निकलने वाले हैं।

इसी प्रकार माननीय उपाध्यक्ष, ६ से ११ साल के लड़कों को भर्ती किया है, जिस रेट से संस्थाएं खोली हैं, टीचर्स लिये हैं, परसेन्टेज ऑफ टीचर्स को एजुकेट किया है हर प्रकार वह पर्सेंटेज ऑल इन्डिया के पर्सेंटेज से बहुत पीछे रहा है। जहां ऑल इन्डिया का पर्सेंटेज चौथी प्लान में अपने वायदों को पूरा कर लेना है वहां हम पांचवीं योजना के अन्तिम वर्ष तक पीछे रहेंगे।

तीसरी पंच वर्षीय योजना के लिए २२ हजार प्राइमरी शिक्षकों की जरूरत थी उसको घटाकर आपने १३ हजार कर दिया। इस तरह ९,००० पढ़े लिखे बेरोजगारों के आंकड़े आपने और भी जोड़ दिए। नौकरियां मिलती नहीं। पढ़े-लिखे नौजवान जूतियां चटखाते फिरते हैं। आज सब कुछ करने के बावजूद भी हम भारतवर्ष के पांच पिछड़े हुए प्रोविन्सेज के अंदर रहते हैं। ऐसी स्थिति में हमने २२,००० शिक्षकों को घटाकर १३,००० हजार कर दिया और ९ हजार की इमर्जेन्सी के नाम पर कटौती कर दी।

अगर मैं आपके सामने कोस्ट पर स्टूडेंट रखूं और ऑल इंडिया फिगर रखूं तो आप देखेंगे कि प्राइमरी स्कूल्स के क्षेत्र में जहां एक ओर अध्यापकों की स्थिति दुर्लक्ष्यपूर्ण है वहां कोस्ट भी कितना अधिक है। एन्युअल कोस्ट पर कैपिटा आपके सामने पेश करता हूं तो १९५०--५१ के अंदर हमारा ३६.८ और ऑल इंडिया लेविल १९.९ और १९६०-६१ के अंदर उनका २७.६ था जब हमारा लेवल ३३.३ था। एक ओर तो प्राइमरी स्कूल के शिक्षक को ७४-१०५ के ग्रेड में रखा है और दो दो एफीशियेन्सी बार हैं। दूसरी ओर हमारा कोस्ट पर स्टूडेंट भारत सरकार से कहीं अधिक है। दोनों ओर स्थितियां दुर्लक्ष्यपूर्ण

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

हैं । तीसरी और नंबर ऑफ प्राइमरी टीचर्स ३४,१२६ हो गया और सारे राज्य के अंदर १८,४४७ प्राइमरी स्कूल्स बन गए । आज मुन्शी प्रेमचंद और बच्चन, डाक्टर बागनाथ शाह और सी. वी. रमन इन शिक्षा संस्थाओं की देन हैं । ऐसी संस्थाओं में गांवों में जाने वाले विद्यार्थियों को पीटा जाता है । शिक्षक मारते हैं, कूटते हैं । सारी कमियां उनके अंदर भरी हुई हैं तो निराशा उसका साइकोलोजीकल नतीजा होगा । आज कोई भी प्राइमरी स्कूल के अंदर चला जाय, आपको सुनने को मिलेगा कि एक अध्यापक ने १० रुपए लेकर विद्यार्थी को पास कर दिया ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आपने अध्यापकों की सर्विसेज के इन्टीग्रेशन के संबंध में कुछ नहीं किया । प्रोमिजेज़ किए थे । डिस्टि्क्ट बोर्ड के जो एरियर्स हैं, आज तक बकाया हैं । सर्विस रूल्स आपने कायम नहीं किए । आज तक १६ लाख रुपए का बकाया मौजूद है ।

अब मैं सेकंडरी एजुकेशन के संबंध में कहना चाहता हूं । राज्य सरकार ने मुदालियार कमेटी के बाद में सेकंड फाइव ईयर प्लान के अंदर सेकंडरी एजुकेशन को अपना मेन टारगेट बनाया उसका असर कॉलेज एजुकेशन पर पड़ा । टेन्थ और इलेविन्थ में सब्जेक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया; कम्पलसरी और आप्शनल । जिसने फिजिक्स और केमिस्ट्री ऑफर किए थे उनका टी. डी.सी. फर्स्टईयर में लिंक नहीं बैठता है । टी. डी. सी. फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर्स का ३०--३३ परसेंट रिजल्ट आता है । यह रिजल्ट उसका नैचुरल कॉन्सीकुएन्स है । उसको सुधारने के लिए आपने चटर्जी कमेटी बनाई । उसने दूसरा तरीका सजेस्ट किया, यानी जूनियर हायर सैकन्डरी स्कीम पेश कर दी । उसके अंदर आपने ४ पेपर्स टेन्थ क्लास के अंदर रखे और आपने होम इग्जमिनेशन रखा । एक एक विद्यार्थी को दो दो एग्ज़ामिनेशन्स देने पड़ते हैं; एक होम एग्ज़ामिनेशन और दूसरा बोर्ड एग्ज़ामिनेशन । अगर बोर्ड के किसी एग्ज़ामिनेशन में फेल हो जाय तो पास कर दिया जाता है लेकिन होम एग्ज़ामिनेशन में नहीं फेल होना चाहिए । इस सबका रिज़ल्ट यह हो रहा है कि टी. डी. सी. की रिजल्ट्स बहुत खराब हो रही हैं ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

जहां तक कॉलेज एजुकेशन का संबंध है, आज तीन-तीन यूनीवर्सिटीज़ कर दीं । एक एफीलिएटेड, दूसरी रेजीडेन्शियल और तीसरी रेज़ीडेन्शियल कम एफीलिएटिंग । आपकी राजस्थान यूनीवर्सिटी है, उसके बाद दो यूनीवर्सिटीज़ और बनाईं । जहां तक इन यूनिवर्सिटीज़ को फंड्स देने का सवाल है, ६२--६३ के अंदर एक यूनीवर्सिटी थी उसको आपने ४८,१४,६२५ रुपये दिए थे । आज तीन यूनीवर्सिटीज हैं और आप उनको ५४,१०,००० रु० दे रहे हैं, डेफीसिट फाइनेंसिंग है, लेबोरेटरीज में केमीकल्स नहीं हैं, लाइब्रेरीज़ में किताबें नहीं हैं । पोलिटिकल साइंस में थॉट और एडिमिन्स्ट्रेशन के पेपर्स हैं प्रीवियस के अंदर । वर्ल्ड की गवर्नमेंट्स पढ़िए । तो थोट्स, कोन्स्टीट्यूशन्स और

Page No.86

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

एडमिनिस्ट्रेशन्स सब इकट्ठे पढ़ाए जाते हैं जबकि होना चाहिए कि इसका सैपरेशन हो और सैपरेशन इस प्रकार से हो कि विद्यार्थी इसके अंदर स्पेशलाइज्ड कर सकें।

इन्डिसिप्लिन की घटनाएं होती हैं। पेट्रोल सिस्टम आज तक लागू नहीं हुआ। बीकानेर में पुलिस विद्यार्थियों को हथकड़ियां लगाती है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

यूनीवर्सिटी के जुरिडिक्शन के अंदर पुलिस दाखिल होती है और शिक्षा शास्त्रियों को हथकड़ी लगाती है। पेट्रोल सिस्टम के अंदर लेक्चरार को अधिकार होता है कि वह पेट्रोल कमेटी कायम करे और यदि कोई भी विद्यार्थी जुर्म करे तो कमेटी उसको सजा देती है।

एक समय था जब सारे भारतवर्ष के अंदर तीन आर्ट्स कॉलेजेज़ थे; एक कलकत्ता, दूसरा बम्बई और तीसरी जयपुर में। महाराजा रामसिंह के जमाने से जो पुरानी संस्था थी उसकी आज दुर्लक्ष्यपूर्ण स्थिति है। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स का सारी दुनिया के अंदर आदर है। राजस्थान की पेन्टिंग्ज़ खरीदने के लिए लोग आते हैं। बड़े बड़े स्कॉलर्स, फेबर एण्ड फेबर जैसों ने राजस्थान पेन्टिंग्ज पर पुस्तकें लिखी हैं। डब्ल्यू. सी. बाम्बू, आल्बर्ट स्टोन ने लिखी हैं। इस स्कूल में भारतवर्ष के प्रसिद्ध कलाकारों ने विद्या ली है। बिरेन राय, असितकुमार हाल्दा इसके प्रिन्सीपल रह चुके हैं। आज भी राजस्थान के अंदर विजय वर्गिया पेन्टर उसके प्रिन्सीपल हैं। उस संस्था को आपने रेकॉग्नइज़ नहीं किया। इसकी २८ फेकल्टीज़ हैं, आपने २४ फेकल्टीज़ को आर्ट्स और क्राफ्टस के अंदर भेज दिया। आपने संगीत अलग कर दिया। जो राजस्थान के स्कूलों को पेन्टिंग टीच कर सकती है। आज वह संस्था चांदपोल दरवाजे के अंदर टूटे हुए मिडल स्कूल में छोटे स्कूल में चल रही है ८५ विद्यार्थियों को लेकर।

(११.०० म० पू०)

जिसमें पांच साल का कोर्स है। आपके पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने केन्डीडेट एपीयर होता है तो स्वीकार नहीं करते हैं। पांच साल तक पढ़ते हैं; आपकी नाट्य कला है, आपकी संगीत कला है, आपकी साहित्य कला है। ये एकेडेमीज हैं; आपके पत्रकारों को साहित्यकारों को रिलीफ देती है। आपने भी पत्रकारों को और साहित्यकारों को रिलीफ देने की बात कही है।

मैं यह अन्तिम आंकड़ा रख कर स्थान ग्रहण करूंगा। मैं यह बताना चाहता हूं कि ललित कला एकेडेमी को ५० हजार का बजट दिया है........

श्री मानसिंह महार (आमेर) : क्या उनको अधिक समय दिया जा रहा है ?

श्री उपाध्यक्ष : समय के अन्दर ही बोल रहे हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : नाटक एकेडेमीज़ को ७५ हजार का दिया है। साहित्यकारों को प्रोत्साहन देने के लिए आपने डाइरेक्टर के पास प्राइमरी और सैकन्डरी एजुकेशन में साहित्यकारों की मदद के लिए ६०० का बजट रखा है। आप कहां फेंकना चाहते हैं इस राजस्थान को ? आप राजस्थान के साहित्यकारों, कलाकारों और राजस्थान के गौरव और उसकी कला को कहां फेंकना चाहते हैं ? राजस्थान के गौरव की और उसकी संस्कृति की यह दुर्लक्ष्यपूर्ण स्थिति है। उसके बजट के सम्बन्ध में इस प्रकार के दुर्लक्ष्यपूर्ण आंकड़े हैं।

(समय--समाप्ति--सूचक घन्टी)

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती नागेन्द्रबाला।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीद) : अध्यक्ष महोदय कह गये थे कि श्री हांडा के बाद मैं बोलूंगा।

श्री मानसिंह महार : महिलाओं का ध्यान रखें।

उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा के सम्बन्ध में १) रु० की कटौती के लिए बहस करने हेतु मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं।

श्री उपाध्यक्ष : Ladies respected.

श्रीमती नगेन्द्रबाला : मैं जल्दी ही समाप्त कर दूंगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं पहले शिक्षा के कुछ मूल आधारों पर जाने की बात करूंगी और उसके बाद दो-चार मुख्य बातें सदन के सामने रखूंगी। मेरी यह कोशिश होगी कि जल्दी ही समाप्त कर दूं।

उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा एक ऐसा विषय है जिसका सम्बन्ध प्रत्येक नागरिक के जीवन के निर्माण से है और इतना ही नहीं राष्ट्र के निर्माण का प्रश्न भी इसी पर आधारित है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् हमारे देश का यह भी एक नारा रहा है कि हमारे देश में कोई अनपढ़ नहीं रहेगा, हमारे देश में कोई अशिक्षित नहीं रहेगा और इसके लिए पुरे जोर प्रयास किये गये और किये जा रहे हैं। गांव गांव और नगर नगर में स्कूल खोल दिये गये हैं। कालेज और यूनिवर्सिटीज़ सतिवर्ष सैकड़ों और हजारों की संख्या में स्नातक शिक्षा प्राप्त करके निकलते रहते हैं। आंकड़ों की दृष्टि से देखें तो संभवतः शिक्षा के क्षेत्र में काफी प्रगति हुई है, लेकिन इसके बावजूद शिक्षा का असर क्या हुआ है, उसका प्रभाव क्या हुआ है; यह हमें देखना है।

उपाध्यक्ष महोदय, आज हालत यह है कि बच्चों को ज्ञान-प्राप्ति से अधिक बस्ते का बोझ उठाना पड़ता है। किताबों का बोझ और उनकी गिनती इतनी बढ़ गयी है कि जिनकी गिनती याद रखना भी बच्चों के लिए भार--स्वरुप हो गया है और किताबों

Page No.88

(श्रीमती नगेन्द्रबाला)

के बोझ के कारण उनके कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता है, उनके मस्तिष्क में प्रवेश नहीं करता है । विद्यार्थी किसी भी प्रकार रट-रटा कर या अन्य किसी प्रकार से पास होने की बात सोचता है । विषय को समझ कर ज्ञान प्राप्त करने की स्थिति उसकी नहीं रहती है । योग्यता की दृष्टि से देखें तो साफ नजर आता है कि मेट्रिक और हायर सेकन्डरी पास विद्यार्थी को यदि डिक्टेशन लिखाया जाय तो उसमें २० गल्तियां ग्रामर और स्पेलिंग की होती हैं । आप अंग्रेजी की तो बात छोड़िये, उनमे हिन्दी शुद्ध नहीं लिखी जाती । दिल और दिमाग से देखेंगे तो इन्सानियत से कोसों दूर जा रहे हैं । मुझे इस सम्बन्ध में लार्ड मेकॉले का नाम याद आता है । उसने कहा कि बीस वर्ष की अवधि शिक्षा के विकास में ऐसी है कि रूप और रंग से हिन्दुस्तानी होंगे और दिल और दिमाग से अंग्रेज । उसका तीर ठीक निशाने पर लगा । आज वही हालत है । आज हम हमारी संस्कृति और शिक्षा के बारे में ठीक तरह सोच भी नहीं सकते ।

मैं एक बात इस सम्बन्ध में और कहना चाहती हूं । जर्मनी ने विनाश के बाद पुनः अपनी योजनायें बनायीं । हिटलर ने उस वक्त एक वीर देश की कल्पना की । उसे ऐसा संकल्प साकार करना था कि मेरा देश एक योद्धा देश हो, जो किसी भी बड़ी से बड़ी शक्ति के साथ टक्कर ले सके । उसने २१ वर्ष की अवधि में जिस स्वप्न की कल्पना की थी उसको साकार कर दिया । क्या इतिहास की शिक्षा, क्या भूगोल की शिक्षा, क्या कला की शिक्षा ! तमाम शिक्षाओं में उसने अपने स्वप्न की सजीव मूर्ति चित्रित कर दी थी । जब वहां का विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने के बाद कार्य-क्षेत्र में उतरा तो हिटलर की शिक्षा के अनुरूप वे निपुण थे । मेरा मतलब यह नहीं है कि हमें ऐसी शिक्षा चाहिये । मेरा कहने का मतलब यह है कि शिक्षा के द्वारा क्या नही किया जा सकता है ? यदि हमारी सरकार ने भी देश की समृद्धि के लिए, हमारे देश की अखंडता के लिए, सम्पन्नता के लिए सर्व प्रथम आधार शिक्षा को ही मानकर सरकारी योजनायें बनाई होतीं तो आज ये भ्रष्टाचार, चोर-बाजारी, भुखमरी आदि बातें देखने को नहीं मिलती । लेकिन ऐसा नहीं हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां की वर्तमान नवीन शिक्षा में केवल किताबी ज्ञान रह गया है, व्यवहारिक ज्ञान की बहुत कमी है; उसके कारण नैतिक जीवन का निर्माण नहीं हो रहा है । इसका क्या कारण है ? उसका कारण है एक तरफ शिक्षक वर्ग में फैली हुई अशान्ति, दूसरी तरफ विद्यार्थियो के जीवन में बढ़ती हुई अनुशासनहीनता । यह हमारे भविष्य के चित्र को दूषित कर रहे हैं । उपाध्यक्ष महोदय, आज जगह जगह हड़तालें, विद्यार्थियों में मार-पीट, हुल्लड़ बाज़ी क्या क्या सुनने और देखने को नहीं मिलता ? ये बातें हमारे सामने आती हैं । मैं तो यहां तक कहना चाहती हूं कि यदि इस पर विशेष ध्यान नही दिया गया, यदि इसको चिन्ताजनक बात नही समझा गया तो, उपाध्यक्ष महोदय, पत्थर की मूर्तियां नुक्सान नहीं पहुंचाती हैं लेकिन बच्चों को शिक्षा में सही दिशा प्राप्त नहीं हुई तो

(श्रीमती नगेन्द्रबाला)

ये सजीव मूर्तियां देश में उल्टी गंगाएं प्रवाहित कर देंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय, हाल ही में मेडिकल कॉलेज बीकानेर की हालत देखिये । मैं उसके वाद-विवाद में नहीं जाना चाहती क्योंकि इसकी सदन में काफी चर्चा हो चुकी है । लेकिन मैं यह पूछना चाहती हूं कि सरकार के सामने यह स्थिति पैदा हुई, सदन में उसकी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई । मेडिकल कॉलेज बन्द ो गया । क्यों ? इसलिए बन्द हो गया कि वहां की अशान्ति को दूर करना चाहते हैं, वहां स्थिति को कन्ट्रोल करना चाहते हैं । क्या आप उनको डराकर और धमका कर कन्ट्रोल करना चाहते हैं ? यह कभी नहीं हो सकता । मेरी समझ में नहीं आता है, उपाध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहती हूं सरकार से, शिक्षा मंत्री महोदय से कि आपका कौनसा ऐसा माप-दण्ड है जिससे आप भले और बुरे को, दोनों को एक पैमाने से ही नापते हैं ? आपका ऐसा कौनसा माप-दंड है ? इसके लिए एक फैसला तो यह हो सकता था कि ज्योंही आपके सामने जांच की रिपोर्ट आयी आपने जिनको दोषी पाया उनको उनके दोष का दंड दे देना चाहिये और जो निर्दोष पाये गये, उनको इस प्रकार मेडीकल कॉलेज को बन्द करके सजा नहीं देनी चाहिये थी । आपने तो दोषी और निर्दोष दोनों को एक पैमाने से नाप कर, मेडीकल कॉलेज को बन्द करके दंड दे दिया । दोषी और निर्दोषी दोनों को ही दंड मिला । अगर इस प्रकार की व्यवस्था रही तो बड़ा अनर्थ हो जायगा ।

मैं आपका समय अधिक नहीं लेना चाहूंगी । लेकिन मैं सरकार से पूछना चाहूंगी, जैसा मुझे मालूम हुआ है कि प्राथमिक शिक्षा के लिए केन्द्रीय सरकार से जो रकम प्राथमिक शिक्षा के लिए मिली है उसमें से राजस्थान सरकार द्वारा लाखों की रकम कॉलेज और युनीवर्सिटीज़ को हस्तान्तरित कर दी गई । यह क्यों ? क्या प्राथमिक शिक्षा राजस्थान में पूरी हो गई ? जब किसी प्राथमिक शिक्षा के भवन को बनाने या मरम्मत की बात आती है तो जवाब मिलता है कि पैसा नहीं है । आपके पास पैसा नहीं है और लाखों की रकम इधर उधर हो गयी । उन प्राथमिक शालाओं के बच्चों के बैठने के लिए साफ-सुथरी जगह नहीं, बैठने के लिए टाट-पट्टी नहीं, खेल-कूद के लिए स्थान नहीं, और पढ़ाने के साधन नहीं है । आप किताबी ज्ञान और बस्ते के बोझ की बात करते हैं । मेरी समझ में आता है और मेरी यह मान्यता है कि आज बच्चों के मस्तिष्क से उनके किताबों की संख्या का भार निकाला जाय । एक ही पुस्तक में सामान्य ज्ञान हो, एक ही पुस्तक में इतिहास का पाठ हो, एक ही पुस्तक में विज्ञान का पाठ हो और एक ही पुस्तक मे हिन्दी का पाठ हो । आप इस प्रकार की पुस्तक उनको उपलब्ध करा सकते हैं । इससे किताबों का भार कम हो जायेगा, बच्चे की रुचि पढ़ने में बढ़ जायगी और उसको शिक्षा अधिक मिलेगी ।

उसके बाद, उपाध्यक्ष महोदय, मैं टेक्निकल शिक्षा पर आती हूं । राजस्थान में टेक्निकल शिक्षा की बहुत कमी है । हमारे स्नातक बी० ए० और एम० ए० करके क्लर्क बन जाते हैं, या और कोई नौकरी करके जीवन बिताते हैं ।

(श्रीमती नगेन्द्रबाला)

जिन्दगी भर एक आदमी बी० ए०, एम० ए० पास करके क्लर्क बन कर ड्राफ्ट लिखता रहता है। मुझे समझ में नहीं आता है कि क्या यही भविष्य है हमारे नो-निहालों का, वे नो-निहाल जिनमें हिमालय जैसी शक्ति भरी हुई है, गंगा जैसी जिनमें पवित्रता है, सूर्य के समान जिनमें आत्मा का प्रकाश भरा हुआ है। लेकिन उनकी उपयोगिता नहीं है। क्यों ? उपयोगिता इसलिए नहीं है कि आज की शिक्षा प्रणाली देश के निर्माण में, उसके उत्थान में उपयोगी नहीं है। वे उस ओर सोचते नहीं। आप इस पर विचार नहीं करते। कई बार शिक्षा-शास्त्रियों और शिक्षा मंत्रियों की कमेटियां हुई हैं उसमें भी इस बात का जिक्र होता रहा है कि शिक्षा प्रणाली में आमूल चूल परिवर्तन होना चाहिये लेकिन वह नजर नहीं आ रहा है। आज जिस प्रकार की शिक्षा प्रणाली चल रही है उसके प्रत्यक्ष नजारे हमारे सामने आ रहे हैं। आज के छात्र सैनिक जीवन से कितने दूर चले गये हैं, व्यवहारिकता से कितनी दूर चले गये हैं उसका स्पष्ट आभास आज की शिक्षा प्रणाली में मिलता है। व्यवहारिक और नैतिक जीवन हमने अपनी शिक्षा द्वारा निर्माण नहीं किया तो खतरे की घंटी की ओर हम अग्रसर होते जायेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, आज हम देखते हैं कि हाई स्कूल और हायर सेकन्डरी स्कूल्स गांवों में और तहसील हैडक्वार्टरों पर खोले गये हैं, जिससे गांवों के बच्चों को शिक्षा की सुविधा मिली है किन्तु उनमें साइन्स, एग्रीकलचर, कॉमर्स नहीं है, केवल आर्ट्स है; इससे किसान के बच्चे को तीन वर्ष पूर्व ही आर्थिक भार उठाकर शहर की ओर आना पड़ता है। और आपने क्या दिया ? आपने किया कि जिस किसान के बच्चे की दोस्ती मेहनत और मजदूरी से थी उसे शहर में लाकर उसकी दोस्ती जोड़ी आवारागर्दी से, सिनेमा से और अन्य अन्य बातों से। मेरा कहने का मतलब यह है कि गांवों में भी हायर सेकन्डरी स्कूल्स हों, हाई स्कूल्स हों, वहां साइन्स, एग्रीकलचर और कॉमर्स की शिक्षा का प्रबन्ध होना चाहिये। इसके साथ साथ मैं यह भी कहना चाहती हूं कि शहरों के बच्चे भी गांवों में जाकर पढ़ें। हमारे यहां हाई स्कूल, हायर सेकन्ड्री स्कूल्स, प्राइमरी स्कूल्स मेन रोड पर बने हुए हैं जहां एडवर्टाइज़मेन्ट होते हैं, शराब के, सिगरेट्स के, सिनेमा के; इससे बच्चों का ध्यान इनकी ओर रहता है, पढ़ाई की ओर वे ध्यान नहीं दे पाते।

इसलिये मेरा माननीय मंत्री महोदय से खास तौर से निवेदन है कि शिक्षा के ऊपर बहुत ध्यान दें। आज राजस्थान में कई बातें सुनने को मिलती हैं भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी आदि की, लेकिन मुझसे पूछा जाय तो मैं ईमानदारी के साथ कहना चाहूंगी कि यह शिक्षा विभाग सबसे भ्रष्ट डिपार्टमेन्ट है, शिक्षा विभाग में सबसे ज्यादा खराबियां हैं; इससे ज्यादा भ्रष्ट और कोई विभाग नहीं है।

मैं मन्त्री महोदय से इस बात का जवाब चाहूंगी कि जो प्राइमरी एज्युकेशन के लिये भारत सरकार से पैसा मिला है उसको कॉलेजेज़ और अन्य शिक्षा मद में क्यों खर्च किया जा रहा है ? साथ ही आप पुस्तकों का बोझ

(श्रीमती नगेन्द्रबाला)

कम करने की चेष्टा करेंगे और शिक्षा अधिक देने की सुव्यवस्था करेंगे माननीय मंत्री महोदय, तो राजस्थान की जनता आपके इस कार्य को याद करेगी और उससे जनता का भला हो सकेगा।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : उपाध्यक्ष महोदय, सदन के समक्ष शिक्षा विभाग के बारे में जो मांग उपस्थित हुई है उस बारे में....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य समय का ध्यान रक्खें, अगर पार्टी को समय और देना चाहते हैं तो।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय ने इसमें जो रूलिंग दी है वह इस प्रकार की है कि कट मोशन्स जिस प्रकार से आये हैं उसी प्रकार लिये जायेंगे। जिनका नाम बोला जायगा अगर वे बोलना नहीं चाहेंगे तो पार्टी के नेता बोल सकेंगे, यह उन्होंने छूट दी है। स्वतन्त्र पार्टी के नेता बोल चुके हैं व जनसंघ के नेता बोल चुके हैं। सोश्यलिस्ट और इन्डिपेन्डेंट में से कोई नहीं बोला, अतः मुझे पहले बोलने का मौका दिया जाय।

श्री मानसिंह महार : मेरे समय का पांच मिनिट तो इन्होंने ले लिया।

श्री उपाध्यक्ष : व्यवस्था का प्रश्न उठता है तो वह बोलने वाले के समय में ही कमी होगी।

श्री मानसिंह महार : मैं भी जब वे बोलेंगे व्यवस्था का प्रश्न उठा दूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, सदन के समक्ष शिक्षा विभाग की मांग उपस्थित है। यह विभाग राजस्थान के चमकीले सितारों से सुशोभित है। इसके जो मिनिस्टर हैं वे उपाध्याय हैं; उनका तो कहना ही क्या, डिप्टी मिनिस्टर हैं आचार्य तो अब क्या कहना रह गया। ऐसी हालत में इस विभाग के बारे में छोटी-मोटी हस्तियां क्या बोल सकती हैं। इसके सचिव हैं वे पंडित विष्णुदत्तजी शर्मा जिनमें पण्डित्य की कोई कमी नहीं है। डाइरेक्टर ऑफ एज्युकेशन हैं मेहता साहब....

श्री उपाध्यक्ष : मैं समझता हूं जो सदन में उपस्थित नहीं हो सकते उनका नाम न लिया जाय।

श्री मानिकचन्द सुराणा : जिस ओहदे पर बैठे हैं उनका नाम लें तो मैं समझता हूं कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। तारीफ ही कर रहे हैं।

श्री मानसिंह महार : मै किसी की बुराई करता हो नहीं। वाइस चान्सलर महोदय मेहता हैं जिनके कारनामे छिपाने के लिये दो दो ऑर्डिनेन्सेज लाने पड़े हैं। कम्पलीट उदयपुर राइजेशन इस विभाग का हो गया है। यह राजस्थान का दुर्भाग्य है कि राजस्थान जो बना वह इसलिये बना था कि हमारा इमोशनल इन्टीग्रेशन हो। हम महसूस

(श्री मानसिंह महार)

करें कि उदयपुर, जयपुर सब एक हैं, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि इस विभाग में उदयपुर वाले ही सब भरे जाते हैं। गत वर्ष भी मैने इस बात को कहा था लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। आज हमारे शिक्षा विभाग की यह नीति बन गई है कि वह जयपुर की ओर ध्यान नहीं देता। जयपुर जिला परिषद ने एक स्कूल को मिडल स्कूल बनाने के लिये जो काकेड़ा में खोलने का है उसके लिये सिफारिश की थी, लेकिन यहां की एक उप-मंत्राणीजी की सिफारिश और विधान सभा के कांग्रेसी सदस्य की सिफारिश की वजह से जयपुर जिला एज्युकेशन कमेटी को सिफारिश जो सही थी लेकिन उसको नहीं माना गया। इसका जांच कराई जाय, सही सिफारिश थी उसको न मान कर तहसील चाकसू के अन्दर काकड़ा की रिकमन्डेशन का फर्स्ट नम्बर आया था, उस जगह न खोल कर बैराठ तहसील के एक गांव मांडला में खोला गया....

एक माननीय सदस्य : जिला तो वही है।

श्री मानसिंह महार : आप जिले की बात छोड़ दीजिये। मै जो बोल रहा हूं सुनते जाइये। मै आपसे निवेदन करूं, शिक्षा क्या है? अभी मुझे बड़ी खुशी हुई जब उधर बैठने वाली महिला सदस्या ने यह कहा कि शिक्षा विभाग मोस्ट करप्ट विभाग है।

उपाध्यक्ष महोदय, नेशनेलाइजेशन ऑफ टेक्स्ट बुक्स को ले लीजिए, क्या नेशनलाइजेशन इस प्रकार होता है कि चन्द आदमियों के जो कृपा-पात्र होते हैं उनकी बुक्स होती हैं वें छाप दी जाती हैं और इसमें हजारों रुपयों का गोलमाल इस नेशनलाइजेशन ऑफ टेक्स्ट बुक्स द्वारा हो रहा है। जब हम ये बातें कहते हैं तो कहा जाता है कि तुम तो नेशनेलाइजेशन के विरोधी हो। एक बार नहीं एक हजार एक बार हम इस प्रकार की पॉलिसी का विरोध करेंगे क्या आप गलत काम करें और हम उसका विरोध न करें? नेशनलाइजेशन करना है तो ईमानदारी से करिये नेशनलाइजेशन द्वारा जो आप पैसा कमाने का तरीका अपनाते हैं उस नेशनलाइजेशन का मैं विरोध करता हूं और करूंगा, जम कर विरोध करूंगा।

नेशनलाइजेशन ऑफ टेक्स्ट बुक्स का विरोध इसलिये भी करता हूं कि नेशनलाइजेशन होने के बाद हर तीसरे साल आप किताबें बदलते ह, आपकी कोई स्थिर नीति नही है। सन् १९३२-३३ म जब मैं पढ़ता था....

श्री मथुरादास माथुर (विधि मंत्री) आप भी पढ़ हुए हैं क्या?

अध्यक्ष-पीठ के आदेशानुसार निकाले गये।

श्री उपाध्यक्ष : These words are unparliamentary and they will be expunged.

श्री मानसिंह महार : जब माननीय मंत्री ने यह पूछा कि आप क्या पढ़े हुए हैं तब मैने यह कहा........

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : आप यह कहां पढ़े हैं?

Page No.93

श्री उपाध्यक्ष : आप जारी रखिये। आप अपने समय का भी ध्यान रखिये।

श्रीमती सुमित्रा (झुन्झुनू) : आपका राजस्थान में पढ़ने का रेकॉर्ड उपलब्ध नहीं होता है।

श्री मानसिंह महार : मैं महाराजा कॉलेज, जयपुर में पढ़ा हूं और इसके पहले भी डेली कॉलेज जैसी संस्था में पढ़ा हुआ हूं जिसमें जाने की आप उस वक्त कल्पना भी नहीं कर सकते थे।

श्री मथुरादास माथुर : पर इम्तिहान में पास नहीं हुए।

श्री मानसिंह महार : वहां पांच पांच सौ रुपया महीने का लगता था और बेस्ट टीचर्स होते थे।

श्री मथुरादास माथुर : तब तो तुम्हारे वालिद ने पैसा बर्बाद ही किया भाई रे।

श्री मानसिंह महार : आपका नमूना तो हम देख ही रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : जो आप महत्वपूर्ण बात कह रहे थे, वह तो रह ही जावेगी।

श्री मानसिंह महार : तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहता हूं 'दीये के नीचे अन्धेरे' की कहावत अगर कहीं देखनी हो तो मेरी कॉन्स्टीट्यूएन्सी में वह चरितार्थ है। जयपुर के पास ही वह है, आमेर उसका नाम है। जयपुर के नीचे ही है। पर दुर्भाग्य है कि उसमें सरकार का एक भी हायर सेकण्डरी स्कूल नहीं है। यह राजस्थान का रेकॉर्ड है कि मेरी कॉन्स्टीट्यूएन्सी में सरकार का एक भी हायर सेकण्डरी या हाई स्कूल नहीं है। यह जयपुर के नीचे, दीये के नीचे, हमारे डिप्टी मिनिस्टर साहब की आंख के नीचे चीज है। पर वहां नहीं होगी क्योंकि विरोधी पक्ष का एम० एल० ए० वहां से आ गया है। उन की तो इतनी संकुचित मनोवृत्ति है।

श्री मथुरादास माथुर : आज दीये के नीचे उजाला नहीं होता; यह कैसे कहते हैं ? इस झाड़ के नीचे उजाला है।

श्री मानसिंह महार : क्यों अपनी बातें आप छिपाते हैं ? मैं सब जानता हूं। मेरे से कुछ छिपा नहीं है, आपके कृपा-पात्र खेतड़ी के पास गिरफ्तार हो चुके हैं स्मगलिंग में। मुझे सब मालूम है।

श्री मथुरादास माथुर : मेरे कृपा-पात्र तो आप हैं।

(शोर-व्यवधान-अश्रव्य)

श्री मानसिंह महार : आप तो मेरे लाडले हैं।

(शोर--अश्रव्य)

तो मैं निवेदन कर रहा था कि मेरी कॉन्स्टीट्यूएन्सी में एक भी हायर सेकण्डरी स्कूल नहीं है। बड़गांव में लोगों ने बिल्डिंग बना ली, पर वहां नहीं बन सकती ? अगर उप-मन्त्रीजी भी इजाजत दे दें तो शिक्षा सचिव हमारे विरोधी हैं और वे इसे वहां

(श्री मानसिंह महार)

कभी भी नहीं बनने देंगे, मैं आपसे कहता हूं। वह तो मुक्तिलालजी मोदी अगर आकर कह दें तो हो जावेगा, हां होना चाहिये मुक्तिलालजी मोदी ने कह दिया है साहब। तो मैं कहता हूं कि जो विक्टिमाइजेशन इस तरह से हो रहा है, वह तभी रुक सकता है अगर सरकार उसको रोकना चाहती है तो जो शिक्षा सचिव चार छः सालों से एक ही जगह बैठे हुए हैं उनको वहां से हटा दिया जाय। तब हम कुछ उम्मीद कर सकते हैं कि आपका विक्टीमाइजेशन रुकेगा।

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) : आपके कहने से उन्होंने ट्रान्सफर नहीं किये दिखते हैं ?

श्री मानसिंह महार : मैं आपकी तरह नहीं हूं कि एक एक टीचर के ट्रान्सफर के लिये रोता फिरूं। यह XXXXका काम है। मैं XXXX नहीं हूं।

श्री उपाध्यक्ष : The word is highly objectionable and this is expunged.

कुछ अच्छे और सुन्दर शब्द होने चाहिये।

श्री मानसिंह महार : तो मैं यह निवेदन कर रहा था, उपाध्यक्ष महोदय, ये बीच में इन्टरप्शन मत कराइये। These interruptions have taken away my enough time, Sir.

तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं बिल्कुल एक मिनट में समाप्त कर देता हूं। तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि ये जो चीजें इस विभाग में हो रही हैं, वे बहुत गलत हैं। इनको बताने के लिये अगर मुझे दो दिन भी दिये जावें और एक एक किस प्रकार के गलत काम हुए हैं अगर उनको दिखाना शुरू करूं तो आपको मालूम होगा कि क्या हुआ है।

मैं सदन को कहना चाहता हूं कि शिक्षा का स्तर धीरे धीरे गिरता जा रहा है। शिक्षा जो है गढ़े में जा रही है। क्या पढ़ाई होगी— आप मास्टरों के अपॉइन्टमेन्ट में पक्षपात करते हैं, छात्रों को छात्रवृत्ति देते हैं उसमें पक्षपात करते हैं, आप जो लड़कों को कॉलिजों में भर्ती करते हैं सिफारिशों के बलबूते पर करते हैं, आप जितने काम करते हैं, भ्रष्ट तरीकों से करते हैं। इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह कट मोशन रखा है कि शिक्षा विभाग में मिस-मैनेजमेन्ट है, इसलिये इस विभाग को सेंसर करना चाहता हूं। अधिक समय मैं अपनी पार्टी का नहीं लूंगा। मुझे कहना तो बहुत है, और अगर कहीं आपने मौका दिया तो पूरी कथा इन मिनिस्टरों की बताऊंगा, किसी मन्त्री के खिलाफ चार्ज लगाऊंगा और फिर वह मामला प्रिविलेज कमेटी में गया तो मैं फिर साबित करूंगा कि इस इस प्रकार के कारनामे इन मिनिस्टरों के द्वारा किये जाते हैं। किस प्रकार बंगलों में बैठ कर मन्त्री और शिक्षा सचिव अपने कारनामे तैयार करते हैं, यह बताऊंगा। इतना कहकर अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : उपाध्यक्ष महोदय, इस शिक्षा के मद पर बहुत लम्बी चौड़ी बहस हो चुकी है। प्राइमरी स्कूलों

XXXX अध्यक्ष-पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

के बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है। मैं प्राइमरी स्कूलों के बारे में जो सरकारी नीति है उसके सम्बन्ध में कुछ अर्ज करना चाहूंगा।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज जो प्राइमरी स्कूलों का प्रसार राजस्थान में किया जा रहा है उसके आंकड़े देखकर हमारी जो स्थिति सन् १६४६--५० में थी, ५०--५१ में थी उससे तो सन्तोष हो सकता है। पर इस दौरान में हिन्दुस्तान के दूसरे राज्य किस स्थिति में पहुंच गये हैं उनकी उस स्थिति का अपने यहां की स्थिति से तुलना करता हूं तो मुझे यह कहने को मजबूर होना पड़ता है कि राजस्थान इस मामले में आज पिछड़ता जा रहा है दिन ब दिन, जबकि दूसरे राज्य और ऑल इण्डिया एवरेज प्राइमरी शिक्षा के आंकड़ों में ८० प्रतिशत पहुंच गये हैं वहां हम आज ४६ प्रतिशत तक ही लटक रहे हैं। बिलकुल घिसटते हुए चल रहे हैं।

मुझे अफसोस है उपाध्यक्ष महोदय, ६०-६१ में हमारे वित्त मन्त्रीजी ने अपने बजट भाषण में यह कहा कि राजस्थान में ६०-६१ में हमने पचास प्रतिशत प्राइमरी शिक्षा के आंकड़े प्राप्त कर लिये हैं, वही वित्त-मन्त्रीजी आज शिक्षा मंत्री भी हैं, पर निवेदन करना चाहता हूं कि ६०--६१ में जो बात कही कि पचास प्रतिशत आंकड़े हासिल कर लिये है उसके तीन साल बाद भी, आज भी हम ४६ प्रतिशत तक ही पहुंच पाये हैं। उन्होंने जो उस वक्त शिक्षा मन्त्री भी थे और वित्तमन्त्री भी थे, इसके बावजूद गलत सूचनाएं हमें दीं। आज भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज जो आपका यह दावा है कि प्राइमरी शिक्षा का प्रसार हो रहा है डेढ़ लाख विद्यार्थी ऑन एन एवरेज एक साल में शिक्षा पा रहे हैं, ढाई हजार, तीन तीन हजार प्राइमरी स्कूलें प्रत्येक वर्ष में खोली जा रही हैं, तो आज भी ये आंकड़े सही नहीं हैं।

आपने खुद ने अपनी आंकड़ो की पुस्तिका में स्वीकार किया है कि दूसरी योजना के अन्त में ११.१४ हजार विद्यार्थी प्राइमरी शिक्षा प्राप्त करते थे, और आज ६२-६३ के आंकड़े भी आपने दिये हैं उसकी जोड़ लगाइये तो ११.२१ हजार की शिक्षा के आंकड़े आते हैं। इस हिसाब से तीन सालों में सात हजार का प्रसार हुआ है यह आपके इन आंकड़ों से साबित है।

तो मैं आपका ध्यान--शिक्षा मन्त्रीजी का ध्यान-टेबल नम्बर २१ जो इसमें है उसकी ओर दिलाता हूं। पिछली दो मदें हैं उनको जोड़ कर देखें तो ११ लाख २१ हजार के आंकड़े आवेंगे। आपने ११ लाख १४ हजार के आंकड़े भी इसमें दिये हैं। आपने यह भी कहा है कि दूसरी योजना के अन्त में। १,४० और ५० हजार नये विद्यार्थी आ रहे हैं। आपके आंकड़ों के अनुसार १५ लाख विद्यार्थियों को आज शिक्षा प्राप्त करनी चाहिये प्राइमरी के स्टेज में। पर आज भी आपके आंकड़ों के अनुसार जो आपने ६१-६२ और ६३ के दिये हैं उनमें ११.२१ हजार के आते हैं। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपके आंकड़े सही नहीं हैं। खैर यह आंकड़ों की कलाबाजी तो रोज यहां सदन में होती

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

रहती है। पर सदन में इस तरह के आंकड़े देते वक्त कम से कम शिक्षा के मामलों में और वह भी प्राइमरी शिक्षा के मामलों में बहुत अहतियात रखनी चाहिये। तो आपके ही आंकड़ों से यह साबित है कि हमारी प्राइमरी शिक्षा की स्थिति हमारे राज्य में सुन्दर नही है।

इसके साथ ही महत्वपूर्ण जो बात है आज प्राइमरी शिक्षा के बारे में, वह यह है कि हमारी प्राइमरी शिक्षा का स्तर बहुत ही गिरा हुआ है। आज जो लोग भी मध्यम वर्ग के हैं वे उनमें अपने बच्चों को पढ़ाने के लिये भेजते नहीं, उच्च वर्ग के लोग अपने बच्चों को उनमें पढ़ने को भेजते नहीं हैं, और उन प्राइमरी स्कूलों की एवज में दूसरे शहरों में, टाउन्स में अलग अलग ऐसी बाल शिक्षण संस्थाएं बन गई हैं उनके बच्चों के लिये जिनमें निम्न श्रेणी के लोग अपने बच्चों को भेज नही सकते पढ़ने के लिये और इनमें एक तरह से आज जाति-भेद और वर्ग-भेद पैदा हो रहा है।

मैं इस बात की मांग करना चाहूंगा कि आज दो तरह की प्राइमरी स्कूलें चलती हैं। एक उच्च वर्ग के बच्चों के लिये और मध्यम वर्ग के बच्चों के लिये या उन सरकारी अफसरों के बच्चों के लिये जो अच्छी पे पाते हैं और दूसरी वे सरकारी प्राइमरी स्कूलें जिनमें निम्न वर्ग के बच्चों को शिक्षा दी जाती है। इन दोनों प्रकार की प्राइमरी संस्थाओ के स्तर मे रात-दिन का अन्तर है। इस अन्तर को, मैं चाहता हूं, मैं मांग करता हूं कि यह राजस्थान की हुकूमत समाप्त करे। इस वर्ग भेद को जाति भेद को पैदा करने वाली स्थिति को समाप्त करे। यदि हमने इस फर्क को समाप्त नहीं किया तो राजस्थान में जो हम वर्गभेद मिटाना चाहते हैं, जातिभेद को मिटाना चाहते हैं वह नही मिटा सकेंगे। मैंने इस बात की ओर आपका संकेत किया है कि आपकी तरफ से जो ऐड्स मिलती हैं इन प्राथमिक शिक्षण संस्थाओं को जो कि प्राइवेट सैक्टर में चलती हैं, प्राइवेट तौर पर चलती हैं उन ऐड्स में भी आपने बहुत ही डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी अख्तियार की है। मैं उदाहरण देना चाहूंगा जयपुर में एक राजस्थान शिक्षा संस्थान बाल भारती है। इस राजस्थान शिक्षा संस्थान बाल भारती को बने हुए एक वर्ष भी नहीं हुआ और हमारी सरकार ने ६० हजार रुपये उस शिक्षा संस्थान बाल भारती को मकान बनाने के लिए दिये और ६०,००० रुपये देने के साथ ही उपाध्यक्ष महोदय, १०० एकड़ जमीन इस जयपुर शहर के अन्दर दा गयी है। मैं नहीं समझता कि इस तरह की जमीनें और इतने रुपयों की सहायता एक शिक्षण संस्था बाल भारती को दी है, इसका क्या नतीजा होगा। वहां पर १०२ विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते है और यहां टीचर्स की सेलेरी २०० से ८०० की ग्रेड में रखी है। प्राइमरी स्कूल में एक तरफ २०० से ८०० की ग्रेड पाने वाले टीचर्स हमारे राजस्थान में हैं और दूसरी तरफ हमारी राजस्थान सरकार के प्राइमरी स्कूल के टीचर्स का ग्रेड ७५-४-१२०-५-१६० का है।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो विद्यार्थी इस तरह की स्पेशली एडेड संस्थाओं में शिक्षा

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

प्राप्त करते हैं उनके मस्तिष्क में एक जाति-भेद की भावना होगी और इस प्रकार की भावना आवश्यक रूप से प्लान्ट की जाती है और यह प्लान्ट होती है उसमे बड़े ऑफिसर्स के लड़के पढ़ते हैं, बड़े बड़े राजनीतिज्ञों के लड़के पढ़ते हैं, एम० एल० ए० और एम० पी० के लड़के भी जाते हैं। मैं यह निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की वर्गभेद की नीति को हमारी सरकार समाप्त करे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं माग करना चाहूंगा कि राजस्थान मे ये जो प्राइवेट स्कूल चलते हैं, प्राइमरी स्कूल चलते हैं इनको बिलकुल समाप्त किया जाये। यदि इनको समाप्त नहीं किया तो राजस्थान में कभी समाजवाद के आने की सम्भावना नहीं है। क्योंकि समाजवाद साथ ही साथ एक जीवन का दर्शन भी है। यदि इस बात को शुरू से आखिर तक बच्चों के दिमाग में प्लान्ट नही किया तो इसके बहुत ही भयंकर नतीजे होंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि इंगलैंड के अन्दर किंग का जो लड़का या लड़की है वह भी ऑर्डिनरी प्राइमरी स्कूल में शिक्षा प्राप्त करता है जिसमे दूसरों के लड़के करते हैं। लेकिन राजस्थान में बड़े लोगों के लड़कों के लिए स्पेशल स्कूल्स बने हुए हैं। यह हमारे समाजवाद पर कलंक है, उसको निश्चित रूप से खत्म किया जाना चाहिए।

यह राजस्थान शिक्षण संस्था बाल भारती जिसका मैंने जिक्र किया इसको किस तरह से १०० एकड़ जमीन मिल गयी और किस तरह से ६०,००० रुपया मकान बनाने के लिए मिल गया और जब कि यह संस्था एक वर्ष पहले ही बनी थी, मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे चीफ़ सैक्रटरी जो कि इसके चेयरमैन हैं यह उनके प्रभाव से हुआ है। यदि हमारे सरकारी अधिकारी इसी प्रकार से अपने पदों का दुरुपयोग या सदुपयोग करते हुए इस तरह की जमीनें उसमें अलॉट करा लें और ६०,००० रुपये की स्पेशल ग्रान्ट ले लें तो दूसरी शिक्षण संस्थाओं का क्या हाल होगी मैं कहना चाहूंगा कि इस प्रकार का जो कार्य किया गया यह पद का दुरुपयोग है, यह चीफ सैक्रेटरी होने का दुरुपयोग है और इस तरह से यदि राजस्थान के शासनतंत्र में यह चीज चलती है तो इसको हम बरदाश्त करने के लिए तैयार नहीं हैं। शायद वे उस दिन की प्रतीक्षा में होगें जब वे चीफ सैक्रेटरी के पद से रिटायर होंगे और रिटायर होने के बाद में वह ५० एकड़ जमीन में तो खेती करवायें और ५० एकड़ में शिक्षण संस्था रहे या उसकी जगह यूनीवर्सिटी का रूप देकर वे वहां के खुद वाइस चान्सलर बनने की सोच रहे हों। इसमें और क्या क्या काम्पलीकेसीज़ हो सकती हैं, उनके बारे मे मैं नही जानता। लेकिन इसके भयंकर परिणाम हो सकते हैं जिनकी ओर मैं इशारा करता हूं।

इसी तरह से हमारी मिडल स्कूल और कॉलेज एजुकेशन की व्यवस्था है। मिडल स्कूल्स में भी हमारा राजस्थान पिछड़ रहा है। ऑल इन्डिया का फिगर इस समय मिडल स्कूल का २ है तो हमारे यहां पर १७-१८ ही है। लेकिन कॉलेज एजूकेशन का जहां तक प्रश्न है हमारे यहां ६ डाइरेक्टर्स हमने बना रखे हैं। इस बारे में बहुत बहस हुई कि ६-६

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

डाइरेक्टर्स की हमारे यहां क्या जरूरत है, कॉलेज के शिक्षण में ६ डाइरेक्टर्स की क्या जरूरत है-एक डाइरेक्टर कॉलेज एजूकेशन, प्राइमरी स्कूल्स का अलग, टेक्नीकल एजुकेशन का अलग, संस्कृत एजुकेशन का अलग। संस्कृत एजुकेशन के बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें डाइरेक्टर की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस डाइरेक्टोरेट में मुश्किल से २--२।। हजार लड़के पढ़ने हों उसके लिए एक अलग डाइरेक्टोरेट कायम करना हमारे राज्य के धन का अपव्यय है और इस तरह ज्यादा तनख्वाहें देकर अपने लोगों को पदों पर कायम रखना है। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह मांग करना चाहूंगा कि आपने जो ६ डाइरेक्टोरेट्स कायम कर रखे हैं जिनका बहुत ही हैवी एक्सपेन्डीचर है और जैसा आपने कहा है कि गुजरात और बंगाल आदि से हमारे राजस्थान में शिक्षा का प्रशिक्षणिक वजन ज्यादा है मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस गरीब प्रान्त में आप एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेन्डीचर को कम करें, कुछ डाइरेक्टोरेट्स को कम कर दें, लेकिन इतना हैवी एक्सपेन्डीचर जो हमारा हो रहा है १.६ सारे एजूकेशन के बजट का इस पर कन्ट्रोल करके १ परसेन्ट से भी नीचे लाया जाना चाहिए।

इसके साथ ही उपाध्यक्ष महोदय, जो हायर सेकन्डरी स्कूल्स के बारे में नीति है मैं निवेदन करना चाहूंगा कि २८२ स्कूल सारे राजस्थान में खोल रखे हैं। लेकिन ८ जिलों के अन्दर इन हायर सैकन्डरी स्कूल्स का कन्सेन्ट्रेशन इतना है कि १६९ स्कूल्स ८ जिलों में हैं और बाकी के १८ जिलों में १२० हैं। मैं माननीय शिक्षा उप-मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि २८२ स्कूल जो खोले हैं और हायर सैकन्डरी एजुकेशन पर बहुत भारी खर्च पड़ता है इसका री-अलाइनमेन्ट कर दिया जाना चाहिए। सारे राजस्थान के नक्शे को उठाकर देखें तो मालूम होगा कि हायर सैकन्डरी स्कूल्स का कन्सेन्ट्रेशन कुछ जिलों में हो गया है तो इस खर्चे का पूर्ण वितरण हो सके और उसका जनता को पूरा फायदा मिल सके इस दृष्टिकोण से इसका पुनर्वितरण किया जाना आवश्यक है। भादरा, जो गंगानगर जिले में है वहां भादरा में कोई हायर सैकन्डरी स्कूल नहीं है लेकिन उससे ६ मील दूर एक गांव में है और दूसरी हायर सैकन्डरी स्कूल वहां से ४ मील दूर छापी में है। आप वहां एक गांव से हायर सैकन्डरी को बन्द कर दीजिए और उसको तहसील के हैडक्वार्टर्स यानी भादरा में कायम करें तो ज्यादा अच्छा हो। इसी तरह से भीलवाड़ा में ३ मील के एरिया में हुरडा, गुलाबपुरा और तीसरा नाम मैं थोड़ा भूल गया....

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री शिक्षा) : बनेड़ा।

श्री मानिकचन्द सुराणा : बनेड़ा में नहीं है। बनेड़ा में मत खुलवाइये। एक विजयनगर है।

उपाध्यक्ष महोदय, इन ३ जगह आपने हायर सैकन्डरी स्कूल्स खोले। मैं कहना चाहूंगा कि ३ मील के क्षेत्र के अन्दर ३ स्कूलें हैं, आप इनको १०--१२ मील दूर जहां इनकी आवश्यकता हो वहां भेजिये। इसलिए मैं यह मांग करना चाहता हूं कि इसका री-गुपिंग

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

होना चाहिए और पुर्नवितरण होना चाहिए और कोई भी निर्वाचन क्षेत्र या ऐसी तहसील न रहे राजस्थान में जिसमें कि एक भी हायर सैकन्डरी स्कूल नहीं हो। जिस तरह आमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि उनके निर्वाचन क्षेत्र में एक भी हायर सैकन्डरी स्कूल नही है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान की तहसील के नक्शे को देखिये, उसके निर्वाचन क्षेत्र के नक्शे को देखिये। कम से कम एक हायर सैकन्डरी स्कूल एक तहसील में, एक निर्वाचन क्षेत्र में तो हो। मुझे आशा है उप-मंत्री जी इस प्रकार का प्रावधान करेंगे।

इसके साथ ही उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यूनीवर्सिटी एजूकेशन पर में कुछ नहीं कहना चाहता हूं क्योंकि यूनीवर्सिटी एजूकेशन का पहले भी बिल आया था और उस पर बहुत कुछ कहा गया। अब जयपुर यूनीवर्सिटी के बारे में और भी बिल आने वाला है उस समय भी हम बहुत कुछ बहस करेंगे। लेकिन इस समय आज जो प्राइमरी स्कूलों में इस प्रकार से खरीद की जाती है पुस्तकों की उसके संबंध में निवेदन करना चाहूंगा, उसकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं क्योंकि इस बात की तरफ अभी बहुत कम ध्यान दिया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था है कि डिप्टी डाइरेक्टर, सोशियल एजूकेशन किताबों को एप्रूव करते हैं। वे हजारों किताबों को एप्रूव करते हैं चाहे वह हिन्दुस्तान के किसी भी कोने में छपी हुई हों और जब तक वह एप्रूव नहीं कर देते कोई भी हैडमास्टर उसको खरीद नहीं सकता। यह जो एप्रूवल का तरीका है मैं इसको डिफेक्टिव मानता हूं। इसमें बहुत बड़ी लूप-होल है। मेरे पास सूचियां हैं। १६५७--५८, ५८--५६, ६०--६१ और ६३-६४ की यह सूचियां हैं। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आप किसी भी पुस्तक का नाम देते हैं, लेखक का नाम देते हैं, प्रकाशक का नाम देते हैं लेकिन आपके बहुत से ऐसे पेजेज हैं, १६५७--५८ की सूची है पेज नं० ५० पर इस तरह के कॉलम हैं हैं जिनके अन्दर न तो लेखक का नाम दिया है, न कीमत दी गई है और किताबों का जो नाम दिया गया है या लेखक का नाम है वह कहां से प्रकाशित हुई हैं, कीमत क्या है, यह किसी ने नहीं देखा है। उसका एरेटा आज तक नहीं छपा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि पुस्तकें चाहे कितनी हों रुपये की हों लेकिन दफ्तर पर कोई पाबन्दी नहीं, इसकी कोई रोक-थाम नहीं हो सकती है। इसी प्रकार से प्रकाशक का नाम गलत है। एक पुस्तक है हिन्दीग्रन्थ रत्नाकर। उसके पब्लिशर का नाम आत्मा राम एण्ड सन्स छपा हुआ है। इससे हैड मास्टर्स को दिक्कत होती है कि रियल पब्लिशर्स का नाम नही है। नाम है तो गलत है, लेखक का नाम गलत है और कहीं कीमत गलत दर्ज की हुई है। मैं यह कहना चाहूंगा........

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे १० मिनट ही हुए हैं और हमारी पार्टी का आधे घन्टे का टाइम हुआ है।

मैं आपका ध्यान एकेडेमिक फ्रीडम को

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

किस तरह से कर्व किया जाता है, रेजीमेन्टेशन किया जाता है उस तरफ दिलाना चाहता हूं।

आपने एक पुस्तक 'कारावास' एप्रूव की है यशपाल की। 'कारावास' नाम की श्री यशपाल की कोई पुस्तक नहीं है जो आज तक छपी हो, लेकिन आपके विभाग ने उसको एप्रूव कर दिया। इसी तरह से आपने प्राइमरी स्कूलों के लिए 'झूठ-सच' नाम की किताब एप्रूव की है जिसकी कीमत २५) रु० है। वह एक नोवल है श्री यशपाल का। क्या 'झूठ-सच' को प्राइमरी स्कूल के बच्चे पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। जो स्टेट का फण्ड हम लाइब्रेरीज के लिए प्रोवाइड करते हैं उसके लिए यह हमारा विभाग है? नहीं तो क्या जो व्यवस्था आज है कि हजारों पुस्तकें छप रही हैं उनकी लिस्ट छपाये बिना उनको हैड मास्टर नहीं खरीद सकते हैं? यह व्यवस्था डिफेक्टिव है। करीब डेढ़ दो साल के अरसें में आप एक किताब एप्रूव करते हैं, इतना समय आप ले लेते हैं कि इसका नतीजा यह होता है कि प्राइमरी स्कूलों और सैकण्डरी स्कूलों में लेटेस्ट पुस्तकें ज्ञान-विज्ञान की नहीं पहुंचती हैं। डाइरेक्टोरेट के बीच में और बुकसैलर्स के बीच में वे पड़ी रहती हैं और उनका उपयोग हो नहीं पाता है। यह व्यवस्था इसलिए एप्रूव करने की समाप्त की जाय। इसका एक बहुत बड़ा कारण यह भी है कि आज अंग्रेजी में जो हजारों-लाखों पुस्तकें छप रही हैं तो उनकी डाइरेक्टर आफ कॉलेज एज्यूकेशन कोई सूची प्रकाशित नहीं करता है कि कॉलेजेज की लाइब्रेरीज में खरीदने के लिए यह ठीक हैं। उन्होंने कोई सूची नहीं छपाई है, उन्होंने एक साधारण आदेश दिया है कि अच्छे लेखकों की अच्छी पुस्तकें खरीदी जायं। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप भी अपने हैड मास्टरों पर कुछ भरोसा करें। कुछ कमियां हों तो डिपार्टमेंटल आदेश जारी करें, और साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में इस तरह की लिस्ट नहीं बनायें, क्योंकि यह काम मुश्किल है। हजारों पुस्तकें छप रही हैं, जिनको आपके विभाग के लिए पढ़ना सम्भव नहीं है। १०-२० लोगों की सूची बना रखी होगी उनसे भी यह काम नहीं पूरा पड़ेगा। इसलिए यह एप्रूव करने का तरीका गलत है।

आपकी सूची में नाम आने के बावजूद भी आप टेन्डर्स काल करते है उन बुकसैलर्स में जिनकी कि रजिस्टर्ड सूची आपके यहां बनी हुई है। अब मैं एक उदाहरण देता हूं कि इन सारी पुस्तकों की खरीद अब मार्च में हो रही है। आप यदि जांच करेंगे तो मार्च मे ७०-८० पर्सेन्ट आपकी बुक्स खरीदी जाती हैं क्योंकि इस महीने मे बजट समाप्त होता है। इसलिए इसमें धांधली होती है, गड़बड़ियां होती हैं, अनियमितताएं होती हैं। यह बरसों से हो रही है और आपका विभाग इसे नहीं रोक पा रहा है। आपके इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स, मैं तीन इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स का नाम बताना चाहूंगा कि ये तीन इन्सपेक्टर्स जो है वे जहां भी चले जायं वे कुछ विशेष पब्लिशर्स की ही बुक्स खरीदते है और १० साल से इनका यही क्रम चला जा रहा है कि जहां पर भी चले जायें उन्ही बुकसैलर्स की किताबें पसन्द आती हैं। १० साल मे उनकी पसन्द में कोई फर्क नहीं आया। मैं नाम बताना चाहूंगा। एक अजमेर के इन्सपेक्टर

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

आफ स्कूल्स हैं श्री किशनचन्द्र जैन। आप इस बात की जांच करें कि पिछले १० साल में श्री किशनचन्द्र जैन ने जितनी भी किताबें खरीदी हैं क्या उनमें सबसे ज्यादा आज ऐसी पुस्तकें नहीं हैं जो जय अम्बे प्रकाशन से खरीद की हुई न हो। दूसरे झुन्झुनूं के इन्सपेक्टर हैं श्री हरिहरलालजी वे जयपुर के कल्याणमल एण्ड सन्स के द्वारा प्रकाशित पुस्तकें ज्यादा से ज्यादा खरीदते हैं। आपने प्रसाद, प्रेमचन्द की किताबों को एप्रूव किया है। उन्होंने भारतीय मन्दिर, हिन्दी साहित्य एकेडेमी, हिन्दी साहित्य सम्मेलन द्वारा प्रकाशित पुस्तकों को खरीदा है, लेकिन इनकी पर्सेन्टेज जो खरीदने की है वह सबसे कम मिलेगी, लेकिन आपकी जो घासलेटी साहित्य की रद्दी साहित्य की लिस्ट उनके १००-२०० रुपये की बजट के लिए छाप लेते हैं, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें विभाग की भूल रही है और जिस तरीके से काम किया है वह सन्तोषजनक नहीं है और इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है।

मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूं कि बुकसेलर्स और पब्लिशर्स कमीशन देते हैं तो स्टेट की जितनी भी लाइब्रेरीज हैं वे खरीदेंगी तो उनको क्या कमीशन देंगे। अच्छे अच्छे पब्लिशर्स कमीशन कम देते हैं। गवर्नमेन्ट आफ इंडिया के जितने पब्लिकेशन्स हैं उनका यह रूल है कि १० पर्सेन्ट से ज्यादा किसी भी लाइब्रेरी को नहीं देंगे। पब्लिशर्स से बात करके उसके बाद हैड मास्टर्स को छूट दे दें कि वे अच्छी से अच्छी पुस्तकें खरीदें।

अब अन्त में उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने इस बात का उदाहरण रखूंगा कि किस प्रकार से आपका विभाग गलत संशोधन करवाने की कार्यवाही करता है। यह ढंग रूस और चीन जैसा है, यह रेजीमेन्टेशन है, समूहवाद है, यह हिटलर की जर्मनी का और टोजो के जापान का निरंकुशवाद है, लेकिन हिन्दुस्तान में जहां विचारों की आजादी है, जहां एक पुस्तक एप्रूव कर दी जाय उसके बाद आपके विभाग की एक चिट्ठी जाय कि इस पुस्तक को संशोधित कर दें। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह एक पुस्तक है, 'हमारा घर और हमारा समाज' जिसको आपके विभाग ने एप्रूव कर दिया, और उसके बाद में उसको पुरस्कृत किया, ५००) रुपये का पुरस्कार दिया गया और पुरस्कार देने के ६ महीने के बाद में आपका विभाग प्रकाशक और लेखक को लिखता है कि इसको संशोधित करो। भ्रष्टाचार का जो चेप्टर है उस चेप्टर को हटा दो। जब तक यह चेप्टर नहीं हटा देते हैं, आपके डिपार्टमेंट ने एक सरक्यूलर जारी कर दिया कि इस किताब को नहीं खरीदा जाय, क्योंकि यह संशोधित होने वाली है। मैं नहीं समझता कि आपकी सरकार ने एप्रूव कर दिया उसके बाद उनको क्या एतराज हो सकता है। कम से कम कोई एतराज हो सकता था तो हिन्दुस्तान के संविधान में जहां विचार-स्वातन्त्र्य की आजादी दी गई है उसको मद्देनजर रखते हुए आपका विभाग किस तरह से यह आदेश निकालता है कि संशोधन करो और चेप्टर उड़ा दो। इस किताब के इस चेप्टर की मैं दो तीन लाइन पढ़कर सुनाना चाहता हूं कि उन्होंने एप्रूव की है राजस्थान के शिक्षा

श्री मानिकचन्द सुराणा)

विभाग ने, "समाज का एक भयंकर रोग भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार का बोलबाला है। लोग कहते हैं कि कोई काम पूरा कराना हो तो कुछ देकर ही पूरा कराया जा सकता है" और अन्त की लाइनें बहुत ही रिमार्केबल हैं, "किसी को सरकार के काम में लगाना है, किसी का एक जगह से दूसरी जगह तबादला कराना है, कोई काम किसी से जल्दी निकलवाना है, सब के लिए अपने पल्ले से कुछ न कुछ पैसा देना ही पड़ेगा और तभी आपका काम फौरन होगा और तब हम भ्रष्टाचार के रूप को समझ सकते हैं।

इस बात को आपने एप्रूव कर दिया, अब आप किस आधार पर कहते हैं....

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : इसमें गलती क्या है, जिस प्रकार की वास्तविकता है उसको बताया।

श्री मानिकचन्द सुराणा : इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह कहां तक मूल सिद्धान्त के अनुकूल है। यह एक 'नया समाज' है जिसने राजस्थान के एक अखबार का फोटो ब्लॉक दिया है 'राष्ट्रदूत' का और आपका विभाग कहता है कि किसी विशेष अखबार का फोटो नहीं होना चाहिये। मैं समझता हूं कि राष्ट्रदूत पत्र से क्यों गुरेज था। मैं समझ सकता हूं कि उस समय यह अखबार सुखाड़ियाजी के खिलाफ था इसलिये गुरेज था, लेकिन अब यह उनके अनुकूल हो गया है इसलिये ऐतराज नहीं है। आप कहते हैं कि इस ऐतराज को वेव कर लेंगे लेकिन भ्रष्टाचार का चेप्टर हट जाना चाहिये। मैं कहूंगा कि भ्रष्टाचार आपके राज्य में है। आप उस भ्रष्टाचार को तो मिटाना नहीं चाहते लेकिन भ्रष्टाचार के चेप्टर को उस किताब में से हटाना चाहते हैं। राजस्थान में एकेडेमिक उन्नति से इस हकूमत को खतरा हो गया। ये महात्मा गांधी और नेहरू के सिद्धान्तों को त्याग चुके हैं और रेजिमेन्टल सिद्धान्तों पर जा रहे हैं जिनको हिटलर और तोजो ने अपनाया था। मैं इसलिये यह कहूंगा कि इस प्रकार की नीति को आप खत्म करो, इसमें संशोधन करो अन्यथा राजस्थान में जनतंत्र नहीं पनप सकता, भ्रष्टाचार पनप सकता है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल व्यास।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार की शिक्षा विभाग की मांग पेश हुई है उससे अन्दाज लगता है कि इन १३,१४ वर्षों में राजस्थान ने शिक्षा में कितनी प्रगति की है। सन् ४६ और आज की मांग का मुकाबला करें तो पहले से १३,१४ गुणा मांग प्रस्तुत की गई है। इससे अन्दाज लगेगा कि हमने कॉलेज एज्युकेशन के सम्बन्ध में, सेकन्डरी एज्युकेशन के सम्बन्ध में और प्राइमरी एज्युकेशन के सम्बन्ध में किस प्रकार की प्रगति की है। हालांकि अखबारों से यह भी मालूम होता है कि राजस्थान दूसरे प्रान्तों से अब भी शिक्षा में पीछे है, फिर भी जो कदम हमारी सरकार ने शिक्षा के सम्बन्ध में उठाया है वह काफी प्रशंसनीय है।

एक चीज जिसके बारे में मैं निवेदन

Page No.103

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

करना चाहता हूं यह हायर सेकन्डरी के सम्बन्ध में है और उसके लिये मैं अर्ज करना चाहता हूं जैसा कि दूसरे माननीय सदस्यों ने निवेदन किया है कि हायर सेकन्डरी की शिक्षा हमारे देश के माफिक नहीं है और हमारा विभाग या सरकार जो हायर सेकन्डरी प्रणाली चलाती है वह काफी खर्चीली है। पहले हाई स्कूलें चलती थी और अब हायर सेकन्डरी चलती हैं, दोनों के खर्चे का अनुमान लगायें तो हाई स्कूल के मुकाबले में हायर सेकन्डरी पर जो खर्चा हो रहा है वह बहुत अधिक रेशियो में है। इससे आपको मालूम होगा कि आज हायर सेकन्डरी प्रणाली काफी खर्चीली है। जैसा कि कहा गया है, हायर सेकन्डरी के रिजल्ट्स हैं या बाद में कालेज में जो लड़के जाते हैं उनके रिजल्ट्स निकलते हैं उनसे प्रकट होता है कि वे पहले के मुकाबले मे बहुत नीचे हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि दिन व दिन हमारे हायर सेकन्डरी की शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है और उससे कोई विशेष लाभ नहीं है। जैसी पहले हाई स्कूल्स चलती थी और उनमे जिस प्रकार की व्यवस्था थी, साइन्स एग्रीकल्चर वगैरह विषय प्रोवाइड किये जाते थे और उनके द्वारा जो शिक्षा दी जाती थी उसके मुकाबले में आज हायर सेकन्डरी को देखें तो मैं खास कर के उन विलेजेज की हायर सेकन्डरी के बारे में निवेदन करना चाहता हूं जो गांवों में हैं। आज शहरों और गांवों में विशेष....

(११.५५ म० पू०)

(श्री केसरीसिंह, सभापति पदासीन)

अन्तर है। शहरों में हर प्रकार की विज्ञान आदि की शिक्षा की सुविधा है लेकिन गांवों में ऐसी सुविधा नहीं है। कॉमर्स और साइन्स सब्जेक्ट्स की जैसी सुविधा शहरों मे है वैसी गांवों में नही है। गांवों में स्कूलें नाम-मात्र की खुली हैं जिनसे हमको विशेष लाभ नहीं होता। आज गांव का कोई विद्यार्थी टेक्निकल एज्युकेशन लेना चाहे तो उसको शहर की तरफ दौड़ना पड़ेगा और तीन चार साल तक विशेष खर्चा उठाना पड़ेगा। इसलिये मेरा सुझाव है कि यदि आप हायर सेकन्डरी को चलाना चाहते हैं, पनपाना चाहते हैं ग्रामीण जनता को लाभ देना चाहते हैं तो आपको इस प्रकार के विषय हमारे गांवों की हायर सेकन्डरी स्कूलों में खोलने होंगे। यदि आप वहां पर विशेष सब्जेक्ट्स नहीं खोलते हैं तो उनका कोई महत्व नहीं है। आज जैसा कि कहा गया है साइन्स का युग है लेकिन हमारे यहां इन सब्जेक्ट्स का अभाव हो तो हमारी शिक्षा अभाव ग्रस्त ही कही जा सकती है, पूर्ण नहीं। इसलिये मेरा यह निवेदन है, आग्रह है कि जिन तहसीलों में एक या दो हाई स्कूल या हायर सेकन्डरी हो उनमें से कम से कम एक में तो ऐसी व्यवस्था होनी ही चाहिये जिससे ये सब्जेक्ट्स वहां पर प्रोवाइड किये जा सकें।

दूसरा निवेदन यह है कि गांवों और शहरों में मिडल स्कूल्स के जो सेक्शन्स हैं छठी, सातवीं और आठवीं कक्षाओं के और हायर सेकेण्ड्री में जो छठी, सातवीं और आठवीं कक्षाओं के सैक्शन हैं उनकी फीस में इस प्रकार का फर्क रखा जाता है कि हायर सैकण्ड्री स्कूल की उन्हीं कक्षाओं में लड़के भर्ती न हो कर मिडिल स्कूल की उन्हीं

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

कक्षाओं में भर्ती होना ज्यादा पसन्द करते हैं क्योंकि वहां फीस कम लगती है। इसलिये फीस की व्यवस्था इस प्रकार की होनी चाहिये कि जो फीस मिडल स्कूलों की छठी, सातवीं और आठवीं कक्षा के विद्यार्थियों पर लगाई जाती है वही फीस हायर सैकण्ड्री या हाई स्कूल की छठी, सातवीं और आठवीं कक्षाओं के विद्यार्थियों पर लगाई जाय ताकि हायर सैकण्ड्री स्कूलों को इम्प्यूट्स मिले और ज्यादा लड़के वहां पर भर्ती हों। इसके बिना ऐसा न हो कि हायर सैकण्ड्री स्कूल्स गांवों में हैं उनमे लड़कों का अभाव मालूम पड़े।

कुछ दिन पहले सरकार ने यह निर्णय लिया था कि जिन गांवों की हायर सैकण्ड्री में लड़कों की कमी है वहां उन स्कूलों को जूनियर हायर सैकण्ड्री स्कूल बना दिया जायगा। लेकिन शहरों में साइन्स और एग्रीकल्चर सब्जेक्ट्स होते हैं पर गांवों में नहीं होते इसलिये लड़के शहरों में आते हैं और मिडिल स्कूल्स और हायर सैकण्ड्री स्कूल्स की फीस में फर्क है इस कारण भी हायर सैकण्ड्री स्कूलों में लड़के कम जाते हैं। फीस के फर्क के होते हुए भी इस प्रकार का निर्णय लिया गया कि जूनियर हायर सैकण्ड्री बना देंगे, मेरे विचार से यह निर्णय लेना उचित नही है। गांवों में पहले से ही शिक्षा का अभाव है। फिर यदि एक क्लास कम करके जूनियर हायर सैकण्ड्री कर देते हैं तो विद्यार्थियों के गार्जियन्स को कितनी तकलीफ होगी। उन्हें अपने बच्चों को बाहर भेजना पड़ेगा और उन पर काफी खर्चा होगा इसलिये निवेदन है कि या तो पुरानी व्यवस्था के अनुसार हाई स्कूल्स रखी जायं या फिर हायर सैकण्ड्री में परिवर्तन किया जाय, जूनियर हायर सैकण्ड्री नहीं बनाया जाय।

एक बात मैं और निवेदन करना चाहता हूं कि शहरों में जिस प्रकार के होस्टल्स की व्यवस्था की जाती है वैसी व्यवस्था गांवों में नहीं की जाती है। इसके लिये बार बार मांग की जाती है कि गांवों में लड़कों के रहने का स्थान नहीं होने से उनको दिक्कत होती है लेकिन सरकार की ओर से कोई दिलचस्पी नहीं ली जाती है। जो लड़के दूसरे गांवों से आते हैं उनको मारे मारे फिरना पड़ता है। वे अलग अलग जगहों पर रहते हैं जिससे उनकी अच्छी तरह से देखभाल नहीं हो सकती। इसलिये गांवों में भी होस्टल्स का उचित प्रबन्ध नहीं किया गया तो जिस प्रकार की हालत आज विद्यार्थियों की है, अनुशासनहीनता जिस प्रकार आज फैल रही है वह दिन दिन बढ़ती जायगी और उसका असर सारी शिक्षा पर पड़ेगा जो देश के लिये भी खराब होगा। इसलिये मेरा निवेदन है कि खास कर अपनी कॉन्स्टीट्युएन्सी बदनोर में जहां पर जूनियर हायर सैकण्ड्री खोलने की व्यवस्था की है।

(१२.०० मध्यान्ह)

उसके लिए मैं खास तौर से निवेदन करना चाहता हूं कि वह पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, वहां हर दूसरे, तीसरे साल में वर्षा का अभाव रहता है। ऐसे स्थान पर हायर सेकन्डरी स्कूल को जूनियर सैकन्डरी स्कूल में बदल दिया गया तो वहां के लोगों पर बड़ा भारी जुल्म होगा। इसी प्रकार मैं गर्ल्स स्कूल के सम्बन्ध में....

श्री सभापति : One more minute.

श्री गिरधारीलाल व्यास : अभी दो मिनट बोला हूं ।

श्री सभापति : नहीं, नौ मिनट हो गये हैं, एक मिनट बाकी है ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : एक मिनट में मैं कुछ नही कह सकता । दो तीन मिनट और देने चाहिए ।

श्री सभापति : दो मिनट !

श्री गिरधारीलाल व्यास : चेअरमैन महोदय, गर्ल्स स्कूल के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार सरकार चाहती है कि हमारे यहां पर लड़कियों में ज्यादा से ज्यादा शिक्षा का प्रचार हो लेकिन यह असम्भव प्रतीत होता है । मैं गर्ल्स एजूकेशन के बारे में निवेदन करूं कि हमारे गर्ल्स मिडिल स्कूल और गर्ल्स प्राइमरी स्कूल में विद्या विनोदिनी पास लड़कियो को टीचर्स के रूप में भेजा जाता है । बहुत सी झूंठे सर्टीफिकेट और जाली सर्टीफिकेट प्राप्त करके टीचर बन जाती हैं जो एक सेन्टन्स भी अच्छी तरह से नहीं पढ़ सकती हैं । मैंने खुद ने देखा है ऐसी विद्या विनोदिनो पास लड़कियों को टीचर बना कर भेज दिया गया है जो अच्छी तरह से किताब नहीं पढ़ सकती है । ऐसी टीचर्स बच्चों को क्या पढ़ायेंगी ? मैं समझता हूं कि जो फर्जी और झूंठे सर्टीफिकेट प्राप्त करती हैं और जो संस्थायें इस प्रकार के सर्टीफिकेट देती हैं उनके खिलाफ कार्यवाही करके उनको रोका जाय ।

मेरा दूसरा निवेदन है कि फ्री बुक्स प्रोवाइड करने का इस विभाग के बजट में प्रॉवीज़न है । लेकिन इस प्रकार की व्यवस्था मैंने तो कहीं नहीं देखी है । कहीं भी फ्री बुक्स प्रोवाइड नहीं की जाती ।

इसके अलावा जो मिडल स्कूल खोले जाते हैं उनके सम्बन्ध मे न तो कोई बिल्डिंग का प्रावधान है, न फोर्थ क्लास सर्वेन्ट्स का प्रावधान है, और न उनमें लेडी टीचर्स भेजी जाती हैं । तो इस प्रकार मिडिल स्कूल खोल दिये जाते हैं लेकिन उनकी व्यवस्था ठीक तरह से नहीं करते हैं । ऐसी हालत में उनसे किसी प्रकार का लाभ नहीं होने वाला है ।

मुझे अध्यापकों के सम्बन्ध में भी निवेदन करना है कि पंचायत समिति के अध्यापक और इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स के अध्यापकों में काफी फर्क रहता है । आज पंचायत समिति के अध्यापकों को उनकी ग्रेड नहीं दी जाती, उनको प्रमोशन नहीं दिये जाते । उनके साथ एक प्रकार से सौतेला व्यवहार किया जाता है । हम बार बार डिप्टी मिनिस्टर और मिनिस्टर से निवेदन करते हैं । लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता है । यहां आश्वासन दिया जाता है कि फिक्सेशन जल्दी कर दिया जायेगा, ग्रेजुएट्स हो जायेंगे तो उन्हें उस ग्रेडर । ले लिया जायेगा । लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है ।

एक और निवेदन है कि शिक्षा के क्षेत्र में जिस प्रकार की व्यवस्था है वह काफी विचारणीय है । एक माननीय सदस्य ने कहा था बड़ी प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन्स खोली जाती हैं जिनमें काफी खर्चा होता है । ये प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन्स हैं जिनमें बड़े आदमियों के लड़के पढ़ सकते हैं । इस प्रकार की व्यवस्था

Page No.106

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

हमारे समाजवाद के अनुकूल नहीं बल्कि प्रतिकूल है। इस प्रकार की व्यवस्था बिल्कुल मिटानी चाहिए। जो बड़े आदमी अपने लड़कों को ऐसी इन्स्टीट्यूशन्स में पढ़ाना चाहते हैं वे पूरी फी देकर पढ़ायें, सरकार को चाहिए कि इस प्रकार की इन्स्टीट्यूशन्स को एड नहीं दें। इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए क्योंकि इसमें सरकार का बड़ा भारी खर्चा होता है और मामूली आदमियों के बच्चों को लाभ नहीं मिलता है।

श्री सभापति : श्री केदारनाथ।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : सभापति जी, हमारी राज्य सरकार शिक्षा के ऊपर अपने टोटल खर्च का २० प्रतिशत खर्च करती है........

श्री सभापति : Could you tell me, how long will you take ?

श्री केदारनाथ : Only 15 minutes.

श्री सभापति : I will ring the bell at the 13th minute.

श्री केदारनाथ : अगर हम देखें कि आज तक हमारी शिक्षा पद्धति में क्या कमी रही है, कितना खर्च होता है, क्या रिजल्ट्स निकले हैं, आजादी के बाद जो जन-मानस में तब्दीली आनी चाहिए वह कितनी आई है, जिस प्रकार आर्थिक, सामाजिक व राजनैतिक जिन्दगी बदलनी चाहिए वह बदली है या नहीं, क्या वर्तमान मूल्यों का कन्ट्रीब्यूशन हमारी शिक्षा पद्धति करती है, जो सोशियल आब्जेक्टिव शिक्षा विभाग अचीव कर सका है क्या राष्ट्रीय जीवन में राष्ट्रीय एकता लाने में शिक्षा विभाग और शिक्षा पद्धति का हाथ रहा है ? मैं समझता हूं कि बहुत ही कान्फ्रेन्सेज हुईं, बहुत सी मीटिंग हुईं और उन कान्फ्रेन्सेज और मीटिंग्स में तरह तरह के डेलीबरेशन्स हुए हैं उन सब डेलीबरेशन्स को इकट्ठा किया जाय तो मैं समझता हूं, छोटा-मोटा पुस्तकालय बन जाय। उन सब डेलीबरेशन्स के बाद हमारा स्टेट और सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट इस शिक्षा पद्धति को नहीं बदल सका है, तो क्या एक दिन की डिबेट और एक दिन की आलोचना हमारे शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा विभाग के आफिसियल्स और ट्रेजरी बैंचेज में कुछ फर्क ला सकेगी ? मुझे शक है इसमें, सभापतिजी, मैं समझता हूं कि आज वक्त आ गया है, जब कि जिस प्रकार से जब लोकसभा में बहस हो रही थी तो हमारे आनरेबल एज्युकेशन मिनिस्टर ने घोषणायें की थीं और वे घोषणायें इस लिहाज से की थीं कि सारे देश की शिक्षा पद्धति, शिक्षा स्तर में सुधार हो सके और राष्ट्रीयएकता हो सके। उन्होंने राष्ट्रीय नीति और राष्ट्र स्तर के बारे में कहा कि इसमें कमी आई है और इसके लिए एक कमीशन नियुक्त किया है। कमीशन को कहा है कि वह कमियों का अध्ययन कर यह देखे कि किस प्रकार इन्हें दूर किया जाय और आने वाले पांच वर्षों में इन कमियों को दूर करते हुए किस प्रकार इसमें सुधार कर सकते हैं – इसे देखें। दूसरी बात उन्होंने कही कि शिक्षा का स्टैन्डर्ड गिरता जा रहा है, डिसीप्लेन के मामले में, टीचर्स के मामले में, हर पाइन्ट पर, हर लिहाज

(श्री केदारनाथ)

से शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। इसके लिए सारे हिन्दुस्तान की ऑल इन्डिया एज्युकेशन सर्विस होनी चाहिए। इसके बारे में अलग अलग राय हो सकती हैं, मैं इसके बारे में बाद में निवेदन करूंगा अगर मुझे समय दिया गया तो।

मैं आपकी मार्फत, सभापति महोदय, निवेदन करता हूं कि हमारे राजस्थान की सामाजिक लाइफ को देखते हुए, इकानामिक लाइफ को देखते हुए मैं नहीं कह सकता कि जो तब्दीली होनी चाहिए उसकी एक झलक भी शिक्षा पद्धति में दिखती हो अगर दिखती है तो इसके क्या रिजल्ट्स निकले ? आप आज प्राइमरी एज्युकेशन को ले लीजिये, हायर सेकन्डरी एजूकेशन को ले लीजिये-जो लड़के निकलते हैं, जो ग्रेजुएट्स बन कर निकलते हैं, जो मैट्रिक पास करके निकलते हैं, और जो मिडिल पास करके निकलते हैं उनमें और जनरल मासेज मे एक फर्क होता है। उनका जो मासेज के प्रति एटीट्यूड है वह खतरनाक साबित हुआ है। जिस समाज में से जो शिक्षा पढ़ने के लिए जाय वह समाज में मिल न पाय, समाज में घुल मिल न सके। आज के समाज की व्यवस्था एक बेकवर्ड इकानामी की व्यवस्था है, इसमें कोई शिक्षा को पढ़ने के बाद में जाय तो शिक्षा उसमें एक डिगनिटी आफ लेबर का एटीट्यूड पैदा नही कर सके, समाज में घुलने-मिलने का एटीट्यूड पैदा नहीं कर सकें और उन्हें अपनी स्थिति भिन्न दिखाई दे। तो जो मासेज और पढ़े लिखे लोगों की क्लास में फर्क है वह बहुत बढ़ता जा रहा है, दिनोदिन बढ़ता जा रहा है।

दूसरी बात मुझे महसूस हुई कि हिन्दुस्तान की जनता मल्टी लिंगुअल है, एक स्टेट में एक भाषा है, दूसरी मे दूसरी है। अगर हम हिन्दुस्तान के लेवल की बात करें तो आज तक जो यूनीवर्सिटी एज्यूकेशन है, हायर सैकण्डरी एज्यूकेशन है वह आम जनता में इन्टर-कम्युनिकेशन पैदा नहीं कर सकी है, सारी भाषाओं में सामंजस्य पैदा नहीं कर सकी है। मैं समझता हूं कि सारी भाषाओं में सामंजस्य पैदा हो ताकि राष्ट्र की एकता पैदा कर सके। यह नेशनल लेवल की बात है, इसका स्टेट की एज्यूकेशन पॉलिसी में फर्क पड़ता है।

तीसरी बात है कि इनडिसिप्लेन के बारे में बहुत चर्चा होती है, तरह तरह के नोट सरक्यूलेट किये गये हैं कि लड़कों में इनडिसीप्लेन बढ़ता जा रहा है। इसके कई कारण हैं, क्या फेमिली लाइफ है, सोशियल लाइफ क्या है, टीचर्स की लाइफ क्या है और समाजवाद का सिस्टम कैसा है और आने वाला भविष्य कैसा है ? मैं समझता हूं कि इसके लिये लड़कों को जिम्मेदार ठहरावें, इनडिसिप्लिन के बारे में लड़कों को जिम्मेदार ठहरायें तो गलत चीज है। क्या आज हमारी एज्युकेशन पॉलिसी अच्छे आदमियों को पैदा नहीं कर सकी ? यह स्टेट लेवल की बात नहीं है। आज पढ़े लिखे लोगों में भावना है कि किसी बैंक मे नौकरी मिल जाय, किसी फैक्ट्री में नौकरी मिल जाय, गवर्नमेन्ट सर्विस में नौकरी मिल जाय। उनमें टीचर बनने के प्रति रुचि पैदा नही कर सके हैं। दूसरे मुल्कों में हम देखें तो रूस के बारे में भले ही हम आलोचना कर लें लेकिन एज्यूकेशन की दृष्टि से देखा जाये तो टीचर

Page No.108

(श्री केदारनाथ)

का स्थान सबसे बड़ा है। इसलिये टीचर्स की प्रेस्टिज बढ़नी चाहिए। हम चाहते हैं कि टीचर ट्यूशन न करे, हम चाहते है कि टीचर पीपुल से सम्पर्क रखे और इस तरह से हम शिक्षा के क्षेत्र में स्टेण्डर्ड को सुधारना चाहते हैं तो मैं समझता हूं कि हमें टीचर्स की तरफ ध्यान देना चाहिये, उनके प्रमोशन के बारे में, ग्रेड्स बढ़ाने के बारे में, सैलेरीज के बारे में। टीचर्स की सोशियल प्रेस्टिज बढ़े इसलिए मैं समझता हूं कि अच्छे आदमी इस शिक्षा के क्षेत्र में आयें। इसके बारे में लाजिमी राज्य सरकार को सोचना चाहिए। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि शिक्षा का टोटल इफेक्ट क्या है इसके बारे में फीगर्स दिये गये हैं, वह एक किताब में दिये गये हैं--प्रोग्रेस ऑफ एज्यूकेशन इन राजस्थान। फीगर्स के लिहाज से लेटेस्ट परसेन्टेज लिट्रेसी की कितनी थी, पहले कितनी थी, पहले इन्स्टीट्यूशन्स कितनी थीं, आज कितनी हैं। आज हम महज फीगर्स के बेसिस पर आलोचना करें तो हमें सरकार की तारीफ करनी पड़ेगी। लेकिन फीगर्स के मुताबिक जो क्वान्टिटी है यह कभी क्वालिटी को सब्स्टीट्यूट नहीं कर सकती। क्वालिटी एक अलग चीज है और क्वान्टिटी अलग चीज है। जो समूचा खर्च हमने किया है। हम सोचते है कि इन्स्टीट्यूशन्स के जरिये शिक्षा देने के पहले टीचर्स की अच्छी हालत होती और सामाजिक तब्दीली होती, एज्यूकेशन पॉलिसी में तब्दीली होती तो राजस्थान के रिजल्ट्स की और स्थिति होती। लेकिन आज मास्टरों और लड़कों में अनहेपी रिलेशन्स हैं।

आज अगर लाइब्रेरीज की हालत को देखें तो आपको मालूम होगा कि वहां पर पूरी पुस्तकें उपलब्ध नहीं हैं। यदि लेबोरेटरीज की हालत देखें तो आपको मालूम होगा कि वहां पर सामान नहीं मिलता और यहां तक कि खेल के सामान और दूसरी एक्टीविटीज की बात क्या हो जबकि वहां पर कोई खेलने के लिये व्यवस्था नहीं। इसके बाद ट्रेण्ड टीचर्स की बात कही है। इसके लिये कहते हैं कि हम इस कमी को तीसरी, चौथी और पांचवीं पंचवर्षीय योजना में पूरा कर सकेंगे। मैं समझता हूं कि यह हमारी एज्युकेशन पॉलिसी पर बहुत बड़ा रिफ्लेक्शन है।

आप देखेंगे कि टोटल लड़के जो हर साल फेल होते हैं उनका नम्बर बहुत ज्यादा है। मेट्रिक और हायर सैकण्ड्री में फेल होते हैं उसके कारण उनका वेस्टेज देखें तो आपको मालूम होगा कि करोड़ों रुपयों का वेस्टेज होता है। कितने लोग एग्जामिनेशन में दाखिल होते हैं और पास होने वालों का क्या परसेन्टेज होता है। यह सब उनकी ताकत, उनके पैसे और उनकी यूथ का वेस्टेज है। हमारी शिक्षा का सिस्टम ही ऐसा ही है। इसमें रेवोल्यूशन लाने की जरूरत है। ये सारी बातें इसलिये अर्ज की हैं कि हमारे एज्युकेशन सिस्टम में यह कमी रही कि जिस तेजी से हमारा समाज और जनमानुस बदल रहा है और हमारे राष्ट्र का सारा ढांचा बदल रहा है उसके अनुसार हमने शिक्षा को, एज्युकेशन सिस्टम को बदलने का हमने अभी तक नहीं सोचा। हमारी सरकार यह चाहती है कि हायर सैकण्ड्री के बाद हर आदमी अपनी रोजी कमा सके इसके लिये उनको बेसिक एज्युकेशन दी जानी चाहिये मगर इसके लिये बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि बेसिक

(श्री केदारनाथ)

एज्यूकेशन महात्मा गांधी के सिद्धान्तों के अनुसार यहां पर बिल्कुल फेल हो गई। किसी ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। इस बात को हमारा शिक्षा विभाग, सैन्टर का शिक्षा विभाग भी मानता है कि हम बेसिक एज्यूकेशन में फेल हुए। जब आप एक बार इस सिस्टम में फेल हुए हैं तो इसको फिर से क्यों इन्ट्रोड्यूस करते हैं? इस स्टेज पर, आखिर ये सब बातें मुझे कहनी पड़ती हैं, समय खतम होने जा रहा है इसलिए मैं संक्षेप में ही कहूंगा।

अब मैं स्पोर्ट्स के बारे में कहना चाहता हूं कि जिस समय राजाओं का राज्य था, उस समय हमारे स्पोर्ट्स की क्या हालत थी और अब हिन्दुस्तान और राजस्थान में हमारे स्टेट स्पोर्ट्स का क्या स्टेण्डर्ड रह गया है। मैं कहूंगा कि इसमें आज दिनो-दिन गिरावट आई है। इस सम्बन्ध में हमने डा० कुंजरू की रिपोर्ट पढ़ी और मैं समझता हूं कि हमारे ऑफिसरों ने भी डा० कुंजरू की रिपोर्ट को पढ़ा होगा। वे लिखते हैं कि हमारे नौजवानों की हालत दिनो दिन गिरती जा रही है और स्कूलों में और कॉलिजों में इसके लिये आपने क्या इन्तजाम किया है। मैं यह कहूंगा कि खेल के आपके यहां पर सामान नहीं हैं। कहीं पर सामान नहीं है तो कहीं पर जहां सामान है तो खेलने के लिये प्रबन्ध नहीं है। एक साल में आबू में डिविजनल लेवल पर कोई फंक्शन होने से सरकार की जिम्मेवारी खत्म नहीं हो जाती है। मैं समझता हूं कि लड़कों के खेल की गिरावट जब तक रहेगी उनकी फिजिकल हैल्थ ठीक नहीं होग । अगर आप उनकी हैल्थ को सही तौर से एक्सपेण्ड करना चाहते हैं, अगर आप यह चाहते हैं कि उनकी अच्छी हैल्थ रहे, सही तौर से उनमें Clear thinking और अच्छा Tempeiament पैदा हो तो यह सही तौर से स्पोर्ट्स से ही पैदा होती है। इसकी तरफ हमने अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया है, जिसकी तरफ हमको ध्यान देना चाहिये। मेरा इस सम्बन्ध में यह सजेशन है कि पंजाब गवर्नमेंट ने इसको (स्पोर्ट्स कौंसिल) को अपने हाथ में लिया है। मैं समझता हूं कि अपने यहां पर भी यह स्टेट डिपार्टमेंट के हाथ में हो और जो एसोसियेशन्स हों वे इसमें शामिल हों और वह सारा का सारा डिस्ट्रिक्ट लेवल में आसपास हो। ऐसे स्पोर्ट रखें जिसका प्रोपर इफेक्ट लड़कों की हैल्थ पर पड़े।

अन्त में मैं इस बात को कहते हुए कि यूनिवर्सिटी का जो पेटर्न है वह जिस तरह से होना चाहिए नहीं है। फैकल्टीज और एडमिनिस्ट्रेशन में आपस में कोलोबोरेशन होना चाहिए वह नहीं है और मौजूदा समय में यूनिवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन यह समझता है कि जिस तरह से क्लेक्टरेट में कलेक्टर के अण्डर में पटवारी, तहसीलदार और दूसरे क्लर्क्स उस के नीचे होते हैं उसी तरह से प्रोफेसरों को यूनिवर्सिटी मे समझते हैं। मैं समझता हूं कि यह तरीका गलत है। इस तरह से एक प्रकार से सोशियल स्लेवरी पैदा की है और यही कारण है कि प्रिविलेज क्लासेज के लोग अपने लड़कों को अलग स्कूलों में दाखिल कराते हैं और social snobbery पैदा होती है। अगर हम चाहते हैं कि जो मौलिकता, हम हिन्दुस्तान में, हमारे समाज में पब्लिक लाइफ में लाना चाहते हैं उसकी झलक इसमें आती

(श्री केदारनाथ)

है। अगर हम उसको इस तरह की स्लेवरी को बढ़ा कर छुपाना चाहते हैं तो यह उचित नहीं होगा। सैन्टर चाहे तो सब कुछ हो सकता है। सैन्टर के पास पॉवर्स हैं। वह कह सकता है कि इस तरह से यूनिवर्सिटी के अधिकारियों में और प्रोफेसरों आदि में को-ओर्डिनेशन होना चाहिए, उनके साथ इस प्रकार का ट्रीटमेंट करना उचित नहीं हो सकता। इसके अलावा आप कहते हैं कि हायर सैकण्डरी में कितने साल की एज्युकेशन हो, डिग्री की क्या हो इस सम्बन्ध में एक्सपर्ट की ओपीनियन हो। हमारे सारे देश का एक स्तर हो। केन्द्र की तरफ से क्या झलक देना चाहिए यह जो तीन चार मुद्दे नीति के बारे में उठाए गए हैं, मैं समझता हूं कि शिक्षा मंत्री इसके बारे में अपना जवाब देंगे।

(कुछ माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए)

श्री सभापति : श्री फूलचन्द जैन।

श्री रामकिशन (वैर) : हमारी पार्टी का समय बचा हुआ है।

श्री सभापति : आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : ३०-३० मिनट का समय दिया गया था। अभी हमारा समय कुछ बचा हुआ है।

श्री सभापति : आपके २५ मिनट का समय तो हो गया था।

श्री मानिकचन्द सुराणा : ये घड़ियां गलत हैं। इसलिये हमको समय दिया जावे।

श्री सभापति : श्री फूलचन्द जैन।

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) : सभापति महोदय, शिक्षा के बारे में जो भी विचार यहां पर रखे गये हैं उस संबंध में मैं सबसे पहले तो यह निवेदन करूंगा कि शिक्षा को समाज में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान देना चाहिये और इसकी अहमियतता को ज्यादा समझने की आवश्यकता है। मैं यह मानकर चलता हूं कि भूत, भविष्य और वर्तमान की कल्पना हम इस देश के लिये करते हैं उसका मुख्य आधार शिक्षा माना जाना चाहिये। विचारों की क्रांति सोशियल क्रान्ति और आर्थिक और राजनैतिक क्रान्ति को सफलता के साथ परिवर्तन देने का मूल आधार है वह शिक्षा है और शिक्षा पर ही सारा निर्भर करता है। इसलिये मैं सबसे पहले राज्य सरकार ने इस संबन्ध में जो कुछ भी प्रगति की है उसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि इसमें कोई संदेह नहीं कि राजस्थान के अन्दर पिछली तीसरी पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल के अन्दर शिक्षा संस्थाओं में जो वृद्धि की है उसको सदन के सभी माननीय सदस्य जानते हैं और मैं भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जहां सन् ५०-५१ में एक लाख की आबादी के पीछे शिक्षा संस्थाओं की संख्या ६०२७ थी वह सन् ६०-६१ में बढ़ कर २०७७१ तक पहुंच गई है और इससे यह अन्दाजा लगाया जा सकता है कि वह साढ़े तीन गुणा संख्या में वृद्धि हुई है और इसमें से यदि ऑल इन्डिया के एवरेज को निकालते हैं

(श्री फूलचन्द जैन)

तो उसके अनुसार सन् ५०-५१ में ३७ थी तो ६०-६१ में १२८ थी। जहां ऑल इन्डिया में १०८ आती है। इस हिसाब से माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी मार्फत यह निवेदन करूंगा कि इसमें कोई संदेह नहीं कि कुछ हद तक हमने संख्या को बढ़ाई है। पर जैसा गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया कि शिक्षण संस्थाओं में वृद्धि हो, उससे संतोष मान लें उससे काम नहीं चलने का है। इस तरह से हम यह मानलें कि जहां पर एक अमुक परसैन्ट के बजाय १५ परसैन्ट हो जावें तो कुछ हुआ है लेकिन इस धीमी रफ्तार से काम नहीं चल सकता है। सभापति महोदय, मैं सरकार से अपनी तरफ से निवेदन करना चाहूंगा कि आज शिक्षण संस्थाओं की जो मौजूदा स्थिति है उसकी तरफ हमने अगर ध्यान नहीं दिया तो जो उन्नति हम उनसे इस क्षेत्र में चाहते हैं उनको हम प्राप्त नहीं कर सकेंगे।

माननीय सभापति महोदय, इस सम्बन्ध में प्राइमरी स्कूलों की जो व्यवस्था है उसका जिक्र किया गया। प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों के ट्रान्स्फर किस तरह होते है, किस तरह उनका हैरेसमेंट होता है, इसका जिक्र किया गया, कॉलेज और हायर सेकेन्डरी एज्यूकेशन का जिक्र किया गया। मैं इस सबके बारे में इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार जिस गति से, जिस विचार के द्वारा इस क्षेत्र में प्रगति करना चाहती है, मैं समझता हूं आज के जो हालात हैं, आज के वातावरण के अन्दर हम प्रजातन्त्र को अपने देश में जीवित रखना चाहते हैं, वहां शिक्षा को पूर्णतया शीघ्रातिशीघ्र विकसित करने की आवश्यकता है, तो जिस गति से, सरकार आज इस क्षेत्र में चल रही है, उस गति से हम तेजी से सफल नहीं हो सकते। जब इस सम्बन्ध में विचार रखते हैं तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि, प्राइमरी स्कूलों की जो स्थिति है, और आज जो प्राइमरी स्कूलों के अध्यापक हैं उनके जो हालात हैं उनको देखना पड़ेगा और दूसरी और यह भी विचारणीय है कि शिक्षा के अन्दर असंतोष पैदा नहीं होना चाहिये। आज विद्यार्थियों के अनडिसिप्लिन्ड होने की बात की जाती है, बुजुर्ग लोग विद्यार्थियों पर यह प्रहार करते हैं कि आज-कल छात्र अनुशासनहीन हो गये हैं। मैं समझता हूं कि केवल यह कह देना ही पर्याप्त नहीं होगा कि आजकल अनुशासनहीन हो गये हैं, मैं तो नहीं मानता कि आज छात्र अनुशासन-हीन हो गये हैं फिर भी अगर मान लिया जाय तो मैं पूछना चाहता हूं कि जो आज के छात्र अनुशासनहीन हो गये है तो इसके लिये किसकी जिम्मेदारी है? वे क्या यह मानने को तैयार नहीं हैं कि आजकल हमारी शिक्षण संस्थाओं के जो हालात हैं, उनका हमारे इन छात्रों पर प्रभाव पड़ता है, असर पड़ता है?

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

शिक्षण संस्थाओं के जो आज हालात हैं उनके हालात का छात्रों पर बहुत अधिक असर होता है।

राजस्थान सरकार द्वारा जो टेक्स्ट बुक्स प्रकाशित की जाती हैं उनके सम्बन्ध में कुछ बातें यहां कही गई। इस सम्बन्ध में मैं यह

Page No.112

(श्री फूलचन्द जैन)

कहना चाहता हूं कि टैक्स्ट बुक्स के द्वारा, टैक्स्ट बुक्स के माध्यम से, अधिक सुलभता से, अधिक सुगमता से देश के विचार छोटे बच्चों से लेकर ऊपर तक पहुंचा सकते हैं। जबकि इन टैक्स्ट बुक्स के हालात यह हैं, मैं एक उदाहरण आपके समक्ष पेश करके बताना चाहूंगा, भूगोल कक्षा ८ के लिये प्रकाशित की गई है, चित्र ६८ पेज नं० १२४ में लिखा है :

"भारत में लगभग ४ करोड़ भेड़ें हैं। सबसे अच्छी भेड़ काश्मीर की होती है जिनकी ऊन सफेद और मुलायम होती है। ऊन के लिये हिसार (पंजाब), नैनीताल, अलमोड़ा तथा गढ़वाल (उत्तर प्रदेश), मैसूर और मद्रास राज्य मुख्य हैं। राजस्थान में पाई जाने वाली भेड़ें बहुत दुर्बल हैं, जिनसे घटिया ऊन मिलता है"। जबकि एक्सपर्ट्स की यह ओपिनियन है कि सबसे अच्छी शीप में से २० प्रतिशत शीप हमारे यहां राजस्थान में पाई जाती हैं और हिन्दुस्तान का जो टोटल ऊन का प्रोडक्शन है, उसका ४५ परसेंट तक का प्रोडक्शन राजस्थान का है। दूसरी तरफ जबकि दूसरी जगहों की भेड़ों से ऊन के प्रोडक्शन का एवरेज १.६७ पाउन्ड आता है तो राजस्थान का ४ पाउन्ड पर शीप आता है।

हम जबकि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स से हमारे देश की कायाकल्प करना चाहते हैं, पर शिक्षा संस्थाओं की जो टैक्स्ट बुक्स है, उनका यह हाल है कि जिन चीजों पर हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिये उनका उनमे कही उल्लेख नहीं है........

श्री सभापति : आपका मतलब स्पष्ट हो गया कि किताबों में जो इन्फॉर्मेशन है, वह ठीक नहीं है, यह पॉइन्ट स्ट्रेस हो गया है।

श्री फूलचन्द जैन : मेरे कहने का मतलब यह है सभापति महोदय, कि जिन चीजों पर हमें अधिक से अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है उनका इन पुस्तकों में उल्लेख नहीं है। यह किताब ६० में प्रकाशित हुई थी और १९६३ मे किताब दुबारा प्रकाशित हुई, इसमें राजस्थान केनाल का कोई जिक्र नहीं है और भाखरा की जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वह इस तरह से दी हुई है कि उससे किसी को आवश्यक ज्ञान नहीं हो सकता।

इसके अलावा सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, यूनिवर्सिटीज के लिये मैं कुछ नही कहना चाहता........

श्री सभापति : जिसके लिये नही कहना चाहते तो उसको छोड़ दीजिये।

श्री फूलचन्द जैन : क्योंकि यूनिवर्सिटीज के लिये तो माननीय शिक्षा उपमंत्री का यह कहना है कि वहां का वाइस चान्सलर ही भगवान् है। ठीक है, इसके जो परिणाम होंगे उनको आप बर्दाश्त कर सकते हैं, पर राजस्थान की जनता कभी उनको बर्दाश्त नही कर सकती। इसके साथ ही साथ मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा शिक्षण संस्थाओं की स्थिति के सम्बन्ध में, इनमे कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पर राज्य सरकार को विचार करना चाहिये। जो शिक्षण संस्थाओं में असंतोष की स्थिति है, चाहे वह असंतोष छात्रों में हो, चाहे अध्यापकों में हो, आज आवश्यकता इस बात की है कि जिन कारणों से असंतोष पैदा

Page No.113

(श्री फूलचन्द जैन)

होता है, उन कारणों को दूर करने की व्यवस्था की जानी चाहिये और हमारे जो एज्यूकेशन डिपार्टमेंट के सर्विस क्लास के अधिकारीगण हैं, उनके अलावा और किसी अच्छी एजेन्सी का हाथ इस प्रबन्ध मे होना चाहिये ताकि वास्तव में जिन विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियों की आवश्यकता है, जो छात्रवृत्ति पाने के पात्र हैं, उन्हीं को छात्रवृत्तियां दी जावें। आज टीचर्स मे असंतोष बढ़ता ही जा रहा है। उपमंत्री महोदय हमारे प्रश्नों का बहुत कलात्मक ढंग से उत्तर देते हैं, इसके लिये मैं उनकी दाद देता हूं और उत्तर देने के बाद वे इसमे संतोष मानते हैं कि कितना ठीक ढंग से मैंने अपने केस को प्लीड किया है।

आज आवश्यकता इस बात की है कि जो असंतोष फैल रहा है उसको दूर करने के लिये कोई न कोई ठोस कदम उठाने चाहिये। स्टुडेन्ट्स के वैलफेअर के लिये राजस्थान सरकार क्या करना चाहती है? सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा राजस्थान सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस स्थिति में स्टुडेन्ट्स का ठीक ढंग से विकास नही कर सकते और शिक्षा की अहमियतता को कम करते है तो इसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ेगा। सजग और जागरूक केवल शब्दों में ही नहीं, केवल कहने में ही नहीं बल्कि क्रियात्मक रूप में इस क्षेत्र में सजग और जागरूक बनना पड़ेगा।

(कुछ माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री सभापति : श्री हीराभाई। ५ मिनिट में ही आप अपना भाषण समाप्त करें।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : माननीय सभापति महोदय, आज शिक्षा की डिमांड पर जो विचार हो रहा है, उस बारे में यह साफ जाहिर हो रहा है कि पहले जो शिक्षा का स्तर था वह राजस्थान की आजादी के बाद ऊंचा उठना चाहिए था लेकिन वह तो और भी गिर रहा है। आज अगर पढ़े लिखे लोगों की संख्या के आंकड़े भी बढ़े हैं तो आबादी भी तो बढ़ी है। एक तरफ तो हम बैकवर्ड एरिया में शिक्षा बढ़ाने की बात करते हैं, दूसरी तरफ आदिवासियों के लिए सारी अखबारी और कागजी कार्यवाही होती है। शहरों के जितने भी विद्यार्थी हैं, कोई ऑफिसर बन गया किसी को और कोई नौकरी मिल गई, सारा नक्शा आपके सामने है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा और कुछ उदयपुर के हिस्सों में आदिवासी हैं वहां से ऑफिसर के पद पर एक भी आदिवासी नहीं है। सरकार ने उस तरफ बिल्कुल ध्यान नही दिया है। अगर सरकार शिक्षा पर ध्यान देती तो कुछ फायदा होता। हमारे आदिवासी लोग भी ऑफसिर की नौकरियों पर जा सकते थे। आज एक भी हमारी एरिया का बैकवर्ड या आदिवासी अफसर की जगह पर नहीं है। शहरों में तो ऐसे ही स्कूल बन जाते हैं और गांवों के लोगों को श्रमदान के रूप में जब अपना रुपया जमा करना पड़ेगा तभी जाकर कोई स्कूल खुल पाएगा। जितना गांवों में नए स्कूलों का निर्माण करने पर खर्च किया जाता है उतना शहरों में स्कूलों के मरम्मत पर खर्च होता है और फिर कहेंगे कि बजट में घाटा है इसलिए गांव में स्कूल

Page No.114

(श्री हीराभाई)

नही बन सकता । मिडल स्कूल भी नही खुल पाता । यह राज्य सरकार का रवैया है । इससे हमारे कम से कम ५० प्रतिशत आदिवासी हैं वह शिक्षा से वंचित रह जाते हैं । मैं समझता हूं कि ऐसी सरकार सरकार नही कहलाएगी वह पूंजीपतियों का एजेंटापन कहलाएगी । इसलिए श्रमदान या नकद रकम जमा कराने की और रकम की जो शर्त है वह बिल्कुल हटा दी जाय ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मंत्री महोदय कहते हैं कि हमारे यहां १० मील के एरिया में हायर सेकंडरी स्कूल नहीं खोली जा सकती । अगर आपकी यही शर्त है तो जयपुर के कितने ऐसे गांव हैं जहां आपने १० मील के अंदर स्कूल नहीं खोला है । जहां से कांग्रेसी उम्मीदवार जीत कर आता है वहां ४--४ मील की एरिया में मिडिल स्कूल हैं और जहां से विरोधी लोग जीतते हैं वहां के लिए कोई स्कूल नहीं ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

कुशलगढ़ पंचायत समिति, शेरगढ़, बागीडोरा में शिक्षा का बहुत अभाव है । हर पंचायत समिति में हायर सेकंडरी स्कूल और मिडल स्कूल खोलने चाहिएं, शिक्षा के सेंटर्स खोलने चाहिएं तो वहा के लोगों को भी मदद मिल सकेगी ।

श्री डूंगाराम राजोरिया (जमवा-रामगढ़) : सभापति महोदय, मेरा प्रस्ताव है कि मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में १) रु० की कटौती की जाय । यह जो जमवा रामगढ़ का एरिया है वह सुरक्षित सीट है और इस तहसील में शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के ज्यादातर लोग रहते है । वहां के लोगों को सही तरीके की शिक्षा उपलब्ध नही हो रही है तथा सरकार की ओर से वहां शिक्षा पर विशेष ध्यान नही दिया गया है । राज्य और भारत सरकार का इस तरह का नियम है कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स जल्दी से जल्दी उत्थान करना है तथा जो अशिक्षित लोग हैं उनको जल्दी से जल्दी शिक्षित बनाना है । जो सदियों से पिछड़े हुए उनको उठाना है । मैं अपनी कॉंस्टीट्यून्सी के बारे में निवेदन करूंगा कि वहां पहले ही स्कूलों की कमी है और कमी होने पर भी वहां सरकार का कोई ध्यान नहीं है । जब स्कूलों की मांग की जाती है तो सरकार यह भी कहती है कि स्कूल खुलवाने हों तो जनता के सहयोग से स्कूल भवन चाहिए । जनता द्वारा स्कूल भवनों का (जमवा-रामगढ़) उस कॉंस्टीट्यून्सी में पूरा प्रबंध है फिर भी स्कूल नहीं खोले जा रहे हैं । मैं आंधी ग्राम के लिए निवेदन करूंगा कि वहां बहुत अच्छा स्कूल भवन है । उस भवन को बने हुए तीन साल हो गए लेकिन आज तक हाई स्कूल नहीं खोला गया । वहां पढ़ने वाले लड़कों की संख्या काफी है और सभी दृष्टि से हाई स्कूल चलाना जरूरी है ।

दूसरा स्कूल भवन गठवाडी में बन चुका है । परन्तु वहां भी यही हाल है । वहां पूरे कमरे है । जिससे हायर सेकन्डरी स्कूल खोलने योग्य हैं । लेकिन अब तक कोई ध्यान नहीं दिया गया है । वहां पर ५००-६०० छात्र शिक्षा प्राप्त करते है किन्तु मिडल स्कूल

Page No.115

(श्री डूंगाराम राजोरिया)

से पास हो कर निकलने के बाद आगे पढ़ने से वंचित रह जाते हैं, अतः यहां हायर सेकेण्डरी स्कूल खुलना चाहिए। फिर भी राज्य सरकार ध्यान नहीं दे रही है।

एक निवेदन मैं यह करूंगा कि गत वर्ष राज्य सरकार का यह ख्याल था कि जिला-स्तरीय मिडल स्कूल खोले जायेंगे । उसी आधार पर तहसील जमुआ रामगढ के रानी-जी का खोओ गांव के लिए मिडल स्कूल की मांग की, जिला परिषद् ने भी उसकी सिफारिश कर दी और उसके लिए आॅर्डर्स भी निकाल दिये कि वहां स्कूल खोल दिया जावे लेकिन स्कूल वहां नहीं खोल कर पता नहीं कहां खोला गया। क्या यही सरकार की नीति है। वहां नीचे गिरे हुए तबके के लोग रहते हैं? पिछड़ी हुई जातियां रहती हैं, उनके उत्थान के लिए जब तक सरकार शिक्षा के बारे में ध्यान नहीं देगी ये जातियां ऊंची उठने वाली नहीं हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि पिछड़ी जातियों को अधिक से अधिक शिक्षा देने की कोशिश करें और सब तरह से सहायता देने की भी भावना बनायें।

श्री सभापति : श्री देवीलाल।

श्री देवीलाल मीणा (सराडा) : सभापति महोदय, मेरे दो कटौती के प्रस्ताव हैं। एक तो चावंड गांव में हायर सेकन्डरी स्कूल में साइन्स क्लास खोलने के बारे में है और दूसरा उसी तहसील में टोकर गांव मे मिडल स्कूल खुलवाने के बारे में है।

टोकर गांव के आसपास में सारा पिछड़ा हुआ एरिया है। उसमें आदिवासी लोगों की काफी आबादी है। वहां मिडल

(१२. ४३म.प.)

(राव श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

स्कूल का खुलवाना आवश्यक है। मैं आपके द्वारा सरकार से यह निवेदन करता हूं कि शिक्षा की दृष्टि से तो काफी हमारे वहां उन्नति हुई है, लेकिन उसके साथ साथ काफी पिछड़े हुए क्षेत्र में काफी कमी है इसके बारे में सरकार को आपके द्वारा निवेदन करता हूं।

दूसरा, सराडा तहसील में आदि--वासियों की आबादी काफी मात्रा में है। वहां पर चावन्ड हायर सैकन्डरी स्कूल सारी तहसील मे एक ही है। आदिवासी पिछड़े हुए लोग हैं। वे साइन्स पढने के लिए, तथा टेक्निकल शिक्षा प्राप्त करने के लिए बाहर जाते है तो उनको काफी खर्चा करना पड़ता है। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मेरा उप-मंत्री महोदय से निवेदन है कि टेक्निकल शिक्षा के लिए साइन्स क्लास खोलनी चाहियें ताकि आदिवासी और पिछड़े हुए लोगों को शिक्षा प्राप्त हो सकेगी और उनको बाहर न जाना पड़े।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरदत्तसिंह।

श्री हरदत्तसिंह (नोहर) : उपाध्यक्ष

(श्री हरदत्तसिंह)

महोदय, मैं बड़ी जल्दी जल्दी अपनी बातें आपके सामने रखूंगा ।

जिस तरह से पुलिस का महकमा जनता के साथ ज्यादती करने के लिए बन रहा है उसी तरह से शिक्षा विभाग का महकमा भी अध्यापकों के साथ ज्यादती करने वाला बन रहा है । मैं आपके सामने दो मिसालें रखना चाहता हूं । एक सरकारी स्कूल की और दूसरी सरकारी एडेड स्कूल की ।

सरकारी एडेड स्कूल के लिए ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि १५ नवम्बर को माननीय शिक्षा उप-मंत्री ने मेरी कॉन्स्टीट्यूएन्सी मेरे निवास स्थान का दौरा किया था और वहां पर उन्होंने दो सरकारी एडेड इन्स्टीट्यूशन्स का मुआयना किया था और उद्घाटन किया था । एक है महिला बाल कल्याण केन्द्र, दूसरी है महिला मीरा विद्यापीठ । इन दोनों संस्थाओं के प्रधान एक ही सेठ साहब हैं । वहां पर कोई भी अध्यापिका या अध्यापक छः महीने से अधिक नही टिकती है । वहां का यह रवैया रहा है अध्यक्षजी का कि छः महीने के बाद अध्यापक को रवाना कर देते हैं । १५ तारीख को शिक्षा उप-मंत्री ने दौरा किया और २० तारीख को अध्यक्ष के खिलाफ वहां के टीचर की पत्नी के साथ बलात्कार करने का पुलिस में केज दर्ज हुआ । शर्म की बात है कि शिक्षा विभाग ने आज तक पूछताछ भी नहीं की । मैं अर्ज करूं उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी संस्थाओं के अध्यक्ष को, जो छः महीने से अधिक किसी भी अध्यापक को नही रखने, जो इस प्रकार की अनैतिक कार्यवाही करते है, उनकी संस्थाओं की एड बन्द हो जानी चाहिये ।

इसी तरह से सरकारी स्कूल के लिए कहता हूं । तारानगर में मिडल स्कूल है । वहां अध्यापिका की नियुक्ति की और छः महीने के बाद ही उसका तबादला कर दिया । उस अध्यापिका को आज तक उसका वेतन नही दिया गया है । खाली शिक्षा संस्थाओं की तादाद बढा देने से और यह कह देने मात्र से कि ८७०० के बजाय हमने २८००० प्राइमरी स्कूल खोल दिये हैं इससे काम चलने वाला नहीं । शिक्षा का स्तर बढाना चाहिये और अध्यापकों का समाज में सम्मान बढाना चाहिये । जब तक यह नही होगा, शिक्षा में कोई उन्नति नहीं होने वाली है ।

अभी सुजानगढ से आने वाले माननीय सदस्य ने पाठ्य पुस्तकों का विवरण दिया । उन्होंने पाठ्य-पुस्तकों से भेड़ और ऊन के आंकड़े प्रस्तुत किये । वे गलत थे । इस प्रकार की पाठ्य पुस्तकें हमारे बच्चों के ज्ञान के लिए दी जाती हैं । गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने करप्शन के बारे में शिकायत की थी । सरकार आज भ्रष्टाचार की बीमारी से पीड़ित है । उसके भ्रष्टाचार का फोड़ा है । उस फोड़े पर कोई हाथ रखता है तो यह दर्द करता है । उसी प्रकार सरकार भ्रष्टाचार के दर्द से कराह रही है ।

बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बात कही थी कि हायर सेकण्डरी स्कूलों की स्थापना हुई वह व्यवस्थित ढंग से

(श्री हरदत्तसिंह)

नहीं हुई । भादरा तहसील में निनाड़ और छानी दो गांवों में हायर सैकन्डरी स्कूल हैं। खुद भादरा में हायर सैकन्डरी नहीं है। उन्होंने मांग की थी कि वहां से हायर सैकन्डरी स्कूल हटा देना चाहिये । लोगों को विचार बता चुका हूं। निनाड़ और छानी दोनों के बीच में दो-ढाई मील का फासला है । कभी भी करना चाहें तो छानी के हायर सैकन्डरी स्कूल को भादरा ले जा सकते हैं, और भादरा से छानी भेज दीजिये ।

इसके साथ ही उपाध्यक्ष महोदय, मैं चार बातों की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं । उसके बाद मैं अपनी बात खत्म करता हूं। प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों का चार तरीकों से विक्टिमाइजेशन कर रहे हैं। उसमें सुधार किया जाय । पहला तो आपने उनके आयन्दा शिक्षा प्राप्ति में व्यवधान खड़ा कर दिया है, एक बाधा खड़ी कर दी है । जब आप अच्छी शिक्षा चाहते हैं तो आपको हरएक को मौका देना चाहिये । बेचारे उन गरीबों ने आपकी नौकरी कर ली है तो क्या अनर्थ कर लिया कि आप उनको शिक्षा प्राप्ति की इजाजत नहीं देते....

श्री उपाध्यक्ष : चार बात नहीं । चार चोक सोलह बातें हो जायेंगी ।

श्री हरदत्तसिंह : प्राईमरी स्कूल के अध्यापकों का वेतन ७०) रु० से शुरू होता है । एक चपरासी ७०) रु० लेता है उतना जो अध्यापक आगे राष्ट्र के नायक बनाने वाले हैं, जो राष्ट्र की नींव हैं, उसकी आधार शिला है उसको कायम रखने वाले हैं हमारे उन गुरुजनों को आप ७०) रु० से स्टार्ट करते हैं । तो यह अच्छाई है आपकी ।

इसलिये कम से कम इनकी बेसिक पे १२५ रुपया होनी चाहिये । तभी ये शिक्षण संस्थायें ठीक चल सकेंगी । आज हम देखते हैं अध्यापकों के सामने अपने पेट भरने का सवाल रहता है, इसलिये वह अनुशासित जीवन बिता नहीं सकता ।

चौथी बात यह है कि आज शिक्षण संस्थायें राजनीति का शिकार बनी हुई हैं। मैं इसके उदाहरण स्वरूप भादरा पंचायत समिति का उदाहरण देना चाहता हूं । आप पता लगा लीजिये वहां के जो प्राईमरी अध्यापक हैं उनका साल में दो बार निश्चित रूप से तबादला कर दिया जाता है । मैं आपसे मांग करता हूं आप यदि जन प्रतिनिधियों के संरक्षण में ही इन संस्थाओं को रखना चाहते हैं तो जिला स्तर पर जरूर रखिये ताकि पार्टी पॉलिटिक्स का सवाल पैदा न हो ।

एक बात और निवेदन करना चाहूंगा । प्राईमरी स्कूल के शिक्षकों की १६ लाख रुपये की बकाया है, उनके पेमेन्ट की व्यवस्था की जानी चाहिये । डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से जब अध्यापकों का इन्टीग्रेशन हुआ, छः साल हो गये उनके वेतन के पैसे बाकी हैं । आपको भगवान मुख्य मंत्री बनाये, आप उनके बकाया का जरूर ध्यान रखिये ।

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री शिक्षा) : उपाध्यक्ष महोदय,....

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : आपके शकुन-अप-शकुन हो गये ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आपके कहने से छींका नहीं टूटता....

श्री विजयसिंह झाला : कभी कभी टूट ही जाता है ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : उपाध्यक्ष महोदय, इस डिमान्ड के सम्बन्ध में जितने भी कटौती के प्रस्ताव आये हैं उनमे ज्यादातर माननीय सदस्यों ने अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र. के अभाव अभियोगों के साथ साथ नीति सम्बन्धी भी कई सुझाव इस सदन में दिये हैं । मैं माननीय सदस्य का बहुत आभारी हूं जिन्होंने बहस के दौरान में कई सुझाव दिये जिनसे हमें बहुत मदद मिली है । जहां उन्होंने करप्शन की बात कहीं साथ साथ नीति सम्बन्धी भी जिक्र किया इससे हमारा मार्ग प्रशस्त हुआ और इससे हमको मार्ग प्रदर्शन मिलता है ।

सौभाग्य की बात है कि उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने और कई सदस्यों ने शिक्षा विभाग की उत्तरोत्तर प्रगति में विश्वास किया और कहीं कहीं प्रशंसा भी की है । इसके अतिरिक्त माननीय सदस्यों में जो प्रोग्रेस आफ एज्युकेशन इन राजस्थान में जो पुस्तिका बांटी गई उसमें दिये हुए आंकड़ों के सम्बन्ध में उसमें उल्लिखित प्रगति के सम्बन्ध में मान--नीय सदस्यों ने सन्तोष ही नहीं बल्कि अपने विचार भी प्रकट किये और पुस्तिका में दिये गये आंकड़ों को किसी ने चुनौती नहीं दी । बाहर हाल उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा विभाग के प्रश्न पर और शिक्षा सम्बन्धी नीति के बारे में बहुत अच्छे सुझाव मिले । आलोचनात्मक दृष्टि से कटु आलोचना नहीं हुई सद्भावना के आधार पर आलोचना हुई । मैं इस दृष्टिकोण से माननीय सदस्यों का बड़ा आभार मानता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा विभाग ही ऐसा विभाग है जो सही मानने में जनता के सहयोग से और माननीय सदस्यों के सुझाव और उनकी मान्यताओं पर बहुत कुछ आधारित है । यह ऐसा विभाग है जिसमे जनता का अधिक से अधिक सहयोग अपेक्षित है ।

मैं इन सारे कटौती प्रस्तावों के जबाव में कुछ न कुछ निवेदन करने का प्रयास करूंगा और जो कटौती के प्रस्ताव रह गये हैं उनका भी उत्तर किसी न किसी प्रकार माननीय सदस्यों तक पहुंचे उस बारे मे प्रयास करूंगा । इन प्रस्तावों में कई प्रस्ताव महत्वपूर्ण हैं और जिनके बारे में जानने की माननीय सदस्यों में जिज्ञासा भी है। इसलिये मैं विश्वास दिलाते हुए और माननीय सदस्यों का विश्वास मुझे मिलता रहेगा इन प्रश्नों पर इन कटौती प्रस्तावों पर जो उपस्थित किये गये हैं उत्तर देने का प्रयास करूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक शिक्षा विभाग का प्रश्न है मै उसके इतिहास को

Page No.119

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

दोहराना नहीं चाहता--वह इतिहास जो प्रिन्सली स्टेट्स से ताल्लुक रखता है, शिक्षा के क्षेत्र में उनका कितना ध्यान था ? पहले छोटी रियासतें थीं उनका क्षेत्रफल कम था, साधन कम थे, साइज कम था, स्टेन्डर्ड ऑफ एज्युकेशन में विभिन्नता थी तो उस समय में और आज राजस्थान बनने के बाद के समय में बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाई देता है और परिवर्तन वैसा परिवर्तन जो दीख सके। मैं इस समय पुरानी स्थिति को प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको यह बताना चाहूंगा कि उस समय से लेकर आज तक हम किस प्रकार उत्तरोत्तर प्रगति करते जा रहे हैं। यह मैं मानता हूं इसमें त्रुटियां हो सकती हैं, क्षमता के प्रश्न पर कई स्थितियां पैदा हो सकती हैं। शिक्षा का स्तर ऊंचा है नीचा है इस सम्बन्ध में विभिन्न रायें हो सकती हैं, फिर भी जहां प्रगति का सवाल आता है माननीय सदस्यों को यह मानना होगा कि राजस्थान ने शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति की है। १९५१ में परसैन्टेज ऑफ लिट्रेसी ५.५१ था। उसको इसलिए रख रहा हूं कि वह उस किताब में मौजूद है, जिसको माननीय सदस्य पढ़ चुके हैं, जिसके बारे में उनको पूर्णतया सन्तोष भी है। और अधिक आंकड़े मैं देना नहीं चाहता। उसमें ५.५१ का लिट्रेसी का आंकड़ा था उसके बाद उपाध्यक्ष महोदय, ४८--४९ में इन्सटीट्यूशन्स का नम्बर ५०--५१ से ले कर ६०--६१ और अप टू ६३-२७॥ हजार इन्सटीट्यूशन्स राजस्थान में उत्पन्न हुई जब कि सन् ४८--४९ में ४, ८९६ थीं। ये आंकड़े इसलिये रखे हैं कि हमारे यहां एक प्रगति की धारा चली है उसका एक सही चित्र सदन में माननीय सदस्यों को पुस्तिका द्वारा मिल चुका है। अब सवाल रह जाता है क्वालिटेटिवली और क्वान्टिटेटिवली का। इसमें एक तो यह मानना पड़ेगा कि क्वान्टिटेटिवली हमारी स्थिति अच्छी है। क्वालिटेटिवली क्या है वह मैं आगे चल कर बताऊंगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : दूसरे स्टेट्स के मुकाबले हम कहां है वह बतलाइये ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : इसके साथ साथ हमें यह भी देखना होगा दूसरे स्टेट्स के मुकाबले हम कहां थे और अभी कहां खड़े हैं, यह दूसरा प्रश्न है।

मैं निवेदन कर रहा था जहां तक एक्सपेन्डीचर का सवाल है सन् ५५--५६ में पन्द्रह प्रतिशत ऑफ दी बजट, इसी तरह से १६ परसेन्ट, १८ परसेन्ट, १९ परसेन्ट २१ परसैन्ट, २४ परसेन्ट, २२ परसेन्ट और ६३--६४ में अर्थाभाव के कारण २१ परसेन्ट खर्च कर रहे हैं।

(१.०० म प०)

तो मैं यह अर्ज कर रहा था। मैंने दोनों विद्यालयों की संख्या और अनुपात इसलिये निवेदन किया कि पुरानी परिस्थितियों मे भी जहां तक हमारे प्रयत्नों का प्रश्न है, हम श्रम कर रहे हैं यह इस बात का द्योतक है। इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, इस बात से हमको और आपको दोनों को सन्तोष है कि शिक्षा में राजस्थान आगे बढ़ा है।

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

प्रश्न यह उठता है कि दूसरे प्रान्तों की अपेक्षा राजस्थान कहां है ? मैं इस सम्बन्ध में सिर्फ इतना ही निवेदन करूंगा कि छः प्रान्तों में जो पिछड़े हैं शिक्षा के माने में, उनमें राजस्थान भी एक है और छः प्रान्तों में यू० पी० है, वह भी एक है, मध्यप्रदेश वह भी एक है और राजस्थान भी एक है। यू० पी०, जिसमें कई विश्वविद्यालय हैं, जिसमें कई महा विद्यालय हैं, जिसमें कई कहते हैं प्राइवेट इन्सटीट्यूशन्स की भरमार है, उसके मुकाबले में हम ठहरते हैं। मध्यप्रदेश से हम कई मानों में ठीक है ऐसा हमारा विश्वास है। इसलिये मैं अर्ज कर रहा था उपाध्यक्ष महोदय, कि यह तो हमारे विस्तार की स्थिति सदन में मैंने प्रस्तुत की और अगर हम गुजरात को भी ले लें और उसके मुकाबले में भी हम कहां कहां ठहरते हैं यह देखें तो ये छः प्रान्त कहे जाते हैं, यद्यपि उनमें हमारा भी नाम है पर कई प्रगतिशील कहते हैं उनके साथ साथ हम भी हैं। यह तो विस्तार के सम्बन्ध में कहा।

शिक्षकों के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा गया और बैचेनी है शिक्षकों के प्रश्न पर इस सदन को। मुझको भी बेचेनी है शिक्षकों के प्रश्न पर। उनका स्तर कैसे बढ़े, उनको अधिकाधिक सुविधाएं कैसे मिलें, उनके कई प्रश्न जो विभाग में लटके हुए हैं, वे कैसे निकलें, इन सारे प्रश्नों पर भी हम सतर्क हैं। मैं सिर्फ एक बात निवेदन कर देना चाहता हूं, जैसा पूर्व में निवेदन किया कि शिक्षा विभाग एक सहयोग का विभाग है। पारस्परिक भावनाओं का विभाग है जो माननीय सदस्यों के सहयोग की भी अपेक्षा करता है। हमने शिक्षकों के प्रश्न पर बहुत कुछ कहा और निराकरण भी किया। फिर स्पष्ट करना चाहूंगा कि शिक्षा विभाग और सरकार उनके प्रश्नों को सुलझाने में प्रयत्नशील है।

पर उपाध्यक्ष महोदय, एक सहयोग की भावना माननीय सदस्यों से भी अपेक्षित है। वह किस रूप में मिलना चाहिये, कम में नहीं इसका भी आगे जिक्र करूंगा। पर शिक्षकों के लिये हम बहुत ज्यादा बेचैन हैं। उसके पहले एक संकेत मैं सदन से भी चाहता था शिक्षकों के नाम से, एक आदेश चाहता था सदन से शिक्षकों के नाम पर और वह आदेश यह होता कि हम तुम्हारे लिये यहां प्रयत्न करते हैं, तुम्हारी स्थिति को सुधारने के लिये और तुम्हारे से यह अपेक्षा करते हैं कि जहां कहीं भी प्रान्त के किसी कोने में तुम अपना कार्य और दायित्व को निभा रहे हो, सही माने में निभाओ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इससे कोई किसी कम्यूनिटी पर विशेष आक्षेप नहीं लगाना चाहता, लेकिन मैं सिर्फ यह अर्ज करना चाहता हूं कि शिक्षा विभाग में शिक्षकों से हम अगर उनकी वेतन शृंखलाएं बढ़ाते हैं, अगर हम उनकी स्थिति में सुधार करते हैं तो उसके आधार पर उसके अनुपात से बच्चों में आभास मिलना चाहिये उसका उनकी तरफ से, बालकों की स्थिति में सुधार हो, यह उनको देखना चाहिये। मैं अपने आप कहना नहीं चाहता कि राजस्थान की स्कूलों में आज अगर शिक्षक अपने कर्त्तव्य के प्रति सजग

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

हो जावे, कुछ उत्तरदायित्व को समझने लग जावें और आप हम जब भी ग्रामीण क्षेत्रों में जावें और प्राथमिक पाठशालाओं को देखें, माध्यमिक शालाओं को देखें और उनमें पढ़ने वाले बच्चों को देखकर अपने दिलों में, आपके दिलों में, मेरे दिल में प्रसन्नता हो जावे तो हम समझेंगे कि शिक्षकों ने अपने दायित्व को निभाया। इसके बाद में सदस्य यह महसूस करते हुए आए कि उन्होंने अपने कर्त्तव्य को, दायित्व को निभाया है, उन्होंने बच्चों को सुधारा है, उन्होंने विद्यालयों को सुधारा है और उन्होंने विद्यालयों और विद्यार्थियों को अपना समझा है, अगर यह आभास मिल जावे और इसके बाद सदन में इस प्रश्न को माननीय सदस्य उठावें तो माननीय सदस्यों को बड़ी शक्ति मिलेगी। बड़ी क्षमता के साथ कहने का मौका मिलेगा और हम भी, अगर कहीं हमारी गलती होगी, तो नीचा सिर किये माननीय सदस्यों को सुनेंगे और अपराधी की तरह कहेंगे कि उनका कथन सत्य है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि दोनों समानान्तर कर्त्तव्य पर हैं, दोनों को साथ चलना चाहिये। शिक्षक भी चलें सरकार भी चले, माननीय सदस्य भी चलें और यह सारा दायित्व एक का ही न होकर सबका हो, सामूहिक हो, और सामूहिक जहां होगा, वहां बल आवेगा, और बल जहां होता है वहां बच्चे और विद्यालय दोनों बढ़ते हैं।

इसलिये आपने यद्यपि यहां संकेत शिक्षकों के नाम पर नहीं दिया, पर मुझे आदेश दीजिये कि मैं आपकी तरफ से शिक्षकों को यह संकेत और यह, आदेश तो नहीं, यह संदेश भेज सकूं माननीय सदस्यों का कि उनका यह संदेश है और यह राय भी है कि जैसी उनकी पैरवी आप कर रहे हैं उसी के अनुपात से अपने कर्त्तव्य में आप भी लगकर आगे बढ़ने का प्रयत्न करें और इसलिये करें कि अगर उनका प्रयत्न हुआ तो औसत स्तर भी हमारी बढ़ेगी और विद्यालय भी आगे बढ़ते जावेंगे।

हमारे यहां के समाज का प्रतिबिम्ब शिक्षक है, समाज का प्रतिबिम्ब बालक और समाज का प्रतिबिम्ब हम हैं, तो समाज जिस रफ्तार से सुधरता और ऊंचा उठता जावेगा तो शिक्षक भी अच्छे हो सकते हैं, बच्चे और बच्चे भी। हमारा, हमारा तो प्रश्न पैदा ही नहीं होता, हम तो पहले से ही अच्छे हैं।

इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, यह एक साथ चलनेवाली स्थितियां हैं, उसके सम्बन्ध में भी एक अपेक्षा मैं करता हूं सदस्यों से, आपके इलाकों में प्राथमिक शालाएं हैं, माध्यमिक शालाएं हैं, उच्चतर....

श्री हरदत्तसिंह (नोहर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक पोइन्ट है। आपने फरमाया कि दोनों....

(शोरगुल--व्यवधान--अश्रव्य)

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं यह अर्ज कर रहा था कि एक दायित्व सिर्फ हमारा है।

श्री हरदत्तसिंह : जरा सुन तो लीजिये न....

श्री निरंजननाथ आचार्य : I am in possession of the floor, Sir.

(दोनों वक्ता जोर से एक साथ बोलते रहे; व्यवधान--शोरगुल--अश्रव्य)

अगर आप यह जिम्मा ले लें कि आपके क्षेत्र की माध्यमिक शालाओं और प्राथमिक शालाओं में आपका मन लग जावे, सुधारने के प्रश्न पर आप शिक्षकों को सुझाव दे सकें....

श्रीमती नगेन्द्रबाला (छबड़ा) : On a point of order, Sir, मन्त्री महोदय जो जवाब दे रहे हैं, उसमें कह रहे हैं वे कि शिक्षकों को ही अपना सुधार करना चाहिये, जैसे सारा दोष उनका ही हो। वहां के शिक्षक वर्ग के लिये हम मानते हैं कि उनमें भी कुछ भावनाएं पैदा होनी चाहिए, पर सरकार का भी यह साथ साथ में पूरा पूरा कर्त्तव्य है कि वे भी अपनी तरफ से ऐसा अवसर दें कि वैसी भावना उनमें पैदा हो सके। इसमें पहल सरकार को करनी चाहिए।

(दोनों वक्ता एक साथ बोलते रहे; व्यवधान, शोरगुल, अश्रव्य)

श्री निरंजननाथ आचार्य : This is no point of order. I protest, Sir, this is no point of order.

श्रीमती नगेन्द्रबाला : आप सुनिये तो सही। मैं आपको बताती हूं। आप जन सहयोग की बात करते हैं, आज जन सहयोग सभी विभागों से अधिक शिक्षा विभाग को पूरा पूरा मिल रहा है, किस विभाग को नहीं मिलता ? आप बताएं, पर आप उसके बदले में क्या देते है, यह भी देखा है आपने ? आपने अपना दायित्व भी देखा है ?

(हियर, हियर की ध्वनि शोरगुल, व्यवधान, अश्रव्य)

श्री निरंजननाथ आचार्य : I seek your protection, Sir, आप नाराज बड़े जल्दी होते हैं। तो मै यह कह रहा था, उपाध्यक्ष महोदय....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : आपने जो इजाजत चाही है वह हम देते हैं, सदन की तरफ से आपको पूरी इजाजत है। पर बदले मे आप क्या यह इजाजत हमें देते हैं, क्या कि हम सदन के जितने भी सदस्य हैं वे आपकी तरफ से उन शिक्षकों को भी जाकर यह कह सकें कि हमने तुम्हारी तरफ से सरकार को यह इजाजत दी है और सरकार ने अपनी तरफ से हमें इजाजत बदले में दी है कि जितने भी तुम्हारे एरियस हैं वे तुम्हें मिल जावेंगे। तुम्हारे साथ जो कन्फर्मेशन आदि मे ढिलाई हुई है वह तुम्हें अब मिल जावेगी। तो आपसे भी इस तरह की हम इजाजत चाहते हैं। हम सब कहते हैं कि आप इस तरह की हमें इजाजत देते हैं या नही। हम तो अपनी इजाजत देते हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि मेरा मतलब आप गलत न समझें। मैंने सिर्फ यह अर्ज किया था बच्चे गन्दे रहते हैं, शिक्षक गन्दे रहते है, शिक्षक देर से आते हैं। अगर आप बच्चों को साफ करने का दायित्व भी ले लें तो शिक्षक अपने आप शर्मा जावेंगे। वे भी साफ रहने लग जावेंगे। तो इस तरह से कई तरीके हैं।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : अस्सी अस्सी छात्र पढ़ते हैं और शिक्षकों का प्रबन्ध नहीं है ।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : आप खुद गन्दे रहते हैं, उसके लिये क्या चाहते हैं करना ?

श्री मथुरादास माथुर (विधि मन्त्री) : वह तो विद्यालय का फर्क है आपका । आपकी गन्दगी प्रसिद्ध है ।

श्री मानसिंह महार : तभी हम आपकी सफाई करते हैं । आपको यह मालूम होना चाहिये ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : सहयोग की भावना पैदा हो तो शिक्षक और बच्चे भी सुधार की ओर जा सकते है । फिर भी मैंने तो सिर्फ आपकी भावनाओं को उभारने के लिये नहीं सुझाव के तौर पर कहा है ।,

शिक्षकों के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि उनके वेतन स्केल में उनकी स्थिति में सुधार करने का प्रयास राज्य सरकार का समय समय पर रहा है और उसका संकेत, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं देना चाहता हूं कि पहले एक मिडल पास को केवल ५०) से ७५) का स्केल मिलता था और प्रशिक्षित मैट्रिक पास को ६०) से १२०) का स्केल था । अब उपाध्यक्ष महोदय, हमने उनको तीन भागों में विभाजित किया है ।

प्रथम २२५ से ४८५)
द्वितीय ११५ से २५०)
और तृतीय ७५) से १६०)

और उसी तरह से कॉलिजों का ग्रेड यह था पहले २००) से ४००। और अब किया है हमने २८५) से ८००) तक । हमें इस में सुविधा मिली है । कॉलिज में प्राध्यापक बनने के बाद में चूंकि आर० ए० एस० में ज्यादा तनख्वाह रहती थी, कई आर० ए० एस० में चले जाया करते थे । अनुभव होने पर भी, शिक्षा विभाग में अनुभव लेने पर भी कई प्राध्यापकों के चले जाने से हमको नुकसान होता था । हमें प्रसन्नता है कि आर० ए० एस० से प्राध्यापक बनने के लिए व्यक्ति ज्यादा तैयार हैं बनिस्वत हमारे कॉलेज से उधर जाने के लिए । तो मैंने सिर्फ एक संकेत रूप में कहा कि शिक्षक की स्थिति सुधारने में यह नहीं है कि सरकार जागरूक नहीं है । सरकार ने उनकी वेतन शृंखला को रिवाइज़ किया है और यह प्रयत्न किया है कि शिक्षक को सन्तोष मिले....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : और एरियर्स नहीं दिये जायें ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं उस पर आऊंगा । आप उसको पकड़े रखिये । मैंने उसको लिख रखा है । शिक्षा क्षेत्र में, उपाध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने संख्या का अनुपात सदन के सामने रखा उसी तरह से यह कहा जा सकता है कि टेक्निकल साइड में क्या हुआ । क्योंकि यह जमाना अधिक से अधिक विज्ञान

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

और टेक्निकल साइड को अपना रहा है और उसके बिना हमारा राज्य आगे नहीं बढ़ सकता; उसके सम्बन्ध में मैं कुछ संकेत देना चाहूंगा । हमने इन्हीं शिक्षकों को टेक्निकल साइड में १९४९ से ५० तक ३ इन्जीनियरिंग कॉलेज जिसमें से एक रीजनल इन्जीनियरिंग कॉलेज, जयपुर भी है, ६१० विद्यार्थी हैं और तीसरी पंचवर्षीय योजना तक ७७० इसका इन्टेक हो सकेगा । इसके साथ ही ५ पोलीटेक्निक इन्सटीट्यूशन्स चल रहे हैं । तो हमारा प्रयास किस रूप में है, किस रूप में नहीं और आप किस में मानते हैं किसमें नहीं, लेकिन प्रयास टेक्निकल साइड की तरफ भी है। इसी प्रकार से प्रशिक्षण के सम्बन्ध में यह हमने यह कहा है कि शिक्षकों का प्रशिक्षण कम है। यह हम मानते हैं। लेकिन हम इसकी तरफ भी प्रयत्नशील हैं और अधिक से अधिक शिक्षक ट्रेण्ड किये जायें, लेकिन उसके आधार पर हमारे प्रयासों का एक संकेत देना चाहूंगा। १९५०–५१ में १५ बेसिक टीचर्स ट्रेनिंग स्कूल थे और अब ५८ की संख्या हमारे बेसिक ट्रेनिंग स्कूलों की हैं। इससे प्रतीत होता है कि हम प्रयत्नशील हैं कि इसके माध्यम से ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे अध्यापक ट्रेण्ड किये जायें....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : गवर्नमेन्ट के कितने हैं और निजी संस्थाओं के कितने खुलवाये हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : गवर्नमेन्ट इसमें ज्यादा भेद-भाव नहीं रखती है। हमारी नीति है कि अधिक से अधिक गैर-सरकारी संस्थाओं को पोषित किये जाये तो शिक्षा ज्यादा ऊंचे स्तर पर पहुंचेगी । यह हमारी नीति है और इस नीति पर ऐसी संस्थायें जो इस क्षेत्र में काम करना चाहती हैं उनको प्रोत्साहन देना चाहते हैं। इसलिए कितनी गवर्नमेन्ट एडेड हैं कितनी नहीं, यह अधिक महत्व का प्रश्न नहीं है ।....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : २०० रुपये दिये जाते हैं एक लड़की को भर्ती कराने के लिए ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह तो सारा संसार है । इसमें कहां खराबियां हैं इस परेशानी और चिंता में हम रहेंगे और आप जो जनरलाइज़ कर देते हैं कि यहां पैसे दिये जाते हैं और, मैं कह देता हूं उसका पता नहीं । आप पूरा बताने के लिए तैयार नहीं हैं तो, मुझे भी परेशानी होती है। आपने तो एक चीज फेंक दी और मैं उसका जवाब नहीं दे पाता ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आप तैयार हैं क्या इसकी जांच कराने के लिए ? मैं इसकी जांच खुद आपके जरिये ही करवाना चाहता हूं ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : यह प्रश्न तो बार-बार सदन में आया है कि दो दो सौ रुपये देकर लड़के भर्ती करवाये गये हैं ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था....

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : आप जांच के लिए तैयार हैं कि नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

श्री निरंजननाथ आचाय । यह ६ प्राईवेट ट्रेनिंग स्कूल है । तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि माननीय सदस्यों ने परीक्षा प्रणाली के प्रश्न पर, शिक्षा की पद्धति के प्रश्न पर बहुत ही सरगर्मी के साथ सुझाव दिये और माननीय प्राफेसर केदार ने इस सम्बन्ध में शिक्षा पद्धति पर अपनी मान्यतायें भी इस सम्बन्ध में सदन के सामने रखीं । इसी तरह से माननीय सदस्य श्री हांडा ने और अन्य माननीय सदस्यों ने इस प्रश्न पर बहुत ही ज्यादा विश्लेषण किया । उपाध्यक्ष महोदय, हम भी इसी प्रश्न पर जागरूक हैं और इसलिए हैं कि माननीय सदस्यों को जैसा ज्ञान है कि केन्द्रीय सरकार के शिक्षा मंत्री माननीय श्री छागला ने इस प्रश्न को बहुत सरगर्मी से हाथ में लिया और जैसी उन्होंने घोषणा की कि वह शीघ्र ही एक कमीशन सारी शिक्षा पद्धति पर आमूल परिवर्तन अथवा चिंतन करने के लिए स्थापित करना चाहते हैं जिसमें फारेन कन्ट्रीज के भी एक्सपर्ट्स होंगे । उनका यह कदम हमारे लिए भी मार्गदर्शन देने वाला है ।....

श्री रामानन्द अग्रवाल : कमेटी से हट कर कमीशन पर आ गये ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : उसकी भी हम प्रतीक्षा कर रहे हैं । उसका कोई निर्णय मिलेगा तो हम भी अपनी स्थिति को उसके आधार पर सुधार कर सकेंगे । यह प्रश्न अलग है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा विरोधी दल के नेता ने कहा कि कानकरेन्ट लिस्ट में एजुकेशन को दे देना चाहिए । यह प्रश्न नीति का है जिसका इस समय उत्तर नहीं दिया जा सकता । उसमें क्या लाभ है क्या नुकसान और यह प्रश्न किस तरह का महत्व रखता है यह विचार करना इस समय इसका सम्बन्ध नहीं है । क्योंकि यह सदन के फ्लोर पर जवाब नहीं दिया जा सकता, लेकिन जो कुछ हम प्रयास, इस परीक्षा प्रणाली के संबंध में कर रहे हैं उसको यहां बताना उचित समझता हूं । उपाध्यक्ष महोदय, हमने प्रश्नबद्ध के तरीके में परिवर्तन किया । भारत सरकार की ओर से राज्य में शिक्षा प्रणाली के यथोचित सुधार करने के लिए इवेलुएशन यूनिट कायम किया गया । उससे भी हम मदद ले रहे हैं ।

उसी तरह से एक योजना सरकार के विचाराधीन है परीक्षाफल को अच्छा बनाने के संबंध में, इसलिए वह भी हमारा सक्रिय कदम इस ओर है । इसी तरह से हमारे प्रयत्न है कि किस तरह से शिक्षा का फल अच्छा हो, इस ओर चल रहे हैं । लेकिन इसके साथ ही मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि परीक्षाफल जैसा कि अन्दाजा और जैसा कि खतरा माननीय सदस्यों को है, ऐसा खराब नहीं है । उसके आंकड़े मैं सदन के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं । १९५०-५१ में परीक्षा फल ३०.६ परसैन्ट था वह ६२-६३ में बढ़कर ५८ परसैन्ट हो गया । इससे मेरा यह मतलब नहीं है कि इससे हमको संतोष हो गया है । लेकिन जैसा माननीय सदस्यों ने कहा कि वेस्टेज है तो इस वेस्टेज को मंजूर करना

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

पड़ेगा और फेल होने वालों की संख्या अधिक मात्रा में है इसको भी मन्जूर करना पड़ेगा। लेकिन हमने कुछ नीतियां अपनाने का प्रयास किया है कि विद्यार्थी अधिक फेल न हों और शिक्षक अधिक सजग हों अपने कर्त्तव्यों के प्रति, इसलिए हमने यह भी तय किया है कि जिस पाठशाला का अच्छा परीक्षाफल निकले वहां के अध्यापक और प्राध्यापक को प्रोत्साहन दिया जाये। अब वह प्रोत्साहन किस रूप में दिया जाये यह अभी मैं नहीं कह सकता और परीक्षाफल खराब निकले उसके संबंध में हमने यह तय किया है कि उनको भी कुछ समझाया जाये। किस रूप में समझाया जाये यह अलग प्रश्न है। लेकिन प्रोत्साहन और उनको ताड़ना दोनों पहलुओं पर हमने विचार किया है और उसके संबंध में नीति अख्तियार की है। सम्भवतः यह प्रश्न हमारे शिक्षकों को अधिक जागरूक कर सकेगा। इस आशा से........

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : अब तक आपने कितने शिक्षकों को ताड़ना दी ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : ट्रान्सफर कर देंगे और क्या ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : आप तो मुझे हॉस्पीटल में भेजना चाहते हैं। इसलिए मैं यह उपाध्यक्ष महोदय........

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आप हॉस्पीटल में हो जाते तो हमें दर्शन हो जाते। माननीय मिनिस्टर साहब के आपकी वजह से दर्शन नहीं होते....।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आप बाबर की तरह मेरे खाट के चक्कर लगा देते तो हो सकता है आप जिन्दा रह जायें और मैं मर जाऊं। वह किस्सा है न एक पुराना।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : उसमें तो यह मर जायेंगे और आप जिन्दा रहेंगे।

श्री निरंजननाथ आचार्य : चाहता तो मैं यही था, लेकिन आपने समझ लिया। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि जहां तक परीक्षाफल का संबंध है, शिक्षा प्रणाली के सम्बन्ध में मैंने संकेत शिक्षा मन्त्री की ओर किया है, उनके प्रयास की ओर, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम मौन हैं। हम भी सक्रिय हैं। चेटर्जी कमेटी हमने नियुक्त पहले की थी। इसकी सिफारिशें आई और उन सिफारिशों के आधार पर हमने कुछ कदम लिये और वह कदम १० वीं व ग्यारहवीं क्लास में पब्लिक एग्जामिनेशन आरम्भ करने की चेटर्जी कमेटी की सिफारिश के आधार पर लिए। इसी तरह से हमने इन्टेग्रेटेड कोर्स उसी आधार पर चालू किया और यह हमारा प्रयत्न इस ओर है जिस ओर हम सूझ-बूझकर चल रहे हैं।

शिक्षा को सुधारने के लिए हमने एक शिक्षा सलाहकार बोर्ड भी कायम कर रखा है जो हमको सुझाव वक्त वक्त पर देता रहता है। इसी तरह से, उपाध्यक्ष महोदय,

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में परिवर्तन करने के लिए शोधकार्य चल रहा है। माध्यमिक और प्राइमरी शिक्षा का पाठ्यक्रम पर शोधकार्य स्टेट इन्स्टीट्यूट ऑफ एज्यूकेशन जो उदयपुर में कायम है वह शिक्षकों को इस प्रश्न की ट्रेनिंग देने के प्रश्न पर और साथ में शोध करने के प्रश्न पर सजग है। आप इसको थोड़ा कहें या बड़ा कहें हमारे प्रयास इस ओर चल जरूर रहे थे।

इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा प्रश्न जो नीति से सम्बन्धित है, वह प्रश्न है कि विद्यार्थियों में अधिक अनुशासनहीनता होती जा रही है। माननीय सदस्यों ने कई उदाहरण रखे। एक माननीय सदस्य ने बीकानेर का रखा और कई माननीय सदस्यों ने फुटकर रखे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज करूं कि कल मैं घूमने के लिए गया तो एक दैनिक अखबार की तस्वीरें मैंने कई बच्चों के हाथ में देखी। मैंने तस्वीर को उसके नीचे से देखना आरम्भ किया तो लार्ड इर्विन की स्टेच्यू पर कोई भला आदमी चढ़ गया और उस पर कुछ कोलतार या और कुछ डाला तो मुझको एक सुझाव हुआ, एक धक्का लगा और धक्का यह लगा....

श्री रामकिशन (वैर) : वह एक साम्राज्यवाद का प्रतीक था जिसका अनुशासनहीनता से कोई सम्बन्ध नहीं है। आप एक पार्टी की नीति पर....

श्री निरन्जननाथ आचार्य : आपसे कहा नहीं है।

श्री रामकिशन : आप जिस ढंग से कह रहे हैं वह संकेत है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप चढ़े थे क्या रामकिशन जी ?

श्री रामकिशन : वह साम्राज्य का प्रतीक है।

(कोलाहल)

एक माननीय सदस्य : कश्मीर में मुकाबला जरूर किया।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : दोनों को मालूम हो जाय........

(कोलाहल, अश्रव्य)

श्री निरन्जननाथ आचार्य : उपाध्यक्ष महोदय, आपकी तस्वीर तो नहीं है। आपको ऐसे नहीं चौंकना चाहिए। मैं अर्ज कर रहा था कि उससे मुझे एक संकेत मिलता। उत्तर प्रदेश के बारे में कल एक समाचार अखबार में पढ़ा तो उससे एक संकेत मिला।

श्री रामकिशन : सब चीजों को मिला कर आप रख रहे हैं। वे अलग चीजें हैं।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : समाज का प्रतिबिम्ब बालक पर पड़ता है, समाज का प्रतिबिम्ब शिक्षक पर पड़ता है। उस स्थिति में अनुशासनहीनता के प्रश्न का दावा करें, अगर यह प्रश्न रखें तो मैं आपके लिए (श्री रामकिशन से) नहीं कहना चाहता, मैं अपने लिए कहता हूं कि हमें अपना

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

आत्म--निरीक्षण करना पड़ेगा कि यह अनुशासनहीनता विद्यालयों में किस तरफ से आती है। मैं अपने को पेरेन्ट के रूप में, अभिभावक के रूप में रख कर अर्ज करना चाहता हूं कि मेरा लड़का विद्यालय में पड़ता हैं, मैंने किसी भी शिक्षक से नहीं पूछा कि मेरा लड़का कैसा पढ़ रहा है। मैंने अपने बच्चे से नहीं पूछा कि क्या पढ़ रहा है, तो उसका फल यह है, उपाध्यक्ष महोदय, उनकी उदासीनता का यह फल है, अभिभावकों की उदासीनता का यह फल है अनुशासनहीनता। सरकार अपना प्रयत्न करती है कि एन० सी० सी० को अनिवार्य किया जाय। कॉलेजों में एन० सी० की पर्सेन्टेज की स्थापना की। कई माननीय सदस्यों ने इस कार्यक्रम की दाद दी और प्रशंसा की है। एन० डी० एस० की ट्रेनिंग हमने बच्चों के लिए की। स्काउट्स, एन० डी० एस० और एन० सी० सी० का युनिवर्सिटी में अनिवार्य कुछ पर्सेन्टेज अटेन्डेन्स का रखा है कि इतनी पर्सेन्टेज ७० या ८० पर्सेन्ट उनकी एन० सी० सी० में होना चाहिये तभी वे इम्तिहान में बैठ सकते हैं। यह प्रश्न विद्यालयों के आधार पर अनुशासन के लिए हम कर रहे है। इसके अलावा मैं सदन को यह सूचना देना चाहता हूं कि हमारे ध्यान में इस प्रश्न के प्रति सजगता है कि अभिभावकों तक हमारे शिक्षक पहुंचे, उनको सजग करें उनके लड़के के सम्बन्ध में कि उनका बच्चा पांच घन्टे तक तो हमारे यहां रहता है और अधिकांश समय आपके यहां रहता है, हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि बच्चा हमारे हाथ से छूटे और आपके हाथ में जाय उस वक्त आप इसके जिम्मेदार हैं। और इसका दायित्व ले लें इस आधार शिक्षक अभिभावक संघ बनाने का हमने जगह जगह प्रयास किया है। शिक्षकों को सक्यूलर्स से नहीं, भावात्मक तरीके से हम पहुंच पहुंच करके हमारे डाईरेक्टर और निरीक्षक यह प्रयत्न करते है कि वे अभि--भावकों के पास पहुंचे और उन्हें सजग करें। इसलिए मैं आपसे यह निवेदन करता चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि दायित्व एक तरफा नही होना चाहिये। दायित्व दोतरफा होना चाहिए। दायित्व अभिभावकों का भी है और शिक्षकों का भी है। दोनों ही अगर ठीक तरीके से, ठीक रूप में चला करें तो यह जो बीकानेर में हुआ है शायद वह स्थिति नहीं हो। बीकानेर के विद्यार्थियों के पिताओं को अगर यह मालूम होता कि बीकानेर में यह स्थिति हुई, उनके पिता आज सजग रहते हैं....

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपकी गवर्नमेन्ट, आपका मंत्रिमंडल दो ग्रुपों को प्रोत्साहन देता रहा। आप अपनी जिम्मेदारी अभिभावकों पर डालना चाहते....

श्री निरंजननाथ आचार्य : जिनके बच्चे होते हैं....

श्री रामानन्द अग्रवाल : The Chief Minister did not deny it in his reply.

श्री निरंजननाथ आचार्य : I am in possesion of the floor, Sir.

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : वे कॉलेज में

Page No.129

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

जाते रहे और आप उनके इन्डिसिप्लिन की बात कहते हैं।

श्री भैरवलाल कालाबादल (अकलेरा-सु०) : बीकानेर में आप देखें; एक महीने तक जो धर्मशालाओं की हालत होती है, जून और जुलाई के महीने में जबकि टीचर्स के परिवर्तन होते हैं तो मास्टरों से बीकानेर की धर्मशालाएं भरी रहती हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि दायित्व दो तरफ है। आपके लड़के विद्यालय में पढ़ते हैं। मेडीकल कॉलिज के लोग भी जिम्मेदार हैं। मैं यह नहीं कहता कि इसमें कोई उनकी जिम्मेदारी नहीं है, यह प्रश्न कतई नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि बालकों को समझाइश व उल्टी या सीधी समझाइश का फर्क जरूर पड़ता है ख्वाह वह हमारी तरफ से हो या आपकी तरफ से हो। इसलिये मैं यह अर्ज करूंगा कि यह प्रश्न समाज का है और समाज में हम और आप जब तक इस प्रश्न को समाज का प्रश्न नहीं समझें और अनुशासनहीनता का यह प्रश्न केवल सरकार के आधार पर आप चाहें कि हल हो सकता है, ऐसी मेरी मान्यता नहीं। आपके सहयोग के बिना यह ठीक नहीं हो सकता है। हम विद्यार्थियों से हट जायं तो संभवतः ठीक हो सकता है।

श्री रामकिशन : आप सहयोग लेते कहां हैं ?

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, जो माननीय उपमंत्री जी ने बीकानेर के लिए कहा है वे फैक्ट्स पर आधारित स्टेटमेंट नहीं है, ऐसा मैं मानता हूं।

मैं निवेदन करना चहता हूं कि अनुशासनहीनता के लिए ५०, पर्सेन्ट से अधिक गवर्नमेन्ट रेस्पोन्सिबल है....

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Order Please !

श्री फूलचन्द जैन : उसके लिए जिम्मेदार टीचर्स हैं....

(कोलाहल में अश्रव्य)

श्री निरंजननाथ आचार्य : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था....

श्री उपाध्यक्ष : Order, please ! माननीय सदस्य क्लेरिफिकेशन के लिए कुछ पूछ सकते हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : Sir, stand in your protection.

(अनेक माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने के कारण अश्रव्य)

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : यह कोई सिनेमा हाउस नहीं है कि इस तरह का उत्तर दें।

श्री उपाध्यक्ष : सदन का समय चूंकि समाप्त होने जा रहा है इसलिए मैं समझता हूं कि सदन का समय....

श्री मानसिंह महार (आमेर) : आप बेकार बोल रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : जब तक मंत्री महोदय का भाषण समाप्त न हो जाय तब तक के लिए बढ़ाया जाय।

श्री गोविन्दसिंह (पिड़ावा) : On a point of clarification, Sir,...

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! चूंकि बिज़नेस एडवाइजरी कमेटी की सलाह है कि आज ही यह डिमाण्ड पास होनी चाहिए इसलिए जब तक यह डिमाण्ड पास नहीं हो जाय तब तक का समय बढ़ाया जाता है।

श्री गोविन्दसिंह : On a point of clarification, Sir,

श्री निरंजननाथ आचार्य : Points of information should be made at the end of my speech and not now.

श्री उपाध्यक्ष : इस प्रकार से भाषण का तारतम्य नहीं रहेगा। जब यह समाप्त करलें तब पूछ लें।

श्री गोविन्दसिंह : भवानीमंडी के १८ अध्यापकों के लिए आपके क्या विचार हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : Sir, I am coming to the conclusion.

श्री उपाध्यक्ष : Hear him. If you have anything to say, say it at the end.

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं यह अर्ज कर रहा था, अब इस प्रश्न पर जो माननीय सदस्य व्यग्र होंगे, मैं उसको छोड़ देता हूं; किसकी जिम्मेदारी है, किसकी नहीं, इस कांट्रोवर्सी में पड़ना ठीक नहीं।

मैं यह अर्ज कर रहा था कि जो प्रश्न माननीय सदस्यों ने यहां उठाये पंचायत समितियों की स्कूलों के सम्बन्ध में, माननीय उपाध्यक्ष जी, यह प्रश्न दरअसल में कुछ बेचैन करने वाला है। इन प्राथमिक शालाओं के शिक्षकों की क्या हालत है, इस पर माननीय सदस्यों ने चिन्ता प्रकट की। कई माननीय सदस्यों ने कहा कि ट्रान्सफर्स अधिकाधिक होती हैं। कहीं पर सरपंच का पहरेदार या कुछ बन कर चलना पड़ता है उसका प्रभाव शिक्षा पर पड़ता है, ऐसी माननीय सदस्यों की धारणा है, मैं इस सम्बन्ध में....

श्री हरिप्रसाद शर्मा : पंचायत स्कूलों के अन्दर क्या क्या होता है ?

श्री उपाध्यक्ष : मैंने निवेदन किया कि प्रश्नों के उत्तर बाद मे देंगे।

श्री निरंजननाथ आचार्य : इसीलिये मैं निवेदन कर रहा था कि इस प्रश्न पर हम बहुत सचेत हैं और सोचकर हमने यह तय किया है कि पंचायत समिति के शिक्षकों की स्थिति क्या है, उनका कांट्रिब्यूशन किस तरह से हो रहा है ? उनके साथ कोई इन्टर-फियरेन्स पंचायत सरपंच का या पोलिटि-शियन्स का है तो नहीं। इन सारी बातों का संकलन करने के लिये, जांच करने के लिये हमने एक समिति श्री नायक की चेयरमैनशिप में कायम की है, हम उसमे प्रगति कर रहे हैं। यह समिति सारी जांच करके, राज्य सरकार को सलाह देगी, उस पर विचार किया जायगा।....

एक माननीय सदस्य : ये नायक साहब कौन है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : ये नायक साहब एडवाइज़र हैं सैन्ट्रल गवर्नमेन्ट के, प्राइमरी एजुकेशन के बारे में। जैसा कि मैंने अर्ज किया, इस बारे में हम जागरूक हैं। हम यह समझ रहे हैं कि शिक्षकों की स्थिति पंचायत समितियों में ठीक हो, उसमें सुधार किया जाय। उक्त समिति की रिपोर्ट आने पर सरकार इस बारे में कुछ कर सकेगी।

दूसरी बात मैं अर्ज कर रहा था सीनियोरिटी लिस्ट पर माननीय सदस्यों ने चिन्ता प्रकट की। पंचायत समितीज एवं सरकारी स्कूलों के अध्यापकों को मिलाकर सीनियोरिटी लिस्ट नहीं बनाई गई है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि १६ जिलों में यह कार्य पूरा हो चुका है और बाकी ७ जिलों में यह कार्य चल रहा है और मैं हाउस को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी इन सातों जिलों में भी पूरा किया जायगा।....

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : सीनियोरिटी कब से मानी जायेगी ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : From the date of appointment.

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : उसके बाद नुकसान कौन देगा जब से हो गये ?

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) ; १६ जिलों के अध्यापकों की सीनियोरिटी लिस्ट गजट में शाया कर दी गई है क्या ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह मुझे नहीं मालूम।

श्री मानिकचंद सुराणा : यह आप जानते हैं कि सीनियोरिटी लिस्ट को गजट में शाया नहीं कर दिया जाय तब तक उसका कोई अर्थ नहीं है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं यह अर्ज कर रहा था, इसके साथ ही पंचायत समितियों के ग्रेजुएट अध्यापकों को प्रमोशन देकर अब तक ३३८ ग्रेजुएट्स को नियुक्त किया जा चुका है इनमें प्राइमरी स्कूल्स भी हैं और इसी तरह से ५७ ग्रेज्युएट अध्यापकों को ग्रेज्युएट ग्रेड दिया जा चुका है। ऐसी स्थिति में........

(शोरगुल)

जो माननीय सदस्यों के दिमाग में चिन्ता थी उस चिन्ता का कुछ न कुछ निराकरण....

एक माननीय सदस्य : शिक्षा विभाग को भी ले लिया है या नहीं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं इसका जवाब भाषण के अन्त में दूंगा। The procedure is this, the tradition is this and the observations are these that I should not be disturbed in the course of my speech.

श्री रामकिशन : यह तो कांग्रेस वाले कर रहे हैं उनको समझाइये।

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह तो मैंने

(श्री निरंजननाथ ग्राचार्य)

निवेदन किया। ग्रब कुछ विस्तृतरूप से बहुत कुछ उत्तर देने की जिज्ञासा ग्रौर ग्राकांक्षा रखता हूं, लेकिन माननीय सदस्य ग्रपने व्यक्तिगत प्रश्नों पर चिन्तित होंगे उनका निराकरण कर दूं।

सुनेल के ग्रध्यापकों के संबंध में सवाल उठाया, वे मंजूर हो चुके हैं। फिक्सेशन शीघ्र ही कर दिया जायगा।

दूसरा प्रश्न ग्रलवर गर्ल्स कॉलेज के संबंध में माननीय सदस्य श्री रामानन्दजी....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : रामानंदजी तो ग्राज बोले ही नहीं हैं।

श्री निरंजननाथ ग्राचार्य : उनका कटमोशन है। किसी साहब ने जिनका नाम नहीं मालूम, किसी माननीय सदस्य ने रखा ग्रौर कट मोशन में उनका (रामानंदजी का) संकेत है, उस पर मैं सोच रहा था। गर्ल्स कॉलेज दरग्रसल में ग्रलवर में होनी चाहिये ग्रौर हम कभी से इस प्रश्न पर सोच रहे हैं। गर्ल्स कॉलेज के लिये वहां इमारत के संबंध में प्राथमिकता दी जायेगी, ग्रब मैं यह कहने की स्थिति में हूं। हमने यह कोशिश की है कि इमारत का प्रश्न हल हो जाय ग्रौर यह प्रश्न, ऐसा विश्वास होता है कि जल्दी ही हल हो सकेगा ग्रौर उसके ग्राधार पर कह सकता हूं कि ग्रलवर में गर्ल्स कॉलेज के लिये जैसी चिन्ता है वह ग्रब नहीं पायेंगे।....

श्री रामानन्द अग्रवाल (ग्रलवर) : इसी साल शुरू हो जायेगी या....

श्री निरंजननाथ ग्राचार्य : मैंने ग्रर्ज किया है, उसके ग्राधार पर प्रयास इसी साल के लिये है।

दूसरा ग्राट्‌र्स स्कूल के संबंध में यहां सवाल खड़ा किया गया। ग्राट्‌र्स स्कूल के संबंध में मैं कहना चाहूंगा कि इन्डस्ट्रीज डिपार्टमेन्ट के द्वारा वह इमारत ग्रोक्युपाइड है वह ग्रब खाली की जा रही है। वह ग्रच्छी इमारत है। रिकोग्निशन हायर सेकन्डरी डिप्लोमा का पहले से ही है। हमने युनिवर्सिटी को भी मूव कर रखा है। मेरा ख्याल है कि युनिवर्सिटी रिकोग्निशन देगी ग्रौर यह शीघ्र हो सकेगा यह मान्यता है।

बाल भारती के संबंध में दो मुद्दे रखे गये। इस संबंध में मैं कह दूं कि मैं इस स्थिति में तो नहीं हूं कि ग्रधिक जानकारी उपलब्ध हो सके, लेकिन दो मुद्दे उठाये; एक तो यह कहा गया कि शिक्षा विभाग ने कोई एड ५० परसेन्ट या ६० परसेन्ट दी है, दूसरा जमीन के संबंध में कहा गया। मैं उपाध्यक्ष महोदय, दोनों ही संबंध में यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह एड शिक्षा विभाग से नहीं मिली है ग्रौर जमीन से शिक्षा विभाग का कोई संबंध नहीं है। मेरा विश्वास है कि एड मिली है तो समाज कल्याण विभाग से ग्रौर जमीन मिली है........

श्री रामानंद अग्रवाल : रेवेन्यू विभाग से........

श्री निरंजननाथ ग्राचार्य : लेकिन शिक्षा विभाग का इस एड से कोई संबंध नहीं

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

है और जमीन से भी शिक्षा विभाग का कोई संबंध नहीं है। प्रगति के संबंध में शिक्षा विभाग को प्रसन्नता होगी और प्रसन्नता इस माने में हो सकती है कि किसी क्षेत्र में शिक्षा की उन्नति हो रही है तो भविष्य उज्जवल मालूम होता है। इसलिये........

श्री रामानन्द अग्रवाल : शिक्षा विभाग के द्वारा यह एडेड स्कूल नहीं है, यह आप केटेगोरिकली कह रहे है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : केटोगोरिकली ही नहीं, उससे भी अधिक स्ट्रोंग शब्द कोई होता तो कहता कि शिक्षा विभाग से उसका कोई संबंध है नहीं। मैं यह अर्ज कर रहा था उपाध्यक्ष महोदय, नेशनलाइजेशन ऑफ केक्स्ट बुक्स........

एक माननीय सदस्य : जमीन के बारे में सोशियल वेलफेयर डिपार्टमेन्ट........

श्री निरंजननाथ आचार्य : जब मैंने कहा है........

Sir, I deserve to be protected. I should not be disturbed.

श्री रामानंद अग्रवाल : यह जो जमीन मिली रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट से या एड मिली ६०,०००) रु० की दूसरे डिपार्टमेन्ट से, तो क्या शिक्षा विभाग ने इस संस्था के लिये रिकमन्ड किया था कि उनको जमीन दी जाय ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : उपाध्यक्ष महोदय, एक शोर्ट नोटिस क्वेश्चन है; We will be discussing that question, शीघ्र आने वाला है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : यह प्रश्न नहीं....

श्री निरंजननाथ आचार्य : हम उसे ओवर लेप कर रहे हैं। इसमें क्या है ?

श्री मानिकचन्द सुराणा : प्रश्न यह नहीं, प्रश्न यह है कि क्या राज्य सरकार ने जमीन दी ? यह स्वीकार करें।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैंने कहा कि शोर्ट नोटिस क्वेश्चन आ रहा है। उस समय आप सारी बातें पूछ लीजिये।

श्री मानिकचन्द सुराणा : शोर्ट नोटिस क्वेश्चन का प्रश्न नहीं। क्या आप इन्कार करते हैं कि चीफ सैक्रेटरी इसके चेअरमैन हैं और इसलिए सौ एकड़ जमीन इसको दी गई है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आप नाराज क्यों हो रहे हैं? चीफ सैक्रेटरी इसके वाइस चेअरमैन हैं और इस प्रयत्न में हैं कि यह गतिशील हो कि यह आगे बढ़े।

श्री मानिकचन्द सुराणा : सौ-एकड़ जमीन आप प्राइवेट संस्थाओं को देना चाहते हैं तो ऐसी कितनी संस्थाएं हैं जिनको आप इतनी जमीन दी है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह एक पृथक क्वेश्चन है। मैं इसका जवाब नहीं दे सकता।

श्री मानिकचन्द सुराणा : पृथक क्वेश्चन नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सौ एकड़ जमीन बाल भारती को दी है, क्या उसके टीचर्स उसमें हल चलायेंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : I have got a copy of the transaction of Bal Bharati. I can read from it.

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसमें सौ बीघा जमीन है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : इस सम्बन्ध में शोर्ट नोटिस क्वेश्चन है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : राजस्थान के खजाने को लूट रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आप बेबुनियाद प्रश्न कर रहे हैं, आपको शर्म नहीं आ सकती--यह मुझे मालूम है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आप बताइये कि यह गवर्नमेन्ट की नीति है कि एडेड स्कूल को....

श्री निरंजननाथ आचार्य : I should not be disturbed, Sir.

श्री मानिकचन्द सुराणा : यह क्वेश्चन में है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : When the Chair is on its legs the Hon. Member should resume his seat.

श्री मानिकचन्द सुराणा : प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन्स को गलत तरीके से एड दी जाती है। यह स्पेसिफिक क्वेश्चन में है। मंत्री महोदय, सिर्फ इसी वजह से कि चीफ सेक्रेटरी इन्वोल्व्ड हैं, इसे इवेड करना चाहते हैं। उन्हें इवेड नहीं करना चाहिए।

श्री निरंजननाथ आचार्य : It does not concern me.

श्री मानिकचन्द सुराणा : आया कि यह ऐड दी गई है, यह रेवेन्यू विभाग से दी गई है, या सोशियल विभाग से दी गई है; इस प्रकार जो प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन्स को एड करने का नियम है, यह सही है या गलत है?

श्री निरंजननाथ आचार्य : Sir, how am I concerned with Revenue Department ?

श्री मानिकचन्द सुराणा : आपको साफ कहना चाहिए....

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं साफ कह रहा हूं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : You should make it clear.

श्री निरंजननाथ आचार्य : तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था, आपका प्रश्न था, इस प्रकार का एक शोर्ट

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

नोटिस क्वेश्चन था। हमने नहीं दी और हमारे किसी डिपार्टमेंट ने जमीन दी हो। लेकिन मैं यह तहकीक कह सकता हूं कि एड हमने नहीं दी, जमीन से हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में दूसरा प्रश्न अलग से पूछें। इस समय मैं उत्तर देने की स्थिति में नहीं हूं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : Point of order, Sir.

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं अर्ज कर रहा था....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, यह बात कई दफा आई है, आपको व्यवस्था देनी चाहिए कि खजांची बैंचेज़ जब मौका होता है तो कह देती हैं कि जिम्मेदार नहीं हैं और जब मौका होता है तो जिम्मेदार बन जाती हैं।

श्री उपाध्यक्ष : That is no point of order.

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह प्रश्न केवल इतना ही नहीं है। माननीय मंत्री इसको इवेड करना चाहते हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं निवेदन कर रहा था....

श्री उपाध्यक्ष : जो प्रश्न....

श्री रामानन्द अग्रवाल : माननीय मंत्री कहते हैं कि इस सम्बन्ध में जानकारी नहीं है। वे समझते नहीं हैं कि इतने सीरियस एलीगेशन्स हैं....

श्री निरंजननाथ आचार्य : जिस समय शोर्ट नोटिस क्वेश्चन लिया जायगा उस वक्त में आप पूछ सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय उप-मंत्री कह रहे हैं, उनको इस विषय में अपने डिपार्टमेंट से सम्बन्धित जितनी जानकारी है वह दे चुके हैं और अलग से प्रश्न पूछा गया है उस वक्त आगे जानकारी हो सकेगी वह दी जायगी। उस वक्त में सप्लीमेन्ट्री क्वेश्चन्स के जवाब में दी जायेगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : हमारी दिक्कत यह है कि उसके अन्दर प्रश्न पूछने की सीमा होती है। हम माननीय मन्त्री से उम्मीद करते थे कि इस प्रश्न का उत्तर इस डिबेट से पहले दे देंगे, ताकि सही जानकारी हो सके। लेकिन उस क्वेश्चन को इवेड किया गया है और इसके पहले अखबारों में उसका कॉन्ट्राडिक्शन दूसरे लोगों की तरफ़ से जो इसमें इन्वोल्व्ड हैं, निकलवाया गया है। चीफ सेक्रेटरी की तरफ से यह खिलाफ में प्रचार किया जा रहा है। यह शिकायत है इसमे, एलीगेशन्स इतने गम्भीर हैं....

श्री निरंजननाथ आचार्य : The paper is not relevant, Sir. It should not be referred to.

श्री रामानन्द अग्रवाल : उसको एड दी गई है, इस बात का एलीगेशन है,

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

जो ग्रेड रखी है वह केवल लेडी टीचर के लिए रखी जाय और २०० से ७०० रखी जाय। इसके अलावा एक टीचर को इस बिना पर हटा दिया गया....

श्री निरंजननाथ आचार्य : The Chair is on its legs, Sir.

श्री रामानन्द अग्रवाल : चीफ सैक्रेटरी ने उसको घर पर बुलाने को कहा। जब उसकी हैड मिस्ट्रेस ने उस लेडी टीचर को कहा कि चीफ सैक्रेटरी ने उसे घर बुलाया है, तो उस लेडी टीचर ने चीफ सैक्रेटरी के घर जाने से इन्कार कर दिया।

श्री निरंजननाथ आचार्य : This is a false allegation againt the Chief Secretary.

श्री रामनन्द अग्रवाल : और इस बिना पर उसको निकाल दिया गया।

श्री निरंजननाथ आचार्य : This should not be brought on the record, Sir. This is a false charge against the Chief Secretary.

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपका डिपार्टमेंट क्या कहता है? लेडी टीचर द्वारा चीफ सेक्रेटरी को नोटिस दिया गया है, गवर्नमेंट को नोटिस दिया है। आज लेडी टीचर को मजबूर करते हैं....

श्री निरंजननाथ आचार्य : It should be expunged from the proceedings.

श्री उपाध्यक्ष : Order please! I will not allow......

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह नगर) : यह प्रोफ्यूमो कांड की तरह है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मेरे को आप मौका दें, मैं आपको बताऊंगा कि यह प्रोफ्यूमो कांड की तरह है........

श्री निररंननाथ आचार्य : The Chair is on its legs.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप क्यों बचाना चाहते हैं?

श्री निरंजननाथ आचार्य : गलत है वह, सरासर गलत है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सही है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : गलत है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय........

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह प्रोफ्यूमो कांड से ज्यादा बड़ा कांड है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह गलत है, निराधार है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं कहता हूं गवर्नमेंट इस बात को साबित करे।

Page No.137

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

उपाध्यक्ष महोदय, इस बात को मंजूर करें........

श्री उपाध्यक्ष Order please ! hon. Member !

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : एक जांच कमेटी बनाई जाय। आप हमारी ज़बान बन्द नहीं कर सकते।

श्री निरंजननाथ आचार्य : उपाध्यक्ष महोदय........

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : जिस तरीके से, उपाध्यक्ष महोदय........

श्री उपाध्यक्ष : मैं निवेदन करता हूं माननीय सदस्यों से कि इस प्रकार सारी व्यवस्था ताक में रख कर बहस नहीं चल सकती। मैं मानता हूं कि गलती हुई होगी। उसके लिए पृथक प्रकार से प्रश्न उठा सकते हैं, सब बातें हो सकती हैं। लेकिन एक बहस चालू है उसके बीच में दूसरी बहस चालू हो जाय, तो इस प्रकार निर्णय पर नहीं पहुंच सकते। किसी प्रकार की जानकारी नहीं हो सकती। १७६ मेम्बर यहां बैठ कर किसी बात को सोचना चाहते हैं, ऐसी स्थिति में हम वैयक्तिक ढंग से ही कोई बात आके तो वह जायज नहीं।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : हम उनकी बात नहीं सुनेंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मुझे बोलने दिया जाय, मैंने कट मोशन रखे हैं....

श्री उपाध्यक्ष : आप कोई पर्टीक्यूलर बात पूछना चाहते हों तो वह पूछें, लेकिन मैं भाषण के लिए किसी को इजाजत नहीं दूंगा। इसके पश्चात् मैं निवेदन करूंगा कि जब तक भाषण पूरा न हो जाय, इसके बीच मे कोई पोइन्ट ऑफ इन्फोर्मेशन अलाऊ नहीं करूंगा। जब भाषण पूरा हो जाय, उसके पश्चात् यथासम्भव पोइन्ट ऑफ इन्फोर्मेशन हों, वह आप पूछ सकते हैं।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : मेरा पोइन्ट ऑफ ऑर्डर है........

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं यह पूछना चाहता हूं........

श्री उपाध्यक्ष : I have asked Shri Rama Nand Agarwal to put his point of information.

श्री निरंजननाथ आचार्य : The observatios are that at the conclusion of my debate .....

श्री उपाध्यक्ष : I have allowed him.

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : मेरा पोइन्ट ऑफ आर्डर है, उपाध्यक्ष।

श्री रामानन्न अग्रवाल : मैं जानना चाहता हूं....

एक माननीय सदस्य : On point of order, Sir.

Page No.138

श्री उपाध्यक्ष : मैंने एक व्यवस्था दे दी है। श्री रामानन्द अग्रवाल जो क्लेरीफिकेशन मांगना चाहते हैं वह मांगें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं यह जानना चाहता हूं, जो कट मोशन प्राइवेट संस्थाओं को अनुचित मदद देने के बारे में मैंने दिया उसके सम्बन्ध में मुझे बोलने का मौका नहीं दिया, इसलिए जानकारी चाहता हूं कि न केवल....

श्री निरंजननाथ आचार्य : At the end of the debate...

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपने इजाजत दी है। I have been allowed.

मैं आपका जवाब चाहता हूं। मेरी इन्फोमेंशन यह है कि उस स्कूल में, जिसको आपने एड दी है, एक मेट्रिक्यूलेट टीचर का २०० से ७०० का ग्रेड रखा गया है। उसमें एक लेडी टीचर थी लता भारद्वाज, उसको इस बुनियाद पर हटा दिया गया कि हैड मिस्ट्रेस ने उसको कह दिया कि वह चीफ सेक्रेटरी के घर जाय। उसने इन्कार कर दिया....

श्री निरंजननाथ आचार्य : I seek the protection of the Chair, Sir. He should give previous notice of this, Sir.

श्री रामानन्द अग्रवाल : उसने इन्कार कर दिया। उसने नोटिस दिया सेक्रेटरी को....

श्री निरंजननाथ आचार्य : I can only reply at the conclusion of the debate, Sir. That is the procedure.

श्री रामानन्द अग्रवाल : उसका जवाब नहीं देते हैं। उसको दबाने की कोशिश की है। मैंने नोटिस मंगवाया था....

श्री निरंजननाथ आचार्य : Sir, I will not...

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय की आज्ञा से प्रश्न कर रहा हूं....

श्री निरंजननाथ आचार्य : I will not damage the traditions of the House.

श्री रामकिशन (वैर) : आप जान-बूझ कर कहवा रहे हैं साहब, नाराज नहीं हो रहे हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : जवाब तो मैं दूंगा।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : हम जानना चाहते हैं....

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं निवेदन कर रहा था कि नेशनलाइजेशन ऑफ टैक्स्ट बुक्स की माननीय सदस्यों ने....

श्री विजयसिंह झाला : जवाब आना चाहिए।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : जवाब आना चाहिए।

श्री निरंजननाथ आचार्य : I seek your protection, Sir.

श्री मानसिंह महार : जवाब आना चाहिए।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : He should reply to it.

श्री उपाध्यक्ष : इस विषय में मैं कहना चाहता हूं....

श्री मानसिंह महार : जवाब आना चाहिए।

श्री विजयसिंह झाला : इसको सहन नहीं करेंगे।

श्री मानसिंह महार : हम नहीं सुनेंगे। हम जवाब चाहते हैं।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : उपाध्यक्ष....

श्री उपाध्यक्ष : इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : नहीं, सर, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अब तक की जो परम्परा रही है और आपका अभी का जो ऑब्जर्वेशन है कि ये सवालात पीछे उठाये जा सकते हैं, इस बहस के समाप्त होने के बाद।....

श्री उपाध्यक्ष : वह ठीक है। इस समय....

श्री निरंजननाथ आचार्य : तब यथासम्भव समय दे दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल को मैंने इजाजत दी है एक बात पूछने की।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैंने नोट कर ली है।

श्री मानसिंह महार : जवाब आना चाहिए।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : हम डिस्टर्ब करेंगे। जवाब आना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : Please allow the Chair to do its duty.

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह जो सवाल उठाया, इसका ज्ञान, उपाध्यक्ष महोदय, आपको हो सकता है, बाकी किसी माननीय सदस्य को शायद इसका ज्ञान हो सकता है ? यह ऐसी अजीब बात है, जिसका मुझे कतई ज्ञान नहीं हो सकता है और मैं इसकी प्राइमा फेसी गलत, निराधार और मिथ्या मानता हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अभी....

श्री उपाध्यक्ष : I shall not allow any discussion. If there is anything further to be clarified, there are different procedures for it.

(लगभग दस मिनट तक शोर-गुल, व्यवधान, करतल-ध्वनि आदि के वातावरण में सदन की कार्यवाही में बाधा के कारण अश्रव्य)

श्री निरंजननाथ आचार्य : तो मैं निवेदन कर रहा था, उपाध्यक्ष महोदय, नेशनलाइज़ेशन ग्रॉफ टेक्स् बुक्स के सम्बन्ध में इसके संबंध में दो-तीन बातों पर एतराज उठाया गया है। एक तो यह कि किताबें देरें से निकलती हैं। दूसरा यह कि उनमें कुछ गल्तियें रह जाती हैं और किताबों का रिव्यू ठीक तरह मे नहीं होता है। इस सम्बन्ध में मैं सिर्फ संक्षेप में ही कहना चाहता हूं कि हम भी इस पर सक्रिय नहीं हों, ऐसी बात नहीं है हम इस मामले में सक्रिय हैं। एक माननीय सदस्य ने यह प्रश्न उठाया था कि यू. पी. की क्या व्यवस्था है। मैं यह कहूंगा कि हमने यू. पी. ग्रौर पंजाब की दोनों की व्यवस्था को ग्रध्ययन करके देखा है ग्रौर हमारे यहां उनमें थोड़ा फर्क रह जाता है। उसमें हम सुधार करने जा रहे हैं। ग्रब हाई कोर्ट के निर्णय पर कि किताबें जल्दी से जल्दी निकलें, मैं कह सकता हूं कि ग्रब किताबों के निकलने में कोई देर नहीं हो सकती। थोड़ी बहुत गल्तियें रह जाती हैं उनको दूसरी प्रति को देख कर हम यह प्रयत्न करते हैं कि उनमें जल्दी से जल्दी सुधार हो।

स्पोर्ट्स के बारे में हमारे यहां ग्रच्छा प्रबन्ध नहीं है, जैसा कि दूसरी स्टेटों मे है। इससे हमारे यहां के लड़कों का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। इसके लिये कौंसिल के बारे में श्री केदारनाथजी ने प्रश्न उठाया है। मैं निवेदन करूंगा कि जैसा केन्द्रीय मंत्री महोदय श्री छागलाजी ने इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया है हम भी यह सोचते हैं कि इस एक्टीविटी को किस तरह से बढ़ाया जा सके ग्रौर इसके लिये क्या कदम उठाया जावे। मुझे विश्वास है कि सब डिस्ट्रिक्टों के लेवल पर इसको किस तरह से सुधारा जा सके, इसके लिये हम हम प्रयत्नशील होगे। मैं इन शब्दों के साथ माननीय सदस्य श्री भैरोंसिंहजी ने कुछ चीजों की खरीद ग्रौर फर्नीचर के सम्बन्ध कुछ ग्रापत्तियें उठाई; इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करूंगा कि इसकी जांच के लिये मैंने ग्रादेश दे दिये हैं। फर्नीचर के बारे में हो हो सकता है बुक्स में कुछ त्रुटियें हुई हों, मैं इस सारी स्थिति के सम्बन्ध मे जांच करा लूंगा, यह मै विश्वास दे सकता हूं।

इसके ग्रलावा जैसा मैंने प्रारंभ में निवेदन किया कई बातें ग्रापके दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण हो, मगर मेरे दृष्टिकोण में उनका ज्यादा महत्व नहीं हो ग्रौर उसमें वाद विवाद होने के कारण कुछ उग्रता ग्राई हो पर फिर भी....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : ग्रार्ट्स स्कूल के बारें में क्या कहते है ?

श्री निरंजननाथ ग्राचार्य : मैंने इसका जवाब दे दिया है। ग्राप उस समय यहां नहीं थे।

ग्राप मौन होकर ग्रापने इसकी भूरि-भूरि प्रशंसा की है ग्रौर यह जाहिर किया है कि भारी तरक्की की है। इसको मैं ग्रापका ग्राभार मानता हूं ग्रौर जो कुछ मैंने निवेदन किया है ग्रौर ग्रापको विश्वास दिलाया है उसको देखते हुए मेरा ख्याल है कि बहुत कुछ समस्याग्रों का निराकरण हो गया है। ऐसी स्थिति में मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा, ये इधर बैठने वाले माननीय सदस्य तो ग्रपने ग्रपने कटमोशन्स विथ्ड्रा करेंगे ही, मगर ग्राप भी इतनी उग्रता दिखाने के बाद भी ग्रपने कटमोशन्स को विथ्ड्रॉ करेंगे।

श्री मानिकचन्द सुराणा : On a point of information, Sir, आपने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया कि सोशियल एजुकेशन के डिप्टी डाइरेक्टर को बुक्स का रिव्यू करने और उनको एप्रूव करने का अधिकार है और उनके बिना एप्रूव किये कोई किताब खरीदी नहीं जा सकती।

श्री निरंजननाथ आचार्य : डिप्टी डाइरेक्टर सोशियल एजुकेशन के बारे में यह जो आपत्ति उठाई गई है और एप्रूवल के बारे में कहा गया है, मैं इन सारी बातों की जानकारी करके कि किस कोन्टेक्स्ट में ये आदेश दिये गये हैं; सारी स्थिति को स्टेडी करके इन प्रश्नों को भी हाथ में लूंगा।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : Point of order, Sir, शिक्षा मंत्रीजी ने हमारे बेकवर्ड एरिया वालों के लिए कोई आश्वासन नही दिया। जहां बेकवर्ड एरिया है वहां पर आपको भवन आदि बना दें, वहां के लिये आपने क्या सोचा है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : हमने ऐसा किया है, बहुत अच्छी तरह से सोच-समझ कर किया है। इसमें कोई फर्क नहीं है। धन मिले या न मिले, मगर बैकवार्ड क्लास में हमारा मन पहले चलता है। हम इसे आगे बढ़ा कर छोड़ेंगे अगर आप नही मानेंगे तो भी।

श्री हीराभाई : आपने जो सीमा रखी है।

एक माननीय सदस्य : जो मोशन्स मूव नहीं हुए उनके कट मोशन्स का क्या हुआ ?

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : Point of information, Sir, जिनका जवाब नहीं दिया उनके लिये क्या है ?

श्री उपाध्यक्ष : आपने भाषण भी दे दिया और प्रश्न भी पूछते हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : रूरल एरिया में साइन्स और एग्रीकल्चर आदि की शिक्षा के लिये आपका क्या विचार है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : अर्थाभाव है। बड़ा स्पष्ट विचार है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६५ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १४,८३,९९,००० रू० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या १५ स्वीकार की गई।

(विराम)

सदन की कार्यवाही कल दिनांक १७ मार्च, १९६४ को प्रातः ८ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनतर सदन की कार्यवाही म० प० १ बज कर ४८ मिनट पर कल दिनांक म० पू० ८ बजे तक के लिये स्थगित हुई)

———

संक्षिप्त-विवरण

(सोमवार दिनांक १६ मार्च, १९६४)

स्कम्भ १	स्कम्भ
तारांकित प्रश्नों के शीर्षक	१

कालूगामड़ा गांव का तालाब ।

मैकेनिकल इन्सपेक्टर्स के विरुद्ध शिकायतें ।

हाई स्कूल, वाली में कृषि विषय की कक्षाएं ।

श्रमजीवी पत्रकार वेतन समिति की सिफारिशें ।

कोटा ट्रान्सपोर्ट लिमिटेड के कर्मचारियों का वेतन ।

बाल-वाटिका, बीकानेर ।

ओवर लोड बसेज़ के चालान-जिला भरतपुर ।

ग्राहू नदी से लिफ्ट इरिगेशन ।

कोटा ट्रांसपोर्ट कम्पनी लिमिटेड ।

नर्सरीज़, जिला कोटा ।

रेतीले और कच्चे बस रूट्स ।

प्राइवेट बसें चलने वाले रूट्स का राष्ट्रीयकरण ।

रतनगढ़ मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, रतनगढ़ ।

समाज कल्याण विभाग द्वारा मकान बनाने हेतु रकम जिला बूंदी ।

संकेन्द्रित क्षेत्र दुरहा वन ।

घास की कटाई-वन विभाग क्षेत्र, बारां ।

गर्ल्स हाई स्कूल की मांग-हिन्डौन ।

पंचायत, गरमपुरा ।

स्थगित-प्रश्न

(२४-२-६४

राजस्थान स्टेट रोडवेज से लाभ ।

(२-३-६४)

चारे की नीलामी-सिरोही ।

(२-३-६४)

ग्राम पंचायत, नेठवा के सरपंच के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं गबन के आरोप ।

Page No.143

स्तम्भ

(२-३-६४)

अध्यापकों की छुट्टियां।

(२-३-६४)

ग्राम बिलान्दपुर के भूतपूर्व सरपंच के विरुद्ध गबन एवं दुरुपयोग की रिपोर्ट।

२. अतारांकित प्रश्नों के शीर्षक ५५

एक्साइज एन्ड टैक्सेशन इन्स-पेक्टर्स की नियुक्तियां।

बिना टोकन रिन्यू किराये चलने वाली बसें उदयपुर क्षेत्र।

कोटा ट्रान्सपोर्ट कम्पनी की गाड़ियां।

राजकीय कन्या छात्रावास, समाज कल्याण, बापूनगर।

राजकीय अनुसूचित जन जाति छात्रवास, आदर्शनगर, जयपुर।

घास से आमदनी-आबू रोड रेन्ज।

नोहर कोआॅपरेटिव भूमि बन्धक ऋण बैंक, नोहर।

३. अनुपस्थिति के लिये अनु-मति ८३

स्तम्भ

श्री प्रतापसिंह, सदस्य, राजस्थान विधान सभा को दिनांक १६ मार्च से २५ मार्च, १९६४ तक सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की गई।

४. आयव्ययक १९६४-६५ द्वितीय अवस्था—अनुदानों की मांगों पर मतदान

मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा ८३

उपरोक्त मांग श्री निरन्जननाथ आचार्य, उप-शिक्षा मन्त्री द्वारा प्रस्तावित की गई। इस मांग पर कुल १९१ कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये।

उप-मंत्री के उत्तर के पश्चात्, मांग सदन द्वारा स्वीकार की गई।

मंगलवार, दिनांक १७ मार्च १९६४ की कार्य-सूची

अनुदान की मांगों पर मतदान

(१) मांग संख्या ३४, मुख्य शीर्षक ७०--वन;-तथा

(२) मांग संख्या २३, मुख्य शीर्षक ३८ श्रम और नियोजन।

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ४३६ का उत्तर देखिए)

तालिका—

		बस नम्बर	मार्ग
१.	आर. जे. आर.	४	बूंदी--चित्तौड़गढ़
२.	,,	१८८७	कोटा बारां
३.	,,	१५२६	कोटा कस्बा थाना
४.	,,	१३३७	कोटा कस्बा थाना
५.	,,	३०४६	कोटा कस्बा थाना
६.	,,	१८०	कोटा पाटन अकलेरा
७.	,,	१३०	कोटा पाटन अकलेरा
८.	,,	१३२	कोटा पाटन अकलेरा
६.	,,	१५०	कोटा पाटन कछानी
१०.	,,	१६८	कोटा रामगंज मंडी
११.	,,	१४४	कोटा चेचट
१२.	,,	१४६	कोटा दर्रा सांगोद
१३.	,,	१०५५	रामगंज मंडी पाटन बकानी
१४.	,,	६५७	मनोहरथाना झालावाड़
१५.	,,	१६२३	सालपुरा छीपा बड़ोद
१६.	,,	१८३६	कोटा सिटी जंकशन
१७.	,,	१८४०	बारां झालरापाटन
१८.	,,	१७००	बारां झालरापाटन
१६.	,,	१७२८	बारां मथरगढ़ नाहरगढ़
२०.	,,	१५५०	कोटा सांगोद अकलेरा
२१.	,,	१८६६	कोटा सांगोद अकलेरा
२२.	,,	२००	कोटा इटावा सातोली पीपलदा गंता
२३.	,,	२३४	कोटा नयावर थटरू

Page No.145

२४.	,,	२५६	कोटा मांगरोल
२५.	,,	२५७	कोटा मांगरोल
२६.	,,	१७६०.	कोटा दहीरेढा खानपुर
२७.	,,	१४१०	माहेस्थाना अकलेरा सालपुर
२८.	,,	२	बारां श्योपुर
२९.	,,	७६६	बारां
३०.	,,	२१२	बारां इडावा सातोली
३१.	,,	२६८६	बारां मांगरोल सीहरवाली
३२.	,,	२३९	बारां हीया बड़ोद
३३.	,,	१७९४	बारां रामगंज मंडी इन्डावा झालावाड़
३४.	,,	१७९५	बारां रामगंज मंडी इन्डावा झालावाड़ रोड
३५.	,,	१९६	बारां नाहरगढ़ वाया जलवाड़ा
३६.	,,	१८६	मनोहर थाना सालपुरा
३७.	,,	२६४	कोटा जलना सारोला
३८.	,,	७३४	कोटा इटावा सातोली
३९.	,,	१४९०	भवानीमंडी अकलेरा

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ४३६ का उत्तर देखिए)

कोटा जिले की नर्सरियों में लगाये गये पाधे तथा जो खर्च आया उसकी सूची

नं० शु० नाम नर्सरी	पौधे उगाये सन् १९६३--६४	खर्चा-सन् १९६३--६४
१—कोट बूंदीबावड़ी (चम्बल)	६००००	४९८६.०७ नये पैसे
२—बारां	४००००	८८१६.०० ,,
३—किशनगंज	१५०००	२७४०.०० ,,
४—छबड़ा	४०००	९९८.०० ,,
५—छीपा बड़ौद	६६२५	८२२.०० ,,
६—नाहरगढ़	८०००	२२२३.०० ,,
७—शाहबाद	५०००	१४५३.०० ,,

परिशिष्ट ३

(समयाभाव के कारण प्रश्न समय में न लिये जा सकने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

स्थगित-प्रश्न
(२-३-६४)

ग्राम पंचायत, नेठवा के सरपंच के विरूद्ध भ्रष्टाचार एवं गबन के आरोप

९६. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या ग्राम पंचायत, नेठवा (पंचायत समिति, तारानगर) का बजट सन् १९६०-६१, १९६१-६२ और १९६२-६३ का मंजूर शुदा है ?

(२) क्या उक्त पंचायत में १९६०-६१, १९६१-६२ और १९६२-६३ का हिसाब तैयार है ? यदि हां, तो इनमें से किस किस साल का हिसाब ऑडिट हुआ है ?

(३) क्या इस पंचायत के सरपंच, श्री तेजसिंह के खिलाफ जनता ने भ्रष्टाचार, गबन और अपने अधिकारों का दुरुपयोग करने के आरोप लगाए हैं ?

(४) क्या सरकार ने उक्त सरपंच के खिलाफ कोई जांच करवाई है ? यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) जी हां, हिसाब तैयार हो चुके है। वर्ष १९६२-६३ का ऑडिट अभी नहीं हुआ है।

(३) जी हां।

(४) जांच जारी है।

स्थगित-प्रश्न
(२-३-६४)

अध्यापकों की छुट्टियां

९८. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि परीक्षा के दिनों में जिन २ सैन्टरो पर बोर्ड ऑफ हायर सैकण्डरी एज्यूकेशन की परीक्षाएं होती हैं वहां पर उस स्कूल के अध्यापकों की उतने ही दिनों की छुट्टियां शुमार की जाती हैं ?

(२) क्या यह सही है कि छुट्टियां शुमार होने के बावजूद इन अध्यापकों को उन दिनों में अपने अपने स्कूल में हाजिर रहना पड़ता है और उपस्थिति पंजिका में हाजरी भी लगाई जाती है ?

(३) क्या यह सही है कि इन दिनों की छुट्टियों के एवज में इन अध्यापकों को अन्य छुट्टियों के दिनों में क्लासें लेनी पड़ती हैं ?

(४) क्या सरकार इस सिस्टम को अनुचित मानकर इसको बन्द करने का आदेश जारी करेगी ?

(१) परीक्षा के दिनों में जिन सैन्टरों पर बोर्ड ऑफ सैकन्डरी एज्यूकेशन की परीक्षाएं होती हैं वहां के अध्यापकों को छुट्टी पर शुमार नहीं किया जाता, परन्तु ड्यूटी पर माना जाता है।

(२) उपरोक्त अध्यापकों की स्कूल में उपस्थिति अनिवार्य होती है, अतः उनको उपस्थिति पंजिका में हाजरी लगानी पड़ती है।

(३) उन्हें छुट्टियों पर शुमार करने का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि इन अध्यापकों को बोर्ड से रेमुनरेशन मिलता है, इसलिये इन्हें अन्य छुट्टियों के दिनों में क्लासें लेनी पड़ती हैं जिससे जितने दिन उन्होंने कक्षाओं के पढ़ाने का कार्य नहीं किया वह पूरा किया जा सके।

(४) उपरोक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए इस सिस्टम के अनुचित होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

स्थगित-प्रश्न

(२-३-६४)

ग्राम बिलान्दपुर के भूतपूर्व सरपंच के विरुद्ध गबन एवं दुरुपयोग की रिपोर्ट

१०३. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि तहसील बैराठ के अन्तर्गत ग्राम बिलान्दरपुर पंचायत के भूतपूर्व सरपंच, श्री लक्ष्मीनारायण के विरुद्ध अनयूटिलाइज्ड सबसिडी की बकाया की वसूली

के हेतु संबंधित विकास अधिकारी ने तहसील को लिखा था ? यदि हां, तो कब और कितनी रकमों के वास्ते ?

(२) क्या उक्त रकम वसूल हो गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(३) क्या यह सही है कि उक्त सरपंच के खिलाफ कई शिकायतें इस प्रकार की राज्य सरकार के पास भी आई ? यदि हां, तो कितनी बार और उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

(४) क्या यह सही है कि ऑडिट पार्टी ने इन्ही सरपंच के खिलाफ धन के गबन एवं दुरुपयोग की रिपोर्ट की है ? यदि हां, तो इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई ?

(१) जी हां। दिनांक २१-१२-६२ को २,७९५.७० नये पैसे की वसूली के लिए लिखा गया था।

(२) अभी तक २०१.५६ नये पैसे की वसूली हुई है।

(३) जी हां। शिकायतें प्राप्त हुई थीं। जांच जारी है।

(४) जी हां। जांच जारी है।

परिशिष्ट ४

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या १६५ का उत्तर देखिये)

समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित राजकीय कन्या छात्रावास बापूनगर, जयपुर की कन्याओं की कक्षा वार सूची:—

क्र० सं०	नाम छात्रा मय पिता	कक्षा
१.	शशिप्रभा पुत्री दामोदरप्रसाद	६
२.	गीताबाई पुत्री कुंजबिहारी	६
३.	प्रेमबाई पुत्री नारायणलाल	५
४.	दुर्गाबाई पुत्री जगन्नाथ	४
५.	भौंराबाई पुत्री रामपाल	४
६.	मदनकुमारी पुत्री मोतीलाल	३
७.	अनूपबाई पुत्री गुलाराम	३
८.	यशोदाबाई पुत्री गंगाबिशन	३
९.	कान्ताबाई पुत्री गोपाललाल	३
१०.	कान्ताकुमारी पुत्री प्रभुलाल	३
११.	शकुन्तला पुत्री कन्हैयालाल	३
१२.	राधारानी पुत्री शंकरलाल	२
१३.	लतारानी पुत्री शंकरलाल	२
१४.	चन्द्रारानी पुत्री जमना	२
१५.	धनदेवी पुत्री कन्हैयालाल	२
१६.	प्रेमबाई पुत्री नवलकिशोर	२
१७.	चेतनबाई पुत्री कन्हैयालाल	२
१८.	रामप्यारी पुत्री रामनारायण	१
१९.	चांदबाई पुत्री छोटेलाल	१
२०.	सुधा पुत्री गंगाबिशन	१
२१.	बृजकुमारी पुत्री श्रोमचन्द	१

(नोट:—तमाम छात्रायें अनुसूचित जाति की हैं)

शुद्धि-पत्र

(सोमवार, दिनांक १६ मार्च, १९६४)

स्कम्भ सं०	पंक्ति सं०	अशुद्धि	शुद्धि
१-२	१	संख्या १६	संख्या १८
१	२	सोमवार दिनांक, १६ मार्च, ९६४	सोमवार, दिनांक १६ मार्च, १९६४
५	१०	मुरलीधर	श्री मुरलीधर
६	१	श्री वियजसिंह	श्री विजयसिंह
१२	१५	(नहर	(नोहर)
१७-१८	शीर्षक	६ मा १ ६४	१६ मार्च, १९६४
२०	,,	श्री फलचंद	श्री फूलचंद
२२	३	कप्लेन्ट	कम्प्लेन्ट
,,	१०	उप मत्री	उप-मंत्री
२४	९	श्री भीमसिह	श्री भीमसिंह
३०	९	श्री भैरा सिंह	श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर)
,,	२२	उप मत्री	उप-मंत्री

१	२	३	४
४१	१६ से १८	श्री उमरावसिंह ढाबरिया [बनेड़ा) : द्वारा पूछा गया] श्री मोहनलाल सारस्वत (रतनगढ़)	श्री मोहनलाल सारस्वत (रतनगढ़) [श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) द्वारा पूछा गया] :
४३	शीर्ष	(श्री उमरावसिंह ढाबरिया) (श्री मोहनलाल सारस्वत)	
५७	१०	६ व ७)	(६) व (७)
५६	शीर्षक	१६ मा १८६४	१६ मार्च, १६६४
७३	७	श्री रामामंद	श्री रामानन्द्र
७५	शीर्षक	अतारांकित	तारांकित
७७	शीर्ष	(वित्त मंत्री)	(श्री वित्त मंत्री)
८३	२	अनुपस्थिति रहने	अनुपस्थित रहने
८६	१३	सदन को	सदस्यों को
८८	२२	श्री रघनाथ	श्री रघुनाथ
८६	६	बहगमन	बहिर्गमन
६१	शीर्षक	कटोती प्रस्तावों विषयक	हिन्दी में प्रतिवेदन विषयक
६२	अन्तिम से २	(पिंडावा)	(पिड़ावा)
६३ से २८७	नोटः	इन स्कम्भों में "कटौती प्रस्तावों विषयक-१६ मार्च, १६६४-मांग संख्या १५" या अन्य कुछ मुद्रित हुआ है उनके स्थान पर कृपया यह पढ़ें :	"मांग संख्या—१६ मार्च, १६६४–१५–शिक्षा"
६३	शीर्ष	(श्री गोबिन्दसिंह)	(श्री गोविन्दसिंह)

१	२	३	४
६४, १५१, १५३	६	सुराना	सुराणा
६७	१७	चाधरी (फतहपुर)	चौधरी (फतहपुर।
६६	१७	नाथद्वारा)	(नाथद्वारा)
१०७	अन्तिम से २	(पिंडवारा)	पिंडवाड़ा)
११०	,, ,, ४	कराल	करौल
११७	६	ढावरिया	ढाबरिया
१४६	५	(नसी ाबाद)	(नसीराबाद)
१७३	१६	(आसीद	(आसींद)
१६८	अन्तिम	एकडेमिक	एकेडेमिक
२२१	३	श्री होराभाई	श्री हीराभाई
२३५	३	फाला	झाला
२४८	८	शमा	शर्मा
२४६	४	आचाय।	आचार्य
२५७	६	,,	,,
२५८	१६-१७	Sir. stand	Sir, I stand
,,	२०	(पाटन	(पाटन)
२६६	अन्तिम से ३	आचाय	आचार्य
२६८	११	श्री निरजननाथ	श्री निरंजननाथ
२७१	५	आचाय	आचार्य

१	२	३	४
२७२	१०	श्री निररंननाथ	श्री निरंजननाथ
२७४	अन्तिम से ४	श्री रामानन्न	श्री रामानन्द
,,	,, ,, २	On point	On a point
२७७	५	श्री योगेन्द्र ना	श्री योगेन्द्रनाथ
२७६	१	आचाय	आचार्य
२८२	अन्तिम से २	दिनांक म०	दिनांक १७ मार्च, १९६४के म०
२८६	३	पाधे तथा	पौधे तथा

❀ विस्तृत शुद्धि-पत्र बाद में पृथक से मुद्रित होगा ।